(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 26 वां दिवस [संख्या 18

मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[चिकित्सा, राजस्व, सहकारिता, खनिज, यातायात, देवस्थान, सिंचाई, विद्युत् व सार्वजनिक निर्माण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री भंवरलाल भदादा।

भीलवाड़ा-अजमेर और भीलवाड़ा उदयपुर मार्गों का राष्ट्रीयकरण

448. **श्री भंवरलाल भदादा** (भीलवाड़ा) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि राजस्थान में कई मार्गों का राष्ट्रीयकरण हो गया है पर भीलवाड़ा से अजमेर और भीलवाड़ा से उदयपुर आदि महत्वपूर्ण मार्गों का राष्ट्रीयकरण नही किया जा रहा है ?

यदि हां, तो क्यों ? उक्त मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने में क्या कठिनाई है तथा अब सरकार इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण कब तक कर देगी ?

यातायात मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : जी नहीं। इन मार्गों के राष्ट्रीयकरण की योजनाओं के विरुद्ध प्राप्त आपत्ति-पत्रों की सुनवाई की जा रही है। प्रारूप योजनाओं के अनुमोदित होते ही इन मार्गों का राष्ट्रीयकरण कर लिया जावेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री भंवरलाल भदादा : अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के 1977 तक के परमिट रिन्यू कर दिए गए हैं, ऐसी स्थिति में इनका राष्ट्रीयकरण कैसे होगा ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि इनकी स्कीमें पब्लिश की जा चुकी हैं। स्कीमों पर ऑब्जेक्शन इन्वाइट किए गए हैं और ऑब्जेक्शन आ गए हैं। उन पर सुनवाई हो रही है। जैसे ही सुनवाई के बारे में फैसला हो जाएगा उसके बाद में डिसिजन ले लिया जाएगा।

श्री भंवरलाल भदादा : परमिट दे दिए गए हैं उस सम्बन्ध में क्या सोच रहे हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : नई सोचने की कोई बात नहीं है।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) : क्या यह सही है कि भीलवाड़ा—अजमेर मार्ग की स्कीम कई वर्ष पूर्व, करीब 62 में बनाई गई थी और वह अभी तक कार्यान्वित नहीं हो रही है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी हां, मैं सही सन् के बाबत तो नहीं कह सकता लेकिन स्कीम बहुत पुरानी हो गई है। हाई कोर्ट से स्टे हो गया इसलिए इसमें डिले हुई है।

श्री दलपतसिंह (खारची) : इन मौजूदा राष्ट्रीयकृत मार्गों के अलावा भी क्या नए मार्गों का राष्ट्रीयकरण होगा ? और होगा तो कितने मार्गों का और कौन-कौन से मार्गों का ?

श्री हरिदेव जोशी : अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह !

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न। अगर आपकी इजाजत हो तो।

श्री अध्यक्ष : पूछिए।

श्री जगमोहनसिंह: मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार की यूनिफार्म पालिसी क्या है ? किन्हीं मार्गों का तो नाइन्टी पर्सेन्ट राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं और किन्हीं का बिल्कुल नहीं। तो इस बारे में क्या पालिसी है ?

श्री हरिदेव जोशी : अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रतापसिंह ?

अजमेर जिले में किया गया भू-अभिलेख संशोधन कार्य

149. **श्री प्रतापसिंह** (किशनगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अजमेर जिले में किया गया भू-अभिलेख संशोधन कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो तैयार किया गया रेकार्ड कब से प्रभावशील होगा ? यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ तो कब तक पूरा हो जायेगा ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : अजमेर जिले में किया गया भू-अभिलेख संशोधन कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। शीघ्र पूर्ण कराने की कार्यवाही की जाएगी।

श्री प्रतापसिंह : कब तक ? शीघ्र से अभिप्राय क्या है आपका ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सन् 70 में यह कार्य शुरू किया गया था और 72 में फील्ड वर्क हो गया है। जमाबन्दी और करेक्शन ऑफ लैण्ड रेकार्ड करना ही बाकी है।

श्री प्रतापसिंह : लैण्ड रेकार्ड का कार्यक्रम तीन वर्ष पूर्व इसी उद्देश्य से शुरू किया गया था। वह वैसा ही पड़ा है। तीन वर्ष में जो कोई नए नामांतरण आदि के कार्य हैं वे वैसे पेंडिंग में रहे हैं जैसे पहले पेंडिंग रहे थे। यह कार्य जिस वजह से शुरू किया गया उसकी कोई उद्देश्य की पूर्ति होगी नहीं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो यह म्यूटेशन का कार्य है वह अधिकतर पूरा हो चुका है

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
और अब तो सिर्फ उस रेकार्ड की तकमील करके बांटने का है और जमाबन्दी आदि का है। जो सब भारी काम था, फील्ड वर्क और फील्ड में जाकर नक्शे बनाने, तकमील कराने का वह सब तो हो चुका है।

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

देवस्थान विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध गबन के मामले

450. श्री **मूलचन्द सामरिया** (दौसा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राज्य में कितने स्थान देवस्थान विभाग की देख रेख में व राज्य सरकार के नियंत्रण में हैं ?

(ख) इस विभाग के कितने अधिकारियों के विरुद्ध सन् 1967 से आज तक गबन के मामले दर्ज किए गए ?

(ग) क्या ऐसे भी अधिकारी हैं जिन्हें गबन के आरोप में सेवा से हटाया गया व अब पुन: वापस लगाया गया ?

(घ) यदि हां, तो क्यों ? व भविष्य में सरकार उनके बारे में क्या विचार रखती है ?

देवस्थान मंत्री (श्री नारायणसिंह) : (क) 500 स्थान है।

(ख) एक कर्मचारी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।

(ग) जी हां।

(घ) श्री श्यामशरण शास्त्री, मैनेजर, मंदिर श्री लक्ष्मणजी, भरतपुर के राज्य सरकार को उपदारी प्रस्तुत करने पर इनको पुन:लगाने की आज्ञा प्रसारित हुई जांच पूर्ण होने पर इसके सम्बन्ध में विचार किया जावेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : धन्यवाद !

(प्रश्न सं० 451)

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसहाय !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मनोहर कोठारी !

श्री गोवर्धन हॉस्पीटल, नाथद्वारा में काटेज वार्ड के निर्माण का प्रस्ताव

452. श्री **मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री गोवर्धन हॉस्पिटल, नाथद्वारा में किसी यात्री द्वारा राज्य सरकार के समक्ष कोटेज वार्ड निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था ? यदि हां, तो प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष कब आया ?

(2) क्या राज्य सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार अब भी इस प्रश्न पर निर्णय करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां। माह मार्च 1971 में।

(श्री हरिदेव जोशी)

(2) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) दान प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह !

(अनुपस्थित)

श्री लूणाराम : प्रश्न संख्या 453

श्री अध्यक्ष : अॉथोरिटी है ?

श्री लूणाराम : महत्त्वपूर्ण प्रश्न है

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

ग्राम सेवक समाज, नाहरी का नाका, जयपुर

453. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) [श्री रामसिंह, सादुलपुर की अनुपस्थिति में] : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम सेवक समाज, नाहरी का नाका, जयपुर नामक संस्था किन-किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पंजीकृत कराई है उनमें से किन उद्देश्यों की पूर्ति हो गई है और कौन-कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिन्हें पूर्ण करना है ?

(2) क्या उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ग्राम सेवक समाज को कुछ धन भी खर्च करना पड़ता है ? यदि हां, तो किन-किन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इन्होंने कितना धन किस-किस वर्ष में खर्च किया ?

(3) उक्त समाज के सदस्य बनाने के क्या-क्या नियम हैं और इस संस्था के किस-किस वर्ष में कितने-कितने सदस्य थे ? उनके नाम व पते क्या-क्या हैं व इस संस्था में कितने व्यक्ति किस-किस वर्ष में कार्यकारिणी के पदाधिकारी रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करवा दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : you want post ponement. (विराम) स्थगित किया गया।

(प्रश्न सं० 454)

श्री रामलाल वाडी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

(प्रश्न सं० 455)

श्री गिरधारीलाल भार्गव !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री उम्मेदीलाल !

कस्बा सूरोठ, ढिढोरा आदि गांवों का विद्युतिकरण

456. श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, हिण्डौन के अन्तर्गत कस्बा सूरोठ, ढिढोरा इत्यादि गांवों को कब तक बिजली दे दी जावेगी ?

(श्री उम्मेदीलाल)
(2) क्या यह सही है कि कस्बा सूरोठ की आबादी 6000 की है? यदि हां, तो इतनी आबादी वाले कस्बे को अभी तक बिजली नहीं देने के क्या कारण हैं जब कि अन्य स्थानों पर, जिनकी आबादी 2000 की है, वहां बिजली दी जा चुकी है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(2) वर्ष 1961 की जनगणना के अनुसार सूरोठ की जनसंख्या 3706 है। नये ग्रामों का विद्युतिकरण स्वीकृत करते समय किसी गांव की आबादी को ही उसका आधार नहीं माना जाता है अपितु यह गांव का विद्युत् उप-प्रसारण प्रणाली के निकट होना, कृषि कुओं की बाहुल्यता, योजना का आर्थिक व तकनीकी दृष्टि से साध्य होना व आवश्यक धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल जाट !

रासायनिक खाद का कारखाना

457. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि जिला चित्तौड़गढ़ में घोसुण्डे के पास रासायनिक खाद का कारखाना लगाया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि रासायनिक कारखाने के लिए सर्वे रिपोर्ट में भी उक्त स्थान को उपयुक्त बताया गया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार अब रासायनिक कारखाने के सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

(2) अभी केवल प्रारम्भिक रिपोर्ट ही प्राप्त हुई है । अन्तिम रिपोर्ट अपेक्षित है । उसके प्राप्त होने पर ही भारत सरकार विशेषज्ञों के सलाह से स्थान चयन करेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : प्रारम्भिक रिपोर्ट क्या है ?

श्री जुझारसिंह : अभी तो प्रारम्भिक रिपोर्ट में यह है कि कौन से स्थान का चयन किया जाय । इसके बारे में रिपोर्ट है कि चितौड़ में क्या फेसेलिटी है, उदयपुर की स्थिति क्या है और घोसुण्डे में क्या पौइन्ट है; इसके बारे में रिपोर्ट है । जो डिसिजन लेना है कि कारखाना लगाया जाय या नहीं, इसके बारे में डिसिजन भारत सरकार को करना है कि राजस्थान में कारखाना लगाना भी है या नहीं ।

श्री शंकरलाल जाट : उदयपुर में क्या सुविधाएं बतलाई हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये आश्वासन जो मंत्री और मुख्य मंत्री द्वारा दिए जाते हैं उनका कोई संकलन भी रखा जाता है और उस संकलन के मुताबिक इसकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में कभी सूची बता सकेंगे ?

श्री जुझारसिंह : जहां तक खाद के कारखाने को लगाने का प्रश्न है, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के

(श्री जुझारसिंह)
बीच में इसका मामला तय होने वाला है। राजस्थान सरकार ने भी अपनी मांग कर रखी है कि खाद कारखाना यहां लगाना चाहिए क्योंकि इसके लिए जरूरी पोटेंशियल यहां मौजूद है। लेकिन जो खनिज विभाग से सम्बन्धित मामला है और जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है उसके सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया है कि अलग-अलग स्थानों पर, जहां कि कारखाना लगाने की सहूलियत हो सकती है उसकी रिपोर्ट मौजूद है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है कि कमेटी ने यह खाद कारखाना सलादीपुर में लगाने की सिफारिश की है ?

श्री जुझारसिंह : नहीं की है।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : कमेटी की रिपोर्ट क्या है ?

श्री जुझारसिंह : कमेटी ने अलग-अलग विषयों पर राय दी है कारखाने लगाने के बारे में। रा-मेटिरियल कहां पर उपलब्ध है, उसमें मार्केटिंग सोर्सेज कहां पर हैं, फिनिश प्रोडक्ट कहां पर बिक सकता है। पाईराइट कहां पर है, कम्यूनिकेशन के क्या साधन हैं, इस तरह के विषय में बहुत से अलग-अलग सवाल सामने आए हैं, उसमें तीन स्थानों का प्रश्न अण्डर कंसीडरेशन है। किसी के फेवर में कोई चीज आती है तो किसी के फेवर कोई चीज आती है। लेकिन अभी तक किसी के फेवर में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि कमेटी ने यह कहा है कि सबसे ज्यादा काम में आने वाला रा-मेटिरियल पाइराइट, 80 पर्सेंट जो काम में आता है वह सलादीपुर में उपलब्ध है ?

श्री नारायणसिंह : राक फास्फेट भी काम में आता है और वह उदयपुर में उपलब्ध है ?

श्री जुझारसिंह : जहां तक राक-फास्फेट का सम्बन्ध है, वह उदयपुर में उपलब्ध है तो पाइराइट चित्तौड़ में पास पड़ता है, सलादीपुर में भी है। तो दोनों के मिक्सचर से खाद बनेगा। ट्रांसपोर्टेशन उदयपुर में उपलब्ध है। इससे सलादीपुर और उदयपुर दोनों बराबर की स्थिति में है।

श्री पी. के. चौधरी : क्या यह सही है कि सलादीपुर में जो पाइराइट का भंडार मिला है वह 80 प्रतिशत आफ दी रॉ मेटिरियल है जब कि दूसरे स्थानों पर यह 20 प्रतिशत ही है ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कोई फैसला नहीं किया गया है। रिपोर्ट सामने है। यह वहीं पर लगाया जाएगा जहां पर कि इसके लिए उपयुक्त स्थान होगा। राजस्थान सरकार ने अभी केन्द्र सरकार को कोई राय नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्रसिंह ?

डूंगरपुर जिले में अनुसूचित जाति और जन-जाति के भूमिहीनों को भूमि का आवंटन

458. **श्री रामचन्द्रसिंह** (चौरासी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री रामचन्द्रसिंह)
(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में अनुसूचित जाति और जन-जाति के भूमिहीन व्यक्तियों को वर्ष 1971-72 में भूमि आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कब और कहां-कहां तथा कितनी-कितनी ?

(2) क्या यह सही है कि स्टेट टाइम के जिन आदिवासी काश्तकारों के पास पट्टे व उनके कब्जे के सबूत हैं राज्य सरकार उनको वैध न मानते हुए उनकी भूमि को छीन कर अन्य व्यक्तियों को अलाट कर देती है ? यदि नहीं, तो मोरडूंगरा में भूमि आवंटन और भूमि कब्जा पट्टा तथा स्टेट टाइम के भूमि कब्जा पट्टे की क्या स्थिति है ? विस्तृत सूचना सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। अतः इसको स्थगित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता !

हैल्थ एज्यूकेशन असिस्टेन्ट का तबादला

459. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नोगावा अलवर में नियुक्त श्री रविकुमार शर्मा एच. ई. ए. का ता० 12-12-72 को बाड़मेर तबादला किये जाने की आज्ञा दी गई ? यदि हां, तो उसके स्थान पर किस को लगाया गया ?

(2) क्या यह सही है कि किसी व्यक्ति ने अपने आपको बानसूर (अलवर) क्षेत्र का भूतपूर्व विधायक बता कर पत्र लिखा और इस पर तबादला किया गया और उसका इन्द्राज पत्रावली के नोट में भी किया गया है ? यदि हां तो कृपया पत्र की नकल सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि इस पत्र में दर्ज कोई भूतपूर्व विधायक बानसूर क्षेत्र का नहीं है और यह तथ्य गलत है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त श्री रविकुमार शर्मा, हैल्थ एज्यूकेशन असिस्टेन्ट का नोगावा से बाड़मेर का तबादला केन्सिल हो गया है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां, उनके स्थान पर श्री बाबूलाल टीका निरीक्षक का पदस्थापन किया गया है।

(2) जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) जी हां।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह बात सही है। आप इसकी जांच करवाइये।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे आप फैक्टस् दे दें मैं इसकी जांच करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

आयुर्वेद विभाग में यूनानी औषधियों की खरीद का अनुपात

460. श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में राजकीय यूनानी फार्मेसी कितनी हैं ? यदि नहीं हैं, तो क्यों ?

(2) आयुर्वेदिक विभाग का वार्षिक बजट कितना है और इसमें से यूनानी पर क्या खर्च किया जाता है ? यदि कम खर्च किया जाता है, तो क्यों ?

(3) आयुर्वेदिक विभाग में यूनानी औषधियों की खरीद का क्या अनुपात है ? यदि कम है, तो क्यों ?

(3) आयुर्वेदिक विभाग में 'अ' श्रेणी के कितने आयुर्वेदिक औषधालय हैं और यूनानी के कितने ? इनमें आतुरालय आयुर्वेदिक कितने हैं, यूनानी कितने हैं ? यदि यूनानी कम हैं, तो क्यों ?

आयुर्वेद मंत्री (श्री नारायणसिंह) : (1) राजस्थान में यूनानी रसायनशाला पृथक् से नहीं है। यूनानी औषधियों का निर्माण रसायनशाला, अजमेर में हकीमों की देखरेख में करवाया जाता है। व्यवस्थापक, रसायनशाला के सीधे निरीक्षण में इसके लिए 9 श्रमिक निरन्तर कार्य करते हैं।

(2) आयुर्वेद विभाग का बजट वर्ष 72-73 के लिए आयोजना मद में 210.99 लाख रुपया तथा योजना मद में 32.75 लाख स्वीकृत हुआ। इस राशि में यूनानी औषधालय मद के लिये 4.14 लाख रुपये आयोजना भिन्न मद में स्वीकृत हैं। औषधालयों के क्रम में ही उनमें कार्यरत कर्मचारियों पर एवं दवाखानों के संचालन हेतु बजट प्राप्त होता है।

(3) आयुर्वेद तथा यूनानी के लिए कच्ची औषधियां सम्मिलित रूप में क्रय की जाती हैं। यूनानी के लिए पृथक् औषध क्रय नहीं की जाती हैं क्योंकि कुछ ही विशेष औषधियों को छोड़कर लगभग सभी औषधियां समान होती हैं। निर्माण प्रक्रिया भिन्न होती है।

(4) 'अ' श्रेणी आयुर्वेद औषधालय 34 हैं तथा यूनानी 3 हैं। इसमें आयुर्वेदिक में आतुरालय 23 औषधालयों में, यूनानी में 2 हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 4.14 लाख का आंकड़ा बताया है। क्या आप यह सोचते हैं कि यह राशि सन्तोषजनक है ?

श्री नारायणसिंह : आवश्यकतानुसार काफी-नाकाफी का अन्दाज लगाया जा सकता है। अगर ज्यादा आवश्यकता हुई तो ज्यादा बढ़ सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली: आवश्यकता का आधार वहां के लोगों की मांग है या आपका आरबीट्रेरी फैसला है।

श्री नारायणसिंह : आरबीट्रेटरी हो ऐसा नहीं है। लोगों की मांग पर किया जाता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरी मान्यता है कि लोगों की मांग है और राज्य सरकार उसको स्वीकार नहीं करती है। क्या यह सत्य है ?

श्री नारायणसिंह : यह सत्य नहीं है। जहां से भी मांग आती है वहां जरूर उस चीज को दिया जाता है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपका बजट दोनों के लिए एक ही बनता है। क्या इसके लिए बजट अलहदा, मुकर्रर करने के लिए आप सोचते हैं ?

श्री नारायणसिंह : अलहदा से मतलब ?

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : एक तो यह है कि यूनानी और आयुर्वेद दोनों का मिला हुआ है। यूनानी के लिए बजट में कोई अलग से डिमार्केशन नहीं किया गया है। इसलिए अर्ज करना चाहता हूं कि आयुर्वेद के लिए अलग और यूनानी के लिए अलग-अलग बजट हो। क्या इस पर आप सोचते हैं ?

श्री नारायणसिंह : इस पर विचार किया जा सकता है ?

श्री गौरीशंकर मुनीम (खानपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह 4 लाख 14 हजार की जो राशि यहां पर बतायी गयी है मैं समझता हूं कि इस पर 4 हजार रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। मंत्री महोदय को इसकी पूरी जानकारी नहीं है। यह मेरा निवेदन है। दवाइयों के बिल झूठे बनाये जाते हैं। मेरे खयाल में हकीम, वैद्य भी इसको जानते हैं। मंत्री महोदय को पता नहीं है दवा होती क्या है ? असली दवा क्या है और नकली दवा क्या है— इस सम्बन्ध में मेरा 35 वर्ष का अनुभव है।

यह जो जानकारी दी जा रही है यह गलत है।

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) : इनको डाइरेक्टर बना दिया जाए।

श्री गौरी शंकर मुनीम : एक मिनिट और अर्ज करना चाहता हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : मंत्री महोदय को असली दवाई दे दीजिए।

श्री गौरी शंकर मुनीम : ऐसी दवा दूंगा कि भागते-भागते फिरोगे।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : पहले मंत्री महोदय को बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री गौरी शंकर मुनीम : मेरा निवेदन है....

श्री अध्यक्ष : सुन लिया।

एक माननीय सदस्य : क्या सुना ?

श्री अध्यक्ष : जो आपने फर्माया ?

विदेशी मुद्रा के उल्लंघन की जांच

461. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर): क्या मंत्री, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री एल. के. वर्मा, निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी

Page No 10

(10)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
विभाग को तंजानिया दो वर्ष के लिए भेजा गया था ? यदि हां, तो वहां की सरकार ने उन्हें तीन मास पूर्व ही भारत में वापस क्यों लौटा दिया ?

(2) क्या तंजानिया से आने के पश्चात् श्री एल. के. वर्मा के खिलाफ सी. बी. आई. द्वारा विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन की जांच की गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

(3) क्या एन. एस. एस. (नेशनल सेम्पिल सर्वे) के 27 राउण्ड तक के प्रतिवेदन निदेशक ने तैयार किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ उप निदेशक, जो सांख्यिकी सहायक से बने थे, आज तक निदेशालय से बाहर तबादले पर नहीं गये हैं ? यदि हां, तो इन लोगों के तबादले गत 17 वर्षों में भी क्यों नहीं हुए ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जी हां, यह सही है कि श्री लक्ष्मीकुमार वर्मा, निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी को संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा तंजानिया में औद्योगिक सांख्यिक के पद पर नियुक्ति हेतु वर्ष 1965 में पहिले एक वर्ष तथा बाद में एक वर्ष और के लिए चयन करके भेजा गया था। चूंकि श्री वर्मा को तंजानिया सरकार ने नियुक्त नहीं किया था। अतः उक्त सरकार द्वारा उन्हें वापिस भेजने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(2) राज्य सरकार को ऐसी किसी जांच का ज्ञान नहीं है।

(3) राज्य सरकार ने एन. एस. एस. के 17 वें राउन्ड से इन सर्वेक्षण में भाग लेना आरम्भ किया था। 23 वें राउण्ड तक की टेबल्स का टेब्यूलेशन कर लिया गया है और वह भारत सरकार को भेज भी दी गई है। 24 व 25 राउण्ड का सारणियन कार्य चल रहा है और कुछ रिपोर्ट तैयार भी कर ली गई है। 26 वें राउण्ड का क्षेत्रीय कार्य सितम्बर, 1972 में समाप्त हुआ और समरी टेबल्स तैयार कर के रिलीज कर दी गई है। 27 वां राउण्ड अक्टूबर, 1972 में आरम्भ हुआ है और सितम्बर, 1973 में समाप्त होगा जिसके पश्चात् ही इस राउन्ड का टेब्युलेशन और रिपोर्ट लिखने का कार्य हाथ में लिया जा सकता है।

(4) आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय में स्थापित 7 उप-निदेशकों में से केवल एक ही ऐसे हैं जिनका अभी तक निदेशालय से बाहर स्थानान्तरण नहीं हुआ है। इस उप-निदेशक का स्थानान्तरण प्रशासनिक रीजन्स से संभव नहीं हो सका।

श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस डिपार्टमेन्ट में 27 राउण्ड हो गए और एक भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की और न कम्पलीट हुई तो फिर इस विभाग को रखने की क्या आवश्यकता है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अभी कहा है कि इसमें 23-वें राउण्ड कम्पलीट हो चुके हैं और 24/25 की टेबुल्स हो चुकी हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो कम्पलीट हो चुकी हैं क्या वे आपकी तिजौरी में है ? पब्लिश क्यों नहीं हुई हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : पब्लिकेशन की अभी जानकारी नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आन ए पौइन्ट आफ इन्फार्मेशन प्लीज। हमारे चारों विधायकों के घरों पर घरना है....

श्री अध्यक्ष : अभी समय नहीं है। प्रश्नोत्तरकाल के बाद।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि उनके प्रश्न आ रहे हैं इसलिए इन प्रश्नों को स्थगित किया जावे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : मेरे घर पर भी बैठे हैं ?

श्री अध्यक्ष : खाना खिलाओ।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : आप कैसे आए हैं ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने उनका स्वागत किया है। हाथ जोड़कर और उनको बिठाकर आया हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि 27-राउण्ड हो गए उनका एक का भी पब्लिकेशन नहीं हुआ। यह डिपार्टमेन्ट इतना निष्क्रिय है तो फिर इसको रखने की क्या आवश्यकता है ? इसको बन्द कर देना चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वे भारत सरकार से उपलब्ध नहीं हुई हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : कितने वर्षों तक उपलब्ध नहीं हुई। 25 वर्ष, 10 वर्ष 12 वर्ष कितने वर्षों तक उपलब्ध नहीं हुई ? जब एक का भी प्रकाशन नहीं हो पाया तो यह डिपार्टमेन्ट किस काम का है ? इसी काम को दूसरा विभाग अच्छी तरह कर रहा है और वह है केन्द्रीय जांच संगठन। यह इस काम को कर रहा है। तो क्या मंत्री महोदय इस विभाग को बंद करने की सोचते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : अब इसका जल्दी से जल्दी हम पब्लिकेशन करायेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आज 25 वर्ष से तो हुआ नहीं और अब जल्दी से जल्दी कब होगा ? इस जल्दी से जल्दी की क्या परिभाषा है ?

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल जोशी !

बीकानेर पी० बी० एम० अस्पताल का कोबाल्ट यूनिट

462. **श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर पी० बी० एम० अस्पताल में केन्सर के मरीजों के लाभ हेतु कोबाल्ट यूनिट कब से लगा हुआ है ?

(2) उपरोक्त यूनिट आज तक कितनी अवधि तक किन कारणों से खराब पड़ा रहा ?

(3) कोबाल्ट यूनिट के खराब रहने की अवधि में कितने केन्सर मरीज इसके लाभ से वंचित रहे ? इसका जिम्मेवार कौन ठहराया जायगा ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कोबाल्ट यूनिट का सोर्स समाप्त होता

(श्री गोपाल जोशी)
जा रहा है ? यदि हां, तो यह सोर्स कितने दिनों में समाप्त हो जायगा और सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए हैं ?

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :
(1) कोबाल्ट यूनिट दिनांक 13-7-66 से लगा हुआ है ।

(2) यह मशीन दिनांक 20-3-71 से 30-6-71 तक बन्द रही, इसके कुछ पार्टस् खराब हो गये थे जो केवल केनाड़ा से ही इम्पोर्ट हो सकते थे । जून, 71 में केनाड़ा से पार्टस् आ जाने पर इनको फिट करवा दिया गया और दिनांक 1-7-71 से मशीन बराबर चालू है ।

(3) बीकानेर में केन्सर इलाज के लिये दो प्रकार की थेरेपी की व्यवस्था है: —

1. कोबाल्ट थेरेपी,

2. रेडियम थेरेपी । इसलिए मरीजों को जहां तक हो सका रेडियम का इलाज दिया गया । इसके कारण मरीजों को कुछ अधिक समय तक इलाज करवाना पड़ा ।

(4) जी हां, इसकी शक्ति का केवल कोबाल्ट का समय निर्धारित होता है शनैः शनैः कमी होती जाती है । इसको रिप्लेस करवाने का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री गोपाल जोशी : मंत्री महोदय, मैं यह कह रहा था कि कोबाल्ट यूनिट के लाभ से कितने व्यक्ति वंचित रहे ? मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि आपने उसका आल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दे दिया लेकिन कोबाल्ट थेरेपी से वंचित रहे उनकी कितनी संख्या है ? अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो फिर कोबाल्ट यूनिट नहीं लगाते ।

श्री हरिदेव जोशी : सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि एक प्रकार की थेरेपी एवेलेबल नहीं थी तो दूसरी प्रकार की दे दी ।

श्री गोपाल जोशी : यह लाखों लोगों के जीवन का प्रश्न है । इसमें इस तरह की ढिलाई बरतना एक घोर अन्याय होता है ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं लेकिन हमारे पास उपाय ही क्या है जब कि कन्ट्री में पार्टस् एवेलेबल नहीं हैं और बाहर से इम्पोर्ट होते हैं तो उसमें देर लगी । अब कहां ढिलाई हुई !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : यह ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसमें लाखों लोगों के जीवन का प्रश्न है । समय से पहले एक्स्ट्रा पार्टस् मंगाकर सरकार नहीं रख सकती थी क्या ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं ।

श्री गोपाल जोशी : डिपार्टमेंट को जब यह मालूम हुआ कि इसमें कोबाल्ट खत्म हो रहा है तो उसने कब कार्यवाही करनी शुरू की ?

श्री हरिदेव जोशी : मैंने निवेदन किया कि अब तक तो वर्क कर रहा है । पार्ट

(श्री हरिदेव जोशी)
इमीजियेटली खराब हो जाने के कारण उसको रिप्लेस करना पड़ा।

श्री गोपाल जोशी : इसका जब सोर्स खत्म हो रहा है तो इसके लिए अग्रिम कार्यवाही क्या की जा रही है? फिर एकदम सोर्स खत्म हो जायगा उसके बाद कार्यवाही शुरू करेंगे तो पता नहीं कितना समय उसमें लगे। कब उसका रिप्लेसमेंट होगा और कब मरीजों को उसका लाभ मिलना शुरू हो जायगा। इसलिए सोर्स के पूरा खत्म होने से पहले ही उसको रिप्लेस करने की कार्यवाही करें।

श्री हरिदेव जोशी : मैं देखूंगा कि सोर्स खत्म होने से पहले वह रिप्लेस हो जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री निरन्जननाथ आचार्य!

रॉक फास्फेट की पिसाई तथा ट्रांसपोर्टेशन

463. श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दि० 31-12 1970 को संयुक्त संचालक, खनिज विभाग के कार्यालय में रॉक फास्फेट की पिसाई (ग्राइन्डिग) तथा ट्रांसपोर्टेशन के सम्बन्ध में आमन्त्रित निविदाओं को खोला जाकर निविदाओं की एक सूची बनाई गई थी? यदि हां, तो कृपया उस सूची की प्रति मय उल्लिखित दरों (रेटस्) के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) संयुक्त संचालक तथा संचालक, खनिज विभाग द्वारा इस निविदा को स्वीकार करने हेतु राज्य सरकार को क्या सिफारिश की गई थी और किस की निविदा स्वीकार की गयी और क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इस स्वीकृति में संचालक की सिफारिश नहीं मांगी गई? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां। प्राप्त निविदाओं की सूची की प्रति मय उल्लिखित दरों के सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) संयुक्त संचालक तथा संचालक, खनिज विभाग द्वारा इस निविदा को स्वीकार करने हेतु राज्य सरकार को कोई सिफारिश नहीं की गई थी। सर्वश्री भारत डीलर्स लि०, उदयपुर की निविदा स्वीकार की गयी थी क्योंकि मैसर्स हिन्दुस्तान जिंक लि०, देबारी को राज्य सरकार पिसा हुआ रॉक फास्फेट देने को वचनबद्ध थी जिन्होंने उस समय अपनी आवश्यकता 200 टन प्रति दिन बताई थी और प्रथम तीन पार्टियों के प्लान्ट उस समय 200 टन प्रति दिन राक फास्फेट पीसने की क्षमता नहीं रखते थे जब कि मैसर्स भारत डीलर्स लि०, उदयपुर के प्लान्ट की क्षमता उस समय 200 टन प्रति दिन की थी।

(3) जी हां। यह सही है कि संचालक की सिफारिश नहीं मांगी गई थी, क्योंकि उन्होंने हर पार्टियों के प्लान्ट की पिसाई करने की क्षमता स्पष्ट कर दी थी और राज्य सरकार स्वयं ही निविदा स्वीकार करने में सक्षम थी।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री निरंजननाथ आचार्य : ग्राइंडिग केपेसिटी की कन्डीशन टेन्डर्स में रखी गई थी क्या ? टेन्डर्स में इसका उल्लेख किया गया था कि ग्राइंडिंग केपेसिटी उसमें एक कन्सीडरेशन होगा।

श्री जुझारसिंह : जी हां !

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मेटल उद्योग और भारत डीलर्स इन दोनों ने टेन्डर्स दिये थे ?

श्री जुझारसिंह : भारत डीलर्स ने दिये थे आपकी लिस्ट में है। मेटल उद्योग ने भी दिये हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : भारत डीलर्स और मेटल उद्योग दोनों में पार्टनरशिप है क्या ?

श्री जुझारसिंह : इसके लिए मैं इस वक्त निवेदन नहीं कर सकता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ठीक है क्या कि लोएस्ट टेन्डर भारत डीलर्स का हैं जिनको कि ग्राइंडिंग केपेसिटी के हिसाब से यह टेन्डर मंजूर किये गये ?

श्री जुझारसिंह : यह सूची आपके पास है। 11 आदमियों ने टेन्डर्स दिये थे उनमें भारत डीलर्स का नम्बर चौथा है। इसके पहले के तीन टेन्डर्स में रेट कम है लेकिन उनकी ग्राइंडिंग केपेसिटी 200 टन प्रति दिन की नहीं थी और जिंक स्मेल्टर को 200 टन प्रति दिन की आवश्यकता थी और उनकी डिमाण्ड थी कि उन्हें 200 टन रोज का दिया जाय इसलिए इस बात को ज्यादा प्राथमिकता देते हुए जिसकी केपेसिटी 200 टन प्रति दिन की रिक्वायरमेंट सप्लाई करने की थी उनको दिया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिन-जिन ने टेन्डर्स दिये उनकी ग्राइंडिंग केपेसिटी का विश्लेषण आपके पास है क्या ?

श्री जुझारसिंह : उस वक्त में एक पार्टी श्री मेहतावचन्द गोलेछा ने सब से कम टेन्डर दिया था और धरती धन का दूसरा टेन्डर था और यह दोनों पार्टनर फर्म थीं....

श्री निरंजननाथ आचार्य : ग्राइंडिंग केपेसिटी हरएक की है क्या ? जैसे कि मेटल उद्योग है इसकी ग्राइंडिंग केपेसिटी और दूसरे जिन्होंने टेन्डर दिये हैं उनकी ग्राइंडिंग केपेसिटी क्या है इसका विश्लेषण है आपके पास ?

श्री जुझारसिंह : पहली दो पार्टीज की ग्राइंडिंग केपेसिटी 120 टन रोज की थी उस दिन और तीसरी पार्टी की केपेसिटी कुछ नहीं थी क्योंकि उसका प्लान्ट अन्डर कन्स्ट्रक्शन था और चौथी पार्टी जिसका टेन्डर मन्जूर किया गया उसकी ग्राइंडिंग केपेसिटी 200 टन प्रति दिन की थी। उसके बाद दूसरी पार्टीज आई थीं उनकी रेट्स ज्यादा थीं इसलिए उनके अन्दर कन्सीडरेशन का कोई सवाल ही नहीं आता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ग्राइंडिंग केपेसिटी की कोई टिप्पणी आपके यहां पर है कि प्रत्येक की अलग-अलग कन्सर्न की इतनी-इतनी ग्राइंडिंग केपेसिटी है ?

श्री जुझारसिंह : ग्राइंडिंग केपेसिटी को एक्जामिन किया गया है। जहां तक तीन पार्टीज का सवाल है जिनको एवायड करके चौथी पार्टी को काम दिया

(श्री जुझारसिंह)
गया उनकी ग्राइंडिंग केपेसिटी में निवेदन कर चुका हूं। तीसरी पार्टी जो है उसका ग्राइंडिंग प्लान्ट अन्डर कन्स्ट्रक्शन था इसलिए सप्लाई करने की पोजीशन में नहीं थी और पहली और दूसरी पार्टीज की ग्राइंडिंग केपेसिटी 120 टन प्रति दिन की थी जो कि उनकी रिक्वायरमेंट से कम थी।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : क्या आप यह बतायेंगे कि जिनको लोएस्ट टेन्डर छोड़ कर दिया उनके पास कोई प्लान्ट भी है क्या ? क्रशिंग प्लान्ट उनके पास है भारत डीलर्स के पास ?

श्री जुझारसिंह : भारत डीलर्स के पास क्रशिंग प्लान्ट था 200 टन प्रति दिन की क्षमता का।

श्री भानुकुमार शास्त्री : दूसरे को मिलाकर एसोसियेट करके दिया है। उसके ऑर्डर की कॉपी है क्या आपके पास ? आप ऑर्डर की कापी को पढ़ लें।

श्री जुझारसिंह : आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपने टेन्डर एक्सेप्ट करके जो ऑर्डर दिया है तो फर्स्ट ऑर्डर की कापी पढ़ लें। उसमें साफ लिखा है कि मैसर्स भारत डीलर्स का अपना कोई प्लान्ट नहीं है इसलिए एसोसिएट करके जो दूसरा मेटल उद्योग है उनको साथ रखने पर दिया जाता है।

एक माननीय सदस्य : यह फाइल आपके पास है क्या ?

श्री जुझारसिंह : यह भारत डीलर्स को लिखा गया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा दूसरा सवाल है। इसमें जो ऑर्डर दिया गया है भारत डीलर्स को उसमें लिखा गया है–
"As recommended by the Department of Mines and Geology the tender of Bharat Dealers is accepted.'

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह दूसरी मर्तबा जो इसको दिया गया है रिकन्सीडरेशन जो किया गया है तो क्या कोई कमेटी का निर्माण किया गया था और कोई पूछताछ की गई थी ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह फैसला किया गया और एक कमेटी कान्स्टीट्यूट की गई थी तीन आदमियों की तो उन्होंने वेरियस प्लान्ट्स को विजिट करके उनकी केपेसिटी का अनुमान लगाकर फिर गवर्नमेंट को रिपोर्ट दी है और यह मामला जांच के बाद तय किया गया है इसकी केपेसिटी यह है और यह फर्म 200 टन की उनकी डेली रिक्वायरमेंट को मीट कर सकती है और उनकी रिकमण्डेशन पर गवर्नमेंट ने दिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा ! नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जो इससे नेक्स्ट टेन्डर था उसकी केपेसिटी 300 मेट्रिक टन की है....

श्री अध्यक्ष !

जिला बूंदी में चम्बल कमाण्ड क्षेत्र की अनकमाण्ड भूमि

464. **श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी में चम्बल कमाण्ड क्षेत्र से कौन-कौन से गांवों में कितनी-कितनी अनकमाण्ड भूमि कितने-कितने रकबा और खसरा नम्बरों की उपनिवेशन विभाग से राजस्व विभाग में दी गई? गांववार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि चम्बल कमाण्ड से असिंचित योग्य भूमि राजस्व विभाग ने ली है? यदि हां, तो कितनी भूमि का रेग्युलेराइजेशन कर आवंटन किया जा चुका है? प्रत्येक गांववार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) जिला बूंदी की तहसील बूंदी एवं केशोरायपाटन के चम्बल कमाण्ड क्षेत्र में कुल 45 ग्रामों के 1314 खसरा नम्बरों की 3477 एकड़ भूमि उपनिवेशन विभाग से राजस्व विभाग में ली गई है जिसकी ग्रामवार सूची "क" संलग्न है।

(2) जी हां, यह भी सही है कि उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में वर्णित चम्बल कमाण्ड क्षेत्र की असिंचित भूमि राजस्व विभाग द्वारा ली गई है। इस भूमि में से 186 एकड़ भूमि का नियमन करके आवंटित की गई है जिसकी ग्रामवार सूची 'ख' संलग्न है

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री नन्दलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि कौन से वर्ष में कार्य किया गया है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जून सन् 71 में।

श्री नन्दलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, 71 में यह जमीन ली गई है। अभी तक लोगों के पास नोटिस आ रहे हैं। तो मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जो जमीन कमाण्ड से अनकमाण्ड की गई है, उसका कब तक आवंटन कर दिया जायेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : शीघ्र ही कर दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री विट्ठल भाई। (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 465

श्री मीठालाल!

कण्ट्रोल के कपड़े का वितरण

466. **श्री मीठालाल (लालसोट) :** क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अब तक कितना व कितने मूल्य का कण्ट्रोल का कपड़ा राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सहकारी समितियों और अन्य एजेन्सियों के माध्यम से वितरित किया गया?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की लालसोट आदि तहसीलों में अभी तक पूर्ण कपड़ा नहीं पहुँच पाया है? यदि हां, तो क्यों?

राज्य मन्त्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह): (1) राज्य में 22-2-73 तक कन्ट्रोल कपड़े की 1363 गांठें, जिनका मूल्य 18,00,000 रुपये है, विभिन्न सहकारी समितियों एवं व्यक्तिगत एजेन्सियों को वितरित करने हेतु दी गई।

(2) जी हां। जयपुर जिले की केवल सिकराय तहसील में रिटेलर की नियुक्ति न होने के कारण कपड़ा नहीं पहुँचा है। लालसोट तहसील में नियुक्त रिटेलर के पास धनाभाव होने के कारण उसने 6 गांठों में से 4 गांठ उठाई हैं।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सिकराय तहसील में रिटेलर नहीं मिलने के कारण यह किया गया है या आपने रिटेलर को नियुक्त ही नहीं किया है ? दूसरे यह जो धनाभाव के कारण गांठें नहीं उठा सका तो क्या दूसरे को नियुक्त करेंगे या क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री जुझारसिंह : रिटेलर नियुक्त किये गये हैं। उनको जो फोर्मेलिटी पूरी करनी थी वह नहीं की थी। वह पूरी होने पर मान लिया जायेगा। लालसोट के लिए 6 गांठें दी गई हैं, लेकिन वह धनाभाव के कारण पूरी उठा नहीं सका है।

श्री मीठालाल : आपने कहा था कि 6 गांठों में से वह केवल 4 गांठें उठा सका है तो क्या उसके बजाय किसी सहकारी समिति को इजाजत देंगे कि वह उठा सके ?

श्री जुझारसिंह : उन्होंने फार्मली नहीं कहा है कि वह पूरा नहीं करना चाहते हैं। वह कहेंगे तो दूसरे को दे देंगे।

श्री मीठालाल : एक तरफ आप कहते हैं कि धनाभाव के कारण वह गांठे नहीं उठा सका। दूसरा तरफ आप नियुक्त नहीं करेंगे, वह आप तो उठाये नहीं दूसरे को आप नियुक्त नहीं करेंगे।

श्री जुझारसिंह : इसकी जांच करवाकर उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें जांच की गुंजाइश की क्या बात है ?

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां तक राज्य सरकार का प्रश्न है, उन्होंने गांठें भेज दी हैं। रिटेलर नहीं लेना चाहता है तो क्या करें ? अगर वह डिक्लेयर करे कि नहीं कर सकेंगे तो किसी दूसरी एजेन्सी की मारफत करेंगे।

श्री मीठालाल : आप उसको 7 दिन का नोटिस दे दें। अगर वह नहीं उठाता है तो आप दूसरी जो सहकारी समितियां हैं, उन को दे दें।

श्री जुझारसिंह : इन्तजाम कर दिया जायेगा।

श्री पी. के. चौधरी : अनाज का भी वितरण किया जा रहा है ?

श्री जुझारसिंह : यह सारा वितरण सोसाइटी की मारफत किया जा रहा है।

श्री पी. के. चौधरी : यह कपड़ा भी सस्ते अनाज की दूकान की मारफत दिया जा रहा है ?

श्री जुझारसिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री पी. के. चौधरी : अलग से नहीं है।

श्री रावतराम (छापर) : यह कहते है कि जो डीलर गांवों में और कस्बों में हैं, उन डीलर्स को सस्ता कपड़ा नहीं दे रहे हैं।

श्री नत्थासिंह (नदबई) : भरतपुर जिले में आपने सोसाइटियों को दिया है।

श्री जुझारसिंह : 196 सोसाइटी और डीलर्स, रिटेलर्स हैं। उनमें से 7 के अलावा बाकी सोसाइटियों को दिया गया है। भरतपुर में भी सोसाइटी के मारफत वितरण किया गया है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री मालाराम।

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री नत्थासिंह : एक भी सोसाइटी को नहीं दिया है। बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दिया है।

श्री **जुझारसिंह** : भरतपुर के लिए पूछ रहे हैं? सारे का सारा कपड़ा सोसाइटियों को दिया है।

श्री **नत्थासिंह** । अध्यक्ष महोदय, सोसाइटियों को नहीं दिया है। ये सारी फर्जी सोसाइटियां हैं।

नीम का थाना तहसील की खानें

467. श्री **मालाराम** (नीम का थाना): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नीम का थाना तहसील में किस-किस व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी को किस-किस खान का कब-कब से कितने-कितने वर्ष का लीज दिया हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त खानों का क्षेत्रफल निर्धारित नहीं किया गया है, जिसके कारण कई व्यक्तियों ने लीज में निर्धारित भूमि से अधिक भूमि पर कार्य कर रखा है ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति ने कितने-कितने क्षेत्र पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है ?

(3) क्या यह सही है कि कई लीज होल्डर्स ने अपनी-अपनी खानों का मलवा अनधिकृत रूप से सिवाय चक भूमि में डाल रखा है ? यदि हां, तो किन-किन ने और उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) :

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) ऐसी कोई शिकायत नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री **मालाराम** : सूची तो सदन की मेज पर रखी गई परन्तु यह उसमें नहीं है कि कितने-कितने आदमियों को कितनी-कितनी जमीन दी गई।

श्री जुझारसिंह : यह बात सूची में अंकित है। सारे के सारे नाम हैं उसमें। किसी एक पर्टीक्युलर आदमी के लिये पूछें, तो मैं अलग से बता दूं, बाकी सूची तो आपके सामने है।

श्री मालाराम : एक तो भंवरलाल का है, एक तालाब पंचायत का है....

श्री **जुझारसिंह** : पूछना क्या चाहते हैं?

श्री **मालाराम** : आज तक लाइसेन्स नहीं दिया गया, ऐसी दस खानें हैं।

श्री नारायणसिंह (दांता रामगढ़) : इन्होंने जो मलवा डाल रखा है सिवाय चक जमीन पर, उसकी कोई शिकायत है ?

श्री जुझारसिंह : मलवा अगर सिवाय चक में डालेंगे तो वह रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सम्पत्ति है, हमारे डिपार्टमेंट की नहीं है। जहां तक माइन्स डिपार्टमेंट की जमीन का सवाल है, वहां तो मलवा नहीं डाल सकते और सिवाय चक है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का लैंड है, उस पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक्शन लेगा, और अगर प्राइवेट प्रापर्टी है तो प्राइवेट आदमी एक्शन लेगा।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम !

जयपुर-चूरू मार्ग का बस परमिट

468. श्री **रावतराम** (छापर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर से चूरू बस सर्विस चालू करने के लिए कई आवेदन-पत्र सरकार के सामने विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो ये आवेदन-पत्र कब से विचाराधीन पड़े हैं ?

(2) जयपुर-चूरू मार्ग पर बस परमिट जारी करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

(3) उक्त परमिट कब तक जारी कर दिये जायेंगे ?

यातायात मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां। प्रादेशिक परिवहन अधिकरण, जयपुर में सन् 1966 से 1968 तक इस मार्ग पर परमिट दिये जाने के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। सन् 1969 में अन्तर प्रादेशिक मार्गों पर अधिकार क्षेत्र राज्य परिवहन अधिकरण में निहित हो जाने के कारण ये प्रार्थना-पत्र राज्य परिवहन अधिकरण को हस्तान्तरण किये गये, तब से ये प्रार्थना-पत्र इस अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हैं। इसमें शीघ्रता की जायगी।

(2) 8-12-72 तक इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की निषेधाज्ञा थी।

(3) दिनांक 13-2-73 को इस मार्ग पर 12 अस्थाई परमिट चार माह की अवधि के दिये जा चुके हैं। उक्त चार माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व स्थाई परमिट के दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री रावतराम : यह प्रश्न 3 के उत्तर में आपने क्या बताया, सुना नहीं। मेरा प्रश्न यह था....

श्री हरिदेव जोशी : मैंने यह बताया, मैं फिर पढ़ दूं।

दिनांक 13-2-73 को इस मार्ग पर 12 अस्थाई परमिट चार माह की अवधि के दिये जा चुके हैं। उक्त चार माह की अवधि समाप्त होने से पूर्व स्थाई परमिट के दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री रावतराम : अस्थाई परमिट दिये हैं उनको, क्या यह सही है कि रोडवेज के अलावा प्राइवेट बसें चल रही हैं ? आपने जैसा फर्माया।

श्री **हरिदेव जोशी :** मुझे यह डिटेल पता नहीं हैं, कितनी-कितनी चल रही हैं। जैसा माननीय सदस्य को मालूम है, यदि रोडवेज की उसमें एप्लीकेशन है तो प्रायोरिटी रोडवेज को दी जायगी इसका परमिट देने में।

श्री **रावतराम** : रोडवेज की तो चालू हो गई। मेरा प्रश्न यह था, प्राइवेट लोगों ने आवेदन दिये थे, आपने फर्माया, 13-2-73 को अस्थाई परमिट इश्यू कर दिये तो अस्थाई तौर पर तो क्या प्राइवेट लोगों की बसें चल रही हैं रोडवेज के साथ-साथ ?

श्री **हरिदेव जोशी** : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री केसरीमल !

(अनुपस्थित)

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : ऐसा है, आँथोरिटी लेटर था, स्पेशल पावर प्रदान की है, कोई जनरल पावर नहीं।

श्री **खेतसिंह** (शेरगढ़) : वह आपकी पार्टी के हैं, हमारी पार्टी के नहीं हैं। विराजिये।

श्री **अध्यक्ष** : पूछिये।

जवाजा नहर का अधूरा कार्य

469. श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : (श्री केसरीमल, ब्यावर की अनुपस्थिति में) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर तहसील की जवाजा पंचायत समिति में जो नहर (फीडर) शेरों के नाले से तारागढ़, जवाजा आदि जगहों से होती हुई जवाजा तालाब तक आ गई है वह आगे नहीं बनी ? यदि हां, तो क्या इस नहर में पानी भारी मात्रा में नहीं आता ?

(2) क्या यह सही है कि करीब 6 फर्लांग का जो टुकड़ा बाकी है इसे बनाया जावे तो इससे देवाता तालाब, काली कांकर तालाब और जालिया आदि तालाबों में पानी भर जायगा तथा इन तालाबों के भर जाने से सिंचाई के लिये पानी भारी मात्रा में उपलब्ध होगा और जालिया तालाब के भर जाने से ब्यावर शहर के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध होगा ? यदि हां, तो इस कार्य को जो वर्षों से अधूरा पड़ा है, पूरा क्यों नहीं कराया जा रहा है ? क्या सरकार इस कार्य को पूरा कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब से शुरू कराया जा रहा है ?

(3) अब तक इस कार्य में कितना पैसा खर्च किया जा चुका है और अब कितने पैसे की आवश्यकता है ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) :

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया गया है।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : मंत्री महोदय जरा स्पष्ट बताने की कृपा करें। ऐसे वेग उत्तर से पता नहीं चलता है, जवाब स्पष्ट हो। छः फर्लांग का टुकड़ा बाकी है या नहीं, जोड़ा जाना

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
चाहिए या नहीं ? आपने कहा जी नहीं, जी हां, जी नहीं। इससे समझ में नहीं आता है।

श्री अध्यक्ष : सभी मंजूर कर लिया जो आपने कहा था।

श्री **चिम्मनसिंह भाटी** (भीम) : यह शेरों के वाले से जवाजा बन चुकी है और छः फलांग का टुकड़ा बाकी है....

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : यह छः फलांग का टुकड़ा बाकी है, इसको पूरा करेंगे तो लोगों को रिलीफ मिलेगा।

श्री चिम्मनसिंह भाटी : इस काम को पूरा करेंगे या नहीं ?

श्री **मूलचन्द** : जिस तालाब में डालने का प्रश्न है, उसमें यह काम हुआ है तो भी उस तालाब का भराव जो होना चाहिए वह नहीं हो पाया है। ऐसी स्थिति है,इसमें तालाब से आगे फीडर बने तो मैं समझता हूं सम्भवतया उपयुक्त नहीं होगा।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : किस आधार पर कह रहे हैं, आपके पास आंकड़े हैं इस सिलसिले में ?

श्री मूलचन्द : इस तालाब का जो भराव है वह 79 मिलियन क्यूबिक फीट है और इसका जो कैचमेंट एरिया है उस कैच-मेंट-एरिया से 34 मिलियन क्यूबिक फीट पानी आता है। पीछे इसके दूसरे तालाब से फीडर बना कर उसमें डालें तो भी 54 मिलियन क्यूबिक फीट बनता है,79 मिलियन क्यूबिक फीट बनता नहीं है। इसलिए आगे नहर ले जाने का सवाल पैदा नहीं होता है।

श्री **अध्यक्ष** : स्थगित प्रश्न। श्री निरंजननाथ आचार्य !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-2-73)

अस्थाई डाइवर्शन रोड बनाने पर व्यय

111. श्री **निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सन् 1970-71 व 1971-72 में सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत किस-किस ठेकेदार को किस-किस सड़क के सम्बन्ध में अस्थायी डाइवर्शन रोड बनाने हेतु कितने-कितने रुपये का कब-कब भुगतान किया ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन डाइवर्शन रोड्स में से कितने आइटम्स का एक्स्ट्रा आइटम्स के रूप में भुगतान किया गया ?

(3) उक्त रोड निर्माण के सम्बन्ध में निविदा आमंत्रित करते समय डाइवर्शन रोड्स के लिये प्रावधान क्यों नहीं रखा गया ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) वांछित सूचना सूची (अ) में अंकित कर दी गई है।

(3) निविदा आमंत्रित करते समय डाइवर्शन रोड निर्माण आवश्यक होंगे विदित नहीं था।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : इसका मतलब यह हुआ, टेन्डर्स में डाइवर्शन रोड का उल्लेख नहीं है और ओरीजिनल एस्टीमेट में भी डाइवर्शन रोड का उल्लेख नहीं है ?

श्री **हरिदेव जोशी** : सम्भवतः यही होगा।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : क्या यह एक्स्ट्रा आइटम जो मंजूर किया गया है, यह एक्स इएन. ने किया है या सुपरिंटेंडिंग इन्जिनियर ने किया है ?

श्री **हरिदेव जोशी** : कॉम्पीटेंट ऑथोरिटी ने।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : कॉम्पीटेंट ऑथोरिटी इस मामले में सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर थे या एक्स. ईएन. थे ?

श्री **हरिदेव जोशी** : यह मैं ठीक से नहीं कह सकता।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : मैं प्रश्न करना चाहता हूं। इस मामले में कॉम्पीटेंट ऑथोरिटी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर है और एक्स. ईएन. ने भुगतान कर दिया तो फिर आप क्या कदम उठायेंगे ?

श्री **हरिदेव जोशी** : यह मत कहिये, पहले यह बताइये कि यह इर्रेगुलेरिटी हुई है, तब मैं कह सकता हूं।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : यह भुगतान हुआ है, विदाउट संक्शन ऑफ सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हुआ है, यह अनियमितता रख रहा हूं।

श्री **हरिदेव जोशी** : मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री **अध्यक्ष** : श्री मोहनराज !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 28-2-73)

पाली जिले के रजत जयंती ग्रामों में विकास कार्य

210. श्री **मोहनराज** (बाली) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष रजत जयंती महोत्सव के सिलसिले में हर पंचायत समिति से दो गांव-जयंती गांव के नाम से चुने गये हैं ? कृपया पाली जिले से चुने गये ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन चुने हुए जयंती ग्रामों में क्या क्या विकास कार्य किस विभाग द्वारा कब तक किये जाने की योजना है ?

(3) क्या अलग-अलग ग्रामों की जरूरतों की योजनाएं बन चुकी हैं ? यह योजना बनाने का कार्य स्थानीय स्तर पर किसके जिम्मे है ? और राज्य स्तर पर समय-समय पर इन योजनाओं की क्रियान्विति व प्रगति की जांच की जिम्मेदारी किस अधिकारी पर है ?

विकास मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। उपलब्ध साधनों को ध्यान में रखते हुए सम्बन्धित विभागों द्वारा पूर्ण कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(श्री हरिदेव जोशी)

(3) सूचना एकत्रित की जा रही है योजना बनाने की जिम्मेवारी स्थानीय स्तर पर पंचायत एवं पंचायत समिति की है। इन योजनाओं को क्रियान्वित कराने एवं प्रगति की देखरेख के लिये राज्यस्तर पर जिम्मेवारी राज्यस्तरीय समिति एवं सम्बन्धित विभागों की है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

श्री **मोहनराज** : यह जो सूची है, अध्यक्ष महोदय, विकास कार्यों की मुझे गांवों के बारे में दी है, इस सूची में क्या वही विभाग या वही कार्य दिये गये हैं, विकास कार्य, जिनकी योजना बन कर आ गई है, उनकी सूची दी गई है या कुल जितने काम आप लेने वाले हैं, उन सब की सूची है ?

श्री **हरिदेव जोशी** : जो लेने वाले हैं, ब्रॉडली वही है। ब्रॉडली जो लिये जाने वाले हैं उनकी ही सूची है।

श्री **मोहनराज** : मैं निवेदन करूंगा, इस सूची में कई जगह आपने एक-एक काम लिया है। आवास सुविधा, गांवों में आवास सुविधा उपलब्ध है। आपका आवास सुविधा से क्या तात्पर्य है ?

श्री **हरिदेव जोशी** : ऐसा है, कई गांव ऐसे हैं जिनमें हरिजनों और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के आवास के लिए स्थान नहीं था। उन्हें पहले राज्य सरकार प्लाट्स उपलब्ध कराये और मकान की सुविधा देवे।

श्री **मोहनराज** : इसमें, अध्यक्ष महोदय.....

श्री **हरिदेव जोशी** : मेरा एक सजेशन है, यदि माननीय सदस्य, जो बीस गांव दिये हैं, आप विराजिये उनमें फ्रेम वर्क में चेंज करवाना चाहते हैं तो मैं कर दूंगा।

श्री **अध्यक्ष** : श्री निरंजननाथ आचार्य !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2-3-73)

मैसर्स धौलपुर स्टोन कम्पनी को माईनिंग लीज

253. श्री **निरंजननाथ आचार्य** (मावली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मैसर्स धौलपुर स्टोन कम्पनी को करौली क्षेत्र में सेन्ड स्टोन के लिये कितने क्षेत्र का माइनिंग लीज कितने समय और कितने रुपयों में दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि लीज की अवधि में समय-समय पर वृद्धि की गई है ? यदि हां, तो कब-कब, कितने-कितने समय के लिये और क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त क्षेत्र का सीमांकन नहीं कराया गया ? यदि हां, तो क्यों और नहीं, तो सीमांकन कब हुआ और उसका क्या परिणाम निकला ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) सर्वश्री धौलपुर स्टोन कम्पनी को सैन्ड स्टोन का खनन पट्टा दिनांक 1-8-54 से 31-7-59 पांच वर्ष की अवधि के लिये 96.7 वर्गमील क्षेत्र में एक लाख रुपया वार्षिक डेडरेंट पर दिया गया था ?

(श्री जुझारसिंह)

(2) जी हां। मूल खनन पट्टे की अवधि पश्चात् राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1959 के अनुसार प्रथम नवीनीकरण 10 वर्षों के लिये स्वीकार किया गया। यह नवीनीकरण अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1959 के नियमों के अन्तर्गत किया गया।

(3) जी नहीं। सीमांकन 23-8-54 से शुरू किया गया और सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 20-9-54 को बनाई गई। द्वितीय नवीनीकरण आदेश में 20 प्रतिशत क्षेत्र कम करने का उल्लेख है जिसके लिये सीमांकन अभी फाइनल नहीं हुआ है। वैसे पार्टी 20 पर्सेन्ट छोड़े क्षेत्र में कार्य नहीं कर रही है।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : स्थगित करने के वक्त प्रश्न यह रहा था, उस अवधि का प्रार्थना-पत्र इसने कब दिया है इस कन्सर्न ने ?

श्री **जुझारसिंह** : अवधि का प्रार्थना-पत्र इन्होंने टाइम पर दे दिया था।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : पहले लीज खत्म हुई, उसके बाद एक्सटेंड किया। दूसरी मर्तबा प्रार्थना-पत्र दिया है वह किस तारीख को दिया है। मेरा प्रश्न इसके बीच में है, बीच में बिना लीज का टर्म रहा है, यह सैकंड, दूसरा प्रार्थना-पत्र इसने कब दिया है अवधि बढ़ाने का ?

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : फिर स्थगित कर दें।

श्री **जुझारसिंह** : स्थगित करने की जरूरत नहीं है। जुलाई, 1959 में टर्म बढ़ाया गया है।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : दो प्रश्न साफ हैं। पहला टर्म कब से कब आरम्भ हुआ ? लीज खत्म हुई, बीच में गेप, फिर प्रार्थना-पत्र दिया वह कब दिया ?

श्री **जुझारसिंह** : बीच में नौ महीने का गेप है।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : इस नौ महीने में ही गड़बड़ी है, उसी में इसकी उत्पत्ति हुई है।

श्री **जुझारसिंह** : उसमें आप क्या पूछना चाहते हैं ?

श्री **निरन्जननाथ आचार्य** : नौ महीने का गेप है, इसके सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र कब दिया गया और यह गेप क्यों रहा ? क्या नौ महीने का गेप रहा है उस नौ महीने के पहले कोई प्रार्थना-पत्र आ गया ? वह प्रार्थना-पत्र आपके पास पड़ा रहा, उसके बाद नौ महीने समाप्त हो जाने के बाद आपने उस रत्न को पैदा किया ?

श्री **दिनेशराय डांगी** (देसूरी) : आप अपने अनुभव के आधार पर कह रहे हैं।

श्री **जुझारसिंह** : प्रार्थना-पत्र के बारे में तो मैं अर्ज नहीं कर सकता। गवर्नमेंट ने जुलाई में छः महीने के लिये टर्म एक्सटेंड की है।

श्री **निरन्जननाथ आचार्य** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है, एक्सटेंड तो माना गया है। मेरा प्रश्न सीधा सा है, पहले टर्म समाप्त हुई, उसके बाद सैकंड लीज दी, इसके बीच में नौ महीने बच गये,

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
मैं जानना चाहता हूँ, कि यह प्रार्थना-पत्र कब प्रस्तुत किया गया, यह प्रार्थना-पत्र नौ महीने तक पड़ा रहा, नौ महीने के बाद आपने इसकी स्वीकृति दी, यह तीनों स्थितियां स्पष्ट कर दीजिये ।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : नौ महीने के अन्दर एक नई लीज पैदा हो गई ।

श्री अध्यक्ष : होती है, इसमें क्या बात है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : प्रश्न क्या पैदा हो गया फिर ?

श्री जुझारसिंह : प्रार्थना-पत्र की डेट तो उपलब्ध नहीं है ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : दरख्वास्त तो मौजूद है । क्रूशियल पाइन्ट यह है कि दरख्वास्त मौजूद है या नहीं ?

श्री जुझारसिंह : मेरी समझ में नहीं आया तारीख से आप चाहते क्या हैं ? डेट इज नाट दि मेटिरियल पॉइन्ट ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : प्रश्न का जवाब तो देना पड़ता है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : नौ महीने का प्रार्थना-पत्र दिया, वह पड़ा रहा, उस पर निर्णय नहीं लिया । उसके बाद निर्णय लिया, इसलिए बीच का गेप कैसे फिलअप करते हैं इसलिए तारीख आवश्यक है ।

श्री जुझारसिंह : यह तो गवर्नमेंट के पास रूल 16 के तहत पॉवर्स हैं । उनके अनुसार वह किसी का भी लीज एक्सटेन्ड कर सकती है ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह तो लीगल पोजीशन की बात हुई । मैं तो फेक्चुअल पोजीशन पूछना चाहता हूँ । लीगल पोजीशन पर तो अपन बाद में आयेंगे इसमें फेक्ट्स क्या थे ? दरख्वास्तें आयीं तथा कनसी डेट को आपने उस ओरीजिनल एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ किया, आपने ऑर्डर कब किये ?

श्री अध्यक्ष : अगर आपके पास सूचना नहीं है तो कहदें ।

श्री जुझारसिंह : जो गवर्नमेंट ने लीज का एक्सटेंशन दिया है वह डेट मेरे पास है ।

श्री अध्यक्ष : है तो बता दीजिये ।

श्री जुझारसिंह : बता रहा हूँ ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं पूछना चाहता हूं कि वह ओरीजिनल एप्लीकेशन 9 महीने तक कहां पड़ी रही । आपने इसे एक साल के करीब कहां पटके रखा और फिर बाद में आपने अपनी सुविधानुसार मौका देखकर उसका डिस्पोजल कौनसी तारीख को किया ? आपके पास ओरीजिनल अर्जी कब आयी...

श्री जुझारसिंह : 30-5-59 को रिन्यूअल के लिये और...

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपके पास ओरीजिनल अर्जी कब आयी और डिस्पोजल कौनसी तारीख को किया, दोनों ही तारीखें मेरे पास है। इसलिये जो भी

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
जवाब आप देवें ध्यान से देवें कहीं गलती नहीं हो जाय।

श्री जुझारसिंह : नहीं नहीं गलती क्यों हो जाय। जो डेट है वह 1-5 60 है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मेरे पास सही तारीख है, इसमें पूरा 9 महीने का फर्क है।

श्री मनोहर कोठारी : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि ओरीजिनल लीज की कन्डीशन के अनुसार क्या राज्य सरकार द्वारा जो पांच साल के लिये लीज दिया गया था वह दस साल के लिये एक्सटेन्ड हो सकता है ?

श्री जुझारसिंह : यह तो गवर्नमेन्ट की डिस्क्रीमिनेट्री पॉवर्स हैं कि वह एक्सटेन्ड करदे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : डिस्क्रीमिनेट्री पॉवर्स नहीं है। आप जो डिस्क्रीमिनेट्री पॉवर्स की बात कह रहे हैं वह बिलकुल गलत है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री मोहनलाल छंगाणी !

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 2-3-73)

भूतपूर्व नरेशों की निजी सम्पत्ति में दर्ज काश्त की भूमि

262. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलौदी) व श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एवं एक्वीजीशन ऑफ लैण्ड ऑनर्स एक्ट, 1963 के अन्तर्गत भूतपूर्व नरेशों की निजी सम्पत्ति में दर्ज काश्त योग्य एवं गैर मुमकिन कृषि-भूमि कितनी अधिग्रहण करनी थी ?

(2) प्रत्येक भूतपूर्व नरेश की भूमि कितनी-कितनी है ? तालाब, जंगल, बागात और काश्त भूमि के आंकड़े पृथक्-पृथक् बताने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि कई भूतपूर्व नरेशों ने उक्त कानून के प्रभावशील होने के पश्चात् ऐसी जमीनों को बेचा है ? यदि हां, तो किस-किस ने व कितना-कितना क्षेत्रफल व किस-किस मूल्य पर ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या यह सही है कि भूतपूर्व नरेशों ने ऐसी जमीनों को सहकारी समितियों को बेचा है ? कृपया उन नरेशों के नाम एवं भूमि का क्षेत्रफल एवं मूल्य बताने का कष्ट करें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त बेचान सीलिंग कानून के अन्तर्गत अवैध है ? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(6) राज्य सरकार ने किस तिथि तक के स्थानान्तरण को सीलिंग कानून के अन्तर्गत वैध माना है ? क्या उपरोक्त नरेशों ने उक्त तिथि के पहले या बाद में बेचान किया है ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) राजस्थान लैण्ड रिफार्म्स एव एक्वीजीशन ऑफ लैण्ड ऑनर्स एक्ट, 1963 के

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
अन्तर्गत भूतपूर्व नरेशों की निजी सम्पत्ति में दर्ज कुल 1,71,231 बीघा 9 बिस्वा भूमि अधिग्रहीत की जानी थी।

(2) सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(3) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी है।

(4) जी नहीं, किसी भी नरेश ने सहकारी समितियों को भूमि नहीं बेची है।

(5) जी हां, जो बेचान किया गया वह अवैध है। भूतपूर्व नरेशों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एवं राजस्व अपील अधिकारियों के न्यायालयों में अपील प्रस्तुत कर रखी है। उनके निर्णय के पश्चात् ही जो कार्यवाही नियमानुसार सम्भव होगी, की जावेगी।

(6) दिनांक 26-9-70 तक के स्थानान्तरण को सीलिंग कानून के अन्तर्गत वैध माना है, ऐसे बेचान पहले और बाद में दोनों स्थितियों में किये गये हैं।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार को करीब एक लाख बीघा से ज्यादा जमीन अधिग्रहण करनी थी तो क्या राज्य सरकार की यह इच्छा थी कि इसे अधिग्रहण करनी है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : राज्य सरकार की उसे अधिग्रहण करने की इच्छा थी।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जब आपकी इच्छा थी तो फिर जो आपने मुझे सूची दी है उसमें यह बताया गया है कि सिरोही में सिरोही नरेश के पास 2032.08 बीघा जमीन जो अधिग्रहण होनी थी वह उन्होंने इस एक्ट के लागू होने के बाद 2030 बीघा जमीन बेच दी। इसी प्रकार जोधपुर नरेश के पास जो जमीन थी खुद काश्त उसे कनवर्ट करके उनके पास जो 5325 बीघा जमीन थी उस में से 4466 बीघा जमीन बेच दी। इसी प्रकार उदयपुर के नरेश के पास 37·9 बीघा जमीन थी उसमें उन्होंने भी बेच दी। तो, अध्यक्ष महोदय, यह सारे के सारे राजा-महाराजाओं ने अपनी जो बहुत अच्छी जमीनें थीं उन्हें बेच दीं और राज्य सरकार के पास जो जमीन आने वाली थी वह नहीं आ सकी। तो इसका कारण बतायें कि क्या कारण था कि राज्य सरकार के पास वह जमीन अधिग्रहण नहीं हो सकी।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : वह अधिग्रहण हुई भी नहीं थी वह तो सिर्फ कागजों में बतायी हुयी थी।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपको तो मालूम ही है कि क्या बात है....

श्री रोशनलाल शर्मा : मुझे तो मालूम क्या, साहब, मेरे ऊपर तो मुकदमें चल रहे हैं उदयपुर महाराणा की तरफ से।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं इस बारे में उससे सब बात क्लियर हो जायेगी। हमने जो कानून बनाया है उसके खिलाफ हाईकोर्ट में रिटें चल रही हैं इन राजा-महाराजाओं की। इसमें अध्याय 4 व 6 जो हैं उनको

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

व शिड्यूल को अवैध करार दे दिया है। हमने भी उनके खिलाफ में उच्च न्यायालय में अपीलें की हैं भूतपूर्व राजा-महाराजाओं के खिलाफ, लेकिन जब तक उनका फैसला नहीं हो तक हम उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। भूतपूर्व नरेशों के खिलाफ जो हमने अपीलें उच्च न्यायालय में कर रखी हैं उनका फैसला होने के बाद ही हम उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अभी तो वे उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अब तक की लेटेस्ट पोजीशन क्या है यह ही बतादें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अभी तो उसके बारे में कैसे कह सकते हैं क्योंकि उनकी अपीलें उच्च न्यायालय में चल रही हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : स्थिति यह है कि 19-6-70 की अवधि के पहले के या बाद के क्योंकि आपने पहले तो ऐसा वातावरण बना दिया है कि राज्य सरकार जो सीलिंग में आयेगी उन्हें ले रही है उसके बाद में आपने एक पर्टीक्यूलर डेट दी जिससे तो लोगों को प्रोत्साहन मिला और लोगों ने उस जमीन को बेच दी। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि कहीं राज्य सरकार की इसमें नरेशों के साथ मिलीभगत तो नहीं थी? अध्यक्ष महोदय, जो खुदकाश्त जमीन थी, अच्छी जमीन थी आपने सोचा कि उच्च न्यायालय में अपील करेंगे इस दरमियान में उन्होंने जमीनें बेच दीं। इससे तो यही साबित होता है कि राज्य सरकार की इसमें मिलीभगत थी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा भी एक प्रश्न है। अभी कोटा के महाराजा ने सहकारी समितियों को जमीन बेची है उसके खिलाफ मैंने एक प्रश्न भी दिया है।

श्री अध्यक्ष (श्री गिरधारीलाल से) : आपका अलग से प्रश्न है इससे संबंध नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मिलीभगत की बात कहते हैं, मुझे खेद है क्योंकि भारत सरकार की चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेंस में जो तारीख तय हुई थी सीलिंग की वह 24 जनवरी, 1971 थी और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 26 सितम्बर, सन् 70 रखी है उसका रिट्रोस्पेक्टिव डेट से लागू किया है दूसरी स्टेटों से भी। फिर भी मिलीभगत कह रहे हैं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : भारत सरकार की बात अलग है। यहां पर जो राजा लोगों ने जमीन को कनवर्ट करके सहकारी समितियों को बेचा है, कोटा महारावल साहब ने बेचा है....

श्री रामचन्द्र चौधरी : आज मैं जो स्टेटमेन्ट दे रहा हूँ उसमें सभी बातें आ जायेंगी। आप उसे सुनलें। फिर बाद में कहना।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उस वक्त पता लग जायेगा। आप स्टेटमेन्ट का इन्तजार करें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : कोई नहीं, बेची है जमीन कोटा महारावल ने यह अगर कहते हैं अपने स्टेटमेन्ट में कि नहीं

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
बेची तो सरासर गलत कहते हैं। यह उत्तर गलत है। बिल्कुल गलत है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मुझे कहने तो दीजिये। वह कृषि भूमि नहीं बेची है। जो जमीन बेची है उसके लिये हमने सन् 66 में ही तय कर लिया था कि वह कृषि भूमि नहीं है इस आधार पर मैं कह रहा हूं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : कोई दूसरी जमीन बेची है आबादी में कनवर्ट करके।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, कोटा महारावल ने कृषि भूमि को आबादी में कनवर्ट करके जमीन बेची है। यह आपने अच्छा तरीका बना लिया है। पहले जमीन को आबादी में कनवर्ट करादो फिर उसे बेच दो।

श्री रामचन्द्र चौधरी : वह मेरे से संबंधित नहीं है।

श्री दिनेशराय डांगी : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि मूल अधिनियम में क्या है? आपने जो अपीलें की हैं सुप्रीम कोर्ट में उसके अन्दर क्या है...

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसमें कोई बात नहीं है बताने जैसी क्या बात है? बताने जैसी बात होती तो बता देता।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, लैंड का करेक्टर बदल दिया है। पहले कृषि भूमि थी उसे आबादी में बदल दिया और बाद में बेचा है। जोधपुर महाराज ने करीब डेढ़ करोड़ रुपये की जमीन बेच दी है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : ये अलग से सवाल है। मैं स्टेटमेन्ट दूंगा उससे सब पता लग जायगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय, यह तो अच्छा तरीका बनाया है कि जो जमीन राज्य सरकार अधिग्रहण करने वाली थी उसे कोटा महाराव ने बेच दिया। वे कभी आबादी लैण्ड में कनवर्ट करके बेच देते हैं और फिर राज्य सरकार को जमीन नहीं मिलती है...

श्री अध्यक्ष : आप पहले उनके स्टेटमेन्ट को सुन लीजिये। स्थान ग्रहण करें।

श्री रोशनलाल शर्मा : उदयपुर महाराणा के लिये बताया कि गैरमुमकिन जमीन नहीं बेची, यह उत्तर में बताया तो क्या यह सही है कि हरिदासजी की मगरी, जिस जमीन के चारों तरफ कोट है, उस जमीन को उन्होंने बेचा?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसकी मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री रोशनलाल शर्मा : काबिलकाश्त और गैर काबिलकाश्त जमीन कितनी-कितनी बेची उसकी सूची आपने सदन की मेज पर रखी है। मेरा प्रश्न यह है कि हरिदास जी की मगरी, जिसके चारों तरफ कोट है, जहां पर जंगल खड़ा हुआ था जिसको महाराणा उदयपुर ने बेचा। आप कहते हैं कि उस जमीन को नहीं बेचा तो आपके अधिकारियों ने गलत सूचना दी है। वह जमीन बेच दी है। आपकी सूचना गलत है और इस गलत सूचना देने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे? आप कह

(श्री रोशनलाल शर्मा)
रहें हैं उसकी अलग से सूचना दे सकता हूं। इसमें वह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपकी नीति के अनुसार आप ऐसा ही करेंगे तो फिर जमीनों को अधिग्रहण करने की आपने क्यों तकलीफ उठायी ?

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बैराठ तहसील की खानें

451. **श्री हनुमानसहाय** (बैराठ) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खनिज विभाग की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बैराठ तहसील के किन-किन स्थानों पर क्या-क्या खनिज उपलब्ध हैं और किस-किस को किस-किस खनिज का पट्टा दिया गया और कब तक के लिये तथा किस-किस ने खानें चालू कर दी हैं और कौन कौनसी खानें बन्द हैं ?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम तालाब, आमलाद, नौरंगपुरा, देवल, खोरी, नीभर, रघुनाथपुरा, देवीपुरा के पहाड़ों में अमूल्य खनिज पदार्थों का भण्डार है ? यदि हां, तो उसकी जानकारी दी जावे।

उत्तर

(1) बैराठ तहसील में खनिज विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार जिन-जिन स्थानों पर जो-जो खनिज मिले हैं उनकी सूची संलग्न है।

भिन्न-भिन्न खनिजों के लिए स्वीकृत खनन पट्टों की वर्त्तमान चालू तथा बन्द होने की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील वसेड़ी के ग्राम मदनपुरा में तालाब का सर्वे

454 **श्री रामलाल** (वाड़ी) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मदनपुरा, सब-तहसील सरमथुरा, तहसील वसेड़ी, जिला भरतपुर में तालाब बंधवाने का सर्वे हुए काफी समय हो गया है पर वह अभी तक तैयार नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि वहां की जनता को पानी के लिये चम्बल नदी पर जाना पड़ता है जो कि सात मील दूर है ? क्या यह भी सही है कि उनको सिर्फ साल भर में चार महीने ही पानी मिल पाता है बाकी आठ महीने पानी के लिये इधर-उधर भटकना पड़ता है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक करा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, इस योजना का सर्वे पूरा करके तखमीने को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(सिचाई मंत्री)

(2) जी हां, योजना को स्वीकृति एवं धनराशि की उपलब्धि पर ही कार्य शुरू कराया जा सकेगा।

संजय क्रय-विक्रय समिति, फतहनगर

455. श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवा-महल, जयपुर,): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि श्री सोभागमल जैन, भू. पू. असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, उदयपुर ने संजय क्रय-विक्रय समिति, फतहनगर का निरीक्षण लगभग 5-6 साल पूर्व किया ।?

यदि हां, तो उक्त निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लिखित अनियमितताओं की कोई जांच की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? कृपया उक्त निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां। निरीक्षण रिपोर्ट में ऐसी अनियमितताओं का उल्लेख नहीं है जिसकी जांच कराया जाना आवश्यक हो, अतः जांच कराया जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति, गढ़ी में अध्यापिकाओं की नियुक्ति

465. श्री **विट्ठलभाई** (पीपलखूंट) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति गढ़ी में 1972 में अध्यापिकाओं को नियुक्ति के लिए इन्टरव्यू हुआ था ? यदि हां, तो कितनी जगह खाली थी और कितने उम्मीदवार थे ?

(2) क्या यह सही है कि वहां पर ट्रेन्ड अध्यापिकाओं को नहीं लेकर अनट्रेन्ड को लिया गया ? यदि हां, तो कितनी ट्रेन्ड और कितनी अनट्रेन्ड अध्यापिकायें ली गईं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

उत्तर

(1) जी हां। 5 पद एवजी के रिक्त थे और उनके लिए 10 उम्मीदवार थे।

(2) एक बी० एड० प्रशिक्षित एवं 4 अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं को नियुक्त किया गया। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

टोंक जिले के खनिज पदार्थों की सर्वे रिपोर्ट

205. श्री **अजीतसिंह** (टोंक) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या टोंक जिले में खनिज पदार्थों के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से खनिज कहां-कहां

(श्री अजीतसिंह)
पाये गये ? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) प्राप्त धातुओं को निकालने की सरकार क्या योजना बना रही है ?

उत्तर

(1) टोंक जिले में अभी खनिज सर्वेक्षण का कार्य अपूर्ण है।

1. खनिज विभाग के सर्वेक्षण के दौरान आवा सरदारपुरा के निकट एण्डुलुसाइट खनिज के चिन्ह प्राप्त हुए हैं।

2. स्थान टोडारायसिंह के निकट अर्ध बहुमूल्य एक्वामिरिन खनिज की खोज विस्तार में की गई, सर्वेक्षण पर आरक्षित क्षेत्र को खनिज रियायती नियम, 1960 के तहत निजी क्षेत्र में अनुदान हेतु रिक्त घोषित किया जा चुका है।

3. जिला टोंक में टोरडी के निकट विभागीय सर्वेक्षण के दौरान गारनेट खनिज (अर्ध बहुमूल्य श्रेणी का तथा अब्रेसिव श्रेणी का) के भण्डार होने का अनुमान किया गया है।

4. क्षेत्र सोहिला, पराना, हतोना के निकट टंगस्टन (लोहा खनिज के साथ) की उपलब्धि अति अल्प मात्रा में प्राप्त हुई है, जिसके उपयोग हेतु जांच होना शेष है।

(2) टोंक जिले में प्राप्त धातुओं को निकालने की सरकार की कोई योजना सर्वेक्षण पूर्ण होने के पहले होने का प्रश्न, ही नहीं है। राज्य सरकार के सीमित साधनों के कारण धातुओं के उत्खनन का कार्य मूल रूप से भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा ही किया जा रहा है।

कोटा जिले में फार्मिंग सहकारी समितियों को भूमि का आवंटन

206. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिले में अब तक फार्मिंग सहकारी समितियां कितनी रजिस्टर्ड हुई और किस-किस समिति को कितनी-कितनी भूमि कब-कब आवंटित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इनमें से कितनी सहकारी समितियां सुचारुरूप से कार्य कर रही हैं और कितनी अवसायन में आ चुकी हैं और अवसायन में आई समितियों की भूमि पर किन लोगों का कब्जा है ?

(3) क्या अवसायन में आई समितियों की कृषि भूमि को भूमिहीन लोगों को आवंटित किए जाने का कोई कार्यक्रम है ?

उत्तर

(1) कोटा जिले में अब तक 64 फार्मिंग सहकारी समितियां रजिस्टर्ड की गई हैं। किस-किस समिति को कितनी-कितनी भूमि आवंटित की गई, इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इनमें से 15 समितियां कार्य कर रही हैं और 39 समितियां अवसायन

(सहकारिता मंत्री)
में है जिनमें 12 समितियों की भूमि अवसायक के कब्जे में है तथा 9 समितियों के अवसायकों ने भूमि अधिग्रहण करने हेतु जिलाधीश को निवेदन कर दिया है।

(3) सभी अवसायनाधीन समितियों की भूमि पर पुनः राज्य सरकार का कब्जा होने पर ही विचार किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिए)

तहसील फतेहपुर में नामान्तरकरण का मामला

207. **श्री केशरदेव** (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अतिरिक्त जिलाधीश, सीकर द्वारा श्री सुरजाराम, ग्राम तिहाय, तहसील फतेहपुर के खेत का नामांतरकरण तहसीलदार द्वारा भर दिया गया ?

(2) क्या अतिरिक्त जिलाधीश के पास इसकी अपील हुई ? अगर हां, तो इस पर क्या फैसला हुआ ?

(3) क्या यह सही है कि अतिरिक्त जिलाधीश, सीकर द्वारा दिनांक 28-12-71 को यह फैसला दिया गया है कि नामान्तरकरण श्री मुकदाराम हरिजन के नाम से भरा जाना चाहिये ? अगर हां, तो तहसीलदार फतेहपुर द्वारा इस पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण भरा गया था बल्कि नायब तहसीलदार, रामगढ़ सेठान द्वारा दि० 31-3-60 को सुरजाराम के हक में प्रमाणित किया गया है।

(2) जी हां। अपील हुई थी, उस पर केश रिमान्ड हुआ था तथा रेकार्डेड खातेदारान को नोटिस देने के बाद पुनः फैसला दिया जावे ऐसा निर्णय दि० 28-12-71 को हुआ था।

(3) जी हां, परन्तु यह आदेश नहीं दिये गये थे कि नामान्तरकरण मुकन्दाराम हरिजन के नाम भरा जाना चाहिए। सवाल पैदा नहीं होता।

श्री घनश्यामदास, सर्वे अमीन मनोहरथाना की नियुक्ति

208. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली**(जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री घनश्याम दास पुत्र श्री टोपन दास सन् 1960-61 में बतौर सर्वे अमीन, मनोहरथाना, जिला झालावाड़ में नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो इसकी नियुक्ति किस तारीख को हुई और यह किस तारीख तक मनोहरथाना में सर्विस में रहा और इसका माहवारी वेतन क्या था तथा नियुक्ति के समय इसकी आयु क्या थी और बाद में इसका तबादला कहां किया गया ?

(2) क्या इसका नाम एम्प्लायमेन्ट एक्सचेन्ज ने नौकरी के लिये भेजा था या इसे सीधा नौकरी में ले लिया गया था ? यदि सीधा लिया गया तो क्यों और किसकी सिफारिश से ?

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

(3) क्या इस पद को भरने के लिये कोई विज्ञापन किसी पत्र में दिया गया था ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री घनश्यामदास पुत्र श्री टोपन दास को कार्य प्रभारी सर्वे अमीन के पद पर मनोहरथाना सिंचाई योजना, जिला झालावाड़ में अधिशासी अभियन्ता क्षेत्र अनुसंधान खण्ड सिंचाई, जयपुर (समाप्त हो गया) ने अपने क्रमांक 22 ए/2659, दिनांक 3-8-1960 द्वारा नियुक्ति की थी एवं दिनांक 20-8-1960 को पदभार संभाला एवं दिनांक 16-10-60 को उनका स्तीफा क्षेत्र अनुसंधान सिंचाई, जयपुर के क्रमांक 4420, दिनांक 7-11-60 द्वारा स्वीकृत किया गया।

नियुक्ति के समय उनके प्रार्थना-पत्र जो कि सहायक अभियन्ता भू-मापन एवं अनुसंधान, उप-खण्ड बून्दी (समाप्त) से प्राप्त हुआ था, के साथ योग्यता एवं आयु का प्रमाण-पत्र संलग्न ही था। अतः आयु और योग्यता का प्रमाण न होने की अवस्था में उत्तर संभव नहीं है।

इनका माहवारी वेतन 75/- था तथा छः माह के लिए नियुक्त किया गया था।

(2) श्री घनश्याम पुत्र टोपनदास की नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र सहायक अभियन्ता भूमापन एवं अनुसंधान, (उप-खण्ड) बून्दी (समाप्त) से प्राप्त हुआ था और सीधी नियुक्ति की गई थी, क्योंकि उस समय कार्य-प्रभारी सेवाओं में एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा नियुक्ति का कोई राज्य सरकार का निर्देश नहीं था।

(3) कार्य प्रभारी पदों का कार्य के आधार पर सृजन होता है और कार्य की समाप्ति पर पद समाप्त कर दिया जाता है। कार्य प्रभारी पदों की स्वीकृति नियमित कर्मचारियों के अनुसार नहीं है और इसलिए इनकी विज्ञापन आदि की आवश्यकता नहीं होती।

तहसील करणपुर में नाजायज भूमि आवंटन की जांच

209. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उप जिलाधीश, करनपुर द्वारा चक 9 '0' (9 'ओ') तहसील करनपुर में नाजायज भूमि आवंटन की जांच करके अपने पत्र संख्या 38, ता० 6-1-73 द्वारा ए. डी. एम., गंगानगर को रिपोर्ट पेश की गई है।

(2) कृपया रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। यह रिपोर्ट चक 16 ओ के आवंटन की है।

(2) रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

श्री गुलजारासिंह, उसकी धर्म पत्नी व नाबालिग बच्चों के नाम भूमि

210. **श्री गुरबख्शसिंह संधु** (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

श्री गुलजारसिंह पुत्र श्री अमरसिंह, उसकी धर्मपत्नी व नाबालिग बच्चों के नाम पर चक 12 पी. एस, व चक 69 आर. बी. में कितनी भूमि थी (उसमें वह भूमि भी सम्मिलित की जावे जो उसने अपने व अपने परिवार के नाम पर खरीद रखी है और इन्तकाल कागजात पटवार में दर्ज नहीं हुए) तथा एक जनवरी, 1970 को कितनी भूमि थी ?

उत्तर

वांछित सूचना की तालिका संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

जिला बून्दी के अधूरे बने कुओं को पूरा करवाये जाने की मांग

211. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बून्दी की प्रत्येक पंचायत समिति में कितने-कितने पीने के पानी के कुए किस-किस गांव में तैयार हो गये हैं और क्या उनके कार्य की पूर्ति का प्रमाण-पत्र दे दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। व कौन-कौन सी पंचायत समिति में किस-किस गांव में पीने के पानी के कुए अधूरे हैं ? पंचायत समितिवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अधूरे कुओं को पूरा करवाये जाने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि व्यय होगी और कार्य कब तक पूरा करवाया जा सकेगा।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। अनुमानित 2,43,500 रु० व्यय होंगे और यथासंभव कार्य शीघ्र ही पूर्ण करवाये जाने का प्रयत्न किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चिकित्सा विभाग में कार्य कर रहे अनुसूचित जाति और जन-जाति के व्यक्ति

212. श्री उम्मेदीलाल (हिण्डौन) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के चिकित्सा विभाग में कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, कार्यालय सहायक, कार्यालय अधीक्षक के कितने-कितने स्थान सरकार द्वारा स्वीकृत हैं ? इन पदों पर कितने-कितने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति किन-किन जिलों में कार्य कर रहे हैं ? पदोंवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

चिकित्सा विभाग में इन वर्गों के निम्न पद स्वीकृत हैं:—

कार्यालय अधीक्षक—	19
कार्यालय सहायक—	47
वरिष्ठ लिपिक—	259
कनिष्ठ लिपिक—	642

(चिकित्सा मंत्री)

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कार्यरत व्यक्तियों की जिलेवार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

फुलेला, ग्राम तहसील बांदीकुई का विद्युतिकरण

213. श्री **मीठालाल मीणा** (लालसोट) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि फुलेला ग्राम, तहसील बांदीकुई को विद्युतिकरण हेतु इसलिए स्वीकृति प्रदान की गई कि वहां 11 के. वी. लाइन बिछी हुई थी ? यदि हां, तो लालसोट तहसील के टोडा ठेकला ग्राम में 11 के. वी. लाइन पूर्णरूपेण बिछी हुई होने के बावजूद भी उक्त ग्राम में अभी तक भी विद्युतिकरण स्वीकृत क्यों नहीं की जा रही है ?

उत्तर

जी हां ग्राम फुलेला 11 के. वी. लाइन के पास होने व इसको योजना तकनीकी दृष्टि से साध्य व आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद होने के कारण इसे विद्युतिकरण हेतु अधीक्षण, अभियन्ता द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। ग्राम टोडाठेकला, तहसील लालसोट 11 के. वी. लाइन के पास तो है पर इस ग्राम में योजना को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने के लिये पर्याप्त मात्रा में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण इसके विद्युतिकरण को स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी। अधीक्षण अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता केवल वही गांव स्वीकृत करते हैं जहां से पर्याप्त कनेक्शन लेने वाले आवेदन-पत्र दें तथा आवश्यक धनराशि भी जमा करा दें और गांव जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा भी विद्युतिकरण हेतु प्रस्तावित हों।

ग्राम रटलाई, पंचायत समिति, बकानी का तालाब

214. श्री **रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम रटलाई, पंचायत समिति, बकानी का तालाब ग्राम पंचायत के अन्दर में है ? यदि हां, तो क्या इससे सिंचाई भी होती है ? यदि हां, तो सन् 1970-71 व 1971-72 में इस तालाब से कितना-कितना रकबा सिंचित हुआ। सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) सन् 1970-71 व सन् 1971-72 वर्ष में किन किन व्यक्तियों से कितनी-कितनी धनराशि सिंचाई की पंचायत द्वारा वसूली की गई व पंचायत में जमा हुई और किन-किन में अभी कितना-कितना रुपया बकाया है ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सदन की मेज पर रखी गई सूची में इसका विवरण दिया हुवा है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

निम्बाहेडा क्षेत्र के गांवों का विद्युतिकरण

215. श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवामहल, जयपुर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा आर. एस. ई. बी. ग्रिड के उदयपुर जाने वाली सड़क पर बसे, धीनवा, कचारिया-खेड़ी, भोमली, जावदा, डोरिया, मंडावली गांव सीधे और पास पड़ते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि धीनवा, भोमडी, कचारिया खेड़ी, डोरिया गांवों में अभी तक बिजली नहीं दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि बोरा-खेड़ी, बडोली, माधोसिंह होती हुई जो लाइन गई है वह प्रश्न के भाग (2) में वर्णित गांवों के चारों तरफ फैली है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होने के कारण।

(3) जी हां।

मिनि स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये स्थानों का चयन

216. श्री **जगमोहनसिंह** (छबड़ा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या आगामी वर्ष में हर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ मिनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की कोई योजना है ?

(2) यदि हां, तो क्या मिनि स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए स्थानों का चयन किया जा चुका है ? यदि हां, तो चयन में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ? छबड़ा एवं छीपाबड़ोद में कौन से स्थान चयन किये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पर कुछ स्थानों पर एक ही पंचायत समिति क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से भिन्न स्थानों पर ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र खोलने की योजना है।

(2) जी हां। 101 पंचायत समिति क्षेत्रों को दो भागों में विभक्त किया गया है जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं को ग्रामीण जनता के निकटतम उपलब्ध कराया जा सके। चयन करते समय ग्राम की जनसंख्या विद्युत् तथा जल विकास, सड़कों का विकास तथा जिला अस्पताल से एवं अन्य चिकित्सा संस्थाओं से दूरी आदि का ध्यान रखा गया है। छबड़ा तथा छीपाबड़ोद पंचायत समिति में ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के साथ ही कार्य करेंगे।

Page No 38

(38)

अजमेर जिले की पंचायत समितियों में अध्यापकों के रिक्त पद

217. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर जिले में पंचायत समितियों में अध्यापकों के कुल कितने पद रिक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये 2 माह पूर्व अजमेर में अध्यापकों का चयन किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि इन चयनित अध्यापकों को चयन करने के पश्चात् अन्य जिलों में भेज दिया गया ?

उत्तर

(1) इस समय अध्यापकों के 141 एवं अध्यापिकाओं के 23 पद रिक्त हैं।

(2) माह सितम्बर, 72 में अध्यापकों का चयन किया गया था जो कि वर्त्तमान में चल रहे रिक्त पदों के लिए नहीं किया गया था।

(3) जी हां, स्थानाभाव के कारण 83 अध्यापक एवं 157 अध्यापिकाओं का चयन परिवर्तन कर जिला उदयपुर, जोधपुर, नागौर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, सिरोही, जालौर, चित्तौड़गढ़ एवं पाली के लिए आंवटन किया गया था, परन्तु अजमेर जिले के अध्यापकों का पंचायत समिति सेवा से शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण होने के फलस्वरूप हुए रिक्त पदों पर 69 अध्यापकों एवं 36 अध्यापिकाओं को पुनः अजमेर जिले हेतु आंवटन किये जाने के आदेश दिनांक 8-3-73 को प्रसारित किये जा चुके हैं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि :

(1) सर्वश्री मूलचन्द सामरिया, हनुमानसहाय व्यास और प्रतापसिंह, सदस्य, विधान सभा ने गेहूं व चावल के थोक व्यापार के अन्तर्गत गेहूँ के खरीद का भाव कम निर्धारित किये जाने के विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव और उम्मेदीलाल, सदस्य विधान सभा ने नागोर जिले की डीडवाना तहसील के अन्तर्गत ललासरी ग्रामवासियों को गत तीन माह से खाद्यान्न का वितरण न करने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने अलवर जिले के केश प्रोग्राम का तीन लाख रुपया मजदूरों को न चुकाये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन तीनों स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(4) सर्वश्री रामानन्द अग्रवाल, मोहम्मद गफ्फार अली, गिरधारीलाल भार्गव

(श्री अध्यक्ष)
और भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान में बेकरी का काम करने वाले मजदूरों को आटा व मैदा न मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है। इसमें चूंकि हाल ही में सदन में राज्य सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जा चुका है। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री गिरधारीलाल भार्गव और श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने आयुर्वेद स्नातकों की मांगों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। चूंकि इस प्रस्ताव में कई विषयों का एक साथ समावेश कर दिया गया है और इस मांग पर सदन में कल चर्चा के दौरान इन विषयों पर प्रकाश डाला जा चुका है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) सर्वश्री गिरधारीलाज भार्गव और श्री भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने जमवारामगढ़ तहसील के ग्राम आंधी में 16 बोरी मक्का की काला बाजार के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्त्व का नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री भानुकुमार शास्त्री और श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने कोटा नगर के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस प्रस्ताव में किसी निश्चित घटना का उल्लेख नहीं किया गया है और यह अविलम्बनीय लोकमहत्त्व का भी नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री निरंजन नाथ आचार्य, सदस्य विधान सभा ने भारत सरकार द्वारा खरीदे गये माइलो में धतूरे के मिश्रण के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय पर राज्य सरकार की ओर से हाल ही में वक्तव्य दिया जा चुका है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्षजी !

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब अनाज के भाव 120 और 125 के थे और जब गेहूँ के भाव 155 रुपये क्विन्टल के थे तब तो आपने सस्ता अनाज मुहैया नहीं किया और कन्ट्रोल रेट पर अनाज मुहहैया नहीं किया और किसान के फसल तैयार होते ही आपने गेहूँ का और अनाज का भाव तय कर दिया। आपने गेहूँ का भाव 74 और 76 रुपये क्विन्टल तय कर दिये।

श्री अध्यक्ष: इस सम्बन्ध में जानकारी चाही है।

श्री मूलचन्द सामरिया : दो लाइन में अर्ज कर दूं। इतनी महंगाई हुई और खाद और बीज भी किसानों को महंगा लेना पड़ा इन सबको बिना सोचे समझे किसान के गेहूँ के भाव इस प्रकार से फिक्स अप कर देना यह किसान के साथ सरासर अन्याय है और डाइरेक्टली गरीब किसानों का शोषण करना है। किस परिस्थिति

(श्री मूलचन्द सामरिया)
में किसान ने गेहूं का बीज, खाद और कई प्रकार की महंगी चीजें खरीदी और फिर ऊपर से उसके लिये उसकी फसल के भाव इस प्रकार कम तय कर देना यह बड़ा शोषण है और अन्याय है। इसलिये इसको मद्दे नजर रख कर भाव तय होने चाहियें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बेकरी वाले 1500 परिवार बेकार हो गये हैं, मैदा नहीं मिलने से।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर कह चुका हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि इस पर मंत्रिमण्डल में विचार करके निश्चय करेंगे और यह आश्वासन भी दिया था बेकरी वाले बेकार नहीं होंगे। मंत्रिमण्डल का क्या निर्णय हुआ यह पता नहीं। आज बेकरी वाले 1500 परिवार बेकार हैं और उनको मैदा नहीं मिल रहा है इस कारण से उनकी फेक्ट्रियां बंद हैं खाद्य मंत्रीजी से भी वे लोग मिले लेकिन वे लोग भली प्रकार से उनसे भेंट नहीं कर पाये और उनको संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। माननीय फखरुद्दीन अलीजी से भी मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनको मैदा मिलना चाहिये। जब उनको मैदा नहीं मिला तो उन्होंने मजबूर हो कर शहर के चारों विधायकों के घरों पर धरणा देकर बैठे हुए हैं। मोहल्लों में चर्चा बनी हुई है। राजस्थान में बेकरी वाले इस प्रकार बेरोजगार हैं इसलिये उनको मैदा मिलने की व्यवस्था करनी चाहिये।

दूसरा स्थगन प्रस्ताव जिसको अस्वीकार किया गया है वह आयुर्वेद के छात्रों की मांगों के सम्बन्ध में है।

श्री अध्यक्ष : आयुर्वेद की डिमाण्ड पर बहस हो चुकी है और आप बोल चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आज वे लोग विधान सभा के सामने आये हैं। एक मिनिट में ही समाप्त करता हूं। भिषगाचार्य और आयुर्वेदाचार्य का इम्तिहान युनिवर्सिटी लेती है। इसलिए वेतन और नियुक्ति में इनकी समानता होनी चाहिये। वैद्यों को भी उतना ही वेतन मिलना चाहिये जो कि एक डाक्टर को मिलता है, उसके समान वेतन मिलना चाहिये। जिस प्रकार बेकार डाक्टरों को भत्ता 250 रुपया मिलता है और प्रेक्टिस के लिये लोन मिलता है उसी प्रकार वैद्यों को भी लोन और बेकारी भत्ता मिलना चाहिये।

अन्त में निवेदन करना चाहूंगा कि आपने लोक महत्त्व का प्रश्न नहीं माना है जमवा रामगढ़ में 16 बोरी मक्का लेकर जो रहा था उसको जनता ने रोका और पुलिस थाने पर गये, एस. डी. एम. के पास गये और तहसीलदार के पास गये। जो कालाबाजारी कर रहे थे उनसे मिल गये और जो शिकायत करने गये उन 50-60 आदमियों को पीटा गया। एस. डी. एम. और तहसीलदार और थानेदार ने कोई शिकायत नहीं सुनी। आपने कहा कि लोक महत्त्व का प्रश्न नहीं है। जनता काला-बाजारी को रोकना चाहती है। सरकार को मदद देना चाहती है।

ये तीनों प्रस्ताव मैंने रखे हैं, आपने इनको अस्वीकार किया है लेकिन मेरा निवेदन है कि खाद्य मंत्री महोदय से मैदा के बारे में तो वक्तव्य दिलायें ही।

श्री मुन्शीलाल महावर : गलत स्टेट-मेन्ट दे रहे हैं। थानेदार गया है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं गुजारिश करूंगा कि आपने यह जो पढ़ा उसके बाद यह स्थिति पैदा हुई कि हमारे घरों पर धरना दिया जा रहा है। अब जो नई स्थिति बनी है उसमें सरकार को अपना कुछ स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। नहीं तो हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि लोग हमें यह कहें कि हमारी यह धारणा है। चोर बाजार का गल्ला पकड़कर सरकार को उसे खुले बाजार में वितरण करना चाहिये। सरकार के पास सभी साधन मौजूद हैं। गिरधारीलालजी भार्गव हैं उनका असर है उन लोगों पर तो या तो उनसे वितरण करवाया जावे या मैदा सरकार दे उन लोगों को। खाली कहने से तो असर नहीं होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : असर की आप बात कर सकते हैं, मैं तो नीति की बात करता हूं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं भी उसी बात को कहना चाह रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इसमें मंत्रियों के या विधान सभा में धरणा दें तो ये तुरन्त ध्यान देंगे।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : जो गल्ला छिपाया गया है सरकार उसका पता लगावे और वहां से निकाल कर वितरण करे। खाली वक्तव्य से असर होने वाला नहीं है। तो कम से कम इसके बारे में मन्त्री महोदय सोचें, मन्त्री महोदय सदन में उपस्थित नहीं हैं, तो उनके असिस्टेन्ट हैं उनको चाहिये कि वे किसी तरह इसका निराकरण करें।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर, जयपुर) : अभी-अभी गिरधारीलालजी भार्गव ने जो कहा सचमुच स्थिति यह है कि लोगों के घरों पर धरणा है। 1500 परिवार आज भूखों मरने की स्थिति में पहुँच गये हैं। उनकी बेकरियां बन्द पड़ी हैं, अगर और कुछ दिनों यही हालत रही तो वे बिलकुल बन्द हो जावेंगी। राज्य सरकार से मैं सहमत हूं पर कुछ भी व्यवस्था तो होनी चाहिये। काला बाजार करने वाले अगर नहीं मानते हैं तो इस माने में हम सब सरकार के साथ हैं।

नीचे कुछ प्रदर्शन हो रहा है राज्य सरकार की आयुर्वेद की नीति के विरोध में।

श्री अध्यक्ष : Normal practice is that I allow only those persons who have given notice of adjournment motions.

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इसलिये जरूरी है कि कल ही भिषगाचार्य और आयुर्वेदाचार्य के बीच में फर्क माना है सरकार ने। तो इन लोगों के प्रतिनिधि मण्डल को बुलाकर उनसे सरकार को बात कर लेनी चाहिये और थोड़ी और बात करने से सारी बातें समझ में आ जावेंगी और इससे मामले का निपटारा हो जावेगा।

इसके अलावा एक गम्भीर बात है अध्यक्ष महोदय, कि आपके सामने छोटे-छोटे बच्चों को लाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : छोटे-छोटे बच्चों को लेकर विधान सभा के सामने प्रदर्शन कराने आ रहे हैं। आदर्श विद्या-मन्दिर के लोग। छोटे-छोटे बच्चे जो जानते नहीं हैं। निश्चित तौर से डाक्टर जावा जांच कराने में सहयोग देना नहीं चाहते हैं। छोटे-छोटे बच्चों को लाकर प्रदर्शन करना चाहते हैं। भानुकुमारजी, अभी मैं जानता हूं, बोलेंगे। इससे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इसे देखना चाहिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : इस विषय में छात्रों के अभिभावकों का प्रदर्शन होगा। वे अपनी कठिनाइयों के बारे में हमें अवगत कराना चाहेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में क्रेश प्रोग्राम का जो पैसा था उसका तीन लाख रुपया अचानक सरकार ने वहां से विथड्रा कर लिया है। फरवरी, मार्च में मजदूरों ने वहां काम किया है, मस्टर रॉल उनका बना है, इससे पेमेन्ट उनका रुक गया है। मेरी खुद की कॉन्स्टीट्यूएन्सी में विजयसागर बान्ध से एक नहर खोदी जा रही थी। 23 जनवरी से मजदूर काम कर रहे हैं, और उनको अभी तक एक भी पैसा पेमेन्ट के रूप में नहीं मिला है। मैंने कलेक्टर साहब से सम्पर्क स्थापित किया था और उन्होंने यह कहा कि हमारी बगैर जानकारी के, बगैर हमसे पूछे सरकार ने तीन लाख रुपया विथड्रा कर लिया है जब कि हमारे पास खुद के पास मजदूरों को पेमेन्ट करने को कुछ नहीं है। उनका पेमेन्ट का करीब ढाई लाख करना बाकी है पहले का।

श्री अध्यक्ष : इस पर जानकारी चाही है सरकार से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ठीक है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है उसकी स्थिति को नहीं समझा है सम्भवतः सरकार ने। कल के समाचार-पत्रों से ज्ञात हुआ है कि लोकसभा में भी इस प्रश्न को उठाया है कि जो माइलो हमें दिया गया है वह पशुओं के खाने का माइलो है। वह हमारे राजस्थान में अकालग्रस्त लोगों को देना उनको भूखों मारने की ओर इंगित करता है। यह सिद्ध हो गया है कि यह माइलो इन्सानों का खाद्यान्न नहीं है। पशुओं का यह फूड है। ऐसी स्थिति में इसका सरकार स्पष्टीकरण करे कि यह पशुओं के लिये है, न कि मानवों के लिये।

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है वह इस बारे में है कि खाद्य मन्त्री ने वक्तव्य दे दिया। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके वक्तव्य देने के बावजूद आज गांवों की स्थिति ऐसी है कि उनमें न अनाज है, न पैसा है लोगों के पास कि वे महंगा अनाज खरीद सकें। फेअर प्राइस शॉप्स सरकार की उनको खाद्यान्न देती नहीं। इस तरह के उदाहरण रखते हैं तो सरकारी पक्ष वाले यह समझकर कि चूंकि यह विरोधी पक्ष के लोगों ने रखा है खेद के साथ कहना पड़ता है उन तथ्यों की ये भी मखौल करते हैं। मैं बताऊं कि एक गांव है नागौर, डीडवाना तहसील में। 1300 की वहां बस्ती है, 200 घर हैं। वहां

Page No 43

(43)

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

सरकार की फेअर प्राइस शॉप है, पर उस पर अनाज मिलता नहीं। जो मिलता है उसमें क्या करते हैं कि दो किलो देकर 110 किलो या 120 किलो राशन कार्ड में दर्ज कर देते हैं और इस तरह से वह सारा अनाज ब्लेक मार्केट में शहरों में, तहसीलों में बेच दिया जाता है। इसकी शिकायत कलेक्टर को भी की गई। पर वह सुनवाई को तैयार नहीं है। विवश होकर अदालतों में जाकर राशन कार्डों के साथ एफीडेविट देकर कहा है कि राशन नहीं मिलता और गलत तरीके से व्यापारी ने ब्लेक मार्केट में उसे बेचा है।

मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय चाहें तो मैं उनको सारे फैक्ट्स देने को तैयार हूँ। उस गांव को धान वितरित कराया जावे। पैसा नही है उनके पास मजदूरी नहीं, फिर फेयर प्राइस पर अनाज नहीं मिलेगा तो वे लोग कहां जावेंगे। फिर सिवाय इसके कि वे मौत के मुंह में जावें और दूसरा रास्ता उनके लिये नहीं होगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राजस्व उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 3 (34) राज० उप० 64, दिनांक 23 फरवरी, 1973।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 3 (34) राज० उप० 64, दिनांक 23 फरवरी, 1973।

(3) अधिसूचना संख्या 4 (7) राज० उप० 73, दिनांक 23 फरवरी, 1973।

(4) अधिसूचना संख्या एफ 22(54) राज० उप० 64, दिनांक 27 फरवरी, 1973।

याचिकाओं का उपस्थापक

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : तहसील श्री डूंगरगढ़ के ग्राम घनेर, जिला चुरू में पीने के पानी की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अजीतसिंह (टौंक) : भूतपूर्व टौंक रियासत के भाग सिरोंज के भूतपूर्व छोटे जागीरदारों को नेहरू अवार्ड का लाभ दिलाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी द्वारा वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

कोटा महाराव श्री भीमसिंह द्वारा अपनी कृषि भूमि गृह निर्माण सहकारी समिति को बेचने से उत्पन्न स्थिति सम्बन्धी

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, कोटा महाराव श्री भीमसिंह ने दिनांक 8-8-1972 को दो भूखण्ड जिनके क्षेत्रफल क्रमशः 30 लाख वर्गफीट एवं 32,67,370 वर्गफीट दो गृह निर्माण सहकारी समितियों को विक्रय किये हैं।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
प्रथम भूखण्ड गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड को 30 लाख रुपये में और दूसरा भूखण्ड श्रीनाथ गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड को 24 लाख 50 हजार 530 रुपयों में विक्रय किया है। गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन राजस्थान को-ऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1965 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, कोटा के कार्यालय में दिनांक 14-8-72 को रजिस्ट्रेशन क्रमांक 1876 पर हुआ है। रजिस्ट्रेशन के समय 19 सदस्य शामिल हुए थे। उसके पश्चात् इस समिति में 23 और नये सदस्य बनाये गये।

रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा के अनुसार समिति के उपरोक्त सदस्यों ने कोटा में निवास करने की घोषणा-पत्र तथा रिहायश का निजी मकान न होने का घोषणा-पत्र शपथ आयुक्त से तसदीक करा कर रजिस्ट्रेशन के समय सहायक रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया है। रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार के अनुसार इस समिति में अधिकांश व्यक्ति गोपाल इण्डस्ट्रीज के हैं एवं उन्होंने गोपाल इण्डस्ट्रीज द्वारा गृह निर्माण हेतु जमीन देने का आश्वासन प्राप्त होने पर समिति को पंजीयन कराया है। महाराव श्री भीमसिंह द्वारा प्रस्तुत सेल डीड जो सब-रजिस्ट्रार, कोटा के समक्ष पंजीयन हेतु दिनांक 20-8-1972 को प्रस्तुत किया गया, के अनुसार गृह निर्माण समिति द्वारा एक लाख रुपया संविदा करते समय महाराव श्री भीमसिंह को भुगतान किया गया और शेष 29 लाख रुपयों का भुगतान किश्तों में होना है।

इसी प्रकार श्रीनाथ गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड का पंजीयन दिनांक 16-8-1972 को सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, कोटा के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन नम्बर 1877 पर हुआ। रजिस्ट्रेशन के समय समिति में 16 सदस्य शामिल हुये थे। इन समस्त सदस्यों ने कोटा में निवास करने का घोषणा-पत्र तथा सदस्य नम्बर (1) श्रीधरलाल पुत्र विट्ठलनाथ के अतिरिक्त किसी के भी निजी मकान कोटा में न होने का घोषणा-पत्र शपथ आयुक्त से तसदीक करा कर पंजीयन के समय सहायक रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किये हैं। उक्त समिति ने दिनांक 18-8-72 को महाराव श्री भीमसिंह से 32,67,370 वर्गफीट भूमि 24,50,530 रु० में क्रय करने का संविदा किया और दिनांक 20-8-72 को सब-रजिस्ट्रार, कोटा के समक्ष महाराव श्री भीमसिंह द्वारा सेल डीड रजिस्ट्रेशन हेतु प्रस्तुत किया गया। संविदा के समय 1,00,000 रु० (एक लाख) रुपये का भुगतान महाराव भीमसिंह को किया गया, शेष राशि किश्तों में देय होगी।

उपरोक्त दोनों गृह निर्माण समितियों के पंजीयन के सम्बन्ध में सहायक रजिस्टार, सहकारी समितियां, कोटा के कार्यालय से विशिष्ट सचिव, कृषि एवं सहकारिता, राजस्थान, जयपुर को दिनांक 12-12-72 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। सहायक रजिस्ट्रार, कोटा ने विशिष्ट सचिव, कृषि एवं सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को यह सूचित किया है कि उक्त दोनों समितियों की जांच, राजस्थान सहकारी समितियां, अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत कराई जा रही है। यदि किसी प्रकार की अनियमितता समिति

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

के निर्माण में पाई गई तो वैधानिक कार्यवाही की जायगी।

जहां तक उक्त भूमि के कृषि भूमि होने का प्रश्न है इस विषय में 17-9-66 को राज्य सरकार ने जिलाधीश को सूचित किया था कि:—

"So far as the question of conversion of this land into "Abadi" land is concerned, it appears from the perusal of the record that this land should not have been classified as agricultural land. It would not be in the fitnees of things to issue an order converting this land into "Abadi" land. The Revenue record may however be corrected, so that correct revenue of the land may be shown therein."

इस पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में उक्त जमीन अहाता कोठी दर्ज की गई। उसी में जमीन उक्त दो सहकारी समितियों को बेचा जाना पाया गया है।

जहां तक बेचान पर पंजीयन शुल्क का प्रश्न है सहकारी समितियों को बेचान होने के कारण देय नहीं है। रिपोर्ट रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों के अनुसार उक्त समितियों ने बम्बई की एक प्राईवेट फर्म एवरेस्ट इन्डस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड को भू-खण्डों की बुकिंग एवं सदस्यता प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने का कार्य सौंपा है, और इस फर्म द्वारा कई व्यक्तियों से राशि प्राप्त कर जमा कराई गई है। सहायक रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के अनुसार जानकारी मिलने पर उनके द्वारा एवरेस्ट कम्पनी से व्यवहार करने पर रोक लगा दी है और इसके पश्चात् फर्म से किसी प्रकार का लेन-देन नहीं हुआ है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, दो-तीन प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा कि एक तो दोनों समितियों का एक लाख रुपये का भुगतान मंत्री महोदय ने माना है। एक लाख का जो भुगतान हुआ है यह भी पोस्ट डेटेड चैक से हुआ। जब रजिस्ट्री कराने गये तो यह बात एग्जामिन कराने की थी तीस लाख में एक लाख का भुगतान पोस्ट डेटेड चैक से बताया गया। इसी प्रकार दूसरी समिति के अन्दर भी कई गलत भुगतान हुए हैं। तो अध्यक्ष महोदय, इससे स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। कोटा महाराव ने जो जमीन बेची और उन्होंने इसी प्रकार की व्यवस्था रखी कि जब समिति प्लाट्स को बेच दे और जो राशि आये वह कोटा महाराव के पास जमा करा दी जाय। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, जो मेम्बर है शंकरलाल यह बात एग्जामीन करने की थी उसको कन्सेशनल रेट पर को-ऑपरेटिव-सोसाइटी होने के नाते रजिस्ट्रेशन फीस माफ की गई वह बहुत कम है, उसमें चोरी की है। अध्यक्ष महोदय, दूसरे एवरेस्ट कम्पनी के मन्त्री ने काफी जमीन बेच दी और मन्त्री महोदय ने यह नहीं कहा कब रोक लगादी और कितने प्लॉट बेचे जा चुके हैं। इनकी नीति से स्पष्ट है जो दोनों गृह निर्माण समितियां हैं एवरेस्ट कम्पनी को इस बात की जिम्मेदारी को सौंपना कि प्लाट काटकर बेचदे, मन्त्री महोदय ने जानकारी नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय, यह जो आॅर्डर राज्य सरकार का बताया कन्वर्शन के लिये

(श्री सुरेन्द्र प्रसाद)
यह ऑर्डर था कि एग्रीकल्चर लैण्ड को गलत रेकार्ड कर रखी है। जहां तक मुझे जानकारी है यह उस पूरी जमीन पर लागू नहीं होता है। यह एक जमीन के भू-खण्ड के ऊपर सिनेमा बनाने के बाबत हुई है। उसके विषय में राज्य सरकार की ओर से लिखा गया है और मैं समझता हूं यह बिलकुल गलत बात होगी उस पूरी जमीन के ऊपर एक छोटे भू-खण्ड पर सिनेमा बनाने की परमिशन भी दी। उस लैण्ड को आबादी लैन्ड मानते हुये एन्ट्रीज करने के लिये गवर्नमेंट ने लिखी होगी न कि पूरी जमीन को। तो, अध्यक्ष महोदय, 2-3 बात स्पेसिफिकली जानना चाहूंगा। एवरेस्ट कम्पनी ने किन लोगों को जमीन बेची ? इस पर रोक कब तक लगी और आज तमाम रेकार्ड सीज किया गया है या नहीं ? दोनों सहकारी समितियों ने जो डीलिंग किया उनकी एन्क्वायरी के लिये आगे क्या हो रहा है ?

एक माननीय सदस्य : दो प्रश्न मेरे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी के वक्तव्य से एक तो यह बात स्पष्ट होता है कि यह जो डील है एक कॉल्युसिव डील है और सीलिंग के तहत अगर एग्रीकल्चर लेंड है तो एग्रीकल्चर सीलिंग का कानून पहले से बना हुआ है उसको डिसीव करने के लिये उसके प्रोवीजन से बचने के लिये यह जमीन की सेल है। यदि यह भी मान लिया जाय थोड़े समय के लिये यदि इसका सरकार ने सन् 66 में ऑर्डर कर दिया कि यह आबादी लैन्ड है तो आबादी लैन्ड अरबन सीलिंग प्रॉपर्टी एक्ट पिछले साल पास हो चुका है और उसके तहत अभी चाहे राष्ट्रपति की मोहर न आई हो लेकिन अभी इस सदन में हमने आगे सेल्स को नाजायज करार देते हुये रजिस्ट्री पर रोक करते हुये एक बिल इस सदन में पास किया है। जो पिछले साल पास किया था उसमें भी एक पर्टीक्यूलर डेट के बाद सेल्स को अवैध किया था इसलिये यह जो सेल है यह दोनों कानूनों की अवहेलना करता है। मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य जो मालपुरा से आये उन्होंने कहा है सन् 1966 में गवर्नमेंट का ऑर्डर था, उस तमाम जमीन के लिये भी हो सकता है जो भी अभी तक एग्रीकल्चर फार्म के रूप में काश्त करते थे इसलिये एक्चुअली यह जमीन एग्रीकल्चर लैण्ड है, और जिसको गृह निर्माण समितियों को आबादी के लिये सेल किया, जो नहीं किया जाना चाहिये और जो सीलिंग कानून पहले से ही है उसके खिलाफ है। यह सेल वायड है और इस प्रकार टुकड़ों में करके भी इसको नहीं बेचा जा सकता है।

तो मेरा यह कहना है कि वैसे भी यह सेल एक तरीके से पोस्ट-डेटेड सेल है, इस रूप में कि एक लाख रुपया नकद उस समय लिया गया है और बाद में किश्तों में एक-एक साल के बाद उनकी सेल करना कहा गया। तो उस हद तक उन प्राप-र्टीज की सेल तब इफेक्टिव होगी जब कि उनका कन्सीड्रेशन पास-ऑन होगा। अभी यह कन्डीशनल सेल है और इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इन सेल्स को जो कि इसके बाद हैं, जो अब हमारा कानून आ चुका, और जिस बिल के तहत अब हमने रोक लगा दी, मैं समझता हूं कि उसको जल्दी

Page No 47

(46)

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
से गवर्नमेंट की सेंक्शन मिलनी चाहिए और राष्ट्रपति की सेंक्शन जल्दी से मिलनी चाहिए। तो उस एक्ट के तहत भी जो सेल 74 में या 75 में जिसका कि कन्सीड्रेशन पास होने वाला है तो गवर्नमेंट अभी एक्शन ले सकती है कि वह तमाम सेल कॉल्यूसिव होने के नाते और गैर कानूनी होने के नाते भी उस को-ऑपरेटिव सोसाइटी की सेल को नाजायज करार कर दे और वह आगे पेमेन्ट न करे, इस तरह के ऑर्डर्स गवर्नमेन्ट कर सकती है। मैं यह समझता हूँ कि यह काफी सीरियस मामला है और इस तरीके से जो भी गवर्नमेन्ट का ऐम है कि सीलिंग लगाकर प्रापर्टी को लिया जाये और गरीब लोगों में बांटा जाये उसको फ्लाउट जगह-जगह राजाओं द्वारा और बड़ी-बड़ी सम्पत्ति वालों द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले को एक एक्सपर्ट के हाथ में दिया जाना चाहिए, इसकी इन्क्वायरी की जानी चाहिए और तब तक के लिए गवर्नमेन्ट को इमीजियेटली तमाम कागजात सील करने चाहिए और उनको, को-ऑपरेटिव सोसाइटीज को, फर्दर इन जमीनों को जिनको अलॉट करने या सेल करने से और महाराजा को पेमेन्ट करने से इमीजियेटली रोक देना चाहिए।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दो सवाल करने हैं। मैं जानना चाहूँगा कि यह जो सेल फिक्टिशस किये गये हैं इनमें स्टाम्प ड्यूटी का कितना नुकसान हुआ–एक। नम्बर 2 क्या यह सत्य है कि जो भी को-ऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई हैं उनमें सब महाराजा के रिश्तेदार हैं और कांग्रेस के एम० पी० महाराजकुमार हैं उनके प्रभाव की वजह से यह सब काम अधिकारियों ने किये हैं। तीसरे, जब यह फिक्टिशस हैं तमाम को-ऑपरेटिव सोसाइटीज तो क्या इनको सस्पेण्ड करने या इनको डिजॉल्व करने की बात गवर्नमेन्ट के विचाराधीन है ? यदि है, तो उस पर कब तक एक्शन लिया जाने वाला है ? क्योंकि यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक सिर्फ इन्हीं महाराजा ने किया हो ऐसी बात नहीं है, बल्कि जोधपुर महाराजा के लिए भी मैंने सवाल किये हैं वह वक्त पर आयेंगे, जयपुर महाराजा ने भी किया है। यह महाराजाओं को साजिश मालूम होती है उनसे जो कि आज हुकूमत में बैठे हैं जो कि इस किस्म की सेल का प्रोत्साहन करते हैं। इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि कितना तो स्टाम्प ड्यूटी का नुकसान हुआ ? जो फिक्टिशस को-ऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उसके कौन-कौन मेम्बर्स हैं उनको बतायें, उनकी रिश्तेदारी महाराजा से क्या है और दूसरे लोगों से क्या है यह भी बतायें और यह भी बतायें कि इस बारे में अब वह क्या एक्शन लेने वाले हैं ? इन तीनों सवालों के ऊपर आप कुछ प्रकाश डालें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर) : मैं भी इस संबंध में दो बातें कहना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : इसी संबंध में ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जी हां।

श्री अध्यक्ष : आप जरूर फरमावें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा प्रश्न यह था कि गृह निर्माण सहकारी समिति के अध्यक्ष क्या श्री सोमानीजी हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि जो सवा तीन लाख वर्ग-गज भूमि सिनेमा के लिए है उसकी स्वीकृति सरकार ने दी है और बाकी भूमि को आबादी में परिवर्तन करने के लिए छोड़ दिया गया है ? इसके बाद स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए जिसकी कीमत 4 लाख होती थी, 4 लाख रुपये का रजिस्ट्रेशन कोर्ट में नहीं हुआ और महल में ही बुलाकर रजिस्ट्रार को किया गया । और यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि नियम यह है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के वेही सदस्य बन सकते हैं जिनके कि पास जमीन नहीं है और भूमि भी उन्हीं को बेची जा सकती है जो कि उसके सदस्य हों और उनसे भी समिति कोई लाभ नही कमा सकती । 2 लाख रुपया तो अभी दे दिया गया और बाकी रुपयों की किश्त की है । यह दानवीरता का परिचय किस आधार पर किया गया ? फिर मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इन दोनों समितियों में जो लोग हैं गोपाल इन्डस्ट्रीज सोमानी ग्रुप के लोग हैं या राज परिवार के हैं ? इसके बाद निवेदन यह है कि एवरेस्ट कम्पनी को सोमानीजी ने 5 रुपये से 10 रुपये में बेची है और सोमानीजी स्वयं इसके अध्यक्ष हैं। फिर इस समिति में सदस्य पहले कुल 47 थे और अब और लोगों को जोड़ा गया है । इस प्रकार से मेरा निवेदन यह है कि आज वह इस चक्कर में लगें हैं कि किस प्रकार से नगर विकास न्यास कोटा से प्लान की स्वीकृति ले लें और उसके बाद लोगों को बेच दें और इस सारे मामले में राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं वेह भी लिप्त हैं, उनका भी स्पष्टीकरण इस मामले में आना चाहिए वरना यह बात मानी जायगी कि इस प्रकार से राजा-महाराजा सत्तारूढ़ दल में जाकर अपनी जमीनों को जो हम कानून बनाते हैं, समाज वाद के नाम पर उसको तोड़ना चाहते हैं, उल्लंघन करना चाहते हैं और सत्ता की आड़ लेना चाहते हैं । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्रीजी को अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए और जो सवालात मैंने उठाये हैं उनके बारे में माननीय मंत्री महोदय उत्तर दें ।

श्रीमती नरेन्द्रबाला (दीगोद) : अध्यक्ष महोदय, यह जो मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव रखा है इस पर कुछ जानकारी मैं भी चाहूँगी क्योंकि मैं स्वयं कोटा की निवासिनी हूं। श्री सोमानीजी जिन्होंने यह भूमि खरीदी है और जो सहकारी समिति बनाई है वह सही है या फर्जी है ? दूसरे मुझे जहां तक जानकारी मिली है क्या कोटा महाराजा ने इस जमीन को कोटा यू. आई. टी. को देने के लिए ऑफर दी थी। अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अधिक कुछ इसलिए नहीं कहना कि यह मामला कोटा से ही अकेले संबंधित नहीं है, यह तमाम राजस्थान के नरेशों से संबधित है और राज्य सरकार इसका निर्णय करे और जो भूमिहीन हैं जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दे और जितनी सस्ती दर पर दे सकती ? वह दे । हम भी चाहते हैं कि भूमिहीनों को जमीन मिलनी चाहिए लेकिन सही बात यह है कि केवल किसी पूंजीपति का नाम लेकर या राजा महाराजा का नाम लेकर प्रगतिवाद की बातें

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

करे तो वह सही नहीं होगा । कोटा महाराव श्री भीमसिंहजी के लिए मैं स्वयं कह सकती हूं कि कभी किसी टैक्स की चोरी सरकार को करना उनकी नीयत के विरुद्ध है । जिस समय राजस्थान बना उस समय लगभग ढ़ाई करोड़ रुपया उन्होंने दिया था और अगर उनकी नीयत में फर्क होता तो क्या उस समय ऐसा होता ? उन्होंने वहां पर हॉस्पिटल बनाने में....

श्री अध्यक्ष : आप स्पष्टीकरण क्या चाहती हैं ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसमें चोरी की है या नहीं यह बतायें ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : वह सोसाइटी जो बनी हुई है और सोमानीजी जिसके अध्यक्ष है वह सही हैं या फर्जी है यह स्पष्टीकरण चाहती हूं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : मैं भी इस संबंध में एक बात कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : इसी संबंध में ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : हां, इसी संबंध में । मैं बहका हुआ नहीं हूं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वर्त्तमान में क्या आपके पास कोई ऐसा कानून है जो कि इसको रोक सकता है या कोई और लॉ बनाने की योजना है ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मैं स्पष्टीकरण यह चाहती हूं कि जमीन को बेचने के लिए खरीददार को बेचान देना था वह सोमानी ने केवल इसलिए नहीं दी कि वह को-ऑपरेटिव सोसायटी बनाने के कारण से देय नहीं हुई । यह चोरी किसने की है क्या राज्य सरकार इसकी जानकारी करेगी ?

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो मेरा स्टेटमेंट है उसमें बहुत-सी बातें साफ हैं । कुछ और मुद्दे माननीय सदस्यों ने रखे हैं । एक बात तो सब तरफ से यह आई है कि सहकारी समितियां जो बनाई गई हैं फर्जी हैं, इसके लिए रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसायटी जांच कर रहे हैं और मैंने पहले भी निवेदन किया कि अगर वे अवैध हैं, फर्जी हैं तो इस तरह से मान कर चलना चाहिए कि कार्यवाही की जाएगी और जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं फर्जी होने पर उनको कैंसिल किया जाएगा ।

दूसरा यह कि स्टेम्प्स का चोरी की गई है । स्टेम्प्स की चोरी में जैसा पहले निवेदन किया है अपने स्टेटमेन्ट में कि अगर वे सहकारी समितियां जायज हैं तब कानूनन कोई स्टेम्प्स लगते नहीं हैं, इस तरह के सोसायटीज के ट्रांजेक्शन में और यदि वे अवैध हैं, फर्जी हैं तब तो सारी जितनी कार्यवाही हुई है वह मन्सूख हो जाएगी और जितने स्टेम्प्स वाजिब हैं उसके मुताबिक स्टेम्प्स लिए जायेंगे ।

तीसरी बात मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कही कि यह तो एक सिनेमा की जमीन का सवाल था जिसकी आबादी की भूमि डिक्लेयर की, बाकी की नहीं की । यह बात ठीक नहीं

(श्री रामचन्द्र चौधरी)
है। क्योंकि जब इन्वेन्ट्री हिज हाईनेस की बनाई गई थी उसमें कोवीनेन्ट में यह रखा है :

Ummed Bhawan including gardens Badi comprising the entire compound.

तीसरी चीज इस कम्पाउन्ड में है। तो सारी जमीन जो कम्पाउन्ड में है, सन् 66 में जैसा मैंने पहले निवेदन किया है कि गवर्नमेन्ट के ऐसे आॅर्डर हैं कि यह आबादी भूमि है, इसको एग्रीकल्चर की भूमि कहना ही गलत है। इसके कन्वर्शन की जरूरत नहीं है। अगर कोई गल्ती है तो उसको गवर्नमेन्ट रिकार्ड में तरमीम करके वैसे ही दर्ज करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह बता दीजिए कि कोरस्पोन्डेन्स किस रेफरेन्स में चली। गवर्नमेन्ट ने जो यह कहा कि इसको एग्रीकल्चर मानना ही गलत है तो यह कोरस्पोन्डेन्स किस सिलसिले में चली ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसकी ज्यादा जानकारी तो मैं क्या अर्ज करूं। मेरे खयाल में आपके पिताजी रेवेन्यू मिनिस्टर थे उन्हें ज्यादा जानकारी है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बात कही गई है यहां उसमें यह है कि हिज हाईनेस ने मूव किया कि मुझे जितना कम्पन्सेशन मिलना चाहिये वह नहीं दिया जा रहा है और उसके हिसाब से उसका कम्पन्सेशन दिलाया जावे। उनका कहना था कि जब गवर्नमेन्ट खुद मानती है कि यह जमीन आबादी की है तो उसके अनुसार रिकार्ड में तब्दीली करके कम्पन्सेशन दिलाया जावे.......

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है। सन् 66 का जो गवर्नमेन्ट का आॅर्डर आप बता रहे हैं कि जिसमें गवर्नमेन्ट ने यह लिखा कि यह आबादी की लैंड है और उसकी गलत एन्ट्री हो रखी है और एग्रीकल्चर लैंड लिख रखा है। तो रिकार्ड के दुरुस्ती की यह बात पैदा कैसे हुई ? कौनसी कोरस्पोन्डेन्स का रेफरेन्स है ? कलेक्टर ने कोई कागज भेजे, कोई लैटर भेजा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हिज हाईनेस कोटा ने मूव किया था और उस पर फैसला हुआ था।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव मूव किया था और अब जानकारी देने का समय आया तो मैदान छोड़ कर कैसे भाग गए ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी बात साफ नहीं हुई है। कुछ प्रश्न मैंने उठाए थे कि गवर्नमेन्ट लैंड सीलिंग कानून के तहत....

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अर्ज किया कि अगर यह एग्रीकल्चर लैंड है तब तो दूसरी बात है लेकिन अभी तो इसको अरबन लैंड मानते हैं और इसमें तब्दील कर रखा है तो अरबन लैंड के लिए हम पहले से ही अरबन सीलिंग लाॅ पास कर चुके हैं। उसके बाद में कोई ट्रांजेक्शन होते हैं तो वे मीनिंगलेस हैं। आप जानते हैं इसको। हम इसको मेलाफाइडी मानते हैं और ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे तो उसके मुताबिक कार्यवाही होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके सामने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
क्लियर केस है, होगा क्या? इन ट्रांजेक्शन्स के बारे में आप क्या कहते हैं ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : अनफोरच्युनेटली कोई कानून नहीं है, सब इल्लीगल है ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक तो आपने यह कहा कि रजिस्ट्रार इन्क्वायरी कर रहे हैं कि फिक्टिशियस को-ऑपरेटिव है या नहीं। तो कम से कम प्रिकोशनरी यह कदम तो लेना चाहिए, उस इन्क्वायरी का कुछ भी नतीजा निकले, तब तक इसमें फरदर सेल्स, ट्रांजेक्शन नहीं हों, फरदर काम्प्लीकेशन्स नहीं हों, इमीजियेटली इन सब चीजों को हाथ में लेकर उस को-ऑपरेटिव सोसायटी को या एवरेस्ट कम्पनी जो है, उनको कोई भी ट्रांजेक्शन करने से मना कर दिया जाय ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अर्ज कर दिया कि एवरेस्ट कम्पनी इनकी प्रमोटर है। इन्होंने एवरेस्ट कम्पनी को अधिकार दे दिया है आप इस जमीन को अलॉट कर दें। जैसे ही राज्य सरकार को मालूम हुआ उसको मना कर दिया गया कि आप कोई भी प्लॉट इस तरह से अलॉट नहीं करेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह जो गवर्नमेन्ट का ऑर्डर है, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि सिनेमा हाउस के कन्स्ट्रक्शन की पर्मिशन के लिए कोटा हिज हाईनेस ने मूव किया, उस सिलसिले में उस जमीन का स्पेसिफिकेशन था कि फलां-फलां जमीन पर कन्स्ट्रक्शन करना है। गवर्नमेन्ट ने इस पर यह लिखा कि कन्वर्शन की जरूरत नहीं है तो यह क्यों लिखा? इसका बैकग्राउण्ड बता दीजिए ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने पहले निवेदन किया है अभी....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं यह भी बता दूं कि 66 में रेवेन्यू मिनिस्टर मेरे पिताजी नहीं थे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवर्नमेन्ट कांग्रेस की थी। कलेक्टिव रेस्पोन्सिबिलिटी है। Do you disown this responsibility of the predecessor ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं इससे इन्कार नहीं करता हूं। मैं तो यह कह रहा हूँ कि आप जो बात कह रहे हैं वह अन्दाजे के आधार पर कह रहे हैं....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं तो सूचना के आधार पर कह रहा हूँ। आप पूरी बात बता दीजिए, मैं मान लूंगा ।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने पढ़ कर बता दिया कि यह उनका जो कोवीनेन्ट था उसमें इसका इन्द्राज है और उस आधार पर बता दिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, एक बात का जवाब दे दें....

(व्यवधान-अश्रव्य)

Page No 52

(52)

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, एक बात और रह गई। जो मैंने एडजोर्नमेंट मोशन मूव किया था उसमें एक बात लिखी थी कि बीस रुपये के कागज पर एक फैमिली सैटलमेंट किया है और करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति को कोटा हिज हाईनेस ने कनावेंस से बेच कर टैक्स की चोरी की है। उसके बारे में जानकारी दे दें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : उसकी जांच करा ली जाएगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस बात का उत्तर नहीं दिया माननीय मंत्री महोदय ने जो सालाना किश्तों में रकम जमा होगी, 74 में 75 में तो कम से कम एक लाख का पेमेंट तो हो गया उसके बारे में तो बाद में कार्यवाही होती रहेगी लेकिन आगे के लिए तो गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है, उनको मना कर दे कि इनको फरदर पेमेंट नहीं करे और इस बीच गवर्नमेंट सारी इन्क्वायरी कर सकती है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सारे मामले के बारे में गवर्नमेंट की तरफ से लीगल एडवाईज लेकर इसकी इन्क्वायरी करना चाहती है या नहीं ?

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, एक बात की जानकारी........

श्री अध्यक्ष : पहले इसका जवाब आने दीजिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप खुद कानून जानने वाले आदमी हैं। जो कोई खरीदता है वह देखकर खरीदे। मैं इस असेम्बली भवन की रजिस्ट्री आपके नाम करवाना चाहूं तो क्या आप करवा लेंगे और पैसा दे देंगे। हमने इतना कानून बना दिया है फिर भी कोई खरीदे और अपना पैसा लुटाना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो बड़ी अजीब बात है। गवर्नमेंट के नोटिस में जब सारी बात आ गई है फिर भी उनकी जमीन बेचने से मना नहीं करेंगे। फिर थोड़े समय बाद आप कहेंगे कि यह तो बोनाफाईडी खरीदा था और उसमें गरीब आदमियों का पैसा फंस गया है। जब गवर्नमेंट के नोटिस में सारी बात आ गई है.......

श्री हरिदेव जोशी : यह जो भी चर्चा हुई है उसकी पृष्ठभूमि में सारे कागजों को डी-नोवो एग्जामिन कर लिया जाएगा और यदि कोई कदम उठाने की आवश्यकता होगी तो उसको तत्काल उठा लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट आइटम। अनुदानों की मांगों पर विचार।

अनुदानों की मांगें

मांग संख्या 1 व 34 का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्रीजी !

(विराम)

डिमाण्ड मूव फरमाइए।

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,85,42,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

Page No 53

(53)

श्री हरिदेव जोशी (वन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 2,69,74,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : कट मोशन्स।

मांग संख्या 1 व 34 पर दिये गये

कटौती प्रस्ताव

श्री योगेन्द्र नाथ हान्डा (सूरतगढ़) :

1. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार की वन संरक्षण की कार्य पद्धति पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा गंगानगर में वन विभाग द्वारा किये गये कार्यों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अननुमोदन)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

4. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में गडरा रोड (शिव तहसील) के वन में से सतो (जैसलमेर जिला) एरिड जोन में देताणी (हरलोणी) से करीमे का पार, बांडासर, उनहाड़ा, उतरबा, पेनला, बावड़ी जाने के लिये कोई मार्ग वन विभाग द्वारा नहीं छोड़ने से संबंधित ग्रामों की जनता में घोर असंतोष पर चर्चा के लिये]।

5. मांग संख्या 34-मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में गडरा रोड (शिव तहसील में सतो (जैसलमेर) एरिड जोन में लाखों रुपये व्यय करने के उपरांत भी वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही एवं बेईमानी बरतने के कारण उचित फल न निकलने के विषय पर चर्चा के लिये]।

6. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शिव तहसील, बाड़मेर जिला के हरसाणी ग्राम में पालन के नाम से ओरण या ओण के जंगल को वन विभाग द्वारा जंगलात के कार्य में सम्मिलित किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

7. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में सेवन, भुरट और बेकर घास वन विभाग द्वारा इकट्ठा कर शिव तहसील के कुछ ग्रामों में फोडर बैंक की स्थापना करने में हुए घोटाले के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य द्वारा गडरा रोड से सतो बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थापित वन की, वन विभाग द्वारा ठीक व्यवस्था न करने से जंगलात का कोई विकास नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये) ।

9. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70 वन के अन्तर्गत मांग में से 10 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में वनों के विकास के लिए केन्द्रीय योजना से प्राप्त राशि द्वारा जो जंगलात के कार्य वन विभाग द्वारा हाथ में लिये जाते हैं उनमें जनता के प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया जाता है और उनकी अवहेलना की जाती है जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कई समस्यायें पैदा होने के विषय में चर्चा के लिए) ।

10. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [बाड़मेर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में गडरा रोड (शिव तहसील) से सतो (जैसलमेर) एरिड जोन के जंगलात के सुधार के लिए सुझाव देने पर चर्चा के लिए] ।

11. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-सीलिंग के क्रियान्वयन में राज्य के अधिकारियों द्वारा की जाने वाली उपेक्षा पर चर्चा के लिये) ।

12. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों के स्थानान्तरण अपने जिले से दूसरे जिलों में विशेष परिस्थितियों में करने के बारे में चर्चा के लिये) ।

13. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारियों द्वारा नामान्तरण की कार्यवाही से बड़ी देरी करने के कारण किसानों में व्याप्त असंतोष के विषय पर चर्चा के लिये) ।

14. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समुचित ग्रामीण विकास एवं सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था हेतु पटवारियों को पंचायतों के अधीनस्थ सेवा में रखने पर चर्चा के लिये) ।

15. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में भूमि के म्यूटेशन्स शीघ्र करने पर चर्चा के लिए) ।

16. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोचर जमीन, नाड़ी, तालाबों की आगोर की भूमि की सुरक्षा के बारे में चर्चा के लिये) ।

17. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के कृषकों को उचित भूमि आवंटन न करने एवं उसका कब्जा न दिलाये जाने पर चर्चा के लिए) ।

18. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्रीय भूमि सुधार समिति की सिफारिशों के लागू करने पर चर्चा के लिये) ।

श्री मोहनराज (बाली) :

19. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासियों के रहवास व कृषि हेतु वन क्षेत्र से भूमि न देने पर एवं पुराने कब्जों में दखल देने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नये सरक्यूलर्स से लाभान्वित होने का हक होते हुए भी पुराने फैसलशुदा अतिक्रमणियों के मुकदमों में लगाये गये जुर्मानों की वसूली पर चर्चा के लिए)।

21. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर के भू० पू० महाराजा की बाली स्थित 7000 बीघा भूमि जो सदियों से गोचर के काम में लाई जा रही है उसे गोचर घोषित करने के प्रश्न पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समुचित ग्रामीण विकास एवं सुदृढ़ आर्थिक व्यवस्था हेतु पटवारियों को पंचायतों के अधीनस्थ एवं तहसीलदारों को पंचायत समितियों के अधीनस्थ सेवा में रखने पर चर्चा के लिये)।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) :

23. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन-विभाग द्वारा जिला झालावाड़ में जलाऊ लकड़ी व किसानों के काम आने वाली लकड़ी न दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ में रेंज अकलेरा-असनावर मकानी के तेन्दू के पत्तों के ठेके न देकर किसी एक ही सहकारी समिति, कोटा को देने पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन खंड रानादेवी, रेंज असनावर, जिला झालावाड़ में सन् 70–71 में सागवान के डोडों का ठेका देने में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में वन विभाग द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में मालाटोंटा, खेवनिया, धानोदर व नीलवा-धानोदी व केरासी के जंगल की भूमि राजस्व विभाग को दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ के किसानों की जमीनों का नियमन न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

29. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सांचौर के भवातड़ा सरकारी जोड़ की उपयोगिता पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में नेपड़ क्षेत्र में पड़त खार जमीन को उपयोगी बनाने पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में सरकारी जोड़ों एवं बीड़ों में घास इकट्ठा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में वन विभाग द्वारा गोचर सुधार कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग के से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में वन-विकास की संभावनाओं पर चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा बीड़ों की तारबन्दी करने एवं अन्य सिवाय चक की तारबन्दी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में काश्तकारों के रिहायशी मकान, लाटी एवं बाड़ों के नाजायज कब्जों के मामलों की चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में नाजायज कब्जों के नियमन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में तहसील सांचौर में भूमि के म्यूटेशन्स शीघ्र करने पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में पटवारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों के बारे में चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालौर में भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि की सनदें एवं कब्जा दिलाने पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गोचर जमीन, नाड़ी, तालाबों की आगोर की भूमि की सुरक्षा के बारे में चर्चा के लिये)।

Page No 57

(57)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

41. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम मुन्जासर, तहसील फलौदी, जिला जोधपुर में गांव की सरहद में सार्वजनिक पीच के कुए के आस-पास आवादी भूमि छोड़ने एवं कुए पर आने-जाने के लिये आम रास्ते छोड़ने के सवन्ध में चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों को निजी रिहायशी मकानों के लिये अपनी खातेदारी की भूमि पर पक्की ईंटों के बनाने पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर में भू-राजस्व कानून की धारा 91 के अन्तर्गत मुकदमात की संख्या कम करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व कानून एवं नियमों के अन्तर्गत गैर खातेदारों को खातेदारी के हक दिलाने में जिला प्रशासन की ढिलाई पर चर्चा के लिये)।

45. मांग सख्या 37, मुख्य शीर्षक 92—भूमि-धारकों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व छोटे जागीरदारों के उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र एवं उनके बकाया मुआवजों के भुगतान पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 92—भूमि-धारकों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे भूमि धारकों के बकाया मुआवजों की अदायगी के बारे में चर्चा के लिये)।

47. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 92—भूमि-धारकों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूराचन्द ग्राम, तहसील सांचोर की जागीर के मुआवजे का ब्याज का भुगतान करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : 48. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70— वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा जंगलों के ठेके दिये जाने में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या. 1, मुख्य शीर्षक 9—भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की वसूली पर होने वाले व्यय में मितव्ययता लाने पर चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 92— भूमि—धारकों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (हूंडियों के द्वारा क्षतिपूर्ति भुगतान किये जाने के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) :

51 मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70—वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भैंसलाना तथा भादवा पंचायत

(श्री पी० के० चौधरी)
के फोरेस्ट लैण्ड को सिवाय चक में परिवर्तित करने पर चर्चा के लिये) ।

52. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (Rationalisation of Land Revenue—समानीकरण के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) :

53. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़े जिले के वनों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

54. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिक ठेका सहकारी समितियों के बारे में चर्चा के लिये) ।

55. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासी क्षेत्रों की अलाभकर जोत पर भू-राजस्व लेने के औचित्य पर चर्चा के लिये) ।

56. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में भू-राजस्व की वसूली एवं भू-आवंटन में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये) ।

57. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवार ट्रेनिंग स्कूल्स में आदिवासियों को प्राथमिकता देने पर चर्चा के लिये) ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) :

58. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य के वनखण्डों तथा अन्य जन्तुओं के संरक्षण एवं संवर्द्धन के बारे में नीति का अननुमोदन) ।

श्री झाबरमल (फतेहपुर) :

59. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के बहुत बड़े-बड़े बीहड़ वन विभाग द्वारा ध्यान नहीं देने से बर्बाद हो जाने पर चर्चा के लिये) ।

60. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लगान की दरें एक समान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा) :

61. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम करदिया जाय (वन्य प्राणियों के विहारों में अन-आथोराइज्ड शिकार खेले जाने से वन्य प्राणियों की संख्या में दिन-प्रतिदिन भारी कमी आ रही है उस पर चर्चा के लिये) ।

62. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की वन संपदा दिनों दिन नष्ट होती जा रही है उस पर चर्चा के लिये) ।

(श्री राजेन्द्रसिंह)

63. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन विभाग द्वारा राज्य में चराई की असमान दरों पर वसूली की जा रही है जब कि सारे प्रदेश में एक ही नियम लागू होना चाहिए, उस पर चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवली तहसील, जिला टौंक में काश्तकारों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है उस पर चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उनियारा तहसील का मुख्यालय जो अलीगढ़ में स्थित है उसे उनियारा खास में रखा जावे, उस पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टौंक जिले में धारा 91 के अन्तर्गत जो कार्यवाही हो रही है, जिसमें काश्तकारों को परेशान किया जा रहा है उस पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा अलाभकारी जोतों पर से भू-राजस्व माफ न करने पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 92– भूमि-धारकों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व जागीरदारों को जो ब्याज देना था तथा जिसका निर्णय राजस्व मण्डल द्वारा भी दिया जा चुका है किन्तु सरकार देना नहीं चाहती है, उस पर चर्चा के लिये)।

69. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 92– भूमि धारकों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूतपूर्व जागीरदारों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है जैसे कि भूतपूर्व खण्डेला के जागीरदार को अभी तक कुछ भी पैसा नहीं दिया है उस पर चर्चा के लिये)

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर):

70. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर में उम्मेद पब्लिक पार्क के चिड़ियाघर के सुधार पर चर्चा के लिये)।

श्री विम्मनसिंह भाटी (भीम):

71. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर वन-मण्डल में वनों की कटाई व संरक्षण के औचित्य पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला अजमेर व जिला उदयपुर की क्रमशः भीम व देवगढ़ तहसीलों में बढ़ाकर लिये गये भू-राजस्व पर चर्चा के लिये)।

Page No 60

(60)

(श्री चिम्मनसिंह भाटी)

73. मांग संख्या 37, मुख्य शीर्षक 92– भूमिधारकों आदि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप देय क्षतिपूर्ति के भुगतान प्रणाली के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) :

74. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में विशेषकर बाड़मेर जिले में वन विभाग द्वारा जगह-जगह चरागाहों की जमीन घेरने पर चर्चा के लिये) ।

75. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आबू पर्वत की वन सम्पदा नष्ट हो रही है तथा इस संबंध में सरकारी उदासीनता पर चर्चा के लिये) ।

76. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9– भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व वसूली में व्याप्त भ्रष्टाचार व पक्षपात पर चर्चा के लिये) ।

77. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9– भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की जबरन वसूली से काश्तकारों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

श्री मालाराम (नीम का थाना) :

78. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुओं के वनों में चरने पर उत्पन्न रुकावटों के संबंध में चर्चा के लिये) ।

79. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9– भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील नीम का थाना में जमीन के एलाटमेन्ट में हुई धांधली पर चर्चा के लिये) ।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा) :

80. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वनों को नष्ट होने से रोकने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

81. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9– भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व का rationalisation करने के लिये क्योंकि अभी भी बारानी भूमि पर नहरी व नहरी पर बारानी लगान की दरें निर्धारित हैं इस पर चर्चा के लिये) ।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

82. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के वन बन्दोबस्त के अन्दर से काबिल काश्त भूमि निकालने पर चर्चा के लिये) ।

83. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9– भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में भूमि का पुनः सर्वे कराने पर चर्चा के लिये) ।

84. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9– भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री देवीलाल)
रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा में कई काश्तकारों के भूमि पर पुराने कब्जे नियमित नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में काश्तकारों को भूमि से बेदखल करने व जुर्माना करने पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा के काश्तकारों पर पेनल्टी माफ कराने के विषय पर चर्चा के लिये)।

श्री शंकरलाल (पाली) :

87. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली तहसील के गुढ़ा एन्दला ग्रास फार्म पर चराई में किये गये भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70– वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिर पर लकड़ी की भारी लाने वाले व बैलगाड़ी में अपने जमीन की लकड़ी लाने वालों से टैक्स व जुर्माने की वसूली की प्रणाली पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेवेन्यू इन्सपेक्टर का पद समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु-पालकों को भी भूमि आवंटन करने पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि आवंटन और अनधिकृत कब्जों को नियमन करने पर चर्चा के लिये)।

श्री रावतराम (छापर) :

92. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नील छापर व राजलदेसर तथा चूरू में वन विभाग की जमीनों के उचित संरक्षण न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रिहायशी मकान, कुओं, कुण्ड आदि बनाने के लिए ईंट, पत्थर, मिट्टी, चूना आदि बनाने के सम्बन्ध में काश्तकारों को सहूलियत देने के बारे में चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आराजी काश्त जमीनों पर नाजायज कब्जों के बारे में चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सुजानगढ़ एवं रतनगढ़ जिला चूरू में सैटलमेन्ट के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री हरीकिशन (राजगढ़) : 96. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70– वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन क्षेत्र में रहने वाली जनता को लकड़ी, घास आदि की सुविधा उपलब्ध कराने पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70--वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वन क्षेत्रों में सुरम्य स्थानों पर डाक बंगले बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70--वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा अगम्य वन क्षेत्र में सड़कों का निर्माण नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

99. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70--वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार द्वारा काबिल काश्त भूमि, खेती के लिए, जो वन क्षेत्र में है, अविलम्ब भूमिहीनों को दिये जाने की चर्चा के लिये)।

100. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9--भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में ग्रामों में रहने वाले व्यक्तियों ने सिवाय चक व गोचर भूमि में मकान बनाये हैं उस भूमि को आबादी में नियमन करने व पैनल्टी वसूल नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को जो पास-बुक भूमि की जारी की है उन्हें ऋणदायी संस्था व बैंकों द्वारा मान्यता दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीन किसानों ने जो अतिक्रमण से भूमि काश्त की है चाहे वह सिवाय चक हो या गोचर उसे नियमन करने व पैनल्टी वसूल नहीं करने पर चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9--भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सरकार द्वारा किस्मवार जमीन का भूमि लगान समान दर पर कायम करने पर चर्चा के लिये)।

श्री भरतलाल (बामनवास) :

104. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70--वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में डी० एफ० ओ० हैडक्वार्टर की स्थापना हेतु चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9--भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसीलदार बौंली, बामनवास, सवाईमाधोपुर द्वारा किसानों को नाजायज परेशान करने पर चर्चा के लिये)।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) :

106. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी की तहसील नैनवा के कृषकों को कृषि के औजार

Page No 63

(63)

(श्री नन्दलाल बैरवा)
बनाने के लिये वन से लकड़ी दिलाने पर चर्चा के लिये)।

107. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील केशवराय पाटन, जिला बून्दी में कई वर्षों से बन्द क्लोजरों को खोले जाने पर चर्चा के लिये)।

108. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी के वनों की कृषि योग्य भूमि का रेवेन्यू में परिवर्तन करने पर चर्चा के लिये)।

109. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिहीनों को आवंटित की हुई भूमि पर समय पर कब्जा न दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

110. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषकों को पास-बुक वितरण न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

111. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में फसल के समय वसूली न की जाकर समय निकलने पर वसूली करने पर चर्चा के लिये)।

112. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बून्दी में नामांतरण के मामलों को नहीं निपटाये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा):

113. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में निरन्तर वनों के ह्रास को राज्य सरकार रोकने में असमर्थ है, इस संबंधी चर्चा के लिये)।

114. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में वनों के विभिन्न कीमती उत्पादनों का वकिंग और बेचान राज्य सरकार के हाथ में न लेने के संबंध में चर्चा के लिये)।

115. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पचपदरा के गांव थोब में नियुक्त रेवेन्यू इन्सपेक्टर द्वारा ग्राम सिमरखिया और मोहनपुरा के काश्तकारों से राजस्व वसूली करते समय किये गये दुर्व्यवहार पर चर्चा के लिये)।

116. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील पचपदरा में पटवारियों द्वारा भू-राजस्व वसूली में काश्तकारों के साथ ज्यादती की जा रही है इस सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

117. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काश्तकारों

(श्रीमती मदनकौर)
को बाड़मेर जिले में पास-बुकें न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

118. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू–राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न गांवों में भूमि के नामान्तरकरण का काम भारी संख्या में पेंडिंग है इस सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

119. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के भूतपूर्व जागीरदारों द्वारा काश्तकारों से भू-राजस्व की रकम वसूल की गई जो सरकार द्वारा जागीरदारों के मुआवजे से वसूल की जानी चाहिये थी इस पर चर्चा के लिये)।

श्री भैंरूलाल (अकलेरा) : 120. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70–वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [अकलेरा, मनोहर रेंज में धुवांली (कल्दी की झाड़) के खेत को इजरा नहीं करके केवल झाड़बेर घटनोर के खेत ही काश्तकारान को बाड़ के लिये दिये जाने पर चर्चा के लिये]।

121. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा में ग्राम रूपपुरा, उदयपुर, मजरा आमेटा, भंडेरी, सिवानिया खुर्द को काबिल काश्त भूमि जो वन विभाग के अधीन हैं, को राजस्व विभाग में भूमिहीनों को अलाट करने हेतु रिलीज करने पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा में 796 बीघा 15 बिस्वा भूमि का बिना काश्त होते हुए भी सरकारी कागजात में नाकाबिल काश्त दर्ज हो जाने के परिवर्तन पर चर्चा के लिये)।

श्री गोरधनसिंह (सीकर) :

123. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पड़त जमीनें, जहां जंगलात के लिये लाभप्रद सिद्ध हो सकती हैं, की प्रगति की जाने पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक 70-वन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जो भूमि जंगलात के लिए उपयोगप्रद नहीं है उस जमीन को भूमिहीनों को अलाट किये जाने पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नामान्तरण समय पर नहीं होने व ग्राम पंचायतों द्वारा तसदीक नहीं होने के कारण निर्धारित समय के पश्चात् तहसील में अंतिम कार्यवाही नहीं होती है इस पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर तहसील में पास बुकें समस्त काश्तकारों को नहीं दी गई हैं इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री गोरधनसिंह)

127. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सीकर में भू-राजस्व के तहत तकाबियों की एकदम वसूली से कृषकों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये)।

128. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सीकर में नाजायज कब्जों का नियमानुसार नियमित न किये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) :

129. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लगान की समान दरें कायम करने पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (सूरणकरणसर) :

130. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9-भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पटवारी सिस्टम को समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती भगवतीदेवी (भिनाय) :

131. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर जिले में चल रहे तरमीम के कार्य की खामियों पर चर्चा के लिये)।

132. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अजमेर ज़िले में भू-राजस्व की वसूली में असमानता पर चर्चा के लिये)।

133. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन-जाति को उचित भूमि आवंटन न करने एवं उसका कब्जा न दिलाये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) :

134. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बंदोबस्त अधिकारियों द्वारा गंगानगर जिले में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

135. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील गंगानगर, करणपुर, पदमपुर जिला गंगानगर में भूमि के इन्तकालों की तसदीक समय पर न होने पर चर्चा के लिये)।

136. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील द्वारा रजिस्ट्रियों का गोशवारा न मंगवाये जाने के कारण भूमि के इन्तकालों पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले के किसानों से अधिक रकम आरजी काश्त के रूप में वसूल करने पर चर्चा के लिये)।

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

138. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में आरजी काश्त की रकम पर सर-चार्ज सख्ती से वसूली करने पर चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बीकानेर में तहसीलदार द्वारा बिना प्रमाण के भूमि के नाजायज आवंटित करने पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि के नाजायज अलाटमेन्ट पर चर्चा के लिये)।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर):

141. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर सलूम्बर वाया बम्बोरा एवं कुराबड़ जगत-भीमला रोड पर सड़क में जमीन गई उसका लगान माफ न करने पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार के निर्णयानुसार उदयपुर जिले में सन् 66 के पश्चात् के पैनल्टी प्रीमियम को लगान में शामिल नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले में 1 जनवरी, सन् 71 के पूर्व के नाजायज कब्जे कृषकों के खाते नहीं किये इस पर चर्चा के लिये)।

श्री अजीतसिंह (टोंक):

144. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-राजस्व की पेनल्टी की बाकया पर चर्चा के लिये)।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर):

145. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 31 के तहत हरिजनों तथा अन्य गरीब लोगों के लिए आवास के लिए जमीन अलाट न किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर और भरतपुर जिलों में निष्क्रमणार्थी भूमि के पट्टेदारों से पुरुषार्थी अलाटियों के बराबर जमीन की कीमत लिए जाने के बारे में चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में बहरोड रूट की 1200 बीघा भूमि रेवेन्यू विभाग को हस्तांतरित होने के बावजूद अलाट न किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

148. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में चेपा से सरसों की फसल बरबाद होने और सर्दी से च ा बरबाद होने के कारण राजस्व विभाग की वसूलियां रोकने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

149. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पटवारी, तहसीलदार को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् से इन्ट्रीग्रेट करने पर चर्चा के लिए) ।

150. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर जिले में गेम्स सेंचुरी सिरस्का के एरिया में सिवाय चक जमीन के अलॉटमेंट पर अस्थाई रूप से लगी हुई पाबन्दी को हटाने पर चर्चा के लिये) ।

151. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर–भरतपुर जिले में निष्क्रमणार्थी भूमि के पट्टेदारों को जो सं० 2003 या उससे पूर्व के काश्तकारों को खातेदारी हकूक देने के सरकारी आश्वासन पर अमल कराने पर चर्चा के लिए) ।

152. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अलवर तहसील में माधोगढ़, खुशालगढ़, इन्दोरम, भास्का, सुरोला आदि ग्रामों पर अनुचित रूप से लगाई पैनल्टी के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

153. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार कानून लागू करने में हिचकिचाहट पर चर्चा के लिये) ।

154. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा राजाओं की कृषि भूमि को राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कब्जे में लेने में असमर्थता पर चर्चा के लिये) ।

155. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार की लगान प्रणाली में परिवर्तन कराने पर चर्चा के लिये) ।

156. मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक 9–भू-राजस्व के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा कृषि भूमि पर सीलिंग कम करने के 29-4-72 के मंत्रिमंडल के निर्णय के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 1 व 34 पर विचार

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव ! श्री रामनारायण चौधरी । (अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई लम्बा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता हूं । आपके द्वारा मैं रेवेन्यू

(श्री रामनारायण चौधरी)
मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करना चाहूंगा कि झुंझुनूं जिले का रेन्ट सेटिलमेन्ट संवत् 1992 के अन्दर हुआ था और उस समय वह सेटिलमेन्ट सिर्फ दस साल के लिए लागू था । मान्यवर उसके बाद उस सेटिलमेन्ट की अवधि को बढ़ाकर बीस साल कर दिया गया । बीस साल का अर्सा बीत जाने के बाद भी झुंझुनूं जिले का रि-सेटिलमेन्ट नहीं हुआ है । इस वजह से झुन्झुनूं के किसानों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है । आज राजस्थान के अन्दर झुंझुनूं जिले की जमीन सबसे हल्की जमीन है । वह सेमी डेजर्ट के अन्दर आती है, उसके बावजूद भी लगान की दर झुंझुनूं जिले की राजस्थान में सबसे अधिक है । मैं आपके द्वारा यह मांग करना चाहता हूं राजस्व मंत्रीजी से कि झुंझुनूं जिले का रि-सेटिलमेन्ट करवाया जाए ताकि झुंझुनूं जिले के किसानों को फायदा पहुंचे और उनके लगान का रि-फिक्सेशन हो ताकि उनको राहत मिल सके ।

दूसरा आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सदन में आज से तीन साल पहले यह घोषणा की गई थी सभी किसानों को पास बुकों का वितरण किया जाएगा । तीन साल इस बात की घोषणा के बीत जाने के बाद भी पास बुकों का वितरण किसानों को नहीं हुआ है और जो वितरण हुआ है वह बड़ा डिफेक्टिव है । क्योंकि सेटिलमेन्ट बहुत पुराना होने की वजह से जो एंट्रीज रिपोर्ट की गई है वे ही एंट्रीज पास बुक में दर्ज किए जाने की वजह से काश्तकारों को फायदा नहीं होता है । इससे किसानों को तकलीफ पैदा हो गई है जो लोन के लिए पहले थी । मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पास बुक किसानों को वितरित की जावे और झुंझुनूं जिले का रि-सेटिलमेन्ट कराया जाये ।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरसिंह रावत !

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल की स्थिति के कारण किसानों से मालगुजारी की वसूली स्थगित हो गई लेकिन इस वर्ष की मालगुजारी समाप्त की जानी चाहिए । हालांकि राज्य सरकार ने यह फैसला लिया था कि तीन वर्ष तक अकाल रहने पर एक वर्ष की रेवेन्यू समाप्त कर दी जावेगी । यह राज्य सरकार का आदेश है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार का यह आदेश जिलाधीशों को दिया गया था लेकिन उनकी ओर से मालगुजारी वसूली की गई है । राज्य सरकार ने जिलाधीश को इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए कहा है और उधर राज्य सरकार ने कहा कि दूसरे वर्ष की मालगुजारी माफ कर दी जाएगी लेकिन खेद है ।

(12.52 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय कि मालगुजारी माफ करने की बात कहने पर भी पटवारी हर वर्ष इसकी वसूली कर लेता है । तो यह माफ करने के आदेश वहां तक क्यों नहीं पहुँचता है । राज्य सरकार का यह आदेश है कि तीन साल लगातार अकाल हो तो एक साल की मालगुजारी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी । परन्तु पटवारी इसक

(श्री शंकरसिंह रावत)
वसूली कर रहे हैं। इस पर यह आश्वासन भी दिया गया था कि हम इसे अगले वर्ष में एडजस्ट कर देंगे। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि दूसरे वर्ष भी जिलाधीश ने इसको एडजस्ट नहीं कराया है, और आज तक राज्य सरकार को रिपोर्ट नहीं भेजी है।

दूसरा यह निवेदन करना चाहता हूं कि अजमेर जिले में किसानों को पास बुक वितरित की जा रही है वे अधूरी हैं। कहीं पर वितरित नहीं हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने दौरे के समय यह देखा है कि पटवारी किसानों से पास बुकों के लिए दो-दो रुपया ले रहा है जबकि वहां पर अकाल की स्थिति है। दूसरी बात यह है कि पास बुक अभी तैयार नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पास बुक तैयार होने पर ही किसानों से दो रुपयों की वसूली की जावे। यदि दूसरा पटवारी आ गया तो वह फिर किसानों से इसकी वसूली कर लेगा। राजस्व विभाग का सहयोग किसानों के साथ पूरा नहीं है। आज लोग अकाल से पीड़ित हैं। किसानों के पास पैसा नहीं है, इसलिए मेरा निवेदन है कि मालगुजारी का लेना राज्य सरकार को इस अकाल के समय में उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए इस मालगुजारी को समाप्त करना चाहिए। जहां तक राजस्व विभाग का सम्बन्ध है, मैं आपको निवेदन करूं कि वहां पर लकड़ी काटी गयी, उसमें कई अधिकारी शामिल थे, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहता हूं। फिर भी इसकी रिपोर्ट की गई। पटवारी के डर के मारे गांव वालों ने बताया नहीं। वह लकड़ी मेरे सामने पकड़ी गई और जिलाधीश महोदय को निवेदन किया। परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह पोलिंग के नाम से लकड़ी काटी गई। यह कहा गया कि उस पटवारी का खर्चा नहीं हुआ। बाद में यह नोटिस निकाला गया कि इस लड़की को नीलाम कर दिया जाए। इस प्रकार का घोटाला किया जाता है। यह भी एक मजाक की बात है। जो आदेश निकाला गया उसमें लकड़ी की जगह पर लड़की के नीलाम होने की सूचना दी गई। उपाध्यक्ष महोदय, इसको देख कर मुझे हैरानी हुई। गांव वाले भी लकड़ी की जगह लड़की देख कर हैरान रह गए। यह गांव वालों के साथ राजस्व विभाग का प्रेम है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या लड़की के नीलामी की कोई परम्परा तो नहीं है उधर ?

श्री शंकरसिंह रावत : ऐसी कोई परम्परा नहीं है। यह तो राजस्व विभाग का किसानों के साथ सहयोग की परम्परा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि किसान लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। इसलिए राजस्व विभाग को किसानों के साथ पूरा सहयोग करना चाहिए ताकि वे हर सोसाइटी, सहकारी समिति से लोन ले सके। इसके बजाय उनके काम को अटकाया जाता है। पास बुक उनको नहीं दी गई है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से यह बात बताई गई थी कि छोटे तबकों को लोन मिलेगा। लेकिन किसानों के पास पास बुक नहीं होने की वजह से वे लोन लेने से वंचित रह जाते हैं।

(श्री शंकरसिंह रावत)

अंत में, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि तीन साल से लगातार अकाल पड़ रहा है इसलिए राज्य सरकार को एक साल की मालगुजारी स्वतः ही समाप्त कर देनी चाहिए। आशा है राज्य सरकार इस सुझाव पर विचार करेगी और मालगुजारी को समाप्त कर किसानों को इस अकाल के समय में राहत देगी।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री निरंजननाथ आचार्य द्वारा पानी में कीड़े सम्बन्धी

श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : ऑन ए पाइंट ऑफ क्लेरीफिकेशन। कल एक शीशी मैं लाया था। पानी में जो कीड़ा निकला था वह उसमें था। कल शहर के एक आदमी ने मुझे प्रिजेंन्ट दी और मैंने कल उसको यहां पर प्रिजेंन्ट की। वित्त मंत्री ने उसको एक स्टंट कहा। मैं अर्ज करना चाहता हूं मैंने इसको टेबुल पर रखा था, मैं उसको वापिस नहीं ले गया था। अब वित्त मंत्री इसको स्टंट कह कर टालना चाहें या उसकी अवहेलना करना चाहें, या नगर के नागरिकों के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान स्टंट कह कर नहीं देना चाहें तो यह दूसरी बात है। परन्तु यह वास्तविक बात है। किसी गरीब ने आकर यह बंद कर के मुझे दिया है और उसको मैंने यहां नजर कर दिया था।

मांग संख्या 1 व 34 पर अग्रेतर विचार

श्री उपाध्यक्ष : आपके कट मोशन हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानंद अग्रवाल !

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे कट मोशन है ? I am sorry शायद सेटिलमेन्ट पर हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, राजस्व मंत्रीजी से इस बारे में कई बार मिल चुका हूं और उनके सामने इस बात को रखा है कि जो रिसेटिलमेंन्ट हुआ है वह ठीक नहीं हुआ है। वह प्रश्न बूंदी, राजसमन्द, भीलवाड़ा का है और इसमें झुन्झुनूं भी है। रि क्लासीफिकेशन जो उन्होंने जमीन का किया है वह गलत है। रि क्लासीफिकेशन के आधार पर जो पहले लगान लिया जाता था उससे आठ-दस गुना अधिक लिया जा रहा है। इतना लगान उन पर लगा दिया गया है। राजस्व मंत्रीजी ने उसकी वास्तविकता को मन्जूर किया, और यह समझा भी कि इसमें लगान की बढ़ोतरी यह बहुत ही ज्यादा है। उन्होंने यह भी विश्वास किया कि इस संबंध में विचार, चिन्तन जो कुछ भी वह समझते हैं वह कर रहे हैं। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं राज्य सरकार को कि किसानों में इस संबंध में बहुत ही असन्तोष है और जगह-जगह किसानों ने इस संबंध में आन्दोलन करने का संकल्प लिया है। भय है कि कहीं इस प्रश्न को लेकर राजस्थान के विभिन्न जिलों के किसान आन्दोलन की चुनौती दें और चुनौती के बाद ही राजस्व मंत्री उस पर कोई विचार करें या निर्णय लें तो उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए मैं पुनः आपके माध्यम से राज्य सरकार को सचेत करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस प्रश्न पर शीघ्रातीशीघ्र कोई निर्णय ले, खास तौर से

(श्री निरञ्जननाथ आचार्य)
जब कि अकाल का जमाना है और किसान बहुत ही संत्रस्त है । ऐसे समय में इस प्रश्न पर उदारता से विचार किया जाना चाहिए । इतना ही मुझे कहना था ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम !

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, भू-राजस्व की 'मांग' के संबंध में आपके माध्यम से कुछ 'निवेदन' करना चाहूंगा ।

आज भू-राजस्व के संबंध में जहां तक सरकार का रुख है भू-राजस्व की वसूली को पहले लिया जाय, भू-राजस्व की वसूली के लिए तरह-तरह की समस्याएं किसानों के साथ में पैदा की जाती हैं । इसके साथ-साथ में उन किसानों के साथ में क्या कठिनाइयां हैं उनका कोई निराकरण नहीं होता है । सबसे पहले तो इस के अन्दर जो सबसे बड़ी चीज पैदा की गई है वह यह की गई है नाजायज कब्जों को रेग्युलेराइज करने की । चाहे किसी प्रकार की भूमि थी; चाहे वह श्मशान की भूमि हो, देवालय की भूमि हो, चारागाह की भूमि हो और अन्य प्रकार की भूमियां [illegible]को रेग्युलेराइज करने से तरह तरह की समस्याएं पैदा हो गई हैं, और जो गांवों में धार्मिक क्षेत्र की आस्थाएं थीं उनको बहुत बड़ी ठेस पहुँची है । होना तो यह चाहिए था कि ऐसी भूमि जो किसी के काम में नहीं आती है या उससे दूसरे लोग प्रभावित नहीं होते हैं ऐसी भूमियों को रेग्युलेराइज किया जाता तो उसका दुष्परिणाम नहीं होता । दूसरी बात यह है कि जो मनचले लोग हैं जो कि दूसरों की कोई भी वस्तु हो उसको हथियाने में विश्वास रखते हैं इससे उन लोगों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला है । नियमित ढंग से जो सीधे भूमिहीन किसान हैं जो कि सरकार पर विश्वास रखते हैं और नियमानुसार कार्यवाही करना चाहते हैं वह भूमि एलाट करवाने से वंचित रह जाते हैं, और जो धोखे से कब्जा करके बैठ जाते हैं चाहे उनके पास पहले से कितनी ही भूमि हो, वह सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं । इससे जो वास्तविक भूमिहीन हैं उन लोगों को जो कि नियमानुसार कार्यवाही करना चाहते हैं और नियमों के अन्तर्गत चलना चाहते हैं उनको बड़ी भारी ठेस पहुँची है । ठेस ही नहीं पहुँची है उन लोगों के अधिकारों पर भी बहुत बड़ा उल्टा प्रभाव पड़ा है और मनचले लोगों का हौंसला चौगुना हुआ है । आज भू-राजस्व के सम्बन्ध में जो सरकार की व्यवस्था है उस सारी व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया गया है ।

इसके साथ-साथ आज रेग्युलेराइजेशन का जहां तक संबंध आता है, उसके संबंध में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि सरकार ने, जो गैरखातेदार लोग हैं, उनको खातेदारी अधिकार देने का निर्णय किया है । यह स्वागत योग्य बात है । उसमें देखना यह है कि 10 साल से जो कब्जा काश्तकार का है उसको नियमित करने के लिए कहा गया है । उसमें उपखंड अधिकारी को प्रार्थना-पत्र दिये जाने की बात होती है । प्रार्थना-पत्र एक गांव का सीधा किसान किस प्रकार से दे पाता है, यह एक सोचने की बात है, और अगर दे पाता है तो उसके लिए कितने ही वकीलों के पास

(श्री लूणाराम)

उसको जाना पड़ता है और न मालूम किस-किस की खुशामद करनी पड़ती है । इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय राजस्व मंत्रीजी से कि इस प्रकार के जो आदेश दिये गये हैं उन आदेशों को अगर अनिवार्य कर दिया जाय तो उन किसानों को कुछ पैसा नहीं देना पड़ेगा। साथ-साथ जिन गांवों में 10 साल या उस से अधिक सेटिलमेंट हो गये और वहां पर ऐसे किसान जो गैरखातेदार के नाम से रिकार्ड दर्ज है और उनका कब्जा है तो वह भूमि अनिवार्य रूप से उसके खातेदारी कर दी जाय जिससे किसानों की परेशानी हल हो जायेगी और उसकी गांठ भी नहीं कटेगी।

इस प्रकार से दूसरे जो काश्तकार लोग हैं जिन को उस जमीन पर 10 साल हो गये हैं और जिसका सेटिलमेंट नहीं हुआ है तो भी ऐसी जमीनों के काश्तकारों को उसी प्रकार से खातेदार कर देना चाहिए।

इसी प्रकार से एक आदेश यह दिया गया है कि जो किसान हैं और भूमि पर उनका जितने वर्षों का कब्जा है उतने वर्षों की रकम व समय बाद देकर जो दस वर्ष से कम है, उससे दस गुणा मुआवजा लेकर उस जमीन पर उस किसान को खातेदारी अधिकार दे दिया जाय यह खुशी की बात है। इससे उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में यह भी एक समस्या है कि अगर किसी का नाजायज कब्जा पहले रहा है तो उस पर काफी सामान लगा दे तथा किसानों से तावान जो लगाया थे वे वसूल किये गये हैं। इस प्रकार के जो तावान लिये गये हैं उन तावानों की रकम को भी शामिल किया जाय जिससे सरकार व किसान दोनों का ही लाभ होगा। सरकार को कोई घाटा नहीं होगा क्योंकि उसने किसानों से काफी रुपये तावान में वसूल कर लिये हैं।

इसके साथ नामान्तरकरण की समस्याएं हैं। नामान्तरकरण के मामलों में किसानों को हर तरह से दोषी ठहराया जाता है। उसमें एक व्यवस्था यह रखी है कि तीन माह के समय में नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवाये तो कुछ जुर्माना जो 10 रुपया तक हो सकता है, देना पड़ेगा नतीजा यह होता है कि चाहे दण्ड के रूप में दें या टैक्स के रूप में दें, किसान के साथ तो यही बात की जाती है कि चारों तरफ से उससे पैसा ऐंठा जाय। एक तरफ तो हमारे राजस्व विभाग के पटवारी, गिरदावर, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एस. डी. ओ. तक नामांतरण का काम करते हैं। नामान्तरकरण की वे जांच भी करते हैं तो उनके द्वारा समय पर नामन्तरकरण तस्दीक नहीं करने का दोष उन पर नहीं लगाया जाता है उल्टे किसानों पर यह दोष थोप देते हैं। उदाहरण के तौर पर आज किसी गांव का किसान अकाल में अपना पेट पालने के लि[illegible] नहर पर जाकर खड़ा है और वहां पर इन्तकाल हो गया तो उसके परिवार वाले समय पर इन्तकाल की सूचना देने की कब सोचेगा। पहले अपना पेट पालने की सोचेगा इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि किसान के साथ में यह जो समय संबंधी पाबन्दी है उसको खत्म किया जाय, क्योंकि यह एक बड़ा कलंकित करने वाला टैक्स किसान पर लागू किया गया

(श्री लूणाराम)

है क्योंकि वह तो इस काम को कराना चाहता है पर एक तरफ तो ये चारों तरफ से हमारे सामने शिकायतें आती हैं कि पटवारी समय पर नामान्तरकरण नहीं करता है। रोज हम अखबारों में देखते हैं। किसान किस तरह से मारे-मारे फिरते है पटवारी के पीछे फिर भी नामान्तरकरण नहीं करवाया जाता है। एक तरफ जो हम इस तरह की शिकायतें करते हैं दूसरी तरफ किसानों पर पैनल्टी लगाते हैं जो कितनी न्यायसंगत है ? इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष, मेरा यही निवेदन है कि ऐसी पैनल्टी जो लगाई है वह खत्म की जाय। तो किसान को बिना कसूर दोषी ठहराया जाता है उसी तरह से पटवारी को भी दोषी ठहराकर उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। पटवारी उसी हलके में रहता है और एक-दो गांव ही उसके हलके में होते हैं। वह सब जानता है कि कौन किसान नहीं रहा। किसान को अगर दोषी माना जाय तो इसके अन्दर कर्मचारियों व पटवारी को भी दोषी माना जाना चाहिए।

इसी के साथ-साथ एक समस्या और है कि सरकार की तरफ से गांवों के अन्दर पटवारी जो लगाये जाते हैं उनमें यह देखा जाता है कि नये लोगों को लगा दिया जाता है और जो अनधिकृत कब्जा करने वाले लोग भूमि पर कब्जा करते हैं और किसानों के सीमा सम्बन्धी विवाद होते हैं तो ऐसे पटवारी उनको नौकर हुए 2-4 महीने हुए हों या साल भर हुआ हो उनको लगा दिया जाता है जिनको कि प्रेक्टिकल ज्ञान नहीं होता है। थ्योरी के आधार पर उनको लगाया जाता है जिसके कारण किसानों के खेतों की सीमाओं का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है और उसके दुष्परिणाम काफी हद तक निकलते हैं। किसान मुकदमेबाजी में फंस जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि पटवारियों का सिलेक्शन का तरीका तो ठीक ढंग से है पर उनका सिलेक्शन करके सेटिलमेन्ट में भेजा जाय न कि पटवार ट्रेनिंग में से सेटिलमेंट से पटवारी लिये जांय ताकि जो अनियमिताएं अनुभवहीनता से होती हैं तो वे न हों। उनकी अनुभवहीनता से किसानों को बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अकाल पड़ने पर वहां का मूल्यांकन करने के बारे में कि वहां पर कितनी वर्षा हो गई है, कितनी नहीं हुई है आदि-आदि अनेक शिकायतें आती है। तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा काफी पहले यह कहा गया था कि हर पटवार सर्किल पर एक-एक वर्षा नापने का यन्त्र लगाया जायगा। हर तहसील पर वर्षा नापने का यन्त्र हो। हर पटवार सर्किल पर वर्षा नापने का यन्त्र हो। जिससे कि काफी फायदा मिलेगा। इसके साथ-साथ कुछ ऐसी बातें भी हैं जो हमारी तरफ की, सरकार की तरफ की गलती से भी हैं। पटवारियों की भी काफी समस्याएं हैं। आज पटवारी ही वसूली के लिये जिम्मेदार बना दिया गया है। पर उसके पास किसी प्रकार की व्यवस्था व पूरे साधन हमने नहीं दिये हैं। एक पोथा कागजों का होता है, जिस पर किसानों का सब कुछ भाग्य निर्भर होता है। अगर किसी को बुलाना है तो वह पटवारी ही खुद बुलायेगा। इसी प्रकार से उसके पास जो रिकार्ड होता है, उसकी

(श्री लूणाराम)

किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर रखी है। इसलिये कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि जिससे वह अपने रिकार्ड को सुरक्षित रख सके। आज उसके रिकार्ड को सुरक्षित नहीं कह सकते हैं। अगर उसने किसानों से 10 हजार की रकम वसूली में ले ली तो न तो उसके पास कोटड़ी है, और न किसी प्रकार की और व्यवस्था है। वह रकम साथ में लिये घूमता रहेगा। उसकी भी कई मजबूरियां है, सीमाएं हैं। उसके साथ अगर कोई घटना हो जाय तो कितनी खराब बात हो सकती है। मैं चाहूंगा कि उसके लिये किसी तिजोरी या ऐसी ही कोई और व्यवस्था की जाय जिससे कि पटवारी अपने उपर्युक्त कागजों व रकम को सुरक्षित रख सके। इसके साथ-साथ पटवारी के पास दूसरे को बुलाने की समस्या है। पहले के समय में एक कोतवाल होता था। उसको पहले सरकार की तरफ से पैसा मिलता था, जमीन भी मिलती थी और वह सभी को बुलाता रहता था। लेकिन मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि आज भी उस कोतवाल से काम लिया जाता है। लेकिन आज उसको कुछ नहीं दिया जा रहा है। सरकार का कोई भी अधिकारी आयेगा तो बस कोतवाल को बुलाओ। उस कोतवाल से मुफ्त में बेगार ली जाती है। मैं चाहूंगा कि राजस्व विभाग इस पर विचार करे। जहां तक हो सके वहां तक उसको कुछ न कुछ अवश्य दिया जाना चाहिये। क्योंकि वह अप्रत्यक्ष है, फिर भी उससे बेगार ली जाती है। उससे काम लिया जाता है। इसलिये उसको पारिश्रमिक देना चाहिये। दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि एक व्यवस्था इस प्रकार की चल रही है। नामांकनकरण में किसी जिले में या तहसील में तो कुछ परम्परा है और किसी में कुछ है। जैसे किसी किसान की पुत्री का विवाह हो जाता है या वह अविवाहित है तो कहीं पर तो उसका नाम शामिल किया जाता है, कहीं पर नहीं किया जाता है या किसान की विधवा स्त्री है तो कहीं पर उसका नाम शामिल किया जाता है और कहीं पर नहीं। तो मैं राजस्व मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो विवाहित है अथवा अविवाहित है, विवाहित है तो विवाहित होकर अपने घर चली गई है और अपने पति के घर की हकदार है तो उसके नाम का कोई इन्द्राज रिकार्ड में नहीं होना चाहिये और न कुंआरी लड़कियों का ही नाम होना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसके पीछे भ्रष्टाचार पनप रहा है। इस तरह से अलग-अलग प्रकार की व्यवस्था न होकर एक प्रकार की ही व्यवस्था हो तो अच्छा है। तो उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा, ऐसी व्यवस्था को खत्म किया जाय जो अलग-अलग तरह की हैं।

इसके साथ-साथ यह भी बात है कि जो अनुसूचित जाति और जन-जाति की व्यवस्था की गई है जिलेवार उसके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों की भूमि को दूसरी जाति के लोग नहीं खरीद सकते हैं। मेरे क्षेत्र की तरफ

(श्री लूणाराम)

एक बावरी कौम है। बावरिया शब्द दूसरी जाति में आता है। बावरी को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का न मान कर दूसरे लोग उनकी जमीन का क्रय कर रहे हैं। वास्तव में वह भी अनुसूचित जाति के हैं। पर हमारे जिले में वे अभी नहीं हैं। इसलिये सरकार एक स्पष्ट तालिका बना दे कि किस जिले में कौन-कौन सी जाति अनुसूचित जाति है और कौन-कौन सी अनुसूचित जन-जाति है यह तहसील वाइज बना दी जानी चाहिये। इन लोगों के नाम किसी तरह से गलती से नहीं चढ़े हैं। यह सरकार कर दे तो ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि उनको लगान के बारे में किसी प्रकार की छूट दी जाय। ऐसी जातियों के बारे में सरकार का एक ही दृष्टिकोण रहा है कि सवर्ण लोग इनकी भूमि न लें।

एक और निवेदन यह कर रहा हूं कि जिस धरती माता से किसान अन्न लेता है उस धरती माता का सुधार करने के लिये सरकार किसान के साथ कोई सहयोग नहीं कर रही है। रेगिस्तानी इलाका है, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से और राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज अधिक से अधिक खर्च सरकार को अलाभकर जोत के सुधार के लिये करना चाहिये न कि उसकी रकम माफ की जाय। दो तरह से सुधार हो सकता है। ऐसी अलाभकर भूमि पर, जहां आवश्यकता हो, मेड़बन्दी करवाई जाय ताकि उस भूमि से अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

मैं जल्दी समाप्त कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

अगर उनके कुओं में पानी है तो उनको विद्युत दी जाये। इसके साथ-साथ मैं वन विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा, खासतौर से जहां रेगिस्तानी इलाका है। बेकार जमीन पड़ी रहती है। दस, पन्द्रह, बीस वर्षों तक जमीन पड़ी रहती थी। वहां जंगली जानवर घूमा करते थे। पर आज यह हुआ है कि उस जमीन की हालत यह है कि किसी रूप में बंजर नहीं रही है। बंजर नहीं रहने से, जो जानवर थे, वह उस क्षेत्र से लुप्त हो गये हैं। उन जानवरों का लुप्त हो जाना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जानवर पलें और जानवर वन क्षेत्र में हों जो देश की धरोहर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा गांवों के अन्दर सरकारी पड़त भूमि न रहने से और बंजर-भूमि नहीं रहने से गांवों में जंगल का रूप नहीं रहा है, जंगलों की शोभा नहीं रही है, इसलिए वन विभाग के द्वारा किसानों को उनकी जमीन का अनुदान देकर, उन्हें मुआवजा देकर भी जमीन छुड़ानी पड़े तो भी छुड़ा कर हर गांव में कम से कम सौ बीघा या जितनी भूमि ले सकते हैं, हर गांव में वन विभाग को एरिया बनाना चाहिए। ऐसे बंजर एरिया जहां हैं उन स्थानों में गांवों के अन्दर कम से कम जंगल पनपाये जायं जिनमें जानवर रह सकें और चरागाह के रूप में भी आगे चल कर काम में आ सकें।

इसी प्रकार से हमारे यहां पर जंगल अगर बनाते हैं तो वहां पर पानी नहीं है। इसलिए जंगलों को पनपाने में सफल नहीं

(श्री लूणाराम)

हो सकते हैं। मेरा निवेदन है कि जैसे ही जंगलों का एरिया लिया जाय, जंगलों के एरिया का ज्यों ही कब्जा लिया जाय, वहां पर कुए खोद कर पानी की व्यवस्था कराई जाय जिससे जंगल जल्दी से जल्दी लगा सकें, नहीं तो जंगलों का काम नहीं पनप सकेगा।

जंगल हमारी तरफ जो लगाये जाते हैं, उनके अन्दर पौधे लगाये जाते हैं,वे एक तरह से कीकर आदि के लगाये जाते हैं। हम चाहते हैं, इस क्षेत्र में जो अधिक पनपने वाले पौधे हैं, सभी प्रकार के पौधे उन जंगलों में लगाये जायं। पौधों के अलावा जो बेलें रक्षा करती हैं जंगल की, वह अच्छी प्रकार की बेलें होती हैं, जो जमीन को अच्छी बनाती हैं और उर्वरा बनाती हैं। जंगलों में पौधे पनप सकते हैं और कई तरह की बेलें होती हैं जो जंगलों में मौके पर अच्छी पनप सकती हैं, मकीजी की बेल, ककड़ी की बेल, यह बेल का फल बड़ा कीमती होता है और काम की चीज है। ऐसी चीजों को लगा सकते हैं, यह जमीन को बिगड़ने से रोकने के लिए भी काम आती है।

इसी प्रकार फलों वाले पौधे हैं, शहतूत, सीमल, आंवला आदि, उपाध्यक्ष महोदय, जो सड़कों के किनारे की जमीन है वह जमीन वन विभाग लेकर वन लगाये फिर सड़कों के किनारे वन लगाये जायं तो जो हमारे क्षेत्र में उजाड़पन नजर आ रहा वह समाप्त हो सकता है।

गांवों के अन्दर वनों के अतिरिक्त किसानों के खेत हैं, उनके अन्दर जो थोड़े बहुत वृक्ष हैं, उनको बुरी तरह काटा जा रहा है। हम कहें कि वृक्ष क्यों काटें-यह विचारणीय प्रश्न है। आज किसान राजी से पेड़ नहीं काट रहा है, वह जानता है कि पेड़ काम के हैं और बड़े अच्छे काम के हैं लेकिन आज अकाल के अन्दर पेट ही दुश्मन बन रहा है। पेट की भूख की मजबूरी से वे काटते हैं और खेती को उपजाऊ बनाने के लिए जो पेड़ हैं उनको काट रहे हैं और कौड़ियों के भाव के अन्दर बाजारों में ले जाकर बेचते हैं। मेरा यह निवेदन है कि यह गम्भीर समस्या है, पेड़ काटने से लोगों को बन्द करने की कार्यवाही हो, जिससे खेती का नुकसान न हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, डिमाण्ड नं० 9 लैंड रैवेन्यू के बारे में मैंने तीन बार कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। प्रथम कटौती के प्रस्ताव के जरिये मैं राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इस ओर कि तहसील सांचोर के अन्दर पावटा विलेज है, जिसमें सिवाय चक की जमीन है, इस जमीन का काश्तकारों को 1965 से 1970 के बीच में एलाटमेंट किया था। एक गुजरात साइड के जागीरदार हैं, जो गुजरात में रहते हैं, उनको जागीर का मुआवजा दिया गया, उस वक्त सूची में यह उन जागीरदार की खुदकाश्त की जमीन लिख दी गई थी, और खुदकाश्त की जमीन के नाम पर इसका एलाटमेंट किया गया था। जागीर कमिश्नर ने खुद काश्त की जमीन एलाट कर दी, उसके बाद 1960 से यह गुजरात में रहते थे इसलिए न मौके पर नामान्तरण कराया, न इसकी इत्तला दी, ऐसी हालत में जो मौके पर पड़त जमीन पड़ी थी,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उसको वहां के शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, हर तरह के लोगों को एलाटमेंट किया था। उसके बाद उन्होंने आकर खुदकाश्त एलाटमेंट के आधार पर लोगों को बेदखल करने की कोशिश की। लोगों ने एतराज किया और राज्य सरकार को प्रार्थना-पत्र पेश किया। उस पर राज्य सरकार ने आदेश जारी किये, जिन लोगों का कब्जा है उस कब्जे में दखलन्दाजी नहीं की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बारे में सारी रिपोर्ट कलेक्टर से राज्य सरकार ने मांगी। कलेक्टर ने इसको देख कर, सारी चीजों को देख कर रिपोर्ट दी, गवर्नमेंट के जरिये एलाटमेंट हुआ था, परमानेन्ट एलाटमेंट की सनदें जारी की थीं, लोगों ने उस जमीन को काबिल काश्त बना दिया। जब जमीन को काबिल काश्त बना दिया उस समय जागीरदार ने आकर इस जमीन को वापस लेने की कोशिश की क्योंकि बाकी जो पड़त जमीन है, उसको काबिल काश्त बनाने में खर्च लगता है। तहसीलदार से मिलावट करके, जिन काश्तकारों के म्यूटेशन भरे हुए थे, उनको सरसरी तौर पर, गैर कानूनी ढंग से म्यूटेशन को काटने की कोशिश की, हालांकि म्यूटेशन में एलाटमेंट के माफिक दर्ज किया जा चुका था। यह एक ग्लेअरिंग केस है कि म्यूटेशन को किस तरह से खारज किया जाता है। म्यूटेशन पर अगर एतराज होता है तो कलेक्टर को अपील होती है। लेकिन धांधली करके उन म्यूटेशंन्स पर लाइन फेर दी गई। मैंने इस ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिये और इसी सदन में माननीय मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि जिन्हें परमानेन्ट एलाटमेंट कर दिया गया है, उनके कब्जे से जमीन को नहीं हटाया जायगा। यह आश्वासन इस सदन में दिया गया था परन्तु उसके बाद भी पुराने जो म्यूटेशन हैं उनको कायम रखने के लिए राजस्व विभाग से आदेश जारी नहीं हुए। ऐसी स्थिति में मैंने इस कट मोशन के जरिये से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। जब से काश्तकारों को एलाटमेंट हुए हैं तब से आज तक सरकार को बीगोड़ी अदा करते हैं और मौके पर उनका कब्जा मौजूद है, और सिवाय चक की जमीन होने के नाते सारी चीज रिकार्ड पर मौजूद है, उसके बावजूद जो गलत कार्यवाही हुई है–उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कलेक्टर और एस. डी. ओ, ने जोइन्ट इन्क्वायरी की, उनको यह ताज्जुब हुआ कि यह गलत कार्यवाही कैसे हुई। उन्होंने रिपोर्ट कर दी गवर्नमेंट को कि काश्तकारों को बेदखल नहीं किया जाय और जागीरदार को इस जमीन का खुदकाश्त की जमीन में एलाटमेंट किया है, वह सिवाय चक को जो पड़त भूमि पड़ी है उसमें कर दिया जाय। उस रिपोर्ट का मकसद यह है कि सिवाय चक पड़त भूमि में जागीरदार को एलाट की जाय। उसमें जागीरदार को भी कोई इन्ट्रेस्ट नहीं है, क्योंकि मिलावट करके स्थानीय वकीलों ने उस जमीन को खरीद लिया है और उस इन्ट्रेस्ट से यह कार्यवाही की गई है। मैं जानना चाहता हूं इस सम्बन्ध में क्या एक्शन लिया है ? अगर नहीं लिया है तो अब क्या एक्शन लेने जा रहे हैं ? इस बारे में फिर दुबारा काश्तकारों को तैयार करके दूसरी जमीन उन्हें देने के लिए आश्वासन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

दिया है और कहा है, आप तैयार हो जाय तो दूसरी जमीन देने को तैयार हैं। लेकिन वह जमीन भी देने की तैयारी नहीं की गई है और एज इट इज काश्तकार काबिज हैं। इसलिए मेरा आपके जरिये, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि उन काश्तकारों को बेदखल नहीं किया जाय क्योंकि वह इतने अर्से से इस पर काबिज हैं और जागीरदार की खुदकाश्त की जमीन का प्रश्न है तो उसको दूसरी जगह पर पड़त जमीन एलाट की जाय। पहला कट मोशन मेरा इस बारे में है। मैं यह स्थिति जानना चाहूंगा कि इतने अरसे में क्या कार्यवाही की गई है और अब क्या कार्यवाही करने सरकार जा रही है? तहसीलदार से रेवेन्यू डिपार्टमेंट फाइल मंगवा कर देखे और कार्यवाही करे। इस मामले में गलत कार्यवाही की गई है पटवारी से मिल कर, लेकिन इस पर एक्शन नहीं लिया गया है। आप इस पर अब एक्शन लीजिये और भूमिहीन काश्तकारों को प्रोटेक्ट कीजिये।

दूसरा मेरा कट मोशन यह है, पटवारियों की संस्था है, जिनके बारे में हजारों तरह की, हर तरह की शिकायतें आती हैं। काश्तकार इन पटवारियों से बहुत पीड़ित हैं। पटवारियों को रखने की मन्शा यह थी कि लैंड रेवेन्यू की वसूली की जाय, एन्क्रोचमेंट को हटाया जाय और गोचर जमीन की सुरक्षा की जाय। राजकीय काम इन्हें दिये गये, उन पर कार्यवाही करने के लिए इन्हें रखा गया। परन्तु यह संस्था इतनी पुरानी पड़ गई है इसलिए इन पटवारियों का क्या किया जाय इसके वास्ते एक कमेटी बनी थी, हरिश्चन्द्र रिफार्म्स कमेटी, उससे इस सम्बन्ध में सुझाव मांगे गये थे और इस कमेटी की रिपोर्ट मांगी थी कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाय। इस कमेटी की राज्य सरकार के पास रिपोर्ट पहुंच गई, उसमें यह है कि इस संस्था को एबालिश करके इसका और इन्तजाम किया जाय। मेरे खयाल में इस प्रकार की रिपोर्ट दी गई है। मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि आज कल के समय को देखते हुए यह संस्था है, बिल्कुल इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि लैंड रेवेन्यू प्रसेस्ड है और काश्तकार इतने ईमानदार हैं, आज काश्तकारों को यह जमा कराने के लिए कहें तो वह जमा कराने के लिए तैयार हैं। इसलिए पटवारियों को क्यों प्रोटेक्ट किया हुआ है? खाते के अनुसार वह वसूली करते हैं, पूरी करते हैं लेकिन उसकी दो रुपया मिनिमम फीस है, नजराना है रसीद काटने की। यह काश्तकारों के ऊपर एक टैक्स लगा रखा है। फिर भी बाद में वह बकाया बताते नहीं और डिमाण्ड नोटिस टाइम पर जारी नहीं करते हैं और हर तरह से काश्तकारों को परेशान करते हैं। आप कहेंगे कि एन्क्रोचमेंट वगैरह हैं, जो लोग एन्क्रोचमेंट करते हैं सिवाय चक जमीन पर, उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? लेकिन कितनी जमीन के एलाटमेंट के लिए उन्होंने गलत रिपोर्ट की हैं, इसका मैं ग्लेअरिंग इन्स्टान्स बताऊं। सांचोर तहसील में गेड़ एक जगह है, वहां पर दो-तिहाई पड़त जमीन है, उसका एलाटमेंट हुआ है। पटवारियों ने मौके पर पड़त जमीन पड़ी है, उसको भूमिहीन काश्तकार हैं उनको एलाट किया जाय, इस तरह की रिपोर्ट करके एलाटमेंट करा दिया....

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह जो पटवारियों ने अलोटमेन्ट करवाये हैं वे गलत करवाये हैं अच्छे मौके की जमीनों को दूसरों को रिश्वत लेकर एलोट की है लोग पहले से ही उस जमीन पर वर्षों से काबिज हैं गलत रिपोर्ट करके अलग अलग करवा दी। राजस्व विभाग से मैंने अभी कुछ दिन पहले सवाल पूछा था उसमें जबाब यह दिया गया है कि वह जमीन झगड़े की है, कब्जे नहीं दे सकते। तो, उपाध्यक्ष महोदय यह झगड़ा तो सारा पटवारियों के द्वारा गलत अलॉटमेन्ट करके किया हुआ है। पटवारी लोग पैसे लेकर गलत अलॉटमेन्ट कर देते है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय जो ज्यादा पैसा दे देते हैं उन्हें अच्छी जमीन आगे की अलॉट कर देते है और बाकी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं, हरिजन हैं उन्हें पटवारियों ने चूंकि उन्होंने पैसे नहीं दिये, खराब जमीन अलोट कर दी हैं। वहां पर जो अलोटमेन्ट पटवारियों द्वारा गलत रिपोर्ट पर किया गया है वह गलत किया गया है और जो भी मन्त्री महोदय जवाब देते है, उनकी गलत रिपोर्ट पर देते हैं। अतः मैं तो यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार उन पटवारियों के खिलाफ एक्शन ले लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि राज्य सरकार इन पटवारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती हैं। आज पटवारी लोग ऐसा करते हैं कि अगर कहीं 500 व्यक्तियों को लैण्ड अलॉट करनी है तो वे वे जो उन्हें पैसा अच्छा देते हैं उन्हें अच्छी जमीन दे देते हैं चाहे वह जमीन पहले किसी व्यक्ति को अलॉट की हुई हो और जमीन पर काश्त करता है तो वे कहते हैं कि लोग जमीन पर एनक्रोचमेन्ट करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर आल रेडी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग वर्षों से काश्त कर रहे हैं उन पर झूठा चार्ज लगाया जाता है मैं तो कहूंगा कि इन पटवारियों के खिलाफ में स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिये। इसी प्रकार गोचर भूमि के बारे में। है यह पटवारी लोग गोचर भूमि दूसरों से पैसा लेकर उन्हे अलोट करवा देते हैं। लोग वहां पर पांच सात साल तक काश्त करते रहते हैं नाजायज फिर बाद में पटवारी उन्हें वह जमीन अलोट करवा देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय आज इन पटवारियों से काश्तकार इतना परेशान हो गया है कि उनका जिन्दा रहना मुश्किल हो रहा है। ये गांव वालों को बहुत ही परेशान करते हैं आपने विलेज सर्वेन्ट्स को और गांव चौकियों को अबोलिश किया लेकिन आज स्थिति यह है कि यह पटवारी लोग जिस तरह से पुराने समय लोग बेगार लेते थे उसी तरह से भांभियों से बेगार ली जाती है। मैं तो यह निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आपने दूसरे विलेज सर्वेन्ट्स को खत्म किया है उसी तरह इन पटवारियों को सबसे पहले समाप्त करें। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसके बदले कोई अलग सिस्टम निकालिये। आज डेमोक्रेसी के सेट अप में आपका यह पटवारी बिलकुल ही बेकार है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में दूसरे सिस्टम इवोल्व कर सकते हैं। आज आप इन पटवारियों की हालत को देखिये। इन्होने बड़े-बड़े

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मकान बना लिये है, बड़े बड़े खेत बना लिये है उनके विरुद्ध जांच की जाय कि इतना पैसा इनके पास कहां से आया,

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जैसा कि मैंने मेरी मांग के अन्दर रखा है आप इन पटवारियों को तुरन्त खत्म करिये ।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा कट मोशन है वह है जिला जालोर में जिन लोगों को भूमि आवन्टित हो चुकी है उन्हें जल्दी से जल्दी कब्जा दिलवाने के बारे में राज्य सरकार की कार्यवाही जल्दी करके आवण्टित भूमि की सनदें उन लोगों को शीघ्र दिलवाने की व्यवस्था करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि आज जालोर जिले में जमीनों को वापस सैटलमेन्ट कराया जाना चाहिये। वहां पर आप सैटलमेन्ट की पार्टी भेज दें तो ठीक रहेगा । इससे यह होगा कि जितने भी गलत अलोटमेन्ट हुए हैं और कई जगह एन्क्रोचमेन्ट हुए है उनको ठीक करने की आवश्यकता है। आज कई गलत अलोटमेन्ट हुए है उसको तुरन्त ठीक करते की आवश्यकता है। वैसे कलेक्टर सांचोर ने रेवेन्यू बोर्ड को भी इसके लिये लिखा हैं कि इस एरिया का वापस सैटलमेन्ट होना चाहिये और बाद में लोगों को कब्जा दिलाया जाना चाहिये इसके अलावा मेरा एक कटौती का प्रस्ताव है कि तहसील सांचोर में करिया ग्राम के रिकार्ड में सात गांवों के अलग रेकार्ड में नाम दर्ज करने पर चर्चा करने के लिये दिया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, सात गांव हैं और दो पटवार सर्किल बने हुए है उसमें सात गांवों की वास्तव में बाउन्ड्री अलग अलग है लेकिन एक का नाम दूसरे और दूसरे का नाम एक में है इसके अलावा एक ही का दोनों जगह पर नाम है । यह अलग अलग दर्ज होना चाहिये। इसके लिये राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि इनका अलग अलग गांवों में नाम रिकार्ड किया जाना चाहिये । इसके अलावा मैंने, उपाध्यक्ष महोदय बनों के विकास के लिये भी ध्यान आकर्षित किया है और वहां पर डी० एफ ओ० भी रहने लगा है उपाध्यक्ष महोदय हमारे इधर वनों के डेवलपमेन्ट की बहुत गुन्जाइश है । मेरा निवेदन है कि वनों का डेवलपमेन्ट किया जाना चाहिये। इसके अलावा वहां पर हिल्ली एरिया का भी डेवलपमेन्ट करने की आवश्यकता है। मेरा राज्य सरकार को निवेदन है कि वहा पर सर्वेक्षण करा उनका डवलपमेन्ट किया जाना चाहिये । इसी प्रकार जो गोचर है उसका भी विकास करने की आवश्यकता है । आज लगातार चार साल से फेमीन पड़ रहा है। आप सिर्फ रोड्स की तरफ ही पहले ध्यान देते हैं राज्य सरकार को चाहिये किस तरह से इसका विकास हो सकता है वह करे। उसके लिये स्कीमें बनायी जायं। इसके

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

अलावा मेरा निवेदन है कि वहां पर घास का डवलपमेन्ट किया जाना चाहिये। अगर वहां पर खार के पानी का क्षेत्र है तो जिस प्रकार गुजरात सरकार ने कच्छ में इसके डवलपमेन्ट के लिये रास्ते निकाले हैं, उसी प्रकार हमारे यहां पर डवलपमेन्ट किया जाना चाहिये।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ एनक्लोजर्स के बारे में निवेदन करूंगा। आज फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के जो फोरेस्ट गार्ड हैं वह इसमें काफी गड़बड़ियां करते हैं जिससे वहां की मवेशियों को बहुत ही परेशानी होती है। वे जब चाहे तब एक एन्क्लोजर को खोल देते हैं और जब चाहें जब बन्द कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो अनियमितता फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है उसे रोका जाना चाहिये। राज्य सरकार को कानून बनाना चाहिये इसके बारे में। कुछ नियम बनाये जाने चाहिये एनक्लोजर के लिये। आज गावों में इस धान्धली से काफी झगड़े पैदा हो रहे हैं। मेरा राज्य सरकार से इस बारे में निवेदन है कि उनको रोटेशन में खोलें ताकि किसी प्रकार का झगड़ा-फसाद नहीं हो और आज जो झगड़े हो रहे हैं वे सभी समाप्त हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं कुछ फोडर के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने फोडर के लिये जोड़ रखे थे इस जालोर जिले में, लेकिन मैं आपके मारफत राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कितना घास जमा किया है और कितना घास जो जमा किया गया था वह फेमीन में कहां पर काम में लिया गया है। मेरे खयाल से फेमीन में एक क्विन्टल भी घास लोगों को नहीं मिला है। तो मेरा राज्य-सरकार से यह निवेदन है कि ऐसी स्कीमें बनायें जिससे कि घास ज्यादा से ज्यादा पैदा हो सके। आपके विभाग ने फेमीन कमेटी के समक्ष क्या योजनाएं रखी हैं। आज कोई भी स्कीम नहीं है। मैं बार बार इस सदन में कहता आ रहा हूं कि आपको इन विकास की ओर ध्यान देना चाहिये। वन विभाग का काम है कि इनका विकास किया जाय और उसके लिये सर्वेक्षण कराया जाना चाहिये। मेरा उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन है कि फेमीन के लिये आपको ऐसे काम हाथ में लेने चाहिये, ऐसे कामों को प्रायोरिटी देनी चाहियें, जैसे इर्रीगेशन, सोइल कन्जरवेशन के काम इनको प्रायोरिटी देनी चाहिये और लास्ट में आपको रोड का काम हाथ में लेना चाहिये। यहां पर केन्द्रीय सरकार की स्टडी टीम भी आयी। उसने भी ऐसी स्कीमों को प्रायोरिटी देने का कहा है। परन्तु विभाग कोई स्कीम बनाकर पेश नहीं कर रहा है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, आज वन विभाग के पास सैंकड़ों की तादाद में शिकायतें आयी हुई हैं कि मवेशियों को चरने के लिये एनक्लोजर्स खोले हुए नहीं है। मेरा यह निवेदन कि फेमीन डिपार्टमेन्ट को क्यों न यह आदेश दे दिये जायें कि अभी फेमीन है इसलिये इन एनक्लोजर्स को खोल दिया जाय मवेशियों के चरने के लिये। और जो धान्धली फोरेस्ट विभाग के कर्मचारियों की जोड़ों के एनक्लोजर्स को खोलने में बरती जा रही है उसे समाप्त

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

किया जाय राज्य सरकार द्वारा एक सरक्यूलर इश्यू करके इसकी व्यवस्था तुरन्त की जाय ताकि मवेशियों को चरने में कोई दिक्कत नहीं हो। बस मैं इतना ही निवेदन करके मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उन सबको सदन में प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अजीतसिंह।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मौजूदा सरकार को और हमारे राजस्व मंत्रीजी को मैं धन्यवाद दूंगा कि कम से कम मेरे जिले में तो भ्रष्टाचार कम हुआ है। यह खुशी की बात है।

लेकिन इसके साथ यह भी निवेदन करूंगा कि थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार है वह नीचे के कर्मचारियों में है। पटवारी है, गिरदावर हैं इनमें रह गया हैं। तहसीलों में जो बैठे हुए गिरदावर और पटवारी हैं उनको बदलने का प्रस्ताव था। जहां अभी तक हैं वहीं बैठा रखे हैं और उनको आपने बदला नहीं है। एक ही तहसील में जो अर्से से बैठे हुए हैं उनको दूसरी तहसीलों में भेजने की पहले व्यवस्था थी उनको वापस चालू करें तो अच्छा होगा।

टोंक में नया सेटलमेन्ट हुआ 235 गांवों में। इसको 1 जुलाई, 71 से लागू किया है जब कि पर्चे 1-7-72 को बांटे गये हैं। अब इस प्रकार से बकाया की वसूली हो रही है। एक साल पहले की ही सेटलमेन्ट लगान लगा दी। आपने भू-विभाग की प्रगति का विवरण भी दिया है। आज वहां पर वसूलात के लिये पटवारी लोग परेशान कर रहे हैं इस पर आप गम्भीरतापूर्वक विचार करें और इससे आप हम लोगों को मुक्ति दिलायें तो कृपा होगी।

दूसरा आपने सेटलमेन्ट केसेज को सुनने के लिये रखा है। वहां पर वे लोग पूर्ण समय देते नहीं है। काश्तकार चक्कर खाते हैं और परेशान होते हैं। इसलिये उनके केसेज का शीघ्र निपटारा होना चाहिये जो कि आज नहीं हो रहा है क्यों कि पूरा टाइम रहते नहीं। लगान वसूली तो शुरू हो गयी। किसी को रसीद दी और किसी को नहीं। रिकार्ड ठीक हो नहीं पाया। इन्द्राजात ठीक हो नहीं पाये। वसूली हो रही है। न तो पटवारी के पास रिकार्ड है जिसको समझ सके। इसलिये वहां पर स्टाफ मुकर्रर किया है उसको पूरा का पूरा टाइम देने के लिये कहें जिससे कि वे हमारे उजरात को सुन सकें और उनको निपटा सकें इससे काश्तकारों को राहत मिलेगी और रकम कम ज्यादा देने की जो दिक्कत है वह भी मिट जावेगी।

दूसरा आपने 2,95,355 रुपये लगान के बढ़ाये। यह आपने बढ़ाया। जो कानून से होता है वह होगा ही। कोई सोच कर तरीका निकालें कि जिससे सारे राजस्थान में समान रेट बन कर तैयार हों। किसी तहसील में क्या रेट और किसी तहसील में क्या रेट। यह समझ में नहीं आता है। एक ही तरह की रेट की वसूली हो तो अच्छा है। पहले भी आश्वासन दिलाया था। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिये निवेदन करूंगा कि आप एक योग्य मंत्री

(श्री अजीतसिंह)

है। इस पर पूर्ण विचार करें और कोई वैज्ञानिक तरीका निकालें जिससे समानता आये और लोगों को न्याय मिल सके।

एक मेरा निवेदन यह है कि अलाटमेन्ट के अन्दर बड़ी परेशानी हो रही है। नदी और तालावों में अलाटमेन्ट होता है नदी का तो पांच साल के लिये कर दिया। नदी का धोरा बदलता रहता है। इधर धोरा फिर गया तो पानी मिलने वाला नहीं है। काश्तकारों को नदी के किनारे पर अलाटमेन्ट मिले तो फिर भी चान्स है वरना तो अलाटमेन्ट वाले तो रह गये और नया रास्ता नदी बना लेती है वहां लोग आ जाते हैं, बाद में आने वाले लोग कब्जा कर लेते हैं और काश्त शुरू कर देते हैं। तालावों में जो जमीन निकलती है तो उनका समय पर अलाटमेन्ट नहीं होता है। तहसीलदार, एस० डी० ओ० से निवेदन किया। टाइम पर पहुँच नहीं पाते हैं। मंत्रीजी काश्तकार होने के नाते समझ सकते हैं। जमीन सूख जाती है तो काश्त होना मुश्किल है जमीन सूख जावेगी और काश्त कर दी तो पेनेल्टी लागू हो जाती है। इसलिये समय पर ही अलाटमेन्ट होता रहे तो उपयुक्त होगा।

चरागाह के लिये निवेदन करूं कि लोगों ने जबरदस्ती चरागाहों पर कब्जा कर लिया है। जिला प्रशासन से निवेदन करने पर भी उनसे कब्जे हटाये नहीं गये। लोग नया कब्जा करते चले जाते हैं। पंचायत वसूली नहीं करती है कोई नियम बनायें कि जिससे चरागाह महफूज रहें और जनता को चरागाहों से राहत और सुविधा प्राप्त होती रहे।

घोषित चरागाह वर्षों से पड़े हुए हैं। घोषित चरागाह पूरे चरागाहों में तबदील नहीं हो जाते तब तक उनका अलाटमेन्ट हो जाता है और उससे हमको बड़ी परेशानी होती है। फिर हमको दौड़ना पड़ता है। इसके लिये निश्चित रूप से निर्णय किया जाय। कई चरागाह कमान्ड एरिया में आ गये। जमीन तो रह गयी ऊपर और नहर आगयी नीचे। चरागाह जो कमान्ड एरिया में आगये हैं उनको काश्त करने को सुविधा दें। जैसा भी उचित समझें कार्यवाही करें, नहरें और बांध बनायें उनका उपयोग नहीं हो सकेगा। चरागाह काश्त नहीं हो सकते इससे काफी काश्तकारों को नुकसान हो रहा है। न तो सरकार को फायदा होता है और न ही रहने वालों को फायदा होता है।

नामांकन भरने में पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। पटवारी कहता है सरपंच नहीं भरता। सरपंच कहता है कि पटवारी नहीं आता है। उलझनपूर्ण स्थिति हो गयी है। बेटे के नाम से वसूलात होती रहती है। दो तीन भाई होते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं कौन दे। इसके लिये कोई तरीका अपनाया जाय कि नामांकन भर कर फिर लगान वसूल हो जिससे किसान को आराम मिले और रजिस्ट्री लगे। सरपंच और पटवारी दोनों की लापरवाही है और इसके लिये दोनों ही जिम्मेदार हैं। कहा किसको जाय समझ में नहीं पड़ता। इसके लिये तरीका निकालें।

(श्री अजीतसिंह)

सिंचित भूमि की रेट के लिये निवेदन करूंगा। छोटे-छोटे बांध पंचायत समितियों में टूटे पड़े हुए हैं। कोई पांच साल से टूटा पड़ा है तो कोई आठ साल से टूटा पड़ा है। सेटलमेन्ट हुआ था तो बांधे थे। अब टूट गये हैं तो या तो सरकार बांध कर तैयार कराये या पानी न मिले जमीनों को तब तक रेट कम कराई जाय। ऐसा तरीका निकालें जिससे किसानों को तकलीफ न हो तो अच्छा है।

वन विभाग के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। टोंक शहर के वन विभाग नजदीक आगया है। नजदीक क्या आगया है शहर में आगया है। वन विभाग के अन्दर वहां पर एक पेड़ नहीं है। जबरदस्ती तार लगा कर खम्बे खड़े कर दिये गये हैं। सिवाय आने जाने की परेशानी के और कुछ होता नहीं। शहर में वन विभाग रखना तो अच्छा नहीं है और भी कई जगह पड़ी हुई है। बस्ती के पास वन विभाग का रहना यह समझ में नहीं आता है। शहर से दूर रहे तो उसकी रक्षा भी हो सकती है। लोग-बाग जाते हैं और पेड़ काट कर ले आते हैं। आप रोक नहीं सकते हैं। क्योंकि उनके घरों के नजदीक है इसलिये काट लाते हैं। आपको इससे खर्चा भी होता है, लोगों को परेशानी होती है और इसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है। इसलिये वन को शहर से दो मील दूर रखा जाय तो अच्छा है।

दूसरे जो नंगे पहाड़ हैं, उन पर पेड़ लगाने की व्यवस्था नहीं हो पावेगी तब तक उनका कोई उपयोग नहीं होगा। उनके लिये हम चाहें कि पुराने तरीके से वन लगाये जावें और सारी कार्यवाही उसी तरह से होती रहे, यह तो अब होने वाली नहीं है। पेड़ लगवाने पड़ेंगे। नरसरी लगवानी पड़ेगी। फलदार पेड़ लगवाने पड़ेंगे।

सड़कों के किनारे जो पेड़ लगे हैं पी. डब्लु. डी. वाले उनकी केअर करते नहीं हैं। पहले के भी अच्छे पेड़ नष्ट हो गये हैं। तो वन विभाग को यह काम भी अपने हाथ में ले लेना चाहिये क्योंकि उनके पास इस विषय के एक्सपर्ट होते हैं। वे वहां अपनी नर्सरी से ले जा कर अच्छे फलदार पेड़ भी लगा सकते हैं, उनको बाद में ठेके पर देकर उनसे आमदनी भी की जा सकती है। इसके अलावा आवागमन के समय लोगों को शुद्ध हवा का लाभ भी मिलता रहेगा। आबहवा पर भी इसका असर पड़ेगा। आमदनी भी सरकार को होगी। नहीं तो आज तो सड़कों पर लगे पेड़ों से कोई लाभ नहीं है। हवा भी उनसे नहीं मिलती, और छाया भी नहीं पूरी हो पाती।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगराज चौधरी !

(अनुपस्थित)

श्री श्री राम गोटेवाला !

(अनुपस्थित)

श्री मोहनलाल छंगाणी !

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : मेरा भी कटोती प्रस्ताव है राजस्व के बारे में।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐतिहासिक दृष्टि से देखता हूं तो लगता है कि आज हमारे और टोडरमल के युग में कितना अन्तर है ? इन दो युगों के बीच लकीर खींचना मेरे लिये मुश्किल है । सिर्फ परिवेश में फर्क जरूर हैं बाकी सब वही है । आज किसी के पास पेंट दिखता है और कसी के चश्मा लगा है । दृष्टिकोण में कोई अन्तर नहीं है । दृष्टिकोण वही पुराना चल रहा है ।

श्री हरिदेव जोशी : शुक्र है कि इतना तो मानते हैं ।

श्री मोहनलाल छंगाणी : 22 रोज इकट्ठे हुए । हमने इसको किस तरह का दोष देने का प्रयत्न किया, इसकी डिटेल में मैं नही जाना चाहूँगा । रेवेन्यू लाज कमीशन इसके लिये बैठा था । जिसे भंडारी कमीशन के नाम से जाना जाता है उसने कुछ रिकमण्डेशन कीं । टिनेन्सी लाज के बारे में । टिनेन्सी में सुधार करने का इतिहास लम्बा है । 65 में यह रिपोर्ट आई, सलेक्ट कमेटी में उस पर आधारित कानून बना । सदन में भी आया । पर उसको लेप्स किया गया जान बूझकर । उस समय इस पर कानून में संशोधन नहीं हो सका ।

इसके बाद पिछली असेम्बली में भी टिनेन्सी लॉ आया । वह भी सलेक्ट कमेटी में गया । वह भी लेप्स हो गया । अभी फिर बनी है कमेटी पता नहीं उसकी कितनी सिटिंग्स हुई हैं और उसने क्या किया है । उसकी प्रगति के बारे में कुछ पता नहीं । तो यह टिनेन्सी लॉ का इतिहास हमारे सामने से गुजरा।

दूसरी बात की गई । वह थी लैंड रेवेन्यू में रिफार्म्स की बात । इसमें खास मुद्दा था सेपरेट लैण्ड मैनेजमेन्ट बोर्ड की स्थापना करने की लोगों की आशा थी कि किसी तरह से रेवेन्यू विभाग के विकास के साथ इसको जोड़ पावें तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी । इसको लेकर भण्डारी कमीशन ने अपनी सिफारिशें की थीं कि आज जो लैंड मैनेजमेन्ट है जिसमें जूडिसियरी भी और सभी शामिल हैं उसे तोड़ा जावे । एक नया लैंड मैनेजमेन्ट बोर्ड स्थापित किया जावे जिसके पास लैंड का रिकार्ड हो, रेट का रिवीजन हो और जिस के साथ डवलमेन्ट के मामले भी हों । यह भण्डारी कमीशन ने मोटे मोटे तौर पर कहा था । उसके मेम्बर रेवेन्यू सेक्रेटरी बोर्ड के चेयरमैन, राजस्व विभाग के डायरेक्टर, एग्रीकल्चर, एनीमल हस्वेण्डरी के डायरेक्टर आदि हों । विकास की तरफ इसका बहाव बने कोशिश यह की गई ।

दूसरी बात, जो कही गई वह पटवारियों के बारे में थी । अगर भ्रष्टाचार की नींव कहीं है तो थानेदार और पटवारी दो हैं अगर इन पटवारी और थानेदार के बारे में नीति निर्धारित नहीं की गई तो निश्चित तौर से भ्रष्टाचार को निर्मूल करने की आशाएं समाप्त हैं । उसने यह भी कहा कि आज जिस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन करवा रहे हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज यहां अधिक से अधिक रेवेन्यू का कलेक्शन 9 करोड़ रुपया हुआ है एक साल में । चार साढ़े चार करोड़ से अधिक वह पहले नहीं रहता

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

था। टोटल 9 करोड़ तक पहुंचा है। एवरेज 6 करोड़ का है। इसमें से तीन करोड़ कलेक्शन चार्जेज के रूप में पटवारियों की संख्या पर खर्च आ जाता है। इस तरह से यह कोई लाभकारी चीज नहीं है। इस पटवारी प्रथा को शीघ्र से शीघ्र समाप्त किया जावे। दूसरा तरीका लैंड कलेक्शन का ईजाद किया जावे जिससे कि रेशनेलाइजेशन हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है कि आज जो नई तरह की फार्म टेकनिक आई है जैसे कि मन्त्री महोदय उससे परिचित हैं। जैसे कृषि की टेकनोलोजी नई आई है तो टैक्स का भी नया तरीका निकाला जावे। इसके लिये कहा गया कि इनकी आमदनी जो बाजार में आवे उस सरप्लस आमदनी पर टैक्स लगाया जावे, इससे पांच सात करोड़ की आमदनी हो सकती है। जो थोक व्यापार सरकार इसका अपने हाथ में लेने जा रही है तो उसके ऊपर जो आमदनी हो उस पर टैक्स लगाया जावे।

टोडरमल के युग का चला आया लैंड रैवेन्यू कलेक्ट करने का तरीका पुराना हो चला अब उसकी आवश्यकता नहीं है। इस पर विचार करना चाहिये। नया तरीका निकालना चाहिये ताकि हमारी आमदनी भी बनी रहे और यह जो भ्रष्टाचार का नमूना पटवारी के रूप में गांव गांव में हमने रख रखा है उसे समाप्त कर सकें। इसके लिये भण्डारी कमीशन ने सिफारिशें की थी लैंड रेवेन्यू एबोलिशन की सिफारिश उसने जरूर नहीं की पर यह कहा कि कलेक्शन का तरीका दूसरा नहीं निकालना चाहिये। भंडारी कमीशन ने भी पटवारी प्रथा को खत्म करने की सिफारिश की थी। इसे तो मन्त्री महोदय को मानना चाहिये। इससे बरकत साहब की घोषणाओं में सबसे बड़ा कन्ट्रीब्यूशन आप करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: सीलिंग से तो आपने कर दी।

श्री मोहनलाल छंगाणी: यह दूसरी बात है। यह लैंड मैनेजनेन्ट की बात सबसे महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि इस बारे में सरकार ठोस कदम उठावे और इस सदन में घोषणा करे कि हम इन सिफारिशों पर अमल करना चाह रहे हैं और एक लैंड मैनेजमेन्ट बोर्ड की हम स्थापना करने जा रहे हैं। फार्मर्स डवलपमेन्ट सोसायटी, कन्सोलिडेटेड आफ लैंड होल्डिंग्स आदि के बारे में कुछ करना चाहते हैं। आज पंजाब, हरियाणा कन्सोलिडेटेड लैंड होल्डिंग्स कर चुके हैं। हम उनके इर्द-गिर्द पहुँच भी नहीं पाये हैं।

फिर जहां जहां इरिगेशन डवलप हुआ है उसके आसपास तो कन्सोलिडेशन हो जाना चाहिये। अगर लैंड मैनेजमेन्ट बोर्ड बने तो लैंड यूटीलाइजेशन का इम्प्रूवमेन्ट कर पावेंगे। इस पर गहराई से सोचना चाहिये। इस सम्बन्ध में आप शीघ्र ही निर्णायिक कदम उठावें तब इस रेवेन्यू विभाग का दृष्टिकोण जो सदियों पुराना है, वह बदलेगा और डवलपमेन्ट के साथ कदम ब कदम आप चल सकेंगे।

रेंट का रेशनेलाइजेशन भी अभी आपने नहीं किया। चाही का जोधपुर में एक रुपया है, पाली में कुछ और है, कोटा

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
में कुछ और है अभी तक राजस्थान बनने के बाद हम इस रेन्ट का, रेशनेलाइजेशन भी नहीं कर पाये हैं। यह कितना बड़ा मजाक है। इसे शीघ्रता से किया जावे। नहीं तो जो टार्गेट आपने फिक्स किये हैं डवलपमेन्ट के और अपनी रेवेन्यू के वे तीन चार छः महीने क्या पांच साल दस साल का समय ब्रह्माजी का समय आपको दिया जा रहा है, इस समय में पूरा तो करिये, नहीं तो स्थिति आप के काबू से बाहर हो जावेगी। रेशनलाइजेशन को करिये। आज एक बारानी की जो रेट है, कहीं कुछ है और कहीं कुछ है। दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय नम्र निवेदन करूंगा लैन्ड सीलिंग लाये पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स, मार्जिनल फार्मर्स, और स्मॉल फार्मर्स इन पर लैन्ड रेवेन्यू शीघ्र से शीघ्र माफ कर दिया जाय। यह सिर्फ एक ढर्रा है क्योंकि हमें पटवारी को कायम रखना है, हमें डिपार्टमेंट को कायम रखना है। बाकी किसी का कोई योगदान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब जो पास बुकों की बात है वह हम अभी वितरण भी नहीं कर पाये जिसे एक रेकार्ड आफ राइट की संज्ञा दें। जिससे बराबर रेकार्ड मिले, पटवारी से छुटकारा मिले। जो. डेट्स लेते हैं उसमें लिखा रहेगा जब मैं कभी वापस जाऊंगा तो लैन्ड रेकार्ड पूरा का पूरा साइन हुआ मिले। न पास बुक वितरण हुई है और न रेकार्ड आफ राइट की संज्ञा दी है। हमें कापरेटिव बैंक से करजा लेना है तो पटवारी को चार रुपये देने पड़ेंगे, पांच रुपये देने पड़ेंगे और यहां के माननीय सदस्य तक देते हैं, यह स्थिति है। पटवारी भ्रष्टाचार की जड़ है। मेरा खयाल है चौधरी साहब काफी इस मामले में समझते हैं और दूरदर्शी हैं वे शीघ्र ही इनसे छुटकारा दिलायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा बोल दूं एक जो सरक्यूलर निकला था वह 1971 में निकला था वह सरक्युलर था जिन लोगों ने जिन गांवों में रिहायशी मकान बना लिये हैं उनको रेगूलर कर दिया जाय। अभी तक उनके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरा खयाल है माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे, चिन्तन करेंगे, जो रिहायशी मकान जिन गांवों में बना लिये है और जो सरक्यूलर इस सम्बन्ध में जारी हो चुका है उसको क्रियान्वित करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं थोड़ा सा वन विभाग के बारे में बोल लेता हूं। वन विभाग के बारे में कम बोलूंगा, क्योंकि उसका ज्ञान मेरे पास कम है फिर भी मेरा थोड़ा सा जो खयाल है उस पर निवेदन कर दूं।

श्री भोपालसिंह : वन विभाग के बारे में मैं बोलूंगा। मुझे ज्यादा ज्ञान है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हमारी वनों की तरफ कोई दृष्टि नहीं है। आज जितना विज्ञान डवलप हुआ है उसके अनुसार हम वनों को डवलप कर सकते हैं। इसका भी एक इकोनोमिक फेक्टर है, अगर वन ज्यादा नहीं रहे और आदमियों की तादाद ज्यादा बढ़ती गई, खेती की जमीन ज्यादा बढ़ती गई, चरागाह बढ़ते गये तो मैं समझता हूं राजस्थान में उसी जगह पहुंच जायेंगे कि जन-जीवन दुखी हो

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
जायगा, अगर वन विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया तो।

केलिफोनिया में वन लगाने को बात अभी मैंने पढ़ी। वहां वन लगाने में पागलपन की तरह लगे रहते हैं। यहां तो अपने फिक्सेसन के बारे में और अपने पर्स के बारे में लगे रहते हैं। केलिफोर्निया में हजारों बीघा जमीन पर एक आदमी ने जंगल लगा दिये। आज फलौदी क्षेत्र की बात करता हूं–फलोदी एक सूखा क्षेत्र है लेकिन आज विज्ञान की देन है कि हम उस सूखे क्षेत्र में वृक्ष लगा सकते हैं। जब वहां बबूल की बात चल रही थी तो मैंने बताया युक्लिप्ट्स भी लगाया जा सकता है जो सूनी जमीन पड़ी है और डेनसिटी है वहां इसको डवलप किया जा सकता है। मेरे पास जैसलमेर के साथी भी बैठे हैं वहां बड़े पैमाने पर तार लगाकर जंगल में कनवर्ट कर सकते हैं। पर इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। जैसे फोडर बैंक है आज प्रोजेक्ट मेकिंग मशीनरी कदम जंगलात महकमे में कितनी कितनी कहां कहां बनाई। इसमें सेन्ट्रल गवर्नमेंट से भी पैसा मिल सकता है लेकिन प्रोजेक्ट मशीनरी जंगलात में बहुत कम है। वह केवल ढर्रे से चलती है इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा जो रेगिस्तानी एरिया हमारे यहां बहुत बड़े पैमाने पर है–विज्ञान ने काफी इस मामले में उपलब्धि कर ली है। हम बबूल और युक्लिप्ट्स लगा सकते हैं और सारे राजस्थान की जो समस्या है चारे की वह केवल एक अकेले जैसेलमेर से ही हल कर सकते हैं, उसको क्रियान्वित क्यों नहीं किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा।

श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्व और वन विभाग के कुछ कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं। उस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा भू-राजस्व सम्बन्धी जब कि आज दो साल पहले बूंदी जिले में सेटिलमेंट हुआ उस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं–1971 से भू राजस्व सम्बन्धी जो सेटिलमेंट केशोरायपाटन, हिन्डोली, तालेरा में हुआ उस सम्बन्ध में जिस प्रकार से सेटिलमेंट करने के लिये अधिकारीगण वहां पहुंचे, उन लोगों ने जो सेटिलमेंट दो साल बाद किया जाता, एक घर में बैठकर एक स्थान पर बैठकर सब कर लिया जिससे जिन किसानों के नामान्तरकरण होने चाहियें और जिनको मरे कई वर्ष हो चुके वह अभी तक नहीं हुए हैं। दूसरी बात जो किस्म के हिसाब से बदली हुई जमीन है वह कहां कहां है और कितनी कितनी है। केवल एक मकान में बैठकर सेटिलमेंट कर लिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह बूंदी की चार तहसीलों में घोटाला हुआ है। इस सम्बन्ध में सारे जिले के किसानों में भंयकर रोष है। क्योंकि जमीन को बदलना, लगान को बढ़ाना और जमीन जिसके नाम थी उसके नामान्तरकरण नहीं खोलना यह नहीं हो तब तक वहां के किसान कापरेटिव बैंक से कर्जा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिये निवेदन करना चाहूंगा जिस प्रकार से जमीन की किस्म बदली और लगान सेटिलमेंट के प्रावधान में 20 प्रतिशत अधिक से अधिक बढ़ना चाहिये लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं जिसका एक रुपया लगान है उसके 5 रुपये हो गये। इतना बड़ा भारी लगान, एक किसान को कितना भार पड़ गया ! मैं आपसे निवेदन करूं

(श्री नंदलाल बैरवा)

वही किसान खुशहाली कर देता है, वही किसान सर चार्ज देता है, वही किसान पिलाई देता है और वही किसान लगान भी देता है। इस प्रकार एक किसान पर 5-5, 6-6 तरह के नोटिस दिये हुये हैं। अगर दो साल किसान नहीं देता है तो उसकी कुर्कियां की जा रही हैं।

इन सारी परिस्थितियों को देखकर जिला कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि राजस्थान सरकार से मिलना चाहिये और उपाध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में बूंदी जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मण्डल जयपुर में आया और राजस्व मंत्री से व मुख्य मंत्री जी से मिला। राजस्व मंत्री जी ने इस बात का आश्वासन दिया कि आपके जिले की जो सेटिलमेंट में घोटाले हुये हैं और जो लगान वृद्धि हुई है उसको देखेंगे। जो जमीन की किस्म चम्बल के किनारे आई हैं उसको फर्स्ट जमीन में डाल दिया गया है। इस लगान वृद्धि को लेकर जिले में भारी असन्तोष का वातावरण है। अभी राजस्व मंत्री जी के आदेशों से उसकी जांच होनी थी। वह वहां के सरकारी अधिकारियों से मिले और वापस आये। अभी तक किसी-किस्म की जांच नहीं की। इसी लक्ष्य को लेकर अभी कुछ ही दिन पहले जिला प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी और उसमें कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार ने जो बूंदी जिले में सेटलमेंट किया है उसके अन्दर इस प्रकार से लगान को बढ़ाना, एक जगह बैठकर सारी किस्म को चेन्ज कर देना, इन सारी चीजों की राज्य सरकार जांच करे। इस मसले को लेकर एक आन्दोलन की तैयारियां की हैं। वह ब्लॉक लेवल पर आन्दोलन करेंगे क्योंकि वह राज्य सरकार से मिल चुके हैं और राज्य सरकार ने जिस प्रकार से आश्वासन दिया था वह अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि राजस्व मंत्री जी इस मामले में बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही चारों जगह अलग अलग आफिसर्स भेज कर जिस प्रकार से लगान वृद्धि की गयी है और जमीन की किस्म अनाप-शनाप चेन्ज की गयी है उसकी जांच करवायेंगे, और साथ ही साथ जिन लोगों ने इतने गड़बड़ घोटाले किये हैं उनकी भी जांच की जानी चाहिए क्योंकि जिन लोगों के नामान्तरण के सम्बन्ध में सेटलमेंट होने के पहले कहा गया तो कहा जाता था कि इस सेटलमेन्ट में हो जायेंगे लेकिन यह नहीं हुआ। इस प्रकार से जो सेटलमेन्ट बूंदी जिले में किया गया उसकी राज्य सरकार पूर्ण रूप से जांच कराके जो भी न्यायपूर्वक जितना लगान 20 परसेन्ट जो वाजिब बढ़ाने वाली है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही साथ वहां पर किसान दो प्रकार से दबे हुए हैं। जो किसान खुशहाली टैक्स दे उसकी जमीन की किस्म भी बदली जाये। यह दोनों चीजें साथ ही साथ नहीं की जानी चाहिए। या तो खुशहाली टैक्स लिया जाना चाहिए या उसकी जमीन की किस्म को बदलना चाहिए। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके मार्फत राजस्व मंत्री जी से निवेदन है कि दोनों बातों की जांच करवाई जानी चाहिए कि जो किसान खुशहाली टैक्स देते हैं उनकी जमीन की किस्म भी बदली गयी या नहीं। यह मैं निवेदन करता हूं कि बूंदी जिले के किसानों को न्याय दिलाने के लिए जल्दी से जल्दी इसकी जांच करवाई जानी चाहिए।

(श्री नंदलाल बैरवा)

दूसरी बात यह है कि उस जिले में कई स्थानों पर अलाटमेन्ट किये गये लेकिन मैं उदाहरण पेश करूंगा कि बूंदी में राजस्व मंत्री जी आये थे उस समय भी आपके सामने रखे थे, लेकिन उस पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गयी। तहसील नैनवा के अन्दर ग्राम गेई में कई वर्षों तक प्रयत्न करने के बाद भी भूमिहीन हरिजनों के लिए दो, तीन हजार बीघा जमीन चरागाह और जंगलात से निकाली गयी। उसके लिए चार, पाँच साल प्रयत्न किये गये वह भूमिहीनों की जमीन मिलनी चाहिए लेकिन जिस समय भूमि अलाट की गयी, वर्षों से जिनका कब्जा चला आ रहा था उनको नहीं देकर बड़े बड़े लोगों को जमीन दे दी गयी और जो हरिजन थे उनको पांच, पांच और दस, दस बीघा जमीन ही केवल दी। उसके लिए हमने बार बार प्रयास किया लेकिन आज दिन तक जो वर्षों से जमीन पर ट्रेसपासर्स थे उनको नहीं देकर दूसरों को जमीन दे दी गयी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जो गेई और नैनवा के अन्दर जमीन अलाटमेन्ट की है उसकी जांच की जानी चाहिए और जो पहले से काबिज थे उनको जमीन दी जानी चाहिए जिससे कि उनको उसका लाभ मिल सके।

तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय- जिस प्रकार से कमाण्ड और नॉन-कमाण्ड एरिया के बारे में हमारे राजस्व मंत्री जी ने थोड़ी देर पहले प्रश्नोत्तर के समय बताया था सन् 1971 के पहले 10 साल से कार्यवाही चल रही है। चम्बल नहर बनी तब से जमीन को पानी नहीं दिया जा रहा था तो जिस जमीन को पानी नहीं दिया जा रहा था उसको नॉन-कमाण्ड किया जावे। राज्य सरकार ने दो, तीन हजार बीघा जमीन कमाण्ड से नॉन-कमाण्ड की उसके ऊपर कई लोग ट्रेसपासर्स थे और कई भूमिहीन लोग रहते हैं लेकिन 71 से 73 तक 400 बीघा जमीन का ही अलॉटमेन्ट किया और बाकी हजारों बीघा जमीन ऐसी पड़ी हुई है जिसके ऊपर लोगों ने नाजायज कब्जे किये हुए हैं उसका अलाटमेन्ट नहीं किया गया है जब कि कई वर्षों के प्रयत्न के बाद उस जमीन को कमाण्ड से नॉन-कमाण्ड कराया गया था। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस जमीन का शीघ्र ही या तो रेगुलेराइजेशन कराया जाये या फिर भूमिहीनों में अलॉटमेन्ट कराया जाना चाहिए।

साथ ही साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा कि बून्दी जिले में 239 गांव अकालग्रस्त हैं और उनके अकालग्रस्त होने की घोषणा राज्य सरकार ने गजट में की उसके बाद भी उन गांवों में राजस्व की वसूली होती रही। हम बराबर जिलाधीश, तहसीलदार और एस. डी. ओ. से मिले तो तहसीलदार कहता है कि हमको ऊपर से आदेश नहीं है और पटवारी से मिले तो पटवारी कहता है कि हमारे पास तहसीलदार के आदेश नहीं है। अकाल घोषित होने के बाद भी बराबर वसूली चालू रही और प्रयास करने के बाद वसूली रोकी गई। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जिस एरिया में अकाल हो उसमें अकाल घोषित होने के बाद लोगों की कुर्कियों द्वारा वसूली की जाय और ऐसा किन किन गांवों में किया गया है इसकी जांच की जानी चाहिये। अकाल होने के बाद जो आदमी अपनी मरजी से

(श्री नंदलाल बैरवा)

जमाबन्दी देता है तो उसमें तो एतराज नहीं लेकिन ऐसे लोग कि जिनकी स्थिति नहीं है उनके कुर्की कर वसूलियां की गई तो इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिये और दोषी व्यक्तियों को दण्ड मिलना चाहिये।

चौथी बात में निवेदन करूंगा कि अभी गई फसल में चम्बल कमाण्ड एरिया में खाद की समस्या पैदा हुई। खाद की समस्या होने के बाद कलेक्टर ने निर्णय दिया कि जो पास-बुक लेकर आयेगा उसको खाद की दो बोरी दी जायगी। इसके बाद लोग पटवारी से पास-बुक लेने गये। तो एक-एक किसान को पटवारी ने पांच-पांच और दस-दस पास-बुक बना कर दे दी और एक ही खाते में चार-चार पांच-पांच पास-बुकें दे दी। किसी पर पटवारी के दस्तखत हैं किसी पर नहीं हैं और जिस प्रकार से खाद का वितरण हुआ उसमें घोटाले हुए उनकी भी जांच की जानी चाहिये कि काश्तकार को कितनी कितनी पास-बुकें मिलीं। हम बार-बार इस हाउस में कहते हैं कि पास-बुक से कर्जा मिलना चाहिये, विशेष रियायतें मिलनी चाहिये। अगर ऐसा कर दिया होता तो पटवारियों को पास-बुकें देने में कोई मुश्किल नहीं आती। लेकिन पटवारी ने एक-एक किसान को इतनी पास-बुक दे दी, जिनको खाद मिलना चाहिये था उसको नहीं मिला और कोई कोई खाद ज्यादा ले गया।

इसके बाद जमीन भूमिहीनों को अलाट की जाती है। आज जिसके पास जमीन है वह नहीं चाहता कि भूमिहीन जमीन वाला बने और अलॉटमेंट के बाद भी कई लोग उस जमीन पर काबिज नहीं हो पाते हैं। चाहे पटवारी जाकर कह दे कि उसको कब्जा दे दो, चाहे कानूनगो जाकर कह दे कि उसको कब्जा दे दो। लेकिन पटवारी और कानूनगो वहां जब तक रहेंगे तब तक ही कब्जा है उसके बाद वह कब्जा केवल कागजों में रह जाता है। वह काश्तकार वाजिब भूमि में जुताई नहीं कर पाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि गांव के अन्दर जिन लोगों ने ट्रेस पास कर रखा है वह वे लोग हैं जिनके पास पहले की ही जमीन है और जिनके पास एक बीघा भी जमीन नहीं वह ट्रेस-पासर नहीं हैं। अभी बून्दी जिले में हजारों बीघा जमीन ऐसी पड़ी है कि जिसके ऊपर बड़े लोगों ने ट्रेसपासिंग कर रखा है और राजस्व विभाग उनसे लेकर अभी तक जमीन नहीं दे पाया है। उदाहरण के तौर पर नैनवा तहसील में बालूपुरा गांव में है। उसमें एक किसान के पास 700 बीघा जमीन है। उस जमीन को सीलिंग के अन्दर लेना चाहिये। हम खुद पहुँचे लेकिन उसके पहले तहसीलदार ने तारीख को पोस्टपोन कर दी। पोस्टपोन करने के बाद अगली तारीख को स्टे ले आया कि मेरी जमीन को अलाट नहीं किया जावे। इस प्रकार से भूमिहीनों को जमीन देने की बात होती है। भूमिहीनों को आगे लाने की बात करते हैं, लेकिन कई कमियां हमारे अधिकारियों की और हम लोगों की हैं, उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। हमको देखना चाहिए और जो भी जमीन निकलती है उसको किसी प्रकार

(श्री नंदलाल बेरवा)

से वाजिब कब्जा हो या नहीं, उसको राज्य सरकार को सहयोग देना चाहिए, कलेक्टर, एस० डी० ओ० उनसे सहयोग मिलना चाहिए और काश्तकारों को, भूमिहीनों को भूमि मिलनी चाहिए। देने की बात तो है लेकिन अगर किसानों को पूरा सहयोग मिले तो उनको काबिज भी किया जा सकता है।

दूसरी बात जब चम्बल नहर आज से पन्द्रह साल पहले कोटा जिले से बूंदी जिले में आई तो पाटण और तालेड़ा तहसीलों में किसी प्रकार के सिंचाई साधन नहीं थे, जमीन काफी थी। उस जमीन पर, जिन लोगों के पास जमीन नहीं थी और उस वक्त नहर नहीं थी, उससे पहले से कब्जा था। वे ट्रेसपासर थे। उसके बाद ट्रेसपासर होने के दो तीन साल बाद में भगवान की देन से चम्बल नहर आई, राजस्थान सरकार और भारत सरकार की कृपा से वह नहर आई और फिर वहां पर नहरें खुदीं। नहरें खुदने के बाद उन खेतों में पानी आया, लेकिन जो नहरें बनने से पहले ट्रेसपासर थे वे आज कमाण्ड एरिया के ट्रेसपासर हो गए। यानी नहर आने से पहले जिस आदमी का कब्जा था और नहर खुदने के बाद वह कमाण्ड एरिया बना और उसका कब्जा अनकमाण्ड पर था तो भी आज उससे चार सौ रुपया बीघा, पांचसौ रुपया बीघा मांगा जाता है, जो पहले से काबिज थे।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो नहर निकलने से पहले जिसका कब्जा था वह नौन-कमाण्ड पर कब्जा था तो उनसे नौन-कमाण्ड का पैसा लिया जाना चाहिए या उसको रेगुलराइज करना चाहिए। जो भूमिहीन किसान नहर आने से पहले काबिज थे, नहरें आने से पहले जिनका कब्जा था, उनको कब्जा दिया जाना चाहिए। आज ऐसी समस्या बूंदी जिले में है जहां चम्बल नहर आई है। हजारों की तादाद में लोग आज डर डर कर खेती नहीं कर पाते हैं। उनको रोज नोटिस आते हैं। जमीनों की कीमतें बढ़ गईं। जो चारसौ, पांच सौ रुपये पर बीघा की कीमत देकर 15 बीघा का खेत लेने में असमर्थ हैं क्योंकि उस जमीन पर खेती करने के उनके पास साधन नहीं हैं। वे हालियों के द्वारा काम करते हैं। अपने परिवार का पालन करने के लिए वे पांच सौ रुपये बीघे की कीमत कहां से चुकावें। इसलिए मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार से राजस्थान केनाल और गंगानगर के अन्दर भूमिहीन हरिजनों को कंसेशन देकर जिस प्रकार से जमीनें अलाट की हैं उसी प्रकार से कोटा डिवीजन में जो चम्बल कमाण्ड एरिया है, उस एरिया के अन्दर जिसके पास एक बीघा भी जमीन जिसके पास नहीं है, उसको मुफ्त में राज्य सरकार भूमि आवंटित कर दे। अगर वास्तव में हरिजनों के लिए हम समाजवाद लाने की बात करते हैं, क्योंकि असली किसान वही है जो हाथ से खेती करता है। आज भले ही वह ट्रेसपासर है लेकिन जो हाथ से खेती करते हैं वे ही असली काश्तकार हैं और उनकी जमीन मिलनी चाहिए।

(श्री नंदलाल बैरवा)

चौथी बात, आज हमारे सिंचाई विभाग और रेवेन्यू विभाग, दो विभाग इलाके में हैं जहां इर्रीगेशन होता है। जैसे चम्बल कमाण्ड एरिया में दो पटवारी रहते हैं। एक पटवारी रहता है इर्रीगेशन का और दूसरा पटवारी रहता है राजस्व विभाग का। इर्रीगेशन का पटवारी पिलाई कराता है और राजस्व विभाग का वसूली करता है। अब जिस खेत के अन्दर पिलाई का पानी मिला एक ही पानी मिला लेकिन सिंचाई का पटवारी क्या लिखेगा कि वह पूरा पानी लिखेगा। पूरा पानी लिखने के बाद वसूली करने के लिए कौन आया, राजस्व विभाग का पटवारी। राजस्व विभाग के पटवारी से किसान कहता है कि मैंने तो केवल एक पिलाई की है, मेरे पांच पिलाई कैसे लिखी है। तो राजस्व विभाग का पटवारी कहेगा कि मैं क्या करूं। मेरा काम तो वसूली करना है। लिखने वाला तो सिंचाई विभाग का पटवारी है। इस तरीके से आज भारी घोटाले हो रहे हैं। एक एक पिलाई को पांच पिलाई लिख रहा है और जो पांच पिलाई कराते हैं उनको केवल उतना ही लिखते हैं जितना लिखा जाना चाहिए। इसलिए मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि जहां इर्रीगेशन होती हो, चाहे वह चम्बल कमाण्ड का एरिया हो, चाहे राजस्थान केनाल हो या गंगानगर का एरिया हो, काम ज्यादा हो तो पट ार सकिल छोड़ कर दीजिए, लेकिन एक ही पटवारी रखना चाहिए ताकि किसानों को दिक्कत नहीं हो। किसान जो जो भी बात कहें तो एक ही पटवारी को कहे। दो-दो पटवारी उसको खींचने की कोशिश करते हैं और दोनों पटवारी खाते हैं। क्योंकि वह पटवारी सिंचाई विभाग का पटवारी है वह पैसा लेगा तो वह कमी करेगा। और राजस्व विभाग का

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

पटवारी पैसा लेगा तो वह कम करेगा। तो यह पटवारियों का रवैया बड़ा गम्भीर है। जैसे पहले कहा जा रहा था कि पास-बुकें बांटने के बाद भी मैं यह मानकर चलता हूं कि किसानों को किसी प्रकार से लाभ नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, घण्टी बज चुकी है, लेकिन वन विभाग के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। वन मन्त्रीजी से कोई छुपी हुई बात नहीं है। बून्दी जिले में जिस प्रकार के वन थे शायद वह राजस्थान में सवाई माधोपुर को छोड़ कर बून्दी जिले का शायद किसी से मुकाबला नहीं था, लेकिन आज काफी समय हो गया है, वन मन्त्री पधारे हुए वहां। आज वहां पहाड़ों पर और मैदानों के अन्दर केवल पत्थर और जमीन ही नजर आती है। क्योंकि आज हमने प्रतिबन्ध लगाए हैं कि वन नहीं काटे जायें। लेकिन साल भर के बाद हम देखते हैं ये पेड़ सरकार ने कटवा दिये। हमतो यही मान कर चलते हैं कि सरकार ने कटवा दिये। सरकार से पूछते हैं कि इस प्रतिबन्ध में कितना समय है तो कहते हैं कि इसमें सात साल बाकी हैं लेकिन एक साल में सारे पेड़ कट गये। लेकिन जहां पर 12 साल के बाद खोलने की बात करते हैं उसको खोलते नहीं हैं। जहां पर डिमार्केशन कर रखा है और वर्षों से बन्द हैं वे अब भी बन्द चले आ रहे हैं। जो वन कई

(श्री नंदलाल बैरवा)

वर्षों पहले बन्द किये गये थे और उनको खोलने का समय हो गया फिर भी उनको खोलते नहीं हैं। जिनको बन्द कर रखा है उनको खोलते नहीं हैं और अब जिनको बन्द किया है उनमें पेड़ नहीं है। जिस जगह मैं रहता हूं पहाड़ों के बीच में, दस साल पहले वहां घना जंगल था और कोई आदमी वहां से निकल नहीं सकता था, लेकिन आज छोटा बच्चा भी वहां से निकल सकता है। कोई जानवर नहीं है, यहां तक कि कबूतर तक नहीं है। तो इस प्रकार वनों की रक्षा में उल्टा हो रहा है। कहने को तो कहते हैं कि इनको बन्द कर रखा है लेकिन साल भर बाद में कट जाते हैं। उसकी शिकायत करते हैं तो जांच होती नहीं। जांच होती है तो उसका परिणाम निकलता नहीं। इसी प्रकार आज गांव का आदमी, जो किसान बून्दी जिले के अन्दर पहाड़ी के अन्दर रहने वाला है वह लकड़ी से महरूम है। उसको लकड़ी नहीं मिलती, इसलिये नहीं मिलती कि जंगल तो पहले ही कट चुके हैं। लाखेरी के अन्दर एक ऐसी समस्या आई कि एक आदमी मर गया तो उसको जलाने के लिये लकड़ी नहीं मिली। इसलिये नहीं मिली कि लकड़ी नहीं थी। लकड़ी मिलती नहीं। इस प्रकार से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वनों को बचाने के लिये अगर हमें सख्ती करना है तो नियमानुसार करनी चाहिये और वह सबके साथ समान रूप से करनी चाहिये। इसी प्रकार से जो वनों की भूमि कृषि में परिवर्तित करने की बात है उस बारे में भी निवेदन करूंगा। इसके लिये राजस्थान लेविल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी बनी हुई है जिसमें जिला प्रमुख, कलेक्टर और डी. एफ. ओ., ये तीन आदमी उस जमीन को निकालेंगे। जितनी राजस्व की जमीन खराब है उसको वनों में लेंगे और जो वनों की खराब जमीन है, वनों के काबिल नहीं है उसको राजस्व में लेंगे। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि इसकी हमारे जिले में एक भी मीटिंग नहीं होती है साल भर में। कोई मीटिंग नहीं बुलाई गई। डी. एफ. ओ. को कहते हैं कि फलां जंगल की जमीन को बदलने के लिये उस गांव में जाकर उसके नम्बर ले जाओ तो सालों डी. एफ. ओ. जायेंगे नहीं, उसका नम्बर नहीं लायेंगे और वहां पर वनों की जमीन पर काश्तकारों के कब्जे हैं।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट में समाप्त करता हूं। इस प्रकार से जो खेती योग्य है उसमें आज बाड़े लगे हुए हैं और जो वनों के काबिल हैं उन पर काश्तकार काबिज हैं। इस प्रकार से मेरा निवेदन है कि जो जमीन जंगल के लायक है उसको जंगल में रखा जाय और जो खेती के लायक हो उसको खेती में दिया जाय। अभी वन मन्त्रीजी को निवेदन किया कि तलवास ग्राम के अन्दर छः सातसौ बीघा जमीन ऐसी है जहां पेड़ नहीं हैं। लेकिन वह जमीन खेती योग्य नहीं है। उसके चारों तरफ खेती होती है बीच में एक जगह पर जंगलात बना रखा है। इस जमीन के सम्बन्ध में वन मन्त्री महोदय आदेश दें और इसकी जांच करवायें। अगर यह जमीन खेती योग्य है तो खेती के लिये आंवटित की जानी जानी चाहिये

(श्री नंदलाल बैरवा)
और नहीं है तो जंगलात के पास रहनी चाहिये। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मीठालाल।

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया !

श्री **मूलचन्द सामरिया** (दोसा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांगो के सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करूंगा कि आज सारा राजस्थान एक है तो उसमें राजस्व की दर भी एक होनी चाहिये परन्तु वह अभी तक एक नहीं हुई है। इसके लिए पहले भी आन्दोलन हुए हैं। बड़ी-बड़ी रेलियां हुई हैं। विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा मांग उठायी गयी। इस सदन के अन्दर भी और बाहर भी। काफी दवाव डाला गया है क्योंकि यह एक ऐसी मांग है जो कि न्यायसंगत है जब कि एक ही प्रकार की आराजी, एक ही प्रकार की पैदावार, एक ही प्रकार की किस्म। वह आराजी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो तो एक लगान होना चाहिए।

दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में सीलिंग लागू होने के बाद आप यह देखेंगे कि कितने काश्तकार ऐसे हैं जिनकी जमीन सीलिंग में आ जाएगी। यह नतीजा तो बाद में पता लगेगा। मेरी ऐसी मान्यता है कि किसानों के पास जो जोत है वह अलाभकर जोत है। जब इस अलाभकर जोत पर व्यक्ति अपने परिवार के साथ काम करता है, साल भर मेहनत करता है, एक मजदूर को काम करने पर मजदूरी मिलती है, हर व्यक्ति को, जो नोकरी करता है, उसको वेतन मिलता है जबकि वह आठ घन्टे काम करता है, लेकिन किसान रात दिन, क्या गर्मी, क्या बरसात, क्या सर्दी, लगातार काम करता है, मेहनत करता है। विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत जलवायु में वह अधिक परिश्रम करता है और उसके बावजूद उसको पैदावार कुछ नहीं होती है। उसके परिवार को सालभर की मेहनत को देखते हुए जो पैदावार होती है, मैं समझता हूं कि उस पैदावार से उसका सालभर का खर्चा नहीं चल पाता है। तब भी राज्य सरकार उससे राजस्व की वसूली करती है जिसे किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता है।

यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक बारानी जमीन के लिए दस हजार, पांच हजार का लोन किसी बैंक से, या वह किसी समिति से लेकर काश्तकार कुआ बनाता है। एक तरफ उस दस हजार का वह ब्याज देता है और दूसरी तरफ वह जमीन सिंचित होने की वजह से आप सिंचाई की दर का लगान उससे वसूल करना शुरू कर देते हैं। यह किसान के साथ अन्याय है। एक तरफ तो वह स्वयं ही सिंचाई के साधन को उपलब्ध करता है, एक तरफ उसका ब्याज चुकता है दूसरी तरफ राज्य सरकार उसका लगान बढ़ा देती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिये और बारानी की तरह ही लगान की वसूली की जानी चाहिए।

जब जमीन पर आपने सीलिंग लागू कर दी है तो करीब यह मान कर चलते हैं कि कोई भी सामंतशाही किसान नहीं होगा कोई बहुत बड़ा जमींदार नहीं रहेगा।

(श्री मूलचंद सामरिया)

याने जमींदार टाइप के किसान नहीं रहेंगे। सारे किसानों के पास जमीन का स्तर एक होगा वे सारे किसान समाजवादी किसान होंगे। परन्तु मैं यह निवेदन करूंगा कि उनकी टोटल इन्कम क्या होगी ? जो दूसरे प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस करते हैं उनको पांच, छः हजार की सीमा तक आय पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है उनकी यह आय-कर मुक्त है। किसी भी व्यवसाय में लगे हुए हों, सरकारी नौकरियों में हो, किसी भी व्यक्ति की अमुक सीमा तक आय पर टैक्स, इन्कम टैक्स नहीं लगाया जाता है। परन्तु जब किसानों पर विचार करते हैं, आप देखते हैं कि वे किन परिस्थितियों के अन्दर काम करते हैं, विपरीत परिस्थितियों के अन्दर काम करते हैं, कितना कठोर परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद उनकी टोटल इन्कम क्या है ? आप उनकी टोटल इन्कम पर एग्जमशन देने का विचार करते हैं। मैं समझता हूँ कि जिस किसान को 6 हजार की नेट इन्कम हो तो उसमें किसी प्रकार का लगान नहीं लिया जाना चाहिये। टोटल इन्कम में उसकी मजदूरी निकालने के बाद, खर्चा निकालने के बाद अगर उसकी नेट इन्कम 6 हजार तक है तो उससे सरकार को किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं लेना चाहिए। परन्तु सरकार ऐसा नहीं करती है, जब कि व्यवसाय को यह कर मुक्त है। यह सरकार की दोहरी नीति है। सरकार की नीति सक्सेसफुल इसलिए हो रही है कि किसान बिखरा हुआ है। वह असंगठित है। मैं आपको निवेदन करूंगा कि हर व्यापारी, हर तरह का धन्धा करने वाले, बस आपरेटर, ट्रक आपरेटर्स, खाद्यान्न के व्यापारी इन पर सरकार किसी भी प्रकार का प्रहार करती है तो वे संगठित हो जाते हैं, बड़े-बड़े जुलूस निकाल लेते हैं, मीटिंग्स कर लेते हैं, सरकार से मांग करते हैं और सरकार झुक जाती है। लेकिन किसान, जो ढाणियों में बसता है, जिसका एकमात्र धन्धा खेती करना है, वह उस समय आन्दोलन करने आवे तो उसकी खेती खराब हो जाती है। उसकी फसल बिगड़ने का अन्देशा रहता है और वह बिचारा साल भर को रोटी रोजी से हाथ धो बैठता है। एक तरफ उसकी लैण्ड रेवेन्यू बढ़ा दी, जाती है। उसके खुद के साधन से वह सिंचाई सुविधा उपलब्ध करता है, एक तरफ उसका ब्याज देता है और सरकार उसकी जमीन का लैण्ड रेवेन्यू बढ़ा देती है। इसलिए सरकार को इस पर सोच कर निर्णय लेना चाहिये। इस पर दुबारा विचार करना उचित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। 50 रुपया किसान पर लैन्ड रेवेन्यू का रह जाता है तो लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत उससे वसूली की जाती है। यह बड़ा सख्ती का कानून है। उसके पास जमीन है, कुआ है, मकान वगैरह है। सरकार फिर भी वसूल कर सकती है, लेकिन सरकार यह नहीं देखती है। दूसरी तरफ, जो लोग व्यापार करते हैं, उनमें सेल्स टैक्स का हजारों रुपया बकाया रहता है, इन्कम टैक्स की बकाया चलती रहती है। आये दिन इसकी रिपोर्ट आती रहती है कि यह आदमी ट्रेसेबुल नहीं है और वह रकम बट्टा खाते चली जाती है। दूसरी तरफ जो किसान हैं वह ट्रेसेबुल है। उसके कृषि योग्य भूमि है, उस पर मकान

(श्री मूलचन्द सामरिया)

है, कुआ है। वह कहीं जाएगा तो अपने रिश्तेदार के यहां पर और एक दो दिन में वापस आ जायगा। उस किसान से 50 रुपये की वसूली लेन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत की जाती है। यह सख्ती का नियम है। एक बात है, उसमें किसान उज्रदारी भी नहीं कर पाता है। रांग असेसमेन्ट है तो है। जब कि दूसरी तरफ नियम और है उन लोगों को उज्रदारी पेश करने का पहला मौका मिलता है। यह सख्ती किसान के साथ वाजिब नहीं की जा सकती है। गलत असेसमेन्ट हो गया और पेमेन्ट कर दिया तो उसमें उज्रदारी करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। बाद में वह रिकवरी आफिसर के चक्कर लगाता रहेगा। वह मजबूर होकर इसको देता है। मैं समझता हूं कि इस कानून को एक बार फिर से देखा जाना चाहिए। ऐसा नियम हो कि उज्रदारी पेश हो गई हो तो उसके बाद ही वसूली की जाए लेकिन किसान के साथ न्याय नहीं हो रहा है। पहले जमा कराओ उसके बाद आब्जेक्शन ले सकते हैं। यह अपने आप में एक विडम्बना है। किसान जमीन पर चिपक कर रात दिन मेहनत करता है, इस तरह से उसका हरेसमेन्ट किया जाता है। बीमार भी है तो पहले जमा कराओ और उसके बाद इलाज कराओ।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार यदि किसी प्रकार का टैक्स लगावे तो यह टैक्स उस प्रकार के लोगों पर लगना चहिए जिनकी कि आमदनी आवश्यकता से अधिक हो। साल भर का खर्चा, शिक्षा, मेडिकल और उसके अलावा रहने के लिए जो चाहिए उस पर खर्चा करने के बाद भी जिसके पास बचता है उस व्यक्ति की ऐसी इन्कम हो तो उस पर टैक्स लगाना चाहिए। परन्तु काश्तकार से लैन्ड रेवेन्यू ली जाती है उसको मैं समझने में असमर्थ हूं। आज अकाल पड़ रहा है। सारे राजस्थान के 24 जिलों में किसान अकाल से पीड़ित हैं। ज्यादातर लोगों की फसलें चौपट हो गई हैं। इस पर राज्य सरकार केवल लगान की वसूली पोस्टपोन्ड करती है। इसका क्या औचित्य है? काश्तकार की जो जमीन है उस पर लिमिटेड पैदावार होती है और दूसरी ओर उस पर अकाल की मार और है। इसलिए ऐसे दुष्काल के समय कम से कम सरकार को लगान का एग्जम्पशन जरूर देना चाहिए और आगे के लिए लगान की वसूली को पोस्टपोन नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा कि आज हमारे राजस्थान में देखा जाय तो बहुत ज्यादा तादाद लोगों की खेती पर निर्भर है। किसी भी स्टेट का अगर आपको डेवलपमेंट देखना है तो, किसी भी स्टेट की प्रोग्रेस का अगर माप करना है तो जितने कम लोग खेती पर लगे हुए होंगे और उद्योग धन्धों में ज्यादे से-ज्यादा लोग होंगे वही प्रान्त ज्यादा प्रोग्रेसिव कहलायेगा। आज राजस्थान की हालत यह है कि खेती पर करीब 80 प्रतिशत लोग लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी सरकार के पास अगर कोई बेरोजगारी मिटाने का साधन है, तो वह खेती की जमीन है, अगर किसी को भुखमरी मिटाने की बात है तो वह खेती की जमीन है।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को धोखा देने के लिए कोई प्रोग्राम है तो वह खेती की जमीन है। आप जमीन को रबर बनाना चाहते हैं। सरकार ने मेक्जीमम लिमिट लैण्ड की की है तो यह नहीं समझ में आता हैं कि किसान से जमीन लेकर, एक या दो बीघा जमीन लेकर चाहे आप हरिजन को देते हैं या किसी भी गरीब व्यक्ति को देते हैं, मैं किसी की वकालत नहीं करता हूं कि हरिजन या आदिवासी ही ज्यादा बेकार होते हैं और सवर्ण जाति के गरीबों के लिए परेशानी नहीं होती है। आज तो जाति पैसे के आधार पर बन गई है। हरिजन या आदिवासी व्यक्ति यदि मालदार है जिसके पास में धन्धा है, करोड़पति हैं तो उसके लिए किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वह आपके बराबर से कम्पीटिशन में जीत सकता है, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण या महाजन गरीब है और उसके पास साधन नहीं है उसको आप जमीन देते हैं तो गलत काम नहीं करते हैं। ख्वामख्वाह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का बार बार रिपीटिशन करके गुमराह करते हैं और जमीन देते हैं एक बीघा, दो बीघा, तीन बीघा आप खुद ही निर्णय करें कि एक बीघा, दो बीघा जमीन से गरीब आदमी क्या अपने बच्चों का पालन कर सकता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कम से कम एक व्यक्ति को मेग्जीमम लिमिट आफ लैण्ड दें। अब जो जमीन एलॉट की जाय उसमें 10 एकड़ कम से कम जमीन किसी व्यक्ति को एलॉट नहीं की जाय। हजार व्यक्तियों के बजाय 100 व्यक्तियों को जमीन आप एलॉट करें ताकि वे 100 व्यक्ति तो अपने साधन जुटाकर खेती कर सकते है। इसका नतीजा यह होता हैं कि न तो वह खेती ही कर सकता है और न मजदूरी ही कर सकता है। वह न मजदूर रहा और न किसान अगर वह मजदूर बनता है तो वह कारखानेदार से बोनस क्लेम कर सकता है, मजदूरी क्लेम कर सकता है रेजीडेंन्स के लिए कुछ क्लेम करेगा। उधर से भी वह चला जाता है क्योंकि साख के महीनों में मजदूरी छोड़कर अपनी खेती पर उसको आना पड़ता है। सेठ साहब से वैसे क्लेम नहीं कर सकता है और खेती की जुताई अन्य से करवाता है क्योंकि वह आदमी कमाने के लिए बाहर चला जाता है तो इतनी पैदावार नहीं होती है। वह धोबी के कुत्ते की तरह न घर का रहा और न घाट का। वह मजबूर होकर दिल्ली कमाने जाता है या दूसरी जगह जाता है। काश्त के समय मण दो मण नाज होगा लेकिन जमीन के मोह से जमीन नहीं छोड़ सकता है। आप जमीन किसी को भी दें या किसी भी प्रकार से दें कम से कम जो जमीन एलॉट की जाय तो मेक्जीमम सीमा आप तय नहीं करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोगों को चकमा देने के लिए एक बीघा, दो बीघा या तीन बीघा लैण्ड एलॉट करते हैं। आप काश्तकार पर ठंडे जल के छींटे इस तरह से देना चाहते हैं। वह न बोल सकता है और न कुछ कर सकता है। आप उसको भूखे मरने पर मजबूर करते हैं। जो कुछ वह सेठ साहब से क्लेम कर सकता है वह भी नहीं कर सकता है। उसको आप करने नहीं देते हैं और इस तरह से आप उद्योगपतियों को इन्डाइरेक्टली बहुत बड़ा फायदा पहुँचाना चाहते हैं। आप अगर जमीन

(श्री मूलचन्द सामरिया)

को एम्प्लायमेंट देने का, भूखमरी मिटाने का अगर साधन बनायेंगे तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा। अन्य ट्रेड, मिनरल्स और इन्डस्ट्रीज पर ज्यादा दबाव होना चाहिए और इस दबाव का फायदा अगर शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स को देते हैं, उनको उद्योग धन्धों में जगह देते हैं तो वह ठीक है वर्ना उनको एक या दो बीघा जमीन देकर परेशान न करें।

आप स्वयं यह जानते हैं कि किसान कानून पर कितना हावी है? आजकल रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इतने ज्यादा अध्यादेश, चाहे सक्यूंलर्स निकलते हैं कि यदि किसी तहसीलदार से पूछें कि कल की तारीख में क्या था और आज क्या होगा और परसों क्या होगा तो वह निश्चित उत्तर नहीं दे सकता है। इतनी अनिश्चितता रहती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि किसान को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की व्यवस्था कर सकेंगे तो यह भी उनके साथ में आपकी बहुत बड़ी महरबानी होगी।

आज किसी भी संस्था से किसान को ऋण लेने जाना पड़ता है तो उस क्षेत्र में जितनी भी ऋण देने वाली संस्थाएं होती हैं जैसे कि स्टेट बैंक है तो उसका नो ड्यू-सर्टिफिकेट लो, लैण्ड मोर्गेज बैंक है तो उसका नो ड्यू सर्टिफिकेट लो, सहकारी समिति है तो उसका नो ड्यू सर्टिफिकेट लो, पटवारी से लिखवाकर लाओ। तो इन तमाम बातों के लिए अगर आप उचित समझें और अगर यह चाहते हों कि किसान परेशान न हो और उसके टाइम की बचत हो और जो इसका मार्ई प्रोब्लम है करप्शन वह रुके तो उनकी पास बुक्स में यह सब बातें दर्ज हों कि इतनी जमीन इसके पास है और उस पर जो भी कर्जा वह ले वह उसमें दर्ज किया जाय और मेक्जीमम क्रेडिट लिमिट हर किसान की पास बुक में दर्ज हो और उस सीमा तक सरकार किसान की गारन्टी दे ताकि कहीं से भी वह इसके ऊपर लोन लेले और बेधड़क किसी भी संस्था से उसको लोन दिया जाय और विशेष जांच-पड़ताल न की जाय। ताकि उस आधार पर वह कर्ज लेले और उसको आने-जाने की परेशानी न हो जिससे कि करप्शन पैदा होता है, उससे उसको रिलीफ मिलेगा।

मैं समझता हूं कि यह इन्टरप्रिटेशन ऑफ ला का सवाल है। यह राजस्व विभाग से संबधित होने के नाते मैं पूछूंगा। नं० 12 में आपने बताया है कि व्यक्ति का कब्जा है उसको खातेदार मान लिया गया है और उसका रेग्युलेराइजेशन कर दिया जाना चाहिए। लेकिन कानूनी कम्प्ली-केशन्स ऐसी होती हैं कि जमीन शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है और कब्जा नॉन-शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का है, और सक्यूंलर नं०. 12 अथवा दूसरे सक्यूंलर की वजह से नान-शेड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति कब्जा होने की वजह से खातेदार है। इधर यह कहा जाता है कि शेड्यूल्ड कास्ट वाले की जमीन नॉन-शेड्यूल्ड कास्ट वाला नहीं ले सकता है बेचने पर भी या एक्स्चेन्ज में भी तो आपरेशन आफ लॉ में वह जमीन जा सकती है या नहीं। इस पर उसका अधिकार स्पष्ट है। तो इसका साफ होने पर बहुत सी मुकदमेबाजी होती है उससे बचा जा सकता है।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि आज शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीन है, मीणों की जमीन है उसको ट्रान्सफर करने का भी एक अजीबो गरीब ढंग है। ट्रान्सफर मीणे को किया जाता है लेकिन परचेज़र के रूप में पहले उसको लिखा जाता है श्रीमान् फलां पुत्र फलां वह जो कि शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का नहीं है और दूसरा नाम उसका लिखा जाता है फलां पुत्र फलां जाति मीणा, निवासी फलां। इस तरह से एक व्यक्ति जो परचेजर नं० 2 है जो कि जाति से मीणा है उसकी उम्र दो साल की है और वहां पर परचेजर नं 1 जो कतई मेजर है और उसी ने पैसा दिया है और जिसकी जाति नान-शेड्यूल्ड कास्ट या ट्राइब है। ऐसी हालत में क्या होगा? ऐसे ट्रान्सफर के बारे में सरकार की पालिसी क्या होगी? क्या वह ट्रान्सफर वेलिड होगा? एक नाबालिक बच्चे के नाम से एक पार्टी ने ट्रान्सफर कर दी और एक ऐसे व्यक्ति ने ले ली जो कि लीगली नहीं ले सकता है। इस पाइंट पर अगर सरकार अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी तो कुछ डिफिकल्टी दूर हो सकती है।

अभी एक माननीय सदस्य ने यह बताया था कि एक मेक्जीमम लिमिट तक जो नाज बेचने आया वह एक्जेम्पटेड है और ज्यादा है आज तो उनके नाज पर यह टैक्स लगा देना चाहिए। मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। ऐसी बातों से किसानों पर अन्याय और अत्याचार का खतरा है। उससे बचना चाहिए। अगर टैक्स लगाया जाता है तो उस हालत में राजस्व की वसूली माफ करके नेट इन्कम पर जैसे दूसरे लोगों पर टैक्स लगाया जाता है उसी तरह से उन पर लगाया जाय।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री रामानन्द अग्रवाल : (अलवर): उपाध्यक्ष महोदय, जब राजस्व विभाग पर बहस कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे समक्ष उत्पन्न होता है और जो कि राजस्व विभाग पर दायित्व है, वह भूमि सुधार का है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस पिछले तीन चार वर्षों में देश की राजनीति में जो बड़े-बड़े परिवर्तन हुए हैं, जिसमें कि कांग्रेस सत्ता-दल में भी दो दल बने। मुख्यतः इस कारण कि वर्तमान प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में बने हुये कांग्रेस के दल ने या उसमें से कुछ लोगों ने यह महसूस किया कि देश की आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में, जो आवश्यक कदम है, वह कदम उन लोगों की वजह से जो उस दल में थे और जो कि आज अलग हो गये हैं, जिनको आज सिण्डीकेट कांग्रेस के नाम से जानते हैं। प्रधान मंत्री ने यह महसूस किया, जो कि सोशल इकानामिक प्राब्लम्स को हल करने में रोड़ा बने हुये हैं। चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे वह देश के क्षेत्र में हो। वह प्रगतिशील कदम में रुकावट बने हुये हैं। जो कि आज की सामाजिक समस्या को हल करने में मददगार हो सकते हैं। और, उनमें जो विषय बहस तलब थे, वादविवाद तलब थे, उनमें भूमिसुधार का स्थान, हमारे देश की राजनीति में, हमारे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
देश के आर्थिक विकास में, एक बहुत ऊंचा स्थान नहीं दिया हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी बुनियाद पर दो बड़े चुनाव इस देश में लड़े गये । सन् 1971 में और सन् 1972 में। जिस में अन्य प्रश्नों के अलावा भूमि सुधार एक महत्वपूर्ण केन्द्रीय प्रश्न था । उस इलेक्शन मैनीफेस्टो को जो प्रगतिशील पार्टियों ने दिया, उसमें स्वयं सत्ताधारी कांग्रेस दल का भी था । जिसमें भूमिसुधार की रूपरेखा उन्होंने देश के सामने रखी थी । 1968 तक हम जो कर पाये थे, उससे आगे बढ़ पाये थे । और, आगे बढ़कर इस देश की कृषि समस्या को हल करेंगे । इस देश की जनता को यह विश्वास दिलाया था ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस नीति का मुख्य भाग था, भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करना । दूसरा उसमें था, टिनेंसी को रिफार्म करना और तीसरा हिस्सा था जो भूमिहीन लोग हैं, उन लोगों को उस भूमि में से हिस्सा देना । उनको कब्जा देना, उनको वितरण करना जो कि वास्तव में खेतिहर हैं लेकिन जिनके पास जमीन नहीं हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन घोषणाओं के पूर्व 1969 से पूर्व जो राजस्थान में सरकार थी वह यह दावा किया करती थी कि हम राजस्थान में भूमिसुधारों के मामले में, देश में बहुत आगे निकल गये हैं । इसलिए उनका कम्पलेसेंसी का एटीट्यूड लैण्ड रिफार्म के बारे में था । वास्तव में जो दूसरे इसके ज्ञाता हैं । बहुत से लोगों ने पुस्तकें लिखी हैं । सर्वे हुये । प्लानिंग कमीशन ने अपना एक अलग लैण्ड रिफार्म का डिवीजन बनाया वह बार बार यह कहते रहे कि हमने जो कानून अभी तक बनाये हैं, जो टेनेन्सी कानून हैं या जो दूसरे कानून हैं, उनमें हमारा जो केन्द्रीय नारा था, बुनियादी नारा था कि खेत उसके हों जो स्वयं हल चलाता हो । लेण्ड टू दी टिलर । इसी बुनियादी नारे को लेकर कर रहे हैं । और हमारी मान्यता थी कि हम इस बुनियादी नारे को अमली रूप नहीं दे पाये हैं । जिसकी वजह है लैण्ड टू दी टिलर नहीं हो पाई है । ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि टिलर नहीं हैं । लेकिन लैण्ड पर कब्जा किये बैठे हैं । इस लिए उपाध्यक्ष महोदय, पुराने कानून में तरमीम करें और एक नया कानून बनायें । पहले नया कानून बनाकर लैण्ड रिफार्म का नया कानून देश के सामने रखा गया था । उसी को रूलिंग पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था ।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुये खेद है कि पहले जो सरकार थी वह तो केवल इस बात के बहम में रहकर कि हमने बहुत आगे बढ़े हुये भूमि सुधार कर दिये हैं । एक कम्प्लिसेंसी का एटीट्यूड था । लेकिन जो नयी सरकार, वर्तमान सरकार, जिस चुनाव घोषणा पत्र से चुनाव लड़कर आयी है, कांग्रेस में जो स्प्लिट हुआ है, सिण्डिकेट से अलग होकर जिसे राजस्थान में नेतृत्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । उन नीतियों पर आल इण्डिया लेविल पर प्राईम-मिनिस्टर का साथ हुआ राष्ट्रपति के चुनाव के वक्त उस पार्टी की सरकार होते हुए भी आज अफसोस की बात यह है कि यह सरकार केवल कम्पलेसेण्ट ही नहीं है बल्कि भूमि सुधार के प्रोग्राम की घोषणा करके आने वाली यह सरकार यह मानते हुये कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

68 तक जो सुधार हुये हैं किये गये हैं, वह पूरे तरीके में नहीं कर पाये हैं, इसलिए और सुधारों की जरूरत है फिर भी आज यह सरकार जिस प्रकार का दृष्टिकोण अपना रही है, भूमि सुधार का वह कम्प्लेसेंस ही नहीं है बल्कि भूमि सुधार के नाम पर वापिस जमीदारों, जागीरदारों, और राजा महाराजाओं के हितों का संरक्षण करने की नीति पर चल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में इस सदन में जो भूमि सीलिंग का कानून पास हुआ; उसके सम्बन्ध में मैं पहले ही इस सदन में अपनी राय जाहिर कर चुका हूं। और, मैं समझता हूं कि इस सरकार की नीतियां अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है। कान्स्टीट्युशन की धारा 31 के अन्दर परिवर्तन जिस में कम्पनसेशन की यहां बातें कही गई है। ताकि अदालतों में जाने से भी उनको संरक्षण दिया जाय। लेकिन आज भूमि सुधार के नाम पर इस प्रकार के कानून से इस प्रकार के सुधार, बेसुधार या बिगाड किये जा रहे हैं कि उसको मैं भूमि सुधार कानून कहूं या भूमि बिगाड कानून कहूं। इस प्रकार के कानून बनाने की यह दिशा अपनाई जा रही है, कानून के जरिये भी और प्रशासन के जरिये भी, प्रशासनिक आदेशों के जरिये भी यह दिशा अपनाई जा रही है कि जिसमें तमाम भूमि सुधारों को एक उल्टी दिशा दी जा रही है, उनको रिवर्स गिअर में डाला जा रहा है और वापस लैंड टू द टिलर से, उनको केमोफ्लेज करके वापस जो लोग लुटेरे थे, बिचौलिये थे, जो मेहनतकश किसान और महनतकश हल जोतने वाले की महनत का लाभ उठाते थे, जिनको एबोलिश करने की राष्ट्रीय नीति अपनाई, उन लुटेरों को वापिस जमीन देने की और जमीन पर उन्हें संरक्षण देने की नीति अपनाई जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि भारत सरकार ने इस प्रकार की नीतियों के सम्बन्ध में बार बार चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स बुलाई और चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में कुछ निर्णय लिये गये। जो निर्णय जितने भी लिये गये उनसे मुझे या हमारे दल को संतोष नहीं है, उन निर्णयों को बहुत ही हल्का कर दिया गया है उस प्रोग्राम को जो देश व्यापी जमीन पर लागू करने के मुद्दे थे, उससे भी उसको बहुत ज्यादा हल्का कर दिया गया है। फिर भी जो निर्णय हुए और जिन निर्णयों में हमारे राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, या रेवेन्यू मिनिस्टर या और कई प्रतिनिधि हिस्सा लेते रहे हैं उन निर्णयों को भी लागू करने के बारे में या तो गलत तरीके से लागू करना, या नहीं लागू करना, या लटकाये रखना आज कल–यह एक नीति राज्य सरकार की लगातार रही है। उपाध्यक्ष महोदय, 1969 में चीफ मिनिस्टर्स की की कान्फ्रेन्स हुई, उनमें कुछ मुख्य मुद्दे, जो हुए थे, निर्णय, उनमें निर्णय नम्बर एक था, एक्सपीडीशन एण्ड इम्प्लीमेन्टेशन ऑफ टेनेन्सी प्राविजन्स रिलेटिंग टू द कन्वर्शन आफ टेनेन्ट्स, सब टेनेन्ट्स इन ओनर्स। जो शिकमी काश्तकार हैं उनको मालिक बनाया जाय, यह निर्णय 1969 में लिया गया और इसी निर्णय को 1970 में चीफ मीनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में फिर दोहराया गया। यह भी निर्णय लिया गया इसमें : प्रिपेरेशन आफ ए रिकार्ड आफ टेनेन्ट्स सब टेनेन्ट्स एण्ड शेयर क्रोपर्स। जो यह शिकमी काश्तकार हैं, या शेयर क्रोपर हैं, खातेदार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कहलाने वाले लोग, उन लोगों से काश्त कराते हैं, इन लोगों का इन्द्राज भी होना चाहिए। इस बात को 1970 में बार बार दोहराया गया। यह भी कहा गया, टेनेन्ट्स एडमीटेड आफ्टर 1955 शुड बी गिवन, कन्फर्ड फिक्सिडिटी आफ टेन्योर। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इन निर्णयों के बावजूद 1969 के निर्णय के बावजूद, राजस्थान में टेनेन्सी एक्ट वही पुराना चला आ रहा है। इस बीच में राज्य सरकार ने छोटे छोटे अमेंडमेंट कितने ही इस सदन में पेश किये हैं लेकिन यह जो निर्णय, 1969, 1970 के इन बुनियादी मुद्दों पर हैं, उनके बारे में एक भी अमेंडमेंट इस सदन में नहीं प्रस्तुत किया। इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जो इस सदन में नया टेनेन्सी बिल पेश किया है हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय ने, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि यह गाइड लाइन्स और रेवेन्यू मिनिस्टर्स को 1969 और 1970 की चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में दी गई, जिसमें कहा गया कि टेनेन्ट्स, सब-टेनेन्ट्स को ओनरशिप के राइट दिये जायं, जिसमें यह कहा गया, 1955 के बाद जो सब-टेनेन्ट एडमिट किये गये, उनको फिक्सिडिटी आफ टेन्योर दी जाय, जिसमें यह बार बार कहा गया है, सब-टेनेन्ट और शेअर क्रोपर का इन्द्राज रखा जाय–इन गाइड लाइन्स के बावजूद, जो इस सदन में टेनेन्सी बिल पेश हुआ है उस टेनेन्सी बिल में इन तमाम बातों को इन्कलूड करने के बारे में एक लब्ज भी नहीं है, वह टीनेन्स, बिल जो इस सदन के विचाराधीन है और जो एक सलेक्ट कमेटी के पास है, सलेक्ट कमेटी का मैं भी एक मेम्बर हूं, उस बिल में जो कि गवर्नमेंट के पास गाइड लाइन होते हुए जो उन्होंने पेश किया, चुनाव के बाद, जिसमें यह उम्मीद की जाती थी कि जो घोषणा पत्र में बात कहीं गयी हैं और इस प्रकार की कान्फ्रेन्स में जो निर्णय लिये गये हैं, उसका समावेश करके उस बिल को पेश किया जायगा, वह नहीं किया है, वह असावधानी से नहीं है, यह किसी असावधानी से हो गया है–वह बात नहीं है, यह एक डेलीबरेट अटेम्प्ट है हमारे रेवेन्यू विभाग का, जिसे हमारे मंत्री महोदय लीड कर रहे हैं, उनकी अपनी समझ है लैंड रिफार्म्स के बारे में, जिसको इस सदन के अन्दर सीलिंग कानून के समय देखने का मौका मिला है, उनकी यह समझ है। सदन में बार बार यह प्रश्न आता है, कौन है यह सब टेनेन्ट, कौन है शेयर क्रोपर—किसको फिक्सिडिटी देने की जरूरत है। उनके हिसाब से इन्टरमीडियरी राजस्थान में है ही नही, कोई इस तरह एक्स्प्लोइटेशन दूसरे से काश्त करवाकर होता ही नहीं है; किसी को प्रोटेक्शन देने की जरूरत ही नहीं है, सब प्रोटेक्टेड हैं, सब जमीन जोतने वाले के पास पहुंच गई है। और यह कारण है, उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून को, इस बिल को इस शक्ल में लाया गया, यह वजह है कि इसको बराबर डिले किया गया, यह वजह है, इस बिल को डाइलेटरी टेक्टिक्स अपनाकर लम्बा डालने की कोशिश की जा रही है। मेरा यह निवेदन करना है, खुद राज्य सरकार के दिये हुए आंकड़े अपने आपमें इस बात को बताते हैं, इन चीजों की जरूरत है, अपने आपमें इस बात को बताते हैं, अभी भी इन्टरमीडियरीज कायम हैं, अभी भी लोगों का एक्स्प्लोइटेशन होता है। बार बार मांग की जाती है, जो लगान

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की दर मुकर्रर की हुई है, वह डबल लगान से ज्यादा नहीं ली जा सकती है लेकिन उससे भी ज्यादा ली जाती है। सब-लेटिंगका प्रावीजन किया हुआ है, पांच साल से ज्यादा काश्त नहीं करा सकते, उससे ज्यादा लोगों को काश्त पर दिया हुआ है उसके बावजूद भी सबलेट लोगों को किया गया है। 1955 के बाद धारा 15 के तहत जो लोग खातेदार बन गये. 19 में जो सब-टेनेन्ट थे, वह खातेदार बन गये, वहां वह लोग 1955 के काबिज थे, उसके अलावा जो खुद काश्त करने वाले हैं, उन सब टेनेन्ट को कोई अधिकार खातेदारी राइट अभी तक नहीं मिल रहे हैं, उनका एक्स्प्लोइटेशन लगातार जारी है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को अभी भी अपनी नीति घोषित करनी चाहिए और मैं उम्मीद करूंगा, रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय, से कि जो टेनेन्सी बिल उन्होंने पेश किया है, उस टेनेन्सी बिल में इन सबका समावेश नहीं हुआ है और अब राज्य सरकार का इसके बारे में क्या दृष्टिकोण है, वह नीतियों का समावेश करना चाहती है या नहीं, किस रूप में करना चाहती है, क्या उनका दृष्टिकोण है--इस पर विचार किया है. जहां तक मेरी जानकारी है, राज्य सरकार ने शायद इस पर विचार भी किया है, कुछ निर्णय भी लिये हैं—मुझे बड़ी खुशी होगी, यदि राज्य सरकार कम से कम चीफ मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स में जो निर्णय लिया है, उनको लागू करने की बात कहे और फिर सदन में खुद आये कि हम इन चीजों का इस तरह से समावेश करना चाहते हैं और टेनेन्सी बिल में उन अमेंडमेंट के साथ आयें ताकि मैं समझ सकूं कि वह इस बात को पूरा कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने टेनेन्सी बिल पास किया है लेकिन अभी तक भी हमारे यह इन्टरमीडियरीज एबोलिश नहीं हुए हैं। हम उन्हें समाप्त नहीं कर पाये हैं। इसके अन्दर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने समय समय पर कोन्ट्रेडिक्ट्री स्टेटमेंट्स भी दिये हैं। उससे यहां पर ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि हमने एक बहुत बड़ा रिफार्म राजस्थान में कर दिया है। बहुत बड़ा सुधार राजस्थान में किया गया है। लेकिन यह बात नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टिनेन्सी एक्ट हमने सन् 1955 में पास किया। मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूं कि सेक्शन 15 के तहत हमने जो लोगों को खातेदारी राइट दिये हैं, जो खातेदारी हकूक उस एक्ट की धारा के तहत मिले हैं उसके आंकड़े राज्य सरकार द्वारा जो सन् 1968 में दिये गये थे उस पुस्तक के अनुसार सेक्शन 15 के अन्दर राजस्थान में कुल खातेदार 5 लाख 37 हजार और 642 लोग हैं और सेक्शन 19 के तहत हमने जो खातेदारी राइट दिये हैं वह इन 1 लाख 99 हजार 505 लोगों को दिये हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर हमने करीब 7 लाख 37 हजार और 142 लोगों को खातेदारी राइट दिलाये हैं। यह तो आपकी सन् 1968 की जो पुस्तक है वह बता रही है और जो भूमिसुधार के बारे में पुस्तक है, उसमें जो आंकड़े दिये हुए हैं उसके अनुसार सन् 68 तक टोटल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

खातेदार राजस्थान सरकार के अनुसार 35 लाख 46 हजार 515 व्यक्ति थे। इसके अतिरिक्त हमने टिनेन्सी एक्ट जो पास किया उसके अनुसार 28 लाख पहले ही खातेदार व्यक्ति थे। तो हमने 68 तक जो खातेदारी राइट दिये थे इसका मतलब यह हुआ कि हमने सेक्शन 15 और सेक्शन 19 के तहत कुल 35 लाख में से सिर्फ 7 लाख लोगों को खातेदार नये बनाये थे। उसका मतलब यह हुआ कि 20 परसेन्ट नये खातेदार टिनेन्सी एक्ट के लागू होने के बाद बने यह जो 20 परसेन्ट खातेदार राइट दिये हैं इसे भी मैं कम एचीवमेंट नहीं मानता हूं यह भी अच्छा एचीवमेंट हमने किया है। मैं इसे कम एचीवमेंट मानने को तैयार नहीं हूं। इस एक्ट के पास करने से करीब सात लाख लोगों को राइट कन्फर करना था। लेकिन उसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज राजस्थान में जहां हमने सात लाख लोगों को खातेदारी राइट दिलाया है उसके अलावा करीब चार लाख 72 हजार और 597 गैर खातेदारी टिनेन्ट आज भी मौजूद हैं। और सब-टेनेन्ट्स जिनकी तादाद, अभी तक कोई आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अलग अलग जो रिपोर्ट्स हैं उसमें दस से बीस प्रतिशत लोग सब टेनेन्ट्स बताये जाते थे। उदाहरण के रूप में, डाक्टर सारदूलसिंह हैं पिलानी के, उन्होने एक सर्वे किया है और पुस्तक लिखी है, उन्होंने इनको दस प्रतिशत से ज्यादा माना है और कुछ दूसरे हैं जिन्होंने बीस प्रतिशत तक माना है, तो आज भी सब टेनेन्ट्स की तादाद इतने खातेदार होने के बावजूद भी दस बीस प्रतिशत तक हैं और यह गैर खातेदार उनके अलावा हैं जिन्हें आपको राइट्स देने हैं। यह भारत सरकार का जो रिजोल्युशन है, सी० एम० कान्फ्रेन्स का 1969-70 का, आज 1973 चल रहा है, वह अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बल्कि आपने तो जानबुझ कर यह किया है कि उनके जो रेकार्ड आफ राइट्स हैं, जिसके अन्दर सब टेनेन्ट्स की काश्त दर्ज होती है उस काश्त को दर्ज करना ही बन्द कर दिया, ताकि उनके कब्जे का कोई रेकार्ड ही नहीं रहे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल है कि करीब छः सात साल पहले, इस किस्म का निर्णय लेकर राज्य सरकार ने, बावजूद यहां और बाहर के विरोध के, जो छोटे काश्तकार हैं, जो सब टेनेन्ट्स हैं, उनके विरोध के बावजूद, बन्द कर दिया और अब 1969 के निर्णय के बावजूद, गाइड लाइन्स के बावजूद, सीलिंग के बारे में मंत्री महोदय कह रहे थे कि मैं तो गाइड लाइन्स को लेकर चलता हूं, मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से कि 1969 का यह निर्णय, 1970 का यह निर्णय, और कम से कम इन इलेक्शन्स के बाद, उसको भी एक बरस हो गया, आपने इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया ? आपने सब टेनेन्ट्स और शेयर क्रापर्स के इन्द्राज रखने क्यों नहीं शुरू किया ? उसको दुबारा जारी क्यों नहीं किया ? जहां तक मेरी जानकारी है, उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक राजस्व मंत्री ने इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। राजस्थान सरकार इस बात पर निर्णय भी ले चुकी है कि इस तरह का रेकार्ड रखा जाये। अभी रबी के फसल का रेकार्ड तैयार हो रहा है, पटवारी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गिरदावरी कर रहे होंगे अगर इसके पहले आदेश निकाला जाता तो कम से कम अभी जो सब टेनेन्ट्स काश्त कर रहे हैं, उनका जिक्र उसमें आ जाता। इसको जिस तरीके से टाला जा रहा है, जिस तरह की कोशिश की जा रही है, उससे तो यही मालूम पड़ता है कि जिस समय यह मांग की जायेगी, जब भारत सरकार की इस गाइड-लाइन्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की जायेगी कि सब-टेनेन्ट्स को अधिकार दो, तो यहीं बहाना लिया जायेगा कि काश्त के दिन उनके पास पजेशन का कोई सबूत ही नहीं रहे। हमारे पास इसका कोई रेकार्ड ही नहीं, इस प्रकार का बहाना दिया जायेगा और मैं समझता हूं कि यह इसके लिये पूर्व भूमिका बनाई जा रही है ताकि वह लैंड रिफार्म्स नहीं किये जायें जो राष्ट्रीय प्रोग्राम बन चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, सीलिंग के सम्बन्ध में भी जो कानून बना, उस के बारे में मुझे कुछ अधिक नहीं कहना है, लेकिन एक बात माननीय राजस्व मंत्री ने उस बिल के पास होने के बाद प्रेस कान्फ्रेंस के द्वारा की, कुछ दावे किये, कुछ क्लेम किये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि Taste of pudding lies in its eating. कैसा हलवा बना है, यह तो खाने से ही पता चलेगा। किस बात का कानून है और कितनी जमीन इससे बांटने को मिलेगी, यही इस बिल की उपयोगिता का इन्डीकेटर है। माननीय मंत्रीजी ने अपनी प्रेस कान्फ्रेंस में अथवा इस बिल पर बहस के दौरान यह आंकड़े नहीं दिये कि इससे कितने लोग अफेक्टेड होंगे जिन से जमीन ली जायेगी और कितनी जमीन बांटने के लिये अवेलेबिल होगी। केवल यही क्लेम किया सरकार ने और माननीय मंत्रीजी ने कि ज्यादा जमीन उपलब्ध होगी। इसका मतलब बहुत ज्यादा जमीन उपलब्ध कराने का है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आंकड़े इस पुस्तक में दिये हुए हैं, यह पुस्तक 1968 की है, इस पुस्तक के अनुसार 30824 लोग प्रभावित होने वाले थे और 1501023 एकड़ जमीन मिलने वाली थी। इसके बाद जो हाई पावर कमेटी है, 1971 की, उसने कुछ आंकड़े दिये और उनके मुताबिक 30-4-71 के जो आंकड़े हैं वह हैं कि 33510 लोगों पर सीलिंग लगेगा और उससे 1605328 एकड़ जमीन गरीब लोगों को बांटने को उपलब्ध होगी। हमारे यहां 35 लाख खातेदार हैं, जिनमें से 33510 आपकी सीलिंग से अफेक्टेड होने वाले थे। अब मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उनके पास कोई बेसिज होगा, कोई ध्यान होगा, कि आखिर कितने लोग इससे अफेक्टेड होंगे और कितनी जमीन उपलब्ध होगी, यह इस हाउस को बताने की कृपा करें। 15 लाख बतायी 68 में और 71 में 16 लाख बतायी। 30-4-71 तक 16 लाख एकड़ जमीन उपलब्ध होगी। यह सरकारी आंकड़े हैं।

आपका यह दावा है कि यह बिल जो पास किया है यह पहले वाले से बेहतर है, पहले वाले से ज्यादा जमीन मिलेगी। वह आंकड़े बतायें कि किस तरह से ज्यादा जमीन मिलेगी तब हम उस सम्बन्ध में कुछ कह सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि राजस्थान में वह जो 35 लाख खातेदार

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं उनमें भी 24,98,195 करीब 25 लाख खातेदार अनइकोनोमिक होल्डिंग वाले हैं। यह इस पुस्तक के आंकड़े हैं। जिनके पास न्यूनतम से कम जमीन है उनकी संख्या है 25 लाख जो मार्जिनल या मीडियम तरीके के काश्तकार हैं। अगर आप आंकड़े भूमिहीन के देखें, उनके आंकड़े आपने संकलित नहीं किये, इकट्ठे नहीं किये लेकिन राजस्थान सरकार ने आंकड़े दिये थे उनमें 2,06,890 लोगों को भूमिहीन माना था। मैं समझता हूं यह बहुत कम मूल्यांकन है। तो आपका भूमि सुधार का जो अन्तिम लक्ष्य है, 'टिलर ऑफ दी सोइल' को मालिक बना रहे हैं जहां इतने धीरे जा रहे हो यह आपका मौजूदा प्रोग्राम है, आप की मौजूदा नीति है उससे साफ जाहिर होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि राजाओं के पास जितनी जमीन है, उसका आज प्रश्न शायद सवेरे आया था, मैं उस समय मौजूद नहीं था। पहले भी मैंने एक प्रश्न पूछा था। राज्य सरकार ने यह बताया था कि राजाओं के पास 1,74,585 एकड़ जमीन है और उन लोगों से 1,74,585 एकड़ ही जो सीलिंग से ऊपर वाली है जो अधिगृहीत होने वाली है। उनमें से एक बीघा जमीन भी अधिगृहीत नहीं हुई और वह धड़ाधड़ बेची जा रही है। माननीय मंत्री महोदय उसके लिये कह रहे हैं कि मानेंगे नहीं। खरीददार होशियार हो तो अमेन्डमेन्ट ले आवेंगे कि बोनाफाइडी पर्चेजर है उसको रेगुलेराइज कर देना चाहिये वरना मारा जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक सुनियोजित एक प्लान्ड तरीके से उन लोगों को कन्सेशन देने का राज्य सरकार की नीति का एक अंग है और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि, मुझे अफसोस है यह मंत्रिमण्डल भी, जब सुखाड़ियाजी त्याग पत्र देकर चले गये और बरकत साहब ने मंत्रिमण्डल की बागडोर सम्हाली, तो यह बात मुख्य नीति के रूप में थी कि जो राजाओं और बड़े-बड़े जागीरदारों और भू-पतियों से सांठ-गांठ करके चले आ रहे थे वह नहीं चला जायगा और मजबूती से लैंड रिफोर्म्स के कदम उठाये जावेंगे। परन्तु खेद का विषय है अब भी लगातार बरकत साहब के इस मंत्रिमण्डल ने भी उन्हीं नीतियों पर चलना शुरू कर दिया है। सवेरे कोटा महाराजा की जमीन बेचने के बारे में या बूंदी की जमीन बेचने के बारे में या जयपुर की जमीन बेचने के बारे में सवाल आये और इस प्रकार कितने ही सवाल यहां आते हैं। उस पर मंत्रिमण्डल किस प्रकार रिएक्ट करता है उस पर यहीं अपने आप में उस बात का द्योतक है। अगर कोई हमारा दुश्मन है, ऐसा लगे कि जनता के हितों को चोरी करके ले जाय, उस पर एकदम से जिस प्रकार सेन्सेशन होना चाहिये कि किस प्रकार से उसको रोक पायें इस प्रकार की एक तड़फ होनी चाहिये। जब कोई नयी बात नोटिस में लायी जाती है तो यही कहा जाता है कि इसमें कौनसी नयी बात है, इस प्रकार की ध्वनि से, और उनकी सारी बातों से यह प्रतीत होता है और खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनसे राजनैतिक सौदेबाजी की जाती है। पहले कोटा महाराजा जनसंघ के साथ थे और पोलिटिक्ली उनको कांग्रेस के साथ लाकर, कांग्रेस के साथ लाने का मतलब यह है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

प्रोग्रेसिव है और प्रोग्रेसिव नीतियां अपनाने का यह मतलब है राजा महाराजा इनमें आ जायें और उनकी जमीनें माफ, जायदाद माफ सीलिंग लागू नहीं किया जावेगा। आप में यह निवेदन करना चाहता हूं, इस बात पर सोचें कि सरकार की इस प्रकार की नीति है तो क्या वापिस उन्हीं नीतियों पर चलने जा रहे हैं जिनको 1969 के पहले कांग्रेस चलाया करती थी। जो लोग चुन कर आये हैं आपके साथ हमने भी नीतियों पर सहयोग किया और चुनाव लड़ा, नीतियों के साथ लड़ा और सही तरीके से लड़ा। लैंड रिफोर्म्स होंगे यह कमिटमेन्ट था। क्या उन पर पर्दा पड़ रहा है? भूमिहीनों को यह उम्मीद हुई थी कि भूमि सुधार कर राजाओं के पास जो जमीन है वह बटेंगीं, उन सब पर आपकी ओर से पानी फेरा जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, इसको इस रूप में निवेदन करना चाहता हूं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैं भूमि सुधारों पर ही बोला हूं।

कोई माननीय सदस्य : दूसरे भी बोलने हैं।

मैं तो हर एक विषय पर बोलता नहीं हूं। समय तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं टेक्सेशन, राजस्व लगान के सम्बन्ध में जो कितने ही माननीय सदस्यों ने कहा है, इसमें बुनियादी परिवर्तन होना चाहिये और जो टेक्सेशन का नियम हैं, केपेसिटी टू पे, उसी पर टैक्स लगाना चाहिये। अनार्थिक जोतों पर टैक्स नहीं लगाओ इस सदन में भी ये बातें बार-बार उठायी जाती रही हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि परबन एरियाज हैं उनमें जो इन्कम टैक्स पे करने वाले हैं, एक सीमा तक इन्कम टैक्स नहीं लगता, हमेशा से कहते आये हैं कि बुनियादी चीज करना चाहते हैं और आंकड़े दिये हैं कि 25 लाख खातेदार ऐसे हैं जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग हैं, ढाई बीघा जमीन या एक एकड़ जमीन उनके पास है, ऐसे तबके को राहत देना चाहिये और जो नया तबका है जिसके पास इकोनोमिक होल्डिंग है उन पर लगान लगाना चाहिये।

(3.30 म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति पदासीन)

नये सेटलमेंट्स हो रहे हैं उनमें रेट्स का रिविजन हो रहा है। छोटी-मोटी बढ़ोतरी हो वह बात तो समझी जा रही है। जस्टिफाइड भी हो सकती है। मुझे आश्चर्य है कि सरकार की घोषणाओं के विपरीत नये सेटलमेन्ट में लैण्ड रेवेन्यू को बढ़ाया जा रहा है। आज ही जो हमें फीगर्स दिये गये हैं करीब 6 हजार गांव का नया सेटलमेन्ट हुआ है और उनमें 70 लाख रुपया लैंड रेवेन्यू का बढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि 32 हजार गांव हैं राजस्थान के, उसका 20 परसेन्ट हुआ। हमारे राजस्थान के पूरे गांवों का पूरा सेटलमेन्ट हो जावेगा तो साढ़े तीन करोड़ रुपये का टैक्स अधिक बढ़ाना चाहते हैं। राजस्थान का जो अभी लैंड रेवेन्यू है वह भी $3\frac{1}{2}$ करोड़ से बढ़कर पिछले 51 में जो $3\frac{1}{2}$ करोड़ था वह अब बढ़कर 11 करोड़ तक पहुंच गया है। इस 11 करोड़ में आप $3\frac{1}{2}$ करोड़ और बढ़ाना चाहते हैं। तो यह कितना परसेन्ट बढ़ गया? 35 परसेन्ट के करीब बढ़ता है। पर एक्चुअली अमल में तो इससे कई गुना बढाया जा रहा है। मेरे पास पाली जिले के किसान आये थे। उनके पास नये और पुराने

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दोनों परचे थे। एक मिसाल के लिये मैं उनसे लेकर यहां आया हूं। इसकी डिटेल मैं आपको दे रहा हूं। किसान का नाम है अमरा पुत्र हंजा, कौम मैरात, सिकने ग्राम लापुरा, तहसील रायपुर, जिला पाली। इसका पुराना लगान 5.63 पैसा है और लगान 22.67 पैसा हो गया। चार गुना बढ़ा दिया।

और सभापति महोदय, चाही का लगान जो था उसमें 70 पैसे के बजाय साढ़े सात रुपया बीघा कर दिया है। वह इलाका ऐसा है जो पहाड़ी है, जहां कुओं में पानी नहीं है। वरना 75 पैसा चाही का कम है, यह मैं भी मानता हूं। पर जहां नाम मात्र की चाही हो, पुरानी यह जिस बेसिस पर किया गया था नेचरली यही बेसिस था कि वहां पानी होता ही नहीं है। पहाड़ी क्षेत्र है। फिर खुद सरकार ने यह ऐलान किया था कि जहां तक मुझे याद है यह लगान वहां भी 25 परसेन्ट से अधिक नहीं अधिकाधिक 24 परसेन्ट बढ़ाया जावेगा और वह भी अलग अलग स्टेजेज में बढ़ाया जावेगा। पर यह 75 पैसे से 7) 50 पैसा कितना गुना होता है? दस गुना हो गया पूरा।

इसी प्रकार से सेटलमेन्ट जो किया जा रहा है, मैं समझता हूं, कि इसमें बुनियादी गड़बड़ है। इसको देखने की जरूरत है। इसी प्रकार से रेंट रेट के राशनेलाइजेशन की भी जरूरत है। यह मैं खुद स्वीकार करता हूं कि राशनेलाइजेशन की जरूरत है। खास तौर से अलवर जिले में काश्तकारों का रेंट बहुत ऊंचा है चाही का और माननीय मन्त्री जी जहां से आते हैं वहां भी बहुत ऊंची है रेट। वहां के किसानों में और यहां के किसानों में कोई फर्क नहीं है मेरे दिमाग में। मुझे खुशी नहीं होती है कि फलां जगह बढ़ जावे और फलां जगह घट जावे। पर रेशनल बेसिस होनी चाहिये। यह नहीं है। मैं अभी दौरा कर के आया हूं चीफ मिनिस्टर साहब की कान्स्टीट्यूएन्सी में तिजारा में। वहां लोग चिल्ला रहे थे लगान के बारे में। रेंट रेट जो अभी अनाउन्स की गई है बढ़ा दी गई है। जबर्दस्त रेट बढ़ा दी गई है। न केवल किसानों का कुल लगान मिलाकर उसकी किस्म भी, सभी बढ़ा दिया है। यह चालाकी कर दी। किस्म में जबर्दस्ती कर दी हेरफेर। इंडाइरेक्ट बैक डोर तरीका होता है यह बढ़ाने का। वरसों से चेंज नहीं हुई है किस्म। जमीन वही हैं। हायर ग्रेड की रखकर लगा दी और कहा की किस्म बदल गई है। पर-परसेन्टेज बढ़ाया नहीं है। यह दुरुस्त नहीं होगा। इस बारे में देखने की जरूरत है। सैटलमेन्ट के मामलों में केवल लगान ही नहीं, बल्कि जो रेकार्ड तैयार किया गया है उनमें परचों में जबरदस्त गड़बड़ियां हैं। हजारों परचे दुबारा बना दिये गये है एक-एक तहसील में। अलवर में जिन तहसीलों में अभी सैटलमेन्ट हुआ है हर जगह तिजारा में, किशनगढ़ में, लक्ष्मनगढ़ में हर जगह इन तीनों तहसीलों में यह हुआ है। इसी हफ्ते दौरा करके आया हूं। हजारों उजरदारियां हो रही है। इसका आप कोई रास्ता निकालें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : व्यवस्था का प्रश्न है। आसन से व्यवस्था दी गई थी कि हर एक दल के लिए समय नियत किया गया था। ये दल के समय से भी अधिक बोल चुके हैं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

श्री सभापति : व्यवस्था का प्रश्न नहीं है जो समय पार्टी के लिए निर्धारित है उसके अंदर समाप्त कराने का प्रयास किया जावेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम भी एडजस्ट करते हैं जब आपकी पार्टी के लोग बोलते हैं तब आप भी वैसा करने की कोशिश करें। आपके ही दल को दिया गया था समय। कल समय बढ़ाया गया था।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : नहीं तो प्रद्युम्नसिंह जी रह जावेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कुछ समस्याएं अलवर जिले की है जिनका कट मोशन के जरिये मैंने उल्लेख किया है। मेव मुसलमान है। 47 में साम्प्रदायिक दंगों के कारण वे वहां से उखड़ गये थे। पर महात्मा गांधी के कहने पर वापस अलवर भरतपुर जिलों में बसाये गये। उनमें से कुछ की अपनी जमीन थी वे छोड़कर गये थे वापिस वह उनको मिल गई और कुछ जमीन पर पाकिस्तान से आये हुए रिफ्यूजी बसा दिये गये थे। इसलिये उनको वह जमीन तो नहीं दिलाई जा सकी, या तो उसी गांव में दूसरी जमीन खाली थी तो वह दिला दी गई और अगर उस गांव में नहीं थी खाली तो दूसरे नजदीक के गांव में जमीन दिला दी गई और बहुत हारमोनियस तरीके से यह समस्या हल कर दी गई थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : जल्दी समाप्त करें। आपको समय काफी दिया जा चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन लोगों को गैर खातेदार दर्ज किया हुआ है अभी भी रिकार्डों में। मैं समझता हूं यह सरासर अन्याय है उनके साथ। इस गलती को दुरुस्त किया जाना चाहिये और खातेदार होने से जो लाभ होते हैं और गैर खातेदार रहने से जो नुकसान होते हैं उनको आप अच्छी तरह जानते हैं।

दूसरा, बिस्वेदारी एबोलिशन एक्ट पास हुआ था तो हमारे जिले में निष्क्रमणार्थी मेव चले गये थे। वह अन-आकूपाइड लैंड था। तो बिस्वेदारी निष्क्रमणार्थी मेव चले गये थे। वह अन आकूपाइड लैंड था। तो बिस्वेदारी एक्ट के अनुसार वह जमीन सरकार में वेस्ट हो गई। लेकिन कस्टोडियन विभाग ने उसको इवेक्यू लैंड मानकर नीलाम कर दिया और उस नीलाम में कुछ लोगों को तो कब्जा मिल गया और बाद में भारत सरकार और राजस्थान सरकार के बीच बातचीत हुई और इसमें निर्णय लिया गया कि यह जमीन वास्तव में रेवेन्यू विभाग की है। राजस्थान सरकार में वह वेस्ट हो गई। कस्टोडियन की नहीं है। इसलिए तय किया गया कि जो नीलाम हो गई और जिसे एक्चुअली पजेशन दे दिया गया तो उसे रेगुलर कर दिया जावे। पर नीलाम को जहां इफेक्टिव नहीं किया गया उसे कैंसिल समझा जावे और रेवेन्यू विभाग की वह जमीन रहेगी और कस्टोडियन उसका कुछ नहीं करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो अभी भी ऐसी बहुत सी जमीन है जिसको कि नीलाम किया गया था हजारों बीघा में वह जमीन है। अब उन लोगों ने जिन्होंने 59 में नीलाम में बोली लगाई थी और जो बाद में भारत सरकार और राजस्थान सरकार के आपसी निर्णय में कैंसिल समझ ली गई थी, अब 12 तेरह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

साल बाद जाकर उस नीलाम को रिवाइव करवा रहे हैं और कब्जा ले रहे हैं उन जमीनों का । इन जमीनों का कब्जा रेवेन्यू विभाग को लेना चाहिए था पर उसने लिया नहीं था इतने दिनों तक । इस कारण वह जमीन जिसको हरिजनों को अलाट कर दिया गया था और जहां आज हरिजन खेती कर रहे हैं उनसे वे नीलामी को रिवाइव कराने के बहाने उनसे छीन रहे हैं जबर्दस्ती। इससे बड़ा असंतोष का वातावरण गांव गांव में पैदा हो रहा है । सरकार इसको देखे और शीघ्र इस बारे में कोई कार्यवाही करे। सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं उसके बारे में एक काल अटेन्शन नोटिस भी दिया था। माननीय मंत्री जी इस बारे में उत्तर देंगे। मामले तो काफी थे, माननीय मंत्रीजी के बारे में, जो इनके विभाग से सम्बन्धित हैं, नोटिस में दिया हुआ है लेकिन ऐसी जल्दी में नहीं कह सकता, फिर मौका आयेगा तो रखूंगा ।

श्री सभापति : श्री मोहनराज !

श्री **मोहनराज** (बाली) : सभापति महोदय, भू-राजस्व के जो विभिन्न पहलू हैं– भूमि बन्दोबस्त, लगान लगाने की पद्धति, लगान वसूल करने की पद्धति, मूटेशन के मामले, इन विभिन्न मसलों पर राजस्थान सरकार का अभी तक रूढ़ीवादी रवैया है और मेरे से पूर्व कुछ वक्ताओं ने इस सम्बन्ध में जो मन्तव्य पेश किये हैं, मैं उनको दोहराना तो नहीं चाहता लेकिन मैं इतना जरूर सोचता हूं कि जो भी इस बारे में अलग-अलग कमीशन बैठाकर जो चिन्तन किया गया है उस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये और उसमें कुछ मूल भूत परिवर्तन करके सुधार करना चाहिये। मैं फिलहाल उन डिटेल्स में तो नहीं जाना चाहता हूं और न रखने का समय ही है लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं अभी जो लैण्ड रेकार्ड रखने की पद्धति है और जो लगान वसूल करने की पद्धति है उसमें बिना कुछ आमूलचूल परिवर्तन किये बहुत बड़ा सुधार किया जा सकता है और उसमें मेरा सुधार यह है कि यह कार्य लगान वसूल का, यह सारा का सारा पंचायतों के जिम्मे दे दिया जाय और जो भी रेकार्ड है रेवेन्यू को उनको मेन्टेन करने का और उसके मुताबिक जो समस्यायें हैं, उन समस्याओं के निपटाने का अधिकार पंचायतों को दे दिया जाय ।

मैं सोचता हूं बहुत बड़ा खर्चीला भाग है और आमदनी कम है, झगड़े बहुत हैं उन में राज्य सरकार उलझती है तो तरह-तरह की पटवारी से लेकर ऊपर राजस्व अधिकारी तक जो मामले आते हैं और गांव का गरीब किसान भ्रष्टाचार का शिकार बनता है उन सब बातों से निपटने का अच्छा उपाय होगा और पंचायतों की स्थिति भी अच्छी होगी । हो सकता है इतना राजस्व का मामला 10–12 करोड़ का बर्दाश्त न कर सके तो मैं सोचता हूं फिलहाल पंचायतों को जो वसूली में खर्च होता है उसको पूरा न देकर 25 प्रतिशत भू-राजस्व पंचायतों को देना कबूल करेंगे तो पंचायतों की स्थिति अच्छी होगी और राज्य सरकार बहुत बड़ी शिकायतों से बच जायगी । मैं सोचता हूं जो भी पंचायतों के हिस्से की रकम आये उससे पंचायतों का विकास होगा और वे अपना काम सुचारू रूप से करने लगे तो उनको अनुदान की राशि और बढ़ाई जा सकती है । धीरे-धीरे यह राशि

(श्री मोहनराज)
पंचायतों को दें। इससे गांवों में विकास की लहर आयेगी और कई काम उस लेवल पर हो जायेंगे और वसूली में पक्षपात और भ्रष्टाचार होता है वह मिट जायगा।

मैं अब अपने क्षेत्र के मुताल्लिक जो गंभीर समस्या है, उसकी ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वाली में एक कदीमी गोचर भूमि है और यह एक निर्विवाद बात है जो गोचर भूमि है जहां पर गांव के मवेशी सदियों से चरती आई हैं, उसको गोचर ही दर्ज किया जाना चाहिये लेकिन न जाने किन कारणों से जोधपुर के महाराजा ने, भूतपूर्व महाराजा ने गोचर भूमि को अपनी पर्सनल प्रापर्टी में दर्ज करवा ली। मैंने जो वाली तहसील में रेकार्ड है और जो वहां पर इन्द्राज किया गया है उसमें यह भूमि पहले जोड़ के नाम से दर्ज थी और जब यह जमीन जोड़ से रिज्यूम होती है तो वह सारी की सारी खालसा हो जाती है। रेवेन्यू की भूमि थी जब जागीरदारी अबोलिशन के बाद इन्द्राज किया गया तो बाद में पर्सनल प्रापर्टी के रूप में दर्ज कर दी गई और जिस वर्ष यह दर्ज की गई है उस वर्ष उच्च अधिकारी का या निम्न अधिकारी का आदेश का हवाला नहीं है मैं सोचता हूं कि यह गंभीर मसला है और राज्य सरकार इस भूमि पर जो गलत इन्द्राज हुआ है उसको दुरुस्त करे।

मान लीजिये जोधपुर के भूतपूर्व महाराजा ने इस भूमि को अपनी प्राइवेट प्रापर्टी की जो फहरिस्त है उसमें दर्ज कर दिया हो लेकिन मैं सोचता हूं उसके बाद राज्य सरकार ने मान्यता भी दे दी हो तो चूंकि यह भूमि सदियों से गोचर के काम में आती रही है और जो रेवेन्यू के पुराने रेकार्ड हैं उनमें जो यह जोड़ की भूमि गिनी जाती है, अगर इस प्रकार का इन्द्राज मौजूद हो तो उसके अनुसार इस भूमि को पर्सनल प्रापर्टी की लिस्ट से निकालकर गोचर में लिया जाना चाहिये। गत वर्ष तक यह भूमि गोचर के काम में ली जाती थी। गत वर्ष ही अगस्त में महाराजा के लोगों ने ट्रेक्टर चलवा कर इस जमीन को जोतना शुरू किया हमने जब कहा तो वहां के रेवेन्यू के आदमियों ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। महाराजा की पर्सनल भूमि है। वे चाहे जैसा उपयोग करें। मैंने कहा चाहे जैसा उपयोग कैसे कर सकते हैं। वाली के मवेशी हैं, उनको चारा कहां से मिलेगा। लेकिन खैर उस वक्त गांव के 100 आदमियों ने सारी मवेशियों को लेकर, मैं भी उनके साथ था उस जोड़ में मवेशी चराई। महाराजा का ट्रेक्टर उस वक्त रुका लेकिन इस साल फिर परेशानी आने वाली है। फिर ट्रेक्टर लेकर जोतने की कोशिश करेंगे और हो सकता है वहां पर किसी तरह की शान्ति भंग हो। मैं चाहता हूं कि इसके पहले कि यह नोबत आये राज्य सरकार कलेक्टर या एस० डी० ओ० को आदेश दे और जो गवर्नमेंट का पुराना रेकार्ड है उस पर मवेशी चरने के इन्द्राज हैं। अतः उस जमीन को गोचर के काम के लिये ही व्यवस्था करें।

मैं वहां पर यह भी ध्यान में लाना चाहूंगा आज सुबह राजस्व मंत्रीजी ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया जोधपुर के भूतपूर्व महाराजा हैं उनके पास 38852 बीघा और कुछ बिस्वा भूमि है उसमें वाली खास

(श्री मोहनराज)

तहसील में 7230 बीघा भूमि है। जहां 7230 बीघा भूमि अकेली बाली तहसील में हो और इसके अलावा करीब 31 हजार और भूमि जगह-जगह पर है, जिसके अन्दर बाली है, वह गैर मुमकिन भूमि है। अगर उस पर कब्जा नहीं रहा है तो उसको गोचर बनाने में न तो उनको एतराज होना चाहिये और न कानूनी बाधा आ सकती है। मैं सोचता हूं इस मुताल्लिक जल्दी से जल्दी निर्णय लेकर वहां के राजस्व अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी करेंगे ताकि यह मामला शीघ्र हल हो जाय।

दूसरी चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं, आदिवासियों के लिये एक देवला जोड़ नाम की जमीन दो साल पहले वन विभाग में एक हजार बीघा राजस्व विभाग को सौंपी गई थी कि आदिवासियों में यह जमीन आवंटित की जाय। वहां के आदिवासियों को जमीन देने की जो समस्या है उसके खातिर राज्य सरकार ने भी आदेश जारी किये है उसमें चार सौ बीघा तो आवंटित की जा चुकी है लेकिन 600 बीघा जमीन आवंटित नहीं हुई है और वह भूमि शीघ्र ही लोकेट करके आवंटित की जानी चाहिये। मेरा विचार है वन विभाग ने रिपोर्ट दी है चार सौ बीघा भूमि उपलब्ध है। मैं सोचता हूं गिरासिया, भील, मीणे आज भी ढालों पर खेती करते हैं। आदिवासी लोग माहिर हैं। उनको दो दो बीघा भूमि काश्त के लिये देनी चाहिये और भूमिहीन हैं उनको ही दी जानी चाहिये। लेकिन 4 बीघा से ज्यादा जमीन किसी को नहीं दी जाय। और अभी जो 600 बीघा जमीन बाकी रही है उससे 125 परिवार लाभान्वित होंगे इसलिए जल्दी से जल्दी यह भूमि आवंटित की जाये इस तरह की भी व्यवस्था की जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

दूसरी चीज मैं अर्ज करूंगा कि अनुसूचित जाति के लोगों को हम जमीन आवंटित करते हैं लेकिन उनके पास कुछ लोग रहने नहीं देते। बाली के पास बारवा नाम का गांव है जहां 40 मेघवाल परिवारों को जमीन दी गयी; एस. डी. ओ. ने जमीन दी, पंचायत ने प्रस्ताव पास किया कि यह भूमि उनको दे दी जाये, लेकिन वहां पर दूसरे जागीरदार जाति के लोग हैं वे चाहते हैं कि अगर मेघवालों के पास जमीन आ गयी तो उनके खेतों में काम कौन करेगा, उनके यहां फसल काटने वाले कहां से आवेंगे, तो सारे के सारे लोगों ने एका करके उनको भूमिहीन बनाने के लिए उनके ऊपर हमला किया और उनकी औरतें और बच्चों को पीटा। हालांकि वे अभी भी काबिज है लेकिन हर वर्ष फसल बोने के पहले मुश्किल होती है। गांव के जो सशक्त लोग हैं वे हमलावर होकर आते हैं। मैं चाहता हूं कि जब उनको जमीन दी गयी है तो राज्य सरकार ऐसा इन्तजाम करे कि वे लोग वहां पर काबिज रह सकें।

मैं सिर्फ वन विभाग के मुतल्लिक एक ही मिनट में अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा। वन विभाग में भी पुराने आदिवासी लोग हमेशा से काश्त करते आ रहे हैं, उनकी उस भूमि को भी रेगुलेराइज करने का प्रावधान बना हुआ है। इस

(श्री मोहनराज)

प्रकार के आदेश भी हुए तो सहवाड़ी के निकट पीपला गांव है वहां पर 6 गिरासिया फेमिलीज ने आवेदन-पत्र दिये कि हमारे बहुत पुराने कब्जे हैं और हमें वहां पर काबिज रखा जाये। उस पर वन विभाग के उस समय के अधिकारी ने यह लिख दिया कि चूंकि ये जुर्माना बराबर अदा नहीं करते हैं इसलिए इनको वहां से निकाल दिया जाये। मैं सोचता हूं कि उन्होंने गत 15 वर्षों से बराबर जुर्माना अदा किया है और उनके पास रसीदें हैं और उन खेतों में जितनी उपज हुई है वह सारी की सारी जुर्माने के रूप में वन विभाग वसूल करता रहा है लेकिन फिर भी उनको बेदखल किया जा रहा है। तो ऐसे 6 परिवार हैं, उनकी हमेशा की काबिज भूमि है तो उसी के अन्दर उनको रेगुलेराइज करके रखा जाये तो ही जाकर उनका भला हो सकता है।

दूसरी बात बेलार और रूपा गांव हैं यहां पर कदीम से गोचर की भूमि हैं वहां भी वन विभाग ने हदबन्दी करने के बतौर पत्थर की दीवार खड़ी करना शुरू की है। मैं सोचता हूं कि अगर कोई वन विभाग का अधिकारी वहां गया है तो उसको मालूम होगा कि वह दीवार खिचती-खिचती गांव के बीच में आ गयी है, लोगों के घर सुरक्षित वन-खण्ड में आ गये हैं। दीवार के कारण तो उनके निकालने के रास्ते भी वन क्षेत्र में आ गये और मवेशियों के जाने के रास्ते भी वन क्षेत्र में आ गये, तो मैं सोचता हूं कि एक आदेश 1965 और 66 में यह निकला है कि वन विभाग द्वारा जो हदबन्दी की जा रही है वह स्थानीय पंचायत और पंचायत समिति की राय से ही की जाये। जो आदेश निकाले गये हैं उनकी अनुपालना कराई जाये तो गांव-गांव में पैदा होने वाली समस्या दूर हो जावेगी और लोगों को जो वास्तविक कठिनाई हो रही है वह दूर हो जायेगी। मैं चाहता हूं कि जो 1965 और 66 के आदेश निकले हैं, पंचायत और पंचायत समितियों की सलाह से हदबन्दी किये जाने के संबंध में उनकी अनुपालना राज्य सरकार कराये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस मुझे इतना ही कहना था।

श्री सभापति : श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : सभापति महोदय, मेरा कट मोशन लगान की दरों के समानीकरण के संबंध में है। सभापति महोदय, खेद के साथ कहना पड़ता है कि 17 सालों में जब जब भी मौका मिला है मैं इसकी तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता आ रहा हूं और सरकार इस बात का औचित्य भी मानती है लेकिन पता नहीं लगता है कि क्यों न इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाये जाते हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान में जो लगान की दरें हैं उसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउन्ड है। अलग-अलग रियासतों में अलग-अलग लगान की दरें थीं और जब राजस्थान का एकीकरण हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी उसके बाद सेटिलमेन्ट भी हुआ तो भी उसी आधार पर सेटलमेन्ट किया गया और सिर्फ इतना ही नहीं सभापति महोदय, जो खालसा गांव थे और जहां लगान रियासतें लेती थीं उनकी दरें तो फिर भी

(श्री पी. के. चौधरी)

कम थीं लेकिन जो जागीरदारी गांव थे और जागीरदार जो लगान लिया करते थे उनकी दरों को सरकार ने कायम रखा। जो गांव जागीरदारी में आते थे वहां लगान की दर बहुत अधिक थी और खालसा में कुछ कम थी। फिर भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग दरें थीं।

दूसरी बात सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं खास करके चाही जमीन के संबन्ध में। राजस्थान में पता नहीं जहां भी आप देखेंगे चाही जमीन की जो लगान की दर है उसको नहरी से अधिक रखा गया है। पता नहीं सरकार का दिमाग ऐसा क्यों है कि चाही जमीन नहरी जमीन से अच्छी है? यह धारणा आज भी सरकार के दिमाग में चल रही है और जैसा आपको विदित है कि नहरी जमीन का लगान सब जगह 26 जिलों में ही चाही जमीन का लगान है वह नहरी जमीन से कम है जब कि सभापति महोदय लगान की दर निर्धारित करने के लिए लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का सेक्शन 152 है उसमें कुछ आधार दिये हुए हैं और वह आधार यह हैं—नेचर आफ क्राप ग्रोन, वैल्यु आफ दी क्राप, एक्सपेन्सेस आन कल्टीवेशन एण्ड एरिया आफ लैण्ड कल्टीवेटेड—यह तरीका लगान का लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में माना गया है और सरकार भी मानती है लेकिन सभापति महोदय, मैं आपको आकर्षित करना चाहूंगा कि आज जो चम्बल नहर का एरिया है और गंगानगर का जो नहरी एरिया है, आप जानते हैं कि वहां पर फसल का कास्ट आफ प्राडक्शन खास करके पिलाई में खर्चा होता है लेकिन जो नहरी एरिया है उसमें एक फसल में पानी देने का—गेहूं की फसल ले लें—उसके लिए चम्बल एरिया में 10 रुपया था और गंगानगर एरिया में भाखरा और गंग केनाल में 10 रुपया था लेकिन अब आकर सभी जगह 12 रुपया हो गया है लेकिन आज चम्बल एरिया में नहरी जमीन का लगान का दर 3.50 से 4 रुपया प्रति बीघा है जब कि गंगानगर एरिया में जो नहरी जमीन है जिसको पूरी इन्टेन्सिटी से पानी मिलता है और दो फसली जमीन है उसका लगान की दर 2.50 रुपया से 3.50 रुपया है और इसके मुकाबले, सभापति महोदय अजमेर जिला है जहां चाही जमीन की दर 8.50 रुपये से 11 रुपया है, किशनगढ़ में 8.70 रुपया, सराड़ा में 9.70 रुपया, अलवर की राजगढ़ तहसील में 8.50 रुपया, थानागाजी में 8.50 रुपया, उदयपुर में 8 रुपये से 15 रुपये तक लगान की दर है। देवगढ़ में 8 रुपया, कुम्भलगढ़ में 9.50 रुपया, सलूम्बर में 10 रुपया, नाथद्वारा में 12.50 रुपया और गिरवा में 15 रुपया प्रति बीघा लगान की दर है।

चित्तौड़गढ़ जिले में प्रतापगढ़ में साढ़े 12 रुपया, चित्तौड़गढ़ तहसील में आठ रुपया। हमारे जयपुर जिले में, सभापति महोदय, वह 10 रुपये से 18 रुपया प्रति बीघा लगान की दर है। चाकसू में साढ़े 10 रुपया और जयपुर तहसील में 18 रुपया है। कुछ गांव तो ऐसे हैं हमारे, सभापति महोदय, जो स्पीकर महोदय की कांस्टीट्यूएंसी में हैं, उनकी 22 रुपया प्रति बीघा लगान की दर है। इसी प्रकार से झालावाड़ जिले में पिड़ावा में लगान की दर साढ़े 10 रुपया है। झुंझुनूं में चाही जमीन की लगान की दर साढ़े 7 रुपये लेकर 15 रुपये तक है। झुंझुनूं तहसील में साढ़े 7 रुपया, उदयपुर

(श्री पी. के. चौधरी)

वाटी में साढ़े 7 रुपया, चिड़ावा में 7 रुपया और खेतड़ी में 15 रुपया लगान की दर है। टोंक जिले में साढ़े 7 रुपये से 8 रुपया 81 पैसा। टोंक प्रोपर में 8 रुपया 81 पैसा, निवाई में साढ़े 8 रुपया, उनियारा में साढ़े 7 रुपया। नागौर में नांवा तहसील में पौने 7 रुपया। पाली जिले में पाली तहसील में साढ़े 6 रुपया, बाली तहसील में साढ़े 6 रुपया। बांसवाड़ा में कुशलगढ़ में 9 रुपया। भरतपुर की जो धोलपुर सब डिवीजन है उसमें साढ़े 8 रुपया। भीलवाड़ा में 8 रु० हर एक तहसील में। सवाई माधोपुर में साढ़े 9 रुपये से 10 रुपया तक। गंगापुर में 12 रुपया, हिण्डौन में 10 रुपये तक। श्री माधोपुर में साढ़े 8 रुपया, दांतारामगढ़ में 10 रुपया; नीमकाथाना में साढ़े 8, फतहपुर में सवा आठ।

तो, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जो चाही जमीन है इसको सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि जमीन का कास्ट आफ प्रोडक्शन नहरी जमीन से ज्यादा है। नहरी जमीन में गेहूं की फसल में चार बार पानी दिया जाता है। इसकी कीमत पड़ती है जैसा कि पिछले साल वित्त मंत्री ने कहा कि 12 रुपया एक गेहूँ की फसल का पानी आता है। जब कि सभापति महोदय, एक जो चाही जमीन है, कुए से सिंचित जमीन है, उस गेहूँ की फसल की जयपुर जिले में जो पिलाई होती है उसमें कम से कम 6-7 पानी देना पड़ता है। सात पानी और दो जोड़ी बैल और पानी देने के लिए एक आदमी, ये सब मिल कर एक बीघा जमीन को पानी पिलाते हैं तो उसका कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन पड़ता है करीब साढ़े तीन सौ रुपया। साढ़े तीन सौ रुपया गेहूं की फसल का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है और जो इलेक्ट्रिक पम्प से खेती करते हैं तब जाकर सवा सौ रुपया एक गेहूँ की पिलाई का पड़ता है और बिजली से डीजल एन्जिन से पिलाई करते हैं उनका पौने दो सौ रुपया खर्च पड़ता है। गेहूं की फसल की पिलाई का। तो, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार का जो कानून बना हुआ है सैक्शन 152, जिसके आधार पर इसमें लगान की दर तय करने का आधार किया है, उस आधार में एक बात रखी है एक्सपेंसेज ऑफ कल्टीवेशन करने में जो खर्चा होता है उसको कन्सीडर किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इन सब बातों को मानते हुए भी आज नहरी जमीन पर एक गेहूं की फसल उगाने का खर्चा 12 रु० वित्त मन्त्री महोदय ने लास्ट ईयर किया है, इसमें प्रति एकड़ 12 रुपया किया है लेकिन चाही जमीन का खर्चा 300 रुपया आता है। वित्त मन्त्री ने लास्ट ईयर कहा था Wheat :--Existing rate per acre-Rs. 8 to 10/ Proposed rate per acre Rs 12. यहां पर एक एकड़ पिलाई का जब कि हमने यहां एक बीघे का हिसाब बताया है, गेहूं की फसल उगाते हैं उसकी पिलाई 300 रुपया पड़ता है तो यह समझ में नहीं आता है कि सरकार का क्या उसके लिए बेसिस है। यहां चाही जमीन का लगान आप रखते हैं, रखते इस वजह से, सरकार ने बनने के बाद, राजस्थान का इण्ट्रीगेशन होने के बाद अपने दिमाग को इसमें नहीं लगाया। जो लगान जागीरदार लोग लेते थे उसी लगान के बेसिस पर हमने भी तय कर दिया और वही लेते जा रहे हैं। इसलिए सभापति महोदय, लगान की दर के सम्बन्ध में ..

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

(श्री पी. के. चौधरी)

एक मिनिट में समाप्त कर देता हूं। इस बात के औचित्य को हमारे यहां एस्टीमेट्स कमेटी ने भी कई दफा कहा है और 1970-71 की एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट में कहा है कि लगान की दर में असमानता है, उसको ठीक करना चाहिये, समानीकरण करना चाहिये। राज्य सरकार ने रेवेन्यू लॉज कमीशन बनाया था।

सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं। जो लगान की दर बढ़ाई गई है, हर एक तहसील में क्या किया है कि री-सेटलमेंट किया, सब तहसीलों में, एक एक तहसील में और आज लगान की दर बढ़ा कर करीब 70 लाख रुपया का लगान बढ़ाया है। यानी एक तहसील का फीगर आता है पौने दो लाख रुपया, दो लाख रुपयों का लगान का री-सेटलमेंट से असर पड़ा है। अब री-सेटलमेंट के भी माननीय मन्त्री महोदय, मैंने फीगर कलेक्ट किये हैं, जिनमें एवरेज आता है उदयपुर में राजसमन्द में 1 लाख 99 हजार रुपया, मावली में 2 लाख 28 हजार रुपया, नाथद्वारा में 1 लाख 71 हजार रुपया जब कि नाथद्वारा में चाही जमीन का लगान पहले से ज्यादा है। तो इस प्रकार एक एक तहसील का डेढ़ लाख से दो लाख रुपया का एवरेज आता है। लाखों रुपयों का लगान आपने बढ़ाया है। मैं निवेदन करता हूं कि यह री-सेटलमेंट करने में तो आप जल्दी कर रहे हैं लेकिन इस लगान की दर के समानीकरण के बारे में बारबार हम यहां उठा रहे हैं। बराबर किसान लोग आवाज उठा रहे हैं लेकिन आप ध्यान नहीं देते है। यह आपका आउटलुक अनसाइन्टिफिक है, अनसाइन्टिफिक एटीट्यूड रहा है, इसमें साइन्टिफिक एटीट्यूड नहीं है। रेशनल एटीट्यूड नहीं रहा है। इस सम्बन्ध में, सभापति महोदय, मैं सिर्फ रेवेन्यू लॉज कमीशन ने जो कुछ कहा है, एक दो लाइन मैं आपको सुना दूंगा।

रेवेन्यू लॉज कमीशन ने यह कहा है:

"There is an urgent need for under- taking assessment of all the rents. The existence of disparity between lands which is prevalent in the State is partly due to historical reasons as survey and settlement work was carried out in various States at different times as they thought fit and as they considered proper to fill their coffers."

यानी राजा महाराजा ने अपनी तिजोरी भरने के लिए ऐसा लगान तय किया था लेकिन उसके बाद सरकार भी अपनी तिजोरी भरने के लिए उसी रेट को चलाना चाहती है। इसलिये इसको हटाना होगा। उन्होंने आगे कहा:

"There is persistent demand from the public to remove this inequality. We are of the opinion that this just demand of the public should be met by the State and a scheme should be evolved for the rationalisation of the land revenue rates."

दूसरा यह कह दिया:

"The recommendation given by the Settlement Commissioner is sound and

(श्री पी. के. चौधरी)

feasible and we strongly recommend that the State Government should take steps for immediate imple-metnation. This will go a long way in removing the standing grievances of the tenants that they are taxed inequitably. This inequa-lity should not be permitted to exist now when there is one State."

यानी सरकार की जितनी कमेटीज हैं, रेवेन्यू लॉज कमीशन हैं, जो भी हैं इस बात को एस्टीमेट कमेटी के सामने रेवेन्यू सेक्रेट्री ने खुद ने स्वीकार किया था कि कास्ट आफ प्रोडक्शन है चाही जमीन का वह बहुत अधिक है। तीन-सौ रुपया एक गेहूं की पिलाई का आता है एक फसल का। इन सब बातों को मानते हुए भी सरकार क्यों अमल नहीं करती है। अभी दो हजार गांवों का री-सेटलमेंट किया तो 70 हजार रुपया बढ़ा लिया और 32 हजार गांवों का री-सेटलमेंट होगा तो करोड़ों रुपया बढ़ जाएगा। तो फिर एक करोड़ का नुकसान भी हो जाय तो क्या फर्क पड़ेगा। आपको इसका रेशनलाईजेशन करना चाहिए और जो डेस्पेरिटीज हैं, जो हार्ट बर्निंग है उसको दूर करना चाहिए। वित्त मंत्रीजी ने खुद ने इस बात को स्वीकार किया है वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था, वह सुना दूं। वित्त मंत्री ने पिछले साल यह कहा था वह भी इस बात को स्वीकार करते हैं:—

"It may not be out of place to mention here that the cost of well irrigation, whether the water is drawn by animal power or electric or diesel pump, is many times higher than the cost of irrigation by canals. At the same time, the capital investment for the construc-tion of the well etc. has to be arranged by the cultiva-tor himself."

इन सारी बातों को देखते हुए, सब हकीकत को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, रेशनेलिज्म को स्वीकार करते हैं। गत 17 साल से सरकार इसको स्वीकार कर रही है परन्तु कुछ नहीं किया गया है। मैं रेवेन्यू मिनि-स्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूं, वे खुद काश्तकार हैं और वे भी इस बात का अहसास करेंगे लैन्ड रेवेन्यू का रेशनेलिज्म किया जाना चाहिए। बारानी जमीन के लगान में, और कुए से सिंचित होने वाली जमीन के लगान में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। नहर से सिंचाई वाली जमीन का होना चाहिए परन्तु कम से कम बारानी और कुए से सिंचित जमीन में लगान की दर में क्यों फर्क हो, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

एक कट मोशन मैंने गांवाई जंगल के बारे में दिया है। एक बार वहां पर फोरेस्ट मिनिस्टर को भी ले गया था। वहां उन्होंने लोगों से वादा किया था कि वे इस जंगल को रिलीज कर देंगे अलाटमेंट के लिए। आज इस बात को चार साल हो गये हैं।

(श्री पी. के. चौधरी)

चार साल से इसका पेपर कहां चल रहा है? इसका कोई पता नहीं है। यह मेरा कट-मोशन है लिस्ट वन, श्राइटम 22 में यह उम्मीद करता हूं कि वन मंत्री श्रब इसको रिलीज कर देंगे ताकि हरिजनों को इसका श्रलॉटमेन्ट किया जा सके।

श्री सभापति : श्री भैरूलाल !

(श्रनुपस्थित)

श्री मोहरसिंह !

श्री मोहरसिंह (चूरू) : सभापति महोदय, सेटिलमेन्ट विभाग जिस प्रकार से मनमानी श्रौर धांधली उसके नियमों के विपरीत भू-राजस्व में वृद्धि करता है उसका एक नमूना मैं इस सदन के सामने प्रस्तुत करूंगा।

चूरू तहसील का श्रभी सेटिलमेन्ट का काम चालू है। वहां पर जो लगान प्रस्तावित किया गया है वह 102 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके परचे वितरित हो रहे हैं। इस प्रश्न पर विचार करने के लिए इसकी पृष्ठभूमि में जाने की जरूरत है। श्राज से 27-28 साल पहले चूरू जिले का सेटिलमेंट हुश्रा था। उस सेटिलमेंट में चूरू तहसील का लगान दुगुना बढ़ा दिया था। जनता ने श्रान्दोलन किया। बड़े-बड़े प्रदर्शन हुए। दस साल तक मुकदमे चलने के बाद सरकार ने लगान कम किया। इस प्रकार लगान में कमी की गई थी। उस सेटिलमेंट को श्रांख मूंदकर, चुपचाप नहीं माना श्रौर जो 2002 में लगान तय हुश्रा था उसको ही श्राधार मानकर श्रौर फिर लगान की वृद्धि कर दी गई है श्रौर यह वृद्धि 102 प्रतिशत है। सरकार ने वार वार इस सदन में कहा है, यह कानून बनाया है, किसी भी जगह सेटिलमेंट में 25 प्रतिशत से ज्यादा लगान की वृद्धि नहीं की जाएगी। मुख्य मंत्री ने भी तीन-चार साल पहले जब किसान श्रांदोलन हुश्रा था तब इस सदन में श्राश्वासन दिया था कि 25 प्रतिशत से ज्यादा लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। जहां पर बढ़ाया गया है उसकी वृद्धि को रोक दी जाएगी श्रौर उस सारे मामले पर पुर्नविचार किया जाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस श्राश्वासन को क्या सरकार ने ताक में रख दिया है श्रौर फिर वही का वही काम कर दिया गया है। लोगों से प्रस्तावित लगान वृद्धि के लिए श्रोब्जैक्शन नहीं मांगे गये हैं। श्रोब्जैक्शन की कोई सुनवाई नहीं हुई है, न कोई तारीखें दी गई हैं श्रौर न उसकी कोई जानकारी थी। बिना इस प्रकार की सुनवाई किए लगान की वृद्धि करना, बिना लोगों को पक्ष रखने का मौका दिए मनमाने ढंग से पता नहीं क्यों ये सारी बातें कर दी जाती हैं, जब कि सरकार ने यहां पर श्राश्वासन दिया था, यह नियम, कानून बनाया था उसको ताक में रखकर इस प्रकार का प्रस्ताव भेज दिया गया। रेवेन्यू बोर्ड ने भी चुपचाप उस पर श्रपने दस्तखत कर दिए श्रौर राजस्व मंत्री ने भी श्रांख मूंदकर उसको मान लिया। नतीजा यह हुश्रा कि उन्होंने श्रपने स्वयं के दिए हुए श्राश्वासन को श्रपनी कलम से उड़ा दिया। इसका एक नमूना इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं कि सेटिलमेंट में कितनी श्रंधेरगर्दी है– चूरू जिले में सेटिलमेंट का श्रॉपरेशन शुरू हुश्रा। ये तीन बार बन्द हुए श्रौर तीन बार चालू कर दिए गए। इस प्रकार नामान्तरण नहीं हो सकता।

(श्री मोहरसिंह)

उस इलाके में कोई किसान अपनी खातेदारी के अधिकृत नकल लेना चाहता हो तो नहीं मिल सकती है। सेटिलमेन्ट चूरू में हो रहा है और उसका दफ्तर बाड़मेर में है। इस प्रकार की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है? कहां आपका दफ्तर हो? जहां सेटिलमेन्ट ऑपरेशन चलाया जाता हो वहीं दफ्तर लगाया जाना चाहिये, यह समझ में नहीं आता है। उत्तर में सेटिलमेन्ट हो रहा है और राजस्थान के दक्षिण में सेटिलमेन्ट ऑफिसर का दफ्तर होगा। इससे लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। सरकार को व्यवस्था के प्रति, कानून के प्रति लोगों को घृणा पैदा होती है। इस प्रकार का इन्तजाम क्यों किया जाता है।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, बंटवारा नहीं दर्ज किया जाता है। एक आदमी पचास साल पहले मर गया। सेटिलमेन्ट उसके नाम से चला आ रहा है। उसी के नाम से खातेदारी चल रही है। अगर कोई उसको बदलना चाहे तो कहते हैं हम नहीं बदलेंगे अदालत में उजरदारी होनी चाहिये। एक हजार उजरदारी बिना सुनवाई के, बिना नोटिस देकर खारिज कर दी गई। इस सदन के अन्दर यह मामला उठाया गया था। मन्त्री महोदय ने यहां पर कहा था कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जायगा। कलेक्टर से जांच करवाई गई और उस जांच का क्या नतीजा रहा यह आज तक सदन के सामने नहीं रखा गया है। अभी तक यह नतीजा सदन के सामने नहीं आया। एक साल पहले यह शिकायत यहां पर पेश की गई थी और यह साबित भी हो गया था। अब क्या नतीजा रहा, यह सदन के सामने नहीं आया। किस अधिकारी ने क्या किया यह पता नहीं लगाया गया। सेटिलमेन्ट विभाग में इस प्रकार की धांधली है इससे जनता को तकलीफ होती है और सरकार की भी बदनामी होती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि विभाग के जिस अधिकारी ने इस प्रकार का काम किया है उसको दंडित किया जाए। सभापति महोदय, राजगढ़ तहसील को सेमी-डेजर्ट माना गया है और उससे दुगुना लगान चूरू तहसील में है। एक ही जिले में इस प्रकार का भेदभाव क्यों है? इसके लिए कौन दोषी है? जो दोषी आदमी है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिये नहीं तो आपकी व्यवस्था में, आपके प्रशासन में कोई सुधार नहीं हो सकता है। राजस्व मन्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया था इस प्रकार जिस किसी आदमी ने गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। क्या एक्शन लिया गया है यह नहीं बताया गया है। इतने हंगामे के बाद आन्दोलन के बाद, मुख्य मन्त्री के आश्वासन के बाद और गजट में निकलने के बाद जिस अधिकारी ने इन नियमों का उल्लंघन किया है और 102 प्रतिशत लगान की वृद्धि की है इससे किसानों के दिमाग में सरकार के प्रति रोष पैदा हो गया है। उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे और कब लेंगे? किस आदमी ने झूठे आंकड़े बताकर इस प्रकार का गलत आदेश प्राप्त किया है उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए क्या आप इस सदन में घोषणा करेंगे! यह क्या आपकी व्यवस्था है। 1 लाख 29 हजार 440 रुपये की लगान की वृद्धि की गई है। यह तो सारी तहसील क्या जिले का लगान भी नहीं होता है। वास्तव में लगान लगाते

(श्री मोहरसिंह)

समय पिछले आंकड़ों को भूल गये हैं। आपने

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसके लिए नियम किसलिए बनाये हैं। निर्देश दिए हैं. उनका क्या हुआ। लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में आपने संशोधन किये हैं। वहां के हालात को बिना देखे बिना सोचे समझे यह वृद्धि कर दी है जो पुराने सर्किल का असेसमेन्ट है, उसको भी उन्होंने नजर अंदाज कर दिया है। वहाँ की भूमि की किस्म को भी दूरन्दाज कर दिया है। बिल्कुल पता नहीं है उस आदमी को, उस आदमी ने तहसील में जाकर मौके को नहीं देखा है। राजस्व मन्त्री जानते हैं कि वहां पर कितने धोरे हैं? कितनी ऐसी जमीनें हैं जिस पर कि किसान काश्त नहीं कर सकते हैं। वहां पर काफी जमीन को पड़त रखना पड़ता है। इसलिए इन सारी बातों पर विचार किया जाना चाहिये।

दूसरी बात मैं वन विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। काफी वर्षों के बाद चूरू जिले के अन्दर वनों का विकास करने के लिए ध्यान दिया गया है परन्तु इसके लिए जो रकम एलॉट की गई है, उसका दुरुपयोग हुआ है। भयंकर रूप से गबन हुआ है और दरख्त लगाने के नाम पर पैसा खा लिया गया है। हमारे यहाँ पर पैदा होने वाला साधारण पौधा है, उसको इकट्ठा करके सड़क के किनारे पर लगा दिया गया है और इस तरह पैसा अधिकारी खा गये हैं। दरख्त कहीं पर नहीं हैं। चरागाह लगाये नहीं गये हैं और सॉइल कन्जरवेशन के लिये कोई प्रभावशील कार्यक्रम हाथ में नहीं लिया गया है। जब एक तरफ सरकार रेगिस्तान को रोकने की बड़ी-बड़ी बातें करती है तो इस प्रकार वन विभाग में जो भ्रष्टाचार होता है, जो गबन होता है, उसको सख्ती से रोकना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : श्री ललितसिंह !

श्री ललितसिंह (खारची) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं मन्त्री महोदय से माफी मांगूगा क्योंकि आज जो वन मन्त्री हैं इनका इस विभाग से बहुत कम अर्से से सम्बन्ध रहा है, इसलिए जो कुछ मैं कहूंगा वह केवल उन्हीं लोगों से कहूंगा जिन्होंने पिछले 20 सालों से इस कदर राजस्थान के जंगलों का नाश किया है कि शायद पाकिस्तान की सेना ने बंगला देश में इस बर्बरता से नुकसान नहीं किया। हमारे राजस्थान के इन भ्रष्ट अधिकारियों ने इन वनों को इस बुरी तरह से काटा है और बुरी तरह से जंगलों का नाश किया है कि आज राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और गुजरात में तथा हिन्दुस्तान के कई प्रान्तों में हमारे सामने जो अकाल की समस्या आ रही है वह सारी केवल इसलिये है कि यहां के वनों का इस प्रकार से ह्रास हुआ है।

वन विभाग से मेरा संबंध एक महबूबा वाला है। जब एक महबूब, एक प्रेमी को यह पता लगता है कि उसकी प्रेमिका के हाथ-पैर काट दिये गये हैं या उसको खंडित कर दिया गया है तो एक प्रेमी को जो जलन होती है ठीक वही दर्द मेरे दिल में है, लेकिन मैं मर्द प्रेमी हूं इसलिये मेरा खून खौल उठता है और खून खौल उठता है हकीकत कहने के लिए और हकीकत यह है कि पिछले 25 सालों में इस बुरी

(श्री ललितसिंह)
तरह से जंगल काटे गये हैं कि शायद मैं यह कह दूं कि समाजवाद की जो परिभाषा पिछले 2–4 साल से रखी जा रही है वह हमारे वन विभाग में पिछले 20 सालों से ही आ गई है। वन विभाग का हर अधिकारी सम्पन्न है चाहे वह फारेस्ट गार्ड हो, रेन्जर हो, डी० एफ० ओ० हो, सब के अलग अलग बंगले बन गये हैं। सब की अपनी अपनी बसें चल रही हैं, ट्रकें चल रही हैं और इतने साधन-सम्पन्न हो गये हैं चाहे आदिवासी जो उस इलाके में रहते हैं वे हों या न हों।

फारेस्ट की कुल जमीन का एरिया 1–187 के अनुपात में है। उस जमीन के 46 पर्सेन्ट पर खेती होती है और 13 पर्सेन्ट के अन्दर पास्चर लैण्ड हैं। तो इस जमीन का 46 पर्सेन्ट जो खेती लैण्ड है वह बहुत है क्योंकि हम इन्टेन्सिव कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि वन विभाग से जमीन निकाली जाय तो या तो वे अनभिज्ञ हैं इस मामले में या उनकी नादानी की वजह से ऐसा कहते हैं। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। वन विभाग से एक इंच भी जमीन नहीं निकाली जाय और वन विभाग में ही रखी जाय और उसके ऊपर वृक्षारोपण किया जाय। एक मीटिंग दिल्ली में नेशनल फारेस्ट पालिसी के बारे में हुई थी तो उसमें कहा गया है—

'National Forest Policy in 1952 says that 33% of our land has to be kept under forest. Unfortunately this has remained a paper dream and I think we are responsible for this.

Steel, alleminium and Petrol certainly enhance the quality of our life but they are obviously not as essential for our survival as water, air or vegitation."

लेकिन हमने प्रकृति के साथ बहुत बड़ा मखौल किया है, प्रकृति के साथ धोखा किया है तो प्रकृति हमें बक्षने वाली नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, सभापतिजी, माननीय मंत्रीजी से निवेदन है बड़ा नम्र निवेदन है कि यदि हमें अपनी अगली पीढ़ी को बचाना है या आगे बढ़ाना है और हमें अगर सच्चे मन से देश और देशवासियों से प्यार है तो आज यह संकल्प करें कि राजस्थान के अन्दर जितने भी दरख्त हैं उनको नहीं काटना है और उन्हें आगे बढ़ाना है और नये साइन्टिफिक तरीके से आगे बढ़ाना है। इसके लिए हमें कदम उठाना है। मानसून का जहां तक सवाल है तो मानसून जो अरेबियन सी से उठता है वह मानसून हमारे यहां आता है लेकिन वह चला जाता है इससे आपके यहां लोकल वेजीटेशन नहीं होगी, लोकल ट्रीज नहीं होंगे, आपके यहां कोई वृक्ष नहीं होंगे। मैं उदाहरण के तौर पर एक बात बताऊं (समय समाप्ति-सूचक घंटी) कि जयपुर में लगातार बहुत बारिश होती है लेकिन जयपुर टाउन के अन्दर बारिश होती है, क्योंकि यहां पर लोकल वेजीटेशन है। दिल्ली में वेजीटेशन है इसलिए बारिश होती है, लेकिन उदयपुर जो झीलों का नगर कहलाता है उसके आसपास हजारों

(श्री ललितसिंह)

मील तक दरख्त कटने से उदयपुर की झीलें आज सूखी हैं, उदयपुर के झरने आज सूखे हैं। वह केवल इसलिए कि हमारे वन विभाग के अधिकारियों ने इस बुरी तरह से जंगल काटे हैं कि उनका नामोनिशान मिट गया है। मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि जंगल काटने को रोका जाय। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट।

जलाऊ लकड़ी आज काश्तकारों को नहीं मिलती है और हकीकत यह है कि जलाऊ लकड़ी और कोयला हमारा बाहर के प्रान्तों को जाता है। हमारा वन विभाग क्या चाहता है। वह बाहर के प्रान्तों को क्यों भेजता है ? मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि बाहर के प्रान्तों को लकड़ी और कोयला नहीं भेजना चाहिए।

दूसरा मैं वाइल्ड लाइफ के लिए निवेदन करना चाहता हूं। आज जंगल की लाइफ समाप्त हो रही है। आज जयपुर के होटलों में आपको चीतल और हिरन का मांस मिल जायगा। वन विभाग ने आज तक किसी को पकड़ा ? वन विभाग ने इन पोचेज को कहीं पर पकड़ा है ? उदयपुर का किस्सा बताता हूं कि अभी प्रेसीडेन्ट साहब वहां पर पधारे थे उस समय वहां जय समन्द गेम्स सेन्क्चुअरी से कुछ लोग हिरन मारकर लाये। मैंने पूछा कि यह हरिन कहां से लाये ? उन्होंने कहा कि रेन्जर साहब को पटा लेते हैं तो हरिन तो क्या और भी जानवर मारकर लाते हैं। यह मखौल कब तक चलता रहेगा। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसको बन्द किया जाय।

श्री सभापति : श्रीमती उषाप्रकाश।

श्रीमती उषाप्रकाश (बैर) : सभापति महोदय....

श्री रावतराम : कट मोशन जिस नम्बर से दिये हैं उस तरह से बोलने दिया जाय।

श्री सभापति : महिलाओं को अभी तक मौका नहीं मिला है।

श्री रावतराम : महिलाओं को बराबर मिल रहा है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्रीमती उषाप्रकाश (बैर) : सभापति महोदय, आज यहां पर उस विभाग के बारे में अपने विचार-विमर्श कर रहे हैं जिस विभाग का ग्रामीण जनता के साथ सीधा संपर्क है और उस विभाग के लेखे-जोखे में हम ग्रामीण जनता को कितनी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं वह हमारे सामने होता है। इसके साथ ही इसी डिपार्टमेंट के द्वारा जनता का भविष्य क्या होगा वह यह डिपार्टमेंट तय करता है ? यह बहुत इम्पार्टेन्ट डिपार्टमेंट है। अभाव घोषित करना होता है तो इस डिपार्टमेंट को करना पड़ता है। अकाल घोषित करना पड़ता है तो डिपार्टमेंट करता है। मतलब यह है कि यह बहुत इम्पार्टेन्ट डिपार्टमेंट है। जो हमारी सारी पालिसीज है भूमि सुधार की, गरीबों या भूमिहीनों को भूमि देने की उसको यह डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता है और करता है तो किस तरह से करता है इसको जिम्मेदारी इस डिपार्टमेंट पर है।

(श्रीमती उषा प्रकाश)

आज इस कट मोशन के द्वारा मैं इस सदन का ध्यान एक ऐसे केस की ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि जिसमें भूमिहीन लोग तरस रहे हैं और एक बहुत बड़ी जमीन पर, एक उपजाऊ जमीन पर कुछ लट्ठबाज भूमिधर कब्जा करके बैठे हैं। बारबार जो भी रेवेन्यू मिनिस्टर आते रहे हैं उनके सामने यह जो सदराय का चरागाह हैं उसके मामले में उनसे मिल चुके हैं। अब की बार जब मंत्री महोदय वहां पर पधारे थे तो उन्होंने स्वयं देखा कि जनता में कितना आक्रोश है इस चारागाह के मामले पर और सरकार उसको सुलझा नहीं पा रहीं है। मंत्री महोदय इस बात से अच्छी तरह परिचित हैं कि कितना गांव में टेन्शन पैदा हो रहा है। इसका कुछ इतिहास मैं आपको बतलाना चाहती हूं। 55–56 में जब जमींदारी प्रथा खत्म हुई तो जो जमीन जिस केस में थी उसको उसी में दर्ज किया गया है। पहले जो शामलात में खेती होती थी तथा जमींदारी प्रथा खत्म हुई तो जो चरागाह थे उनको चरागाह ही लिखा गया है। तो यह दिराय का चरागाह जिसके लिए यह कटौती प्रस्ताव आपका ध्यान आर्कषित करने के लिए रखा गया है वह भूमि 55–56 में चरागाह दर्ज की गई है और 13 वर्ष तक किसी ने कोई आपत्ति जारी नहीं की कि यह हमारी जमीन है चरागाह में कैसे ले रहे हैं? परन्तु 13 वर्ष के बाद चरागाह को तोड़ा गया। गांव वालों ने शिकायत की तो तहसीलदार ने उनकी बेदखल करने की कोशिश की, लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है, सभापतिजी, हमारे ए० डी० एम० साहब ने बेदखल के हुक्म को रद्द कर दिया।

मैं पहले भी इस सदन में बहुत बार कह चुकी हूं। वैसे तो न्यायिक प्रक्रिया का हमें बहुत आदर है, सम्मान है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके लिए हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार के ऑर्डर दिये जायें। जिस चरागाह के लिए 13 साल तक किसी ने कोई मांग नहीं की लेकिन जब उसे अलोट किया जाने लगा तो लट्ठबाजों ने उसको तोड़ दिया।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मुझे दो मिनिट और दे दें। बड़ा महत्त्वपूर्ण मसला है। लॉ एण्ड ऑर्डर का प्रश्न है। वहां पर जनता में बहुत तनाव है। जनता को डर है कि कोई लट्ठबाज उसको ले जायेगा। वह हर साल फसल ले रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेण्ट से पटवारी तक उसकी आमदनी को बांटते हैं। इस सदन की मारफत मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि हमारी सरकार की क्या पॉलिसी है। ऐसी विवादग्रस्त भूमि की आमदनी जो है वह क्या लट्ठबाजों के पास जाये। क्या हमारी सरकार उसको अपने अधीन नहीं ले सकती है। उस पर कोई रिसिवर नहीं बैठा सकती है ताकि उसकी उपज लट्ठबाजों को नहीं मिले।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

उस जमीन में जो विवाद है, उस पर हमारी सरकार कोई रिसीवर बैठाये। ताकि उसकी कमाई अधिकारियों और लट्ठबाजों में बंटती हुई रुके।

श्री सभापति : श्री वन मन्त्रीजी !

(शोरगुल-व्यवधान-अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : सब को बोलने का समय मिलना चाहिए।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य आसन ग्रहण करें। जो व्यवस्था लागू की गई है। उसके मुताबिक ठीक साढ़े 4 बजे वन मन्त्रीजी को जवाब देना है।

(शोरगुल-व्यवधान अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री मल्यासिंह : 71-72 में गबन हुआ है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री मल्यासिंह : मैं राजस्थान वन श्रमिक संघ का मन्त्री हूं। मुझे सारे राजस्थान की जानकारी है। (व्यवधान) 3 लाख 95 हजार का घोटाला हुआ है। उससे उसकी कोठी बनी हुई है। (शोरगुल-अश्रव्य)

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर। यदि सदन की इच्छा यह है कि समय बढ़ाया जाये।

(निरन्तर शोरगुल-अश्रव्य)

श्री हरिदेव जोशी : 15 मिनिट बढ़ा दिये जायें।

(निरन्तर शोरगुल-अश्रव्य व्यवधान)

सभापति : ऑर्डर प्लीज।

एक माननीय सदस्य : एक घण्टा और बढ़ा दें।

श्री सभापति : श्री गोरधनसिंह !

श्री भानुकुमार शास्त्री : सभापति महोदय, जैसा कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था की थी कि हम हर दल को इतना समय देंगे। इस प्रकार से 35 मिनिट हमारे दल को मिले। उसमें भी हमारे दल के सदस्य को बोलने का अवसर नहीं मिला।

श्री सभापति : आपके दल के माननीय सदस्य का नाम सबसे पहले बोला गया था, लेकिन वे उस समय नहीं थे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं पूछ कर गया हूं।

श्री सभापति : आपको समय मिलेगा।

श्री गोरधनसिंह ! (अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह !

श्री विजयसिंह (मांडल) : माननीय सभापति महोदय, यह जो मांग सदन के सामने रखी गई है, उसके बारे में मेरा कट मोशन है। सभापति महोदय, यह राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसका हमारे यहां के लोगों और हमारे यहां की आबादी के साथ में बड़ा सम्बन्ध है। सभापति महोदय, 80% जनता हमारे यहां की ऐसी है जिसका सम्बन्ध राजस्व विभाग से है। इसमें छोटी-बड़ी कोई भी तब्दीली लाई जाये तो हमारी 80% जनता पर प्रभाव पड़ता है। मैं माननीय सभापति महोदय से निवेदन करना

(श्री विजयसिंह)

चाहता हूं कि यहां पर, अभी-अभी मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने जो लगान वृद्धि के बारे में काफी जोर-शोर से कहा है वह सही है। पता नहीं, आपने क्या सोचकर लगान वृद्धि की है। अगर हम केवल यह मान लें कि काश्तकार की प्रोड्यूस की कीमतें बढ़ जाने से, उस पर लगान बढ़ाया जाये, यह थोड़ी विचारने की बात है। सभापति महोदय, प्रोड्यूस की कीमत बढ़ जाने से लगान बढ़ा दिया जाये तो सरकार ने यह नहीं सोचा कि वह किसान उसमें क्या लागत लगाता है। वह प्रोडक्शन के लिए लागत लगाता है, वह किस भाव पड़ता है। लोहे के फाल से लेकर खाद व बीज की कीमत तक वह सारे साधन बड़े महंगे जुटाता है। तो आप सोचें और मैं समझता हूं कि सरकार का यह आधार बहुत ही नगण्य हो जाता है। इसलिए उसके ऊपर लगान बढ़ाना बहुत ही अत्याचार है। गरीब काश्तकार चोटी से लेकर एड़ी तक पसीना बहाकर कमाता है, उस पर भी आप लगान लेते हैं। एक तरफ हम यह कहते हैं कि हम गरीबी को मिटाना चाहते हैं दूसरी तरफ गरीब काश्तकारों को पर रेवेन्यू बढ़ाते हैं। एक सेठ आराम से गादी-मोड़े थूदते हुए कुर्सी टेबुल पर बैठकर कमाता है। मैं इन्कम टैक्स पेयर नहीं हूं इसलिए मुझे ठीक मालूम नहीं है। लेकिन शायद उस पर 5 हजार तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगता। किसी भी प्रोफेशन पर टैक्स नहीं लगेगा। मगर एक गरीब काश्तकार जो गरमी, सरदी, वर्षा में काम करता है। किसी तरह से 5 रु० कमाता है तो उससे सरकार लगान वसूल करती है। मैं निवेदन करूंगा सभापति महोदय, आज की हालत देखते हुये जिनके पास अधिक होल्डिंग नहीं है तो उनसे लगान नहीं लेना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बढ़ाना ही चाहते हैं तो क्यों नहीं उन लोगों पर लगाते हैं जिनके पास अनापशनाप खेती है, कमाई है। जिन केपीटेलिस्टों के पास बड़ी बड़ी फार्मिंग है उनके ऊपर स्लैब सिस्टम से बढ़ा दीजिये।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैंने तो अभी शुरूआत की है।

श्री सभापति : समय बहुत कम है।

श्री विजयसिंह : समय बढ़ा दिया गया है, इसलिए समय दिया गया है।

श्री सभापति : समय बढ़ा दिया गया है लेकिन अनिश्चितकाल के लिए नहीं बढ़ाया गया है।

अभी तो मैंने एक ही बात कही थी। मैं यह बताना चाहता हूं, सभापति महोदय, हमारे यहां पर एलाटमेंट के आंकड़े आते हैं राजस्व मंत्री के द्वारा और कई बार प्रश्नोत्तर काल में यह बात कहते हैं कि हमने इतने हजार एकड़ जमीन का भूमिहीनों को एलॉटमेंट कर दिया है। वास्तविकता यह है कि कागजों में एलॉट हुई है, फिजिकल पजेशन दूसरी बात है। यहां तक कि रेवेन्यू रिकार्ड, जो तहसील में रहता है उसमें भी उनके नाम पर नहीं है लेकिन जो एलाटमेंट कमेटी के निर्णय

(श्री विजयसिंह)

होते हैं, उनके आधार पर सूचना भेज देते हैं और उसके आधार पर मंत्री महोदय कह देते हैं और इस सदन के सामने रख देते हैं। वास्तविकता यह है कि वहां पर उनके नाम पर रद्दोबदल नहीं की जाती है, और रद्दोबदल भी कर दें तो फिजिकल पजेशन होने में चार-पांच साल लगते हैं। मैं कितने ही केसेज बता सकता हूं, जिनमें एलाटमेंट हुए चार-पांच साल हो गये, मेरी तहसील में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को खास तौर से कब्जा नहीं दिया गया। यह हकीकत में, सभापति महोदय, आपके माध्यम से सुनाना चाहता हूं राजस्व मंत्री को।

दूसरी नाजायज कब्जे वाली बातें है। आज एक तरीका निकाला गया, है कि भूमिहीन एलाटमेंट के लिए फार्म भर दें तो तहसील के लोगों को एलाटमेंट कमेटी के सामने रखने की जरूरत ही नहीं समझते पटवारी तो चुपचाप, जिसका नाजायज कब्जा होगा, उसकी रिपोर्ट कर देगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर नियमन होगा। इसलिये यह बैक डोर एन्ट्री है, इस बैक डोर एन्ट्री के लिए राजस्व मंत्री को सोचना चाहिए। जो जरूरतमन्द नहीं है उनको कानूनी रूप से जमीन मिलती है लेकिन जो जरूरतमन्द है उनको नाजायज तरीके से जमीन दी जाती है यह अच्छी बात नहीं है। इस तरह नाजायज कब्जे करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है।

दूसरी बात मैं कहूंगा वसूली के सिलसिले में। इस साल भयंकर अकाल है, हमारे जिले के अन्दर सात-आठ साल से मुतवातिर अकाल चलता आ रहा है। मेरी तहसील भी उसमें एक है वहां वसूली के लिए बताऊं, राजस्व मंत्री को कई बार मैंने ट्रंक काल किया, मैंने आपसे निवेदन किया कि वसूली हो रही है तो आपने फर्माया, वसूली उन लोगों से की जायगी जो देना चाहते हैं। मैं सदन के सामने यह फेक्ट रखना चाहता हूं, घोड़ास नाम के गांव में भूरा चमार है, उसकी कमर पर कंकर रख कर, उस पर पत्थर रख कर नायब तहसीलदार ने वसूली की है। उसको देख कर यह मालूम पड़ता है कि आज से कई साल पुराना जमाना आ गया है हजारों साल पुराना जमाना याद आता है

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आप समय नहीं देंगे, क्या किया जाय। माननीय सभापति महोदय, इन कर्मचारियों का काम केवल रुकावट डालना रह गया है, कोई काम बनता हो उसको बिगाड़ना ही इनका काम रह गया है सहूलियत देने वाली बात हो तो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। इनके दो ही उद्देश्य सामने रहते हैं, जो किसान हैं उन किसानों से कैसे भूमि छीनी जाय और किस तरह से उन्हें परेशान किया जाय तो सब के सब कानून उनको परेशान करने के काम में आजायेंगे और किसानों को जलील करने की कोशिश की जायगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक बात और निवेदन कर दूं, रेवेन्यू के बाबत तो बातें बहुत लम्बी चौड़ी हैं, मैं फोरेस्ट के बारे में निवेदन कर दूं वैसे फोरेस्ट से मेरा कम ताल्लुक है, लेकिन जंगलात की जमीन है, मैं निवेदन कर दूं कि कंजर्वेशन ऑफ फोरेस्ट सही

Page No 128

(128)

(श्री विजयसिंह)
रूप से नहीं हो रहा है। मेरे से पूर्व बोलने वाले बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी जोर दिया है, उनकी बात घण्टी बजने से अधूरी रह गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संरक्षण पूरी तरह से नहीं हो, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आज जंगलों में खरगोश दौड़ते हुए नजर आते हैं और चंद साल पहले हाथी नजर नहीं आते थे। इस तरह तो वन सफाचट हो जायेंगे। इसका कारण यह है, कि ड्राट एरिया जहां पर घोषित हो रहा है।

(समय- समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री विजयसिंह : मजबूरी है।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : माननीय सभापति महोदय !

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल भार्गव !

श्री नाथूराम : जब डिमाण्ड पास नहीं हो तब तक समय बढ़ाना चाहिए।

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री नाथूराम : ऑर्डर प्लीज, क्या हमारी ओर ध्यान दिया जायगा ?

श्री सभापति : आपका भी क्रमशः कटौती प्रस्ताव के अनुसार नम्बर आयेगा।

श्री बनवारीलाल : हमारा नम्बर आयेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, सरकार ने घोषणा की थी कि सब किसानों को पास बुक दी जायेंगी, लेकिन यदि हम सारा विवरण देखें तो राजस्थान में जो किसान हैं।...

श्री नत्थासिंह : : मैं पांच मिनिट का टाइम चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आर्डर प्लीज।

श्री नत्थासिंह : मैं पांच मिनिट का टाइम चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आसन ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वह किताब जयपुर के आसपास के किसानों को नहीं मिली है।

दूसरी बात, री-सैटलमेंट किया गया, री-सैटलमेंट करने में भी भू-राजस्व बढ़ा दिया गया, उसका उदाहरण है, भीलवाड़ा, बूंदी।

तीसरी बात है, जयपुर जिले में सबसे ज्यादा भू-राजस्व लिया जाता है, रेट्स भी अधिक है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, जयपुर जिले में भू-राजस्व की दर है, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए और विचार इसलिए किया जाना चाहिए कि जयपुर जिले में कुओं से सिंचाई होती है, उसकी रेट ज्यादा है। जब कि जहां नहरों से सिंचाई होती है उसकी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

रेट कम है । जब कि, सभापति जी, किसानों को कुआ बनाने के लिए अपनी स्वयं की रकम खर्च करनी पड़ती है, वह बैंक से लोन लेते हैं और बैंक दस पर्सेन्ट ब्याज लेती है या अन्य कहीं से कर्जा करके कुए बनाते हैं । तो कुओं से सिंचाई करने वालों पर भू-राजस्व कम होना चाहिए । इस प्रकार जयपुर जिले के साथ में जो भेद-भाव की नीति सरकार अपना रही है, मैं निवेदन करूंगा, राज्य सरकार जयपुर जिले में जो भू-राजस्व की दर है, उसको कम करे इसके बाद भी सरकार ने सिंचाई की दर कम नहीं करी तो विवश होकर इसके लिए हमें आन्दोलन करना पड़ेगा क्योंकि मेरे अन्य साथी हैं, जिन्होंने विधान सभा के अन्दर कई बार इस बात को कहा है । अब अगर कुए के द्वारा सिंचाई की जाने वाली जमीन की दर जयपुर जिले में भू-राजस्व की दर कम नहीं की तो जनसंघ को आन्दोलन करना पड़ेगा । इसके अलावा सरचार्ज पर सरचार्ज आप बढ़ा रहे हैं, भू-राजस्व पर और भू-राजस्व काफी बढ़ गया है । हिन्द चीन की लड़ाई हुई, उस वक्त आपने सरचार्ज बढ़ाया । 1967-68 में अकाल पड़ा उस समय सरकार को चाहिए था कि लगान माफ कर देती । लेकिन हिन्द-चीन की लड़ाई के वक्त भू-राजस्व पर सरचार्ज बढ़ा और फिर सरचार्ज पर सरचार्ज बढ़ा दिया, इस प्रकार दो बार युद्ध के आधार पर, युद्ध की भूमिका के आधार पर सरकार ने दो बार सरचार्ज बढ़ाया है । और एक बार जो सरचार्ज बढ़ गया, वह घटता नहीं है । आज बंगला देश के नाम पर पांच पैसे के टिकिट का बोझ भारत की जनता वहन कर रही है । आप पोस्टकार्ड लें, या वेतन लें, या ट्रंक काल करें, उसके ऊपर पांच पैसे बंगला देश के नाम पर व्यय करने पड़ेंगे । दूसरे आपने सरचार्ज पर सरचार्ज भू-राजस्व पर बढ़ा दिया है । इसलिए निवेदन करूंगा, हिन्द-चीन युद्ध के समय जो सरचार्ज बढ़ाया, हिन्द पाकिस्तान के युद्ध के समय सरचार्ज बढ़ाया, आज अकाल का समय है, भयंकर अकाल की छाया है, इस समय, जो सरचार्ज पहले लगाये थे, उन सरचार्ज को वापिस लेना चाहिए ।

मैं निवेदन करूंगा, सरकार ने 1967 में छोटी जोत वालों को, सात एकड़ जमीन वालों को लगान माफ करने की बात कही थी । उस समय सरकार कांग्रेस की ही थी आज भी कांग्रेस की सरकार है । मैं कांग्रेस सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स और हरिजन भाइयों के खेत हैं, उनके ऊपर से लगान माफ करना चाहिए । हमने स्टेण्डर्ड एकड़ का मापदण्ड रखा है, 18 स्टेण्डर्ड एकड़ रखा है, 29-30 बीघा है राजस्थान में चूंकि एक बीघा का माप नहीं है तो बीघा कैसे स्टेण्डर्ड होगा, कहीं पांच बीघा है, कहीं चार बीघा है. कहीं तीन बीघा है । मैं सोचता हूं, लैंड सीलिंग कानून आया है, लोग इतनी जमीन रख लेंगे, तो वह कानून भला किस प्रकार से लागू हो सकेगा, उससे किसानों को लाभ नहीं होगा । इसके अलावा किसानों के पास में आधुनिक उपकरण नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, और उपकरण नहीं हैं, इस कारण राजस्थान के किसानों को इससे लाभ होगा नहीं और जमीन का पूरा उपयोग नहीं कर सकेंगे इसलिए खेती भी कम होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में इतनी कृषि योग्य भूमि पड़ी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

हुई है उसका रिकार्ड में नाम नहीं है, 17, 11, 961 बीघा 8 विश्वा जमीन पड़ी हुई है, लेकिन लोगों की जमीन ले रहे हैं। आज जो जमीन पड़ी है उसको बांट नहीं रहे हैं और राज्य सरकार दूसरी ओर, जिनके पास जमीन हैं उनसे जमीन ले रही है। जो जमीन पड़ी है वह लोगों को दे नहीं रही है इसलिए सजा प्राप्त करने की राज्य सरकार अधिकारी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान में भूमिहीन की परिभाषा क्या है ? सरकार एक है लेकिन भूमिहीन की परिभाषा कई है, 1964 में भूमिहीन की परिभाषा कुछ और थी, 1955 में कुछ और थी। हर साल भूमिहीन कौन होगा ? इसकी परिभाषा बदलती चली जा रही है। आपने जागीरदारों से जमीन ले ली आपने राजाओं से जमीन ले ली, कांग्रेस के लोग, जब मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, मेज थपथपा दी कि इस कानून का स्वागत करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं आपके लैंडलेस की परिभाषा बराबर बदलती रही तो लोग धीरे-धीरे जमीन पर कब्जा कर लें। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज कितने लोगों को हमें जमीन देनी है ? भूमिहीनों का रिकार्ड नहीं बनाया, भूमिहीन तब कौन होगा, इस सम्बन्ध में विचार नहीं किया। लैंडलैस की परिभाषा, जैसे मैंने पहले निवेदन किया था, भूमिहीन व्यक्ति वही व्यक्ति होगा, जिसकी सारी आय, सारा काम जमीन पर आश्रित होगा, न एम. एल. ए. शिप का पैसा लेगा, न मंत्री होगा न अधिकारी होगा, न सेक्रेटरी होगा। यह भूमिहीन की परिभाषा हो जाय और गांवों के अन्दर भूमिहीन का रिकार्ड बन जाय तो मैं समझता हूं कि राजस्थान में आप भूमिहीनों को जमीन देना चाहते हैं सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर के मास्टर प्लान के लिये जो राज्य सरकार ने 25 हजार बीघा जमीन देने की घोषणा की है उस जमीन को लेने में कोई भी हिचकिचाहट राज्य सरकार को नहीं करनी चाहिये। इसमें चाहे आपके हरिदेवजी जोशी का फार्म, जो कि अजमेर रोड पर स्थित है, हो चाहे मनफूलसिंहजी का जो फार्म, है जिस पर कि आईस फैक्ट्री उनकी लगी हुई है, वह हो। सभापतिजी मेरा निवेदन है कि मास्टर प्लान के अन्तर्गत जो भी जमीन आती है उसके लिये राज्य सरकार को कोई भी भेदभाव पूर्णनीति नहीं अपनानी चाहिये। और अगर राज्य सरकार इस नीति को अपनायेगी तो इससे क्रांति हो जायेगी। इ.के अलावा मैं आपको एक बात जो निवेदन करना चाहता हूं वह चम्बल के कमान्ड एरिया के बारे में है। सभापति महोदय, राज्य सरकार ने चम्बल के उस एरिया में जहां की पानी फिर गया है उसको तो चाही जमीन में लिया वह तो कोई बात नहीं। लेकिन राज्य सरकार ने जहां कि पानी नहीं फिरा है उसको नहर का कमान्ड ऐरिया मान लिया है। और उन लोगों से कमान्ड एरिया में जो चाही जमीन का लगान लिया जाता है उसके हिसाब से लगान लिया जा रहा है। सभापति महोदय, यह बहुत ही खेदजनक बात है। इसलिये मेरा निवेदन है कि चूंकि वहां पर अभी तक पानी फिरा नहीं और जाने कब पानी फिरेगा लेकिन राज्य सरकार तो उनसे चाही जमीन का लगान ले रही है मेरा निवेदन है कि उसको तुरन्त खतम किया जाना चाहिये। आज

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
वहां के किसान बहुत ही दुखी है। इसके अलावा हमने राजस्थान जागीरदारी प्रथा समाप्त की और जागीरदारों से जमीन ली थी उसमें कई बड़े-बड़े जागीरदारों को तो आपने जैसा कि घोषणा की थी बड़े-बड़े जागीरदारों को तो अलॉट करदी है किसी को आपने चम्बल में की है, किसी को आपने और दूसरी जगहों पर अच्छी जगह जमीन अलॉट कर दी। लेकिन उनके साथ कुछ उनके भाईबन्द थे जो कि पराधीन थे उनको आपने आज तक कोई जमीन नहीं अलॉट की है। मेरा निवेदन है उन गरीब लोगों को जमीन अलॉट की जाय। आज इतने वर्ष बीत गये हैं। आज भी उनको जमीन उपलब्ध नहीं हुई है। जिन बड़े-बड़े जागीरदारों ने जो जमीन लेली है वे तो वापिस करने को तैयार नहीं है, लेकिन आप इन गरीब भाईबन्धुओं को जागीरदारों के जो हैं उन्हें जल्दी से जल्दी जमीन देने की व्यवस्था करें। मैं सभापति महोदय, आपके मारफत राजस्व मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जो जमीन सांसी कन्जरों की अजमेर रोड़ पर थी, जिन्होंने आपके वन विभाग के मन्त्री जो श्री हरिदेव जोशीजी हैं उन्होंने दबाली। मैं आपको एक पत्र पढ़ कर सुनाता हूं जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं वह यह है जो कि अंग्रेजी में है।

From the Revenue Secretary to the Govt. of Rajasthan to the Commissioner, Jaipur.

No. F. 6 (246) R 52 II/52 dated Jaipur 14th Oct. 1952.

Sub:-Application of Shri Kalyan Vidyarthi, Secretary, Sewa Sadan, Jaipur regarding allotment of land in Beer Khatipura.

Ref: Your letter on. 3618/R-1 (1972), dated 25-9-52.

I am directed to inform you that the Govt. generally approve in principle for the allotment of land as proposed by the Collector, Jaipur vide his letter No. 2731/R-A, dated 10-9-58 to your address.

As regards allotment of land to the Sewa Sadan, Jaipur, the Govt. agree with your opinion that this institution is doing useful work for amelioration of backward classes and criminal tribes. Sanction has, therefore, been accorded to the allotment of 150 bighas of land to this institution in Beer Khaipura as per details given below.

60 bighas for Sewa Sadan institution.

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

90 bighas for the four workers of the institution.

Sd./- Vidyasagar
For Revenue Secy.

Copy forwarded to Shri Kalyan Vidyarthi, Secy. Sewa Sadan, Jaipur for information, with ref. to this application dated 9-2-1952.

इसमें नीचे दस्तखत विद्यासागर के हैं। मैं, सभापति महोदय, यह पूछना चाहता हूं कि यह संस्था जो कि सन् 54 में थी वह कहां गयी ? वहां जो इन्स्टीट्यूशन थी वह कहां है ? वह 90 बीघा जमीन उस इन्स्टीट्यूशन की थी वह कहां है आज उस पर कौन काबिज किये हुए बैठा है। वहां पर आज में बताता हूं श्री हरिदेव जोशीजी चिकित्सा मंत्री बैठे हुए है। सांसी कन्जरों की जमीन पर नाजायज कब्जा किये हुए है यहां पर यह कहा गया कि इसकी जांच अध्यक्ष महोदय और मुख्य मन्त्री ने करली। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जांच हुई। अभी थोड़े दिन पहले हमारे जनसंघ के नेता जो गुमानमलजी लोढ़ा थे उन्होंने एक प्रश्न उठाया था मैं सभापति महोदय यह आपके माध्यम से राजस्व मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि उस इन्स्टीट्यूशन का क्या हुआ ? क्या हरिदेव जोशीजी उसके कार्यकर्त्ता हैं ? इसमें लिखा है 4 workers of the institutions तो क्या ये भी उस संस्था के वर्कर हैं। क्या हरिदेव जोशी उसके वरकर हैं आप बतायें ? क्या जांच हुई ? सांसी कन्जरों की जमीनों को यह हड़प कर बैठ गये हैं। यह हरिदेव जोशीजी इसके मालिक कैसे बन गये हैं ?

श्री शंकरलाल : सभापति महोदय इस पर व्यवस्था हो चुकी है। इस पर बार-बार कहना अनुचित है।

(कई सदस्य एक साथ बोलने लग गये, शोरगुल)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सभापति महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभापति महोदय इस प्रश्न को सदन में कई बाहर उठाया जा चुका है और उस पर जब व्यवस्था हो चुकी है तो फिर इसको क्यों उठाया जा रहा है। इस पर चर्चा हो चुकी है, और आसन से व्यवस्था भी हो चुकी है। इस प्रश्न को बन्द किया जाना चाहिये।

श्री सभापति : माननीय सदस्य इस सदन में चूंकि इस पर व्यवस्था हो चुकी है इसलिये इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न के अलावा आप जो कुछ भी कहना चाहे वह कहें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान में आज जंगलों को बार-बार काटा जा रहा है जिससे कि जंगलों से जो वर्षा होती थी वह बन्द हो गयी और हमारे यहां अकाल पड़ रहा है।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

श्री खेतसिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि सदन का समय एक घन्टे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री सभापति : क्या सदन की राय है कि सदन का समय एक घन्टे तक के लिये बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घन्टे तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जंगल काटने से वर्षा नहीं होती है और यहां अकाल पड़ रहा है इसलिये मेरा निवेदन है कि इस जंगल काटने के काम को रोका जाय। नहीं तो सारा का सारा इलाका रेगिस्तानी हो जायेगा। आज डूंगरपुर और बांसवाड़ा में जहां कि खूब वर्षा होती थी वह इलाका भी अब रेगिस्तान में कनवर्ट हो रहा है। आज राजस्थान सरकार जंगल कटाई का काम डिपार्टमेंटली करवा रहे हैं उसे रोका जाना चाहिये और जंगलों को उगाने की ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था की जानी चाहिये। इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने कत्थे का काम डिपार्टमेन्टली करवा रहे हैं। सन् 70-71 में जो कत्थे की कटायी की योजना का काम जो हाथ में लिया गया उससे राज्य सरकार को 40 हजार 280 रुपये का लाभ हुआ और इसमें खर्चा हुआ एक लाख 26 हजार 725 रुपये का। जो पहले एक लाख लाभ होता था ठेके के द्वारा अब सिर्फ राज्य सरकार को 40 हजार का फायदा हुआ। तो मैं सभापति महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी काम राज्य सरकार हाथ में लेगी उसमें खर्चा ज्यादा होगा। इसलिये आप यह डिपार्टमेन्टल काम करवाना बन्द रखने की कार्यवाही करें।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, इसके अलावा जो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो जयपुर सचिवालय के पीछे, टी. बी. सेनीटोरियम के पीछे जो जमीन थी, इधर आपके आमेर के पास गूजर घाटी में जो कच्ची बस्ती के लोग अपने कच्चे मकानों में रहते थे उनके लिये राज्य सरकार ने 21-8-71 को घोषणा की थी उन लोगों को वह जमीन अलोट कर दी जायगी। लेकिन सभापति महोदय आज तक वह जमीनें उनको नहीं की गयी है। और उस जमीन को वन विभाग ने अपने अन्दर शामिल करली है।

(5.00 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह जमीन उन्हीं लोगों को अलॉट की जानी चाहिये। आज उस जमीन का सर्वे हो चुका है कलेक्टर ने आदेश दे दिये हैं। नम्बर लग गये हैं फिर उस जमीन से उन कच्ची बस्तीवालों को बेदखल किया जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उस जमीन को तुरन्त यू. आई. टी. को सुपुर्द की जावे और यू. आई. टी. के द्वारा उन लोगों को वह जमीन ट्रान्सफर की जावे जिनके वहां पर मकान पहले बन गये थे। और वन विभाग ने जो नम्बर लगाये हैं उन्हें नहीं माना जाकर तुरन्त उसे पहले यू. आई. टी. को ट्रान्सफर की जावे। जिससे कि वहां पर प्लाट कहें

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

और लोग भली प्रकार से रह सकें। इन जगलों से आपको कोई लाभ नहीं है। सेक्रेटेरियेट के पीछे आपने जगंल बना रखा है। टी. बी. सेनिटोरियोम, चान्दपोल के बाहर वन विभाग की जमीन है। उसके भी प्लाट बन जावेंगे। लोग और आराम से रह सकेंगे। उस जमीन का और कोई उपयोग है नहीं।

इसी प्रकार से चरागाह की भूमि है। 45 गांवों के जानवर चरते हैं। 133 बीघा पक्की जमीन है उस पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। दूसरे लोग खेती कर रहे हैं। सरकार को इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहिये। इसी प्रकार कोटा की जमीन है। सुखाड़ियाजी के समय में भी इसका मामला काफी चला है। वन विभाग के अन्तर्गत है। मैं वन मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि स्ट्रा बोर्ड फैक्ट्री को यह जमीन दे रखी है। ऑडिट रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार बांसवाड़ा में चिप बोर्ड फैक्ट्री है, मशीन कोई लगी हुई नहीं है। इसका भी ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख है। यह भी मैं ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही आपको निवेदन कर रहा हूं।

चित्तौड़गढ़ के कत्थे का केस बड़ा प्रसिद्ध केस है। इसका जानमोहम्मद को ठेका दिया गया था। इसको विधान सभा ने भी माना है कि उसका ठेका केन्सिल होना चाहिये। लेकिन चुनाव के समय उसको पूरा पैसा दे दिया गया। पैसा ही नहीं दिया, उसको ब्याज भी दे दिया गया।

इसी प्रकार कोटड़ा, पानरवा में बीड़ी के पत्तों का ठेका दिया गया। कांग्रेस के व्यक्ति हैं श्री नाथालालजी। इस प्रकार यदि वन विभाग द्वारा ठेका देने में पक्षपातपूर्ण व्यवहार होगा तो इससे सरकारी कोष को बड़ा नुकसान होगा और यह जनता के हित में भी उचित नहीं है। मेरा समय हो गया है इसलिये अधिक न कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

श्री शंकरलाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, समयाभाव के कारण संक्षेप में ही मैं वन विभाग के सम्बन्ध में सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा। राज्य के पश्चिमी भाग में रेगिस्तान है। वन लगा कर उसको हरा-भरा करना चाहिये उस सम्बन्ध में मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा अहम प्रश्न है। दुनियां में छोटे से देश इजराइल ने भी इस ओर बड़ी प्रगति कर ली है। आस्ट्रेलिया ने रेगिस्तान में अंगूर जैसी खेती का विकास किया है। आजादी के आने के बाद भी राजस्थान में राजस्थान के वन विभाग ने रेगिस्तान में वन लगा कर उसको हरा-भरा करने की क्या कोई कोशिश की इस ओर सहसा ध्यान जायगा हो।

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर में अक्तूबर, 52 में एफॉरेस्टेशन की स्कीम स्टार्ट की गई थी। 59 में जाकर केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय मरु अनुसंधान शाला के रूप में उसको परिवर्तित किया गया। प्रति वर्ष 62 लाख रुपये इस पर खर्च होता है और 400 कर्मचारी हैं। यह भारत सरकार का अमला है और मौजूदा डाइरेक्टर महान के तहत यह स्कीम चल रही है। 52 में यह स्था-

(श्री शंकरलाल)

पित हुआ जोधपुर में। हम यह जानना चाहेंगे कि बाड़मेर में, जैसलमेर में, इसके कौनसे इलाके में 21 वर्ष में वन लगा कर हरियाली कायम की और रेगिस्तान को मिटाने में योग दिया ? सही इसका पता लगाया जाय तो निराशा ही उठानी पड़ेगी। निराशा इसलिये जितने कर्मचारी हैं और जो स्कीम है वह योजनाबद्ध नहीं है। सर्व-प्रथम सर्वे होना चाहिये था कि रेगिस्तानी इलाके में सर्वे करा के किसी नतीजे पर पहुँचते। इस इलाके के अनुसार किस प्रकार से रेगिस्तान को मिटाया जा सकता है, उसकी सर्वे रिपोर्ट हो तो वह सदन के सामने आनी चाहिये और उस पर विचार-विमर्श होना चाहिये कि रेगिस्तान के इस इलाके को किस प्रकार से हरा-भरा कर रहे हैं। वह सर्वे रिपोर्ट आई नहीं। न पब्लिक के लोगों से, चुने हुए लोगों से राय ली गई। चाहे वह पैसा राजस्थान सरकार का न हो भारत सरकार का हो, आखिर-कार पब्लिक फण्ड है। राजस्थान सरकार को देखना चाहिये और भारत सरकार के सामने आवाज उठानी चाहिये कि 21 वर्ष के बाद भी मरु अनुसंधानशाला ने मरुस्थल को मिटाने में कोई योगदान नहीं किया है और इस पर फालतू खर्चा किया जा रहा है। फालतू पैसा खर्च हो रहा है और कोई प्रगति नहीं हो रही है। डॉ० महान हो या और कोई हो दे आर नॉट दी सन्स ऑफ सॉइल। राजस्थान की बात को जानते नहीं और राजस्थान के बाहर के ही इसमें कर्मचारी हैं जो राजस्थान में बारे में कोई हालात की जानकारी नहीं रखते हैं। लोगों ने रिप्रेजेन्टेशन्स दिये हैं। डॉ० रास जैसे लोग हैं जिनको जानकारी है उनका कोई इसमें उपयोग नहीं किया जाता। इन लोगों को लोकल कण्डीशन्स मालूम नहीं है। भारत सरकार की यह स्कीम है। कृषि अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष स्वामीनाथन् जोधपुर आये। कहने लगे शोध कार्य नहीं हो पाया है और भू-तल में भरा हुआ है। राजस्थान सरकार को सीरियसली सोचना चाहिये कि जिससे एफॉरेस्टेशन के जरिये, जंगलात लगा कर इस समस्या को हल किया जाय।

भू-राजस्व के सम्बन्ध में संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा रिसेटलमेंट हो रहा है और पाली में सेटलमेंट हुआ है, रायपुर में भी रिसेटलमेंट हुआ है, खारची में रिसेटलमेंट हुआ है। आंकड़े देखने से ऐसा लगता है कि लगान में वृद्धि की है वह लगान दुगुना-चौगुना ही नहीं किन्तु सात-आठ गुना है। यह सूची है जो भू-राजस्व विभाग के द्वारा प्रकाशित की गयी है कि कौनसे ज़िले में कितना रिसेटलमेंट हुआ है और कितनी लगान में वृद्धि हुई है। खारची में 111 गांव हैं। लगान में 3 लाख, 78 हजार की वृद्धि हुई है। कोई भी ऐसा जिला नहीं कि जहां लगान के अनुपात में वृद्धि न हुई हो। गंगानगर में 500 गांवों के पीछे 5 लाख रुपया है जब कि खारची में 111 गांवों के पीछे 3 लाख 78 हजार की वृद्धि हुई है। पहाड़ी इलाका है। रावत लोग रहते हैं। लोगों ने इसको गम्भीरता से सोचा है। रिप्रेजेन्टेशन आये हैं। उजरदारियां आयी हैं। राजस्व मन्त्रीजी से कहूंगा कि इस पर गम्भीरता से विचार करके असंतोष को दूर करें।

इसी प्रकार रायपुर तहसील है पाली

(श्री शंकरलाल)

जिले की। यह ऐसी तहसील है कि जहां रावत और पहाड़ी लोग रहते हैं। जिनकी छोटी-छोटी होल्डिंग्स हैं। 25 गांवों में 4 लाख रुपये की लगान में वृद्धि हुई है। आज भी उनका डेपुटेशन आया। गरीब लोग हैं। सात-आठ गुना लगान उन पर बढ़ा दिया। यह सोचने की बात है। राजस्व मन्त्री जी इस पर विचार करके इसका हल निकालेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

एक बात और याद दिलाऊंगा वन मन्त्रीजी को कि पिछले सत्र में इस बात की घोषणा की गयी थी कि पशुपालक बोर्ड की स्थापना की जावेगी और उससे पशु-पालकों की समस्या का निवारण किया जावेगा। वह हो नहीं पायी है। फ्री ग्रेजिंग की घोषणा निकली है गजट में। निःशुल्क चरायी की जाय। उसका पालन नहीं हो रहा है। सिवाय गाय और भैंस के रायकों के पास जो दूसरे पशु हैं उनको चरने नहीं दिया जाता है। इसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऊंट हैं, भेड़-बकरी हैं उन भेड़ पालकों के पास जिनके पास न जमीन है न चराने का और साधन, उनको भी फ्री ग्रेजिंग में घुसने दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थासिंह।

(एक सदस्य के खड़े होने पर) आपको भी मौका दूंगा।

श्री नत्थासिंह (नदबई) : उपाध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू के बारे में तो मैं इतना ही कहूंगा कि नदबई क्षेत्र में सन् 65 से प्रारम्भ किया गया सेटलमेंट आज दिन तक भी खतम नहीं हुआ है। वहां के सेटलमेंट के अधिकारियों का भ्रष्टाचार देखकर तो मेरा कलेजा हिल जाता है।

साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि जो सेटलमेंट हुआ है उस बारे में दस माह पहले करीब मैंने एक प्रश्न रखा था तो उस पर मिनिस्टर महोदय ने आश्वासन दिया था कि चार-पांच महीने में सेटलमेंट नदबई क्षेत्र में समाप्त करा दिया जावेगा। आज दस महीने बीत गये उस बात को मैं दुबारा उनको याद दिलाना चाहता हूं। आज इस सेटलमेंट के नहीं होने से किसान बैंक से कर्जा नहीं ले सकता और इसके बिना उसकी धरती का विकास रुका हुआ है।

दूसरा निवेदन करूंगा चरागाहों के बारे में। कई बार मैं इस बारे में कह चुका हूं कि भरतपुर के चरागाह की जमीन वहां के अधिकारियों ने पटवारी, तहसीलदार और एस. डी. ओ. ने मिलकर आपस में षड़यन्त्र करके उस तमाम चरागाह की जमीन को तीन सौ चार सौ रुपया बीघा का पैसा लेकर लोगों को दे दी है और बड़े-बड़े जमीदारों का कब्जा वहां पर करा दिया है।

इस पर भी मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि जो जमीन अभी बची हुई है उसका सबसे पहले डिमार्केशन कराया जावे। और जिन जमीदारों ने चरागाह की जमीन तोड़कर काश्त कर ली है उनके लिये एक ऐसा कानून बनाया जावे जो पुलिस केस बन सके। जैसे ही पुलिस केस का भय उनको लगा भरतपुर जिले में या राजस्थान में भी जहां कहीं चरागाह की भूमि पर वे होंगे, कब्जा छोड़कर भागते नजर आवेंगे।

(श्री नत्थासिंह)

वे चुपचाप छोड़ जावेंगे। पुलिस केस का मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। तो जब तक ऐसा कानून नहीं बनेगा या ऑर्डिनेन्स आप नहीं निकाल देंगे तब तक भरतपुर के चरागाह की धरती और सारे राजस्थान में चरागाह की धरती पर पैसे के जोर से और रेवेन्यू विभाग के इन अधिकारियों की सांठ गांठ से कब्जा करते रहेंगे और इसकी चर्चा सदन में चलती रहेगी।

अब वन विभाग पर आता हूं। इसमें व्यापार मण्डल का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। विभाग की सांठगांठ से इसमें भी कुछ लोग पैसे खिला कर व्यापारमण्डल अच्छी-अच्छी लकड़ियां काट रहा है और कई जगह गेम सेन्चुरियों पर भी हमला किया जा रहा है। भरतपुर के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि एक के सिवाय किसी सोसायटी को वहां ठेका नहीं मिला है। मैं सदन में यह विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि विभाग की मिली भगत से सैंकड़ों कोयला बनाने के भट्टे भरतपुर जिले में इन ठेकेदारों ने लगा रक्खे हैं जिनके पास कोई जंगल नहीं हैं, कोई किसी प्रकार का ठेका नहीं है। मैंने मन्त्री महोदय को कुछ दिन पहले लिखित रूप से अपने दस्तखतों से एक पत्र भेजा था कि इस तरह से विभाग के अधिकारी गड़बड़ी कर रहे हैं। वे अधिकारी इस तरह से दस बीस लाख रुपया कमा-कमा कर जयपुर आ रहे हैं, और वह सारा जंगल कटकर उसका कोयला बन कर उत्तरप्रदेश में जा रहा है। उत्तरप्रदेश का इलाका हमारे वहां से मिला हुआ है। सैंकड़ों ऊंट रोज उत्तरप्रदेश में जंगलो के रास्ते सैंकड़ों मन लकड़ी और कोयला लेकर जा रहे हैं।

अब मैं आंकड़ों की बात करूंगा। तारीख 8-2-72 को तेन्दू पत्तों का एक आक्शन हुआ था। इसका 8-2-72 को आदेश निकाला था जिसमें 14-15 को और 19-20 फरवरी में नीलाम था। 71-72 के आंकड़े बताऊंगा। मन्त्री महोदय नोट करलें।

श्री हरिदेव जोशी : आपसे ही ले लेंगे।

श्री नत्थासिंह: कापड़ा वेन यानी कुकड़ावास में 14 हजार का गत वर्ष में नीलाम हुआ था वह 72-73 में कितने का नीलाम हुआ यह बताता हूं। कुल 3200 में नीलाम हुआ।

जगवाड़ा में 71-72 में 65 हजार में हुआ 72-73 में वही केवल 22,100 रुपये में दे दिया गया।

मोरीपुरा में गत वर्ष 46 हजार में हुआ, जब कि इस वर्ष 10,100 रुपये में ही कर दिया गया।

इसी तरह कवांरी में 43 हजार में, जो गये साल हुआ उसे इस साल 10,200 रुपयों में ही कर दिया गया।

महारी में 45 हजार में जो पहले हुआ इस साल 10,800 रुपयों में ही कर दिया गया।

केडोरी में 15 हजार में जो किया गया इस साल 5600 रुपये में दिया

कडवास में 75 हजार में जो किया था इस साल 12,600, रुपये में कर दिया।

(श्री नत्थासिंह)
तो उपाध्यक्ष महोदय, गये साल इस तरह से जो ठेका सब जगहों का कुल पांच लाख 14 हजार पांच सौ रुपयों में नीलाम हुआ, इस साल केवल एक लाख 19 हजार में ही कर दिया गया। लगभग चार लाख का घाटा विभाग ने इसी में ले लिया। यह सब कैसे हुआ ? हमारे चीफ कन्जरवेटर के लिये मैं नहीं कहूंगा। वे ईमानदार हैं। मेरे बुजुर्ग हैं। उनका तो आदर करूंगा। पर यह चार लाख की रकम मैं निश्चित तौर से दावे के साथ कहता हूं कि नीचे के अधिकारियों की जैब मे गई है कन्जरवेटर भरतसिंह की जैबों में गई। और कहां गई ? इन्दरलाल यादव हैं जो पांच नम्बर वाले की पुलिया में कोठी बना रहे हैं उनकी जैब में गई। दो खण्ड की यह कोठी है जो तकरीबन दो लाख की कीमत की होगी। लाखों की लागत से भरतसिंहजी अपनी कोठी बना रहे हैं और ये इंगलिश गाड़ियों में 25–26 हजार की गाड़ियों में ठाठ से घूम रहे हैं, प्राइवेट घूमते हैं तब। नहीं तो सरकारी गाड़ियों को रगड़ते हैं।

तो मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के जितने भी जंगल हैं उन सब में व्यापारमण्डल द्वारा घोटाले कराये जाते हैं। राजस्थान में बल्लियों की नीलामी में कोयलों की नीलामी में, लकड़ियों की नीलामी में भयंकर घोटाले हो रहे हैं वन विभाग में। मैंने जो आंकड़े दिये हैं आप ऊनका मिलान करके देखें आप इनकी जांच करावें और दोषी अधिकारियों को सस्पेन्ड करके उनको जैल के सीखचों में डाले, और इस तेन्दू के ठेकों की दुबारा नीलामी करावें ताकि सरकार को नुकसान न हो।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष दय, मेरे कटौती के प्रस्ताव भू-राजस्व और वन के बारे में हैं। वनों की दुर्दशा को रोक कर उनकी सुरक्षा के बारे में मैं निवेदन करूंगा।

साल भर से तो वनों का कन्ट्रोल हो रहा है तौर वर्तमान मन्त्रीजी ने इस ओर ध्यान दिया है। पर पहले जो दुर्दशा हुई है उसके बारे में निवेदन करूंगा।

डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में बड़े घने जंगल थे और इस कारण इन जिलों में दुष्काल है। उस समय दुष्काल किसे कहते हैं लोग जानते तक नहीं थे। बांसवाड़ा, डूंगरपुर में पचास से साठ इन्च तक पानी बरसता था। आजादी के बाद जब ठेकेदारी प्रथा प्रारम्भ हुई तो ये जंगल काट डाले गये बड़ी निर्ममता से काटे गये। परिणाम यह हुआ कि इस एरिया में दुष्काल पर दुष्काल आने लगे, बरसात होनी बन्द हो गई। हमारी पहली योजना से लेकर चौथी योजना तक छोटे-मोटे बांध बने, बड़े प्रोजेक्ट बने लेकिन जंगल खतम होने से दुष्कालों की बाढ़ नही रुक सकी।

किसी ने वनों की सुरक्षा के बारे में ध्यान ही नहीं दिया। वन विभाग के उच्चाधिकारियों ने तो ध्यान ही नहीं दिया बल्कि बरबाद करने मे ठेकेदारों से सांठ-गांठ करके अपने घर भरे। राज्य सरकार ने भी जंगलों की सुरक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसलिए वर्षा का औसत इस क्षेत्र में गिरता ही चला गया और दुष्काल आते गये। बांसवाड़ा जिले में वनों की सुरक्षा के बारे में निवेदन करूंगा। बांसवाड़ा जिले में बागीडोरा तहसील में नाल ढेबरी में भोयणघाटी में वृक्षारोपण की योजना

(श्री नाथूराम)

बनाई। वहां पर वन विभाग में श्री माथुर वर्किंग ऑफिसर है। उनके द्वारा 100 एकड़ में वृक्षारोपण किया गया है। यह पद्धति ऐसी है कि जो थोड़ी बहुत वर्षा होती है, जो वर्षा का थोड़ा बहुत पानी बरसता है वह रुकता है, नीचे वह नहीं जाता है। उस 100 एकड़ में केवल 1 हजार रुपया खर्च हुआ है और पांच हजार वृक्ष लगे हैं। आज यही पद्धति सारे राजस्थान में लागू की जाय तो मैं विश्वास दिलाऊं 10 साल में वर्षा का औसत बढ़ जायगा और जंगल आबाद हो जायेंगे। कभी दुष्काल नजर नहीं आयेगा। इस पद्धति से अधिक घास मिलेगी और वन आबाद होंगे।

यह नाल ढेबरी की योजना है, वन विभाग से जो चालू की है और सारे जिले में सर्वे भी हुआ है तो उसमें पाया गया है कि वहां पर एक लाख एकड़ भूमि पर वन लगाने योग्य हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं सरकार से कि इस पद्धति को सारे जिलों में लागू किया जाय। बल्कि इस साल जो भयंकर दुष्काल है सो भयंकर दुष्काल में रिलीफ फण्ड से ज्यादा से ज्यादा पैसा देकर इस योजना को चालू करनी चाहिये। मैं सुझाव देना चाहता हूं हर तहसील में इस पद्धति को लागू करना चाहिये अगर इस तरह की योजना लागू होती है तो कम से कम 90 प्रतिशत लोगों को मजदूरी मिलती है और 10 प्रतिशत पौधे लगाने का खर्चा आता है।

मैं यह कहूंगा पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा में यह योजना लागू करनी चाहिये। जहां भयंकर दुष्काल है, उसकी समस्या हल होगी। कभी भी दुष्काल नहीं रहेगा और ज्यादा से ज्यादा वर्षा होगी। एक तरफ बांसवाड़ा में माही प्रोजेक्ट बन रहा है और अगर इस तरह योजनायें नहीं अपनायेंगे तो वर्षा की कमी से सफल नहीं होगी। रिलीफ में इस काम के लिये ज्यादा से ज्यादा पैसा देना चाहिये। रिलीफ खतम होता है तो प्लान में भारत सरकार से पैसा लेकर इस योजना को लागू करना चाहिये। इससे वनों की सुरक्षा होगी। एक महुओं के पेड़ लगा दें, या आम लगा दें तो ये 10 वर्षों में प्रकृति की देन से फलते-फूलते हैं।

दुष्काल में जो पौधे लगे है, आज पांच हजार पौधे जीवित है। बांसवाड़ा वन विभाग में जो नर्सरी है सरकार को तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की। मामूली बीज लगाये जाते हैं और जुलाई में पौधे लग जाते हैं। मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा जो फारेस्ट की नर्सरी है उसके अभी तक बीज नहीं पहुंचे है। बीज पहुंच जाते तो फरवरी में लग जाते। और जुलाई में पौधे लगते हैं कुछ ऐसे पौधे हैं जो जुलाई में लगाये जायेंगे तीन लाख के करीब। मैं सरकार से निवेदन करता हूं पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान जहां फारेस्ट नहीं है इस पद्धति को लागू करना चाहिये तो ज्यादा से ज्यादा वनों की सुरक्षा होगी।

वनों की राज्य सरकार की ओर से दुर्दशा हुई है। समय कम है नहीं तो मैं रेंज वाईज आंकड़े बता सकता हूं। बांसवाड़ा में सन् 1963 से 1972 तक जो वनों की कटाई हुई है, मैं संक्षेप में ही कहूंगा लगभग 41 लाख रुपयों की आमदनी हुई है। आज 41 लाख रुपयों की आमदनी तो वन

(श्री नाथूराम)
विभाग ने की लेकिन वनों को आबाद करने की राज्य सरकार ने नहीं सोचा। आपके व्यापार मण्डल की योजना, ठीक है आज विभाग फायदे में जा रहा है एक तरफ वनों की कटाई कर रहे हैं और एक तरफ उसको आबाद नहीं कर रहे है। केवल आमदनी की ओर ध्यान नहीं दें। वनों की सुरक्षा जल्दी से जल्दी की जाय और इसकी स्थायी समस्या हल की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज आदिवासी लड़के मैट्रिक, हायर सेकेण्डरी, बी० ए० मारे मारे फिरते हैं, उन जंगलों में रहने वाले उनको फोरेस्टर और रेन्जर की ट्रेनिंग में भेजा जाय तो नियुक्ति के पश्चात् ज्यादा से ज्यादा वनों की सुरक्षा कर सकेंगे....

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

आज आदिवासियों को ट्रेनिंग में भेजा जाय तो आदिवासियों की बेरोजगारी दूर होगी। इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं भू-राजस्व के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं। वैसे तो माननीय सदस्यों ने कई सुझाव दिये हैं लेकिन हमारे यहां आजादी के पहले सेटिलमेंट हुआ था- आजादी के बाद नहीं हुआ। कजाना बांध में जो जमीन डूब में आ रही है वहां सेटिलमेंट हो रहा है। आपके रेवेन्यू के जो आंकड़े है वह बहुत पुराने हैं। जब कृषक उन्हें कोई बात कहते हैं तो रेवेन्यू के आंकड़ों के अनुसार देखेंगे। 25 साल में कृषकों ने भूमि सुधारी है, हरिजन जाति आदिवासी व पिछड़ी जाति के लोग हैं उनके नाम अभी तक काश्त की भूमि पर नाम नहीं लिखे गये हैं। सरकार ने आर्डर कर दिया लेकिन पालन नहीं हो रहा है। यह केवल कागजों में ही पालन हुआ है। हरिजन, आदिवासी हैं उनको दो-दो तीन-तीन बीघा भूमि जिन्होंने खून पसीना एक करके जमीन को ठीक किया है, उनको दे देना चाहिये।

पटवारी लोगों की एक बीमारी है, उसको राजस्व विभाग दूर नहीं कर सकता है। जो आदिवासी भूमि पर काबिज हैं, उनके नाम न, लिखकर जो पैसा देने वाले हैं, उनके नाम लिख दिया जाता है और उनको पटवारी की ओर से बता दिया जाता है कि यह नाजायज कब्जा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं पटवारी की बीमारी को दूर कीजिये। आजादी के बाद कोई आपने परिवर्तन नहीं किये, 25 साल पुराना ढर्रा ही आज चला आ रहा है। इस तरह से आज जो रेवेन्यू की वसूली है उसमें कोई नया नियम बनावें ताकि समय पर सारा काम हो। मैं सरकार से निवेदन करता हूं आदिवासी हरिजन लोग कभी नहीं चाहते कि लगान नहीं देवें लेकिन जिनके पास दो-दो तीन-तीन बीघा जमीन है, उनके पास कोई आमदनी खेती से नहीं होती है। रेवेन्यू नहीं लेनी चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

मैं यह कहूंगा कि सिंचाई के साधन दें और फिर रेवेन्यू लिया जाय तो कोई इन्कार नहीं करेगा। (समय समाप्ति सूचक घंटी) इसी तरह उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनिट....पास बुकों के लिये पिछली बार घोषणा की थी लेकिन कुछ पास बुकें ऐसी दी हैं जिनमें पटवारी लोग पैसा खा गये। वे भी कम तादाद में दी हैं। जैसी घोषणा की थी वैसी ही इस बारे में पास बुकें दिलाने की व्यवस्था करें। यही मैं निवेदन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारी लाल।

श्री बनवारी लाल (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत हो गया है मैं संक्षिप्त में अपनी समस्याओं को सदन के सामने रखूंगा। माननीय मंत्री का ध्यान में धौलपुर के जंगलों के बारे में दिलाना चाहूँगा। वैसे तो सम्पूर्ण राजस्थान में जंगलों की स्थिति बहुत ही खराब होती जा रही है लेकिन धौलपुर का जंगल दिनों दिन कटता जा रहा है और स्टेट के समय से और आप कम्पेयर करें तो वहां इतना घना जंगल था जो अब कटकर बिलकुल ही खत्म होता जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि या तो जंगल विभाग को बिलकुल ही समाप्त कर दें जिससे कि हम आपका ध्यान रोजाना नहीं दिलाते रहें। मेरा निवेदन है कि अगर जंगल रखने हैं तो इनको काटने से रोका जाये क्योंकि धौलपुर का जंगल इतना घना था और वहां पर गेम सेंचुरी थी, वन बिहार और रामसागर की उनके बारे में निवेदन करता हूं कि वहां पर पर्यटक जाते हैं और इस मन्शा से जाते हैं कि वहां पर उनको वाइल्ड एनीमल्स मिलेंगे और दूसरी तरह की सुविधायें मिलेंगी लेकिन आज वहां पर जो हिज हाईनेस का पुराना पैलेस है उसमें भी कोई सुविधायें नहीं हैं। वाइल्ड एनीमल्स गेम सेंचुरी में नहीं हैं। तो मेरा निवेदन है कि वाइल्ड एनीमल्स को प्रोटेक्ट किया जाये जो कि दिन प्रतिदिन खतम होते जा रहे हैं। होता क्या है कि मिलिट्री स्कीम के लिए वहां आती है और उस एरिया में ठहरती है और वहां पर श्री नाट थ्री की कोटेजेंज से तीतर को मारते हैं और वाइल्ड एनीमल्स को उन्होंने खतम कर दिया है। तो मेरा निवेदन है कि मिलिट्री को इसके लिए रोका जाये और उनकी स्कीम्स को दूसरी जगह बनाया जाये।

दूसरा निवेदन है कि जंगलात के बारे में डीमार्केशन किया जाये। प्राब्लम यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट जंगलात की जमीन को अलाट कर देता है तो दोनों विभागों में झगड़ा होता है और काश्तकारों को कठिनाइयां आती हैं। माइन्स डिपार्टमेन्ट के कान्ट्रेक्टर्स भी झगड़ा करते हैं तो मेरा निवेदन है कि कलेक्टर के जरिये से कमेटी बनाई जाये और जंगलात की जमीन का डीमार्केशन किया जाये जिससे कि वहां के काश्तकारों को या आपके विभाग को दिक्कत नहीं उठानी पड़े। मेरा निवेदन है कि जो वन बिहार के क्षेत्र हैं उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स किये जायें और फण्ड्स दिये जायें। दूसरे रामसागर गेम सेंचुरी है वहां पर पुराने महाराजा का टिन शेड है नाव हैं और जब वहां पर पर्यटक जाते हैं और सरकार खर्च करके इतना टिन शेड या दूसरी सुविधायें नहीं दे सकती हैं। इस समय महाराजा साहब उनको बेचने के इच्छुक हैं तो सरकार से मेरा निवेदन है कि उनसे नेगोसियेशन किये जायें और उनको खरीदा जाये।

मेरा यही निवेदन है कि वन बिहार और राम सागर की गेम सेंचुरी को सुधारा जाये। वहां पर बिजली की समस्या है, वहां बिजली पहुंचाई जाये। सुखाड़िया जी गये थे तब तो वहां टेलीफोन लगा। मैंने कई बार निवेदन किया कि आप भी वहां पहुंच जायें तो वहां बिजली लग जाये क्योंकि आप विद्युत मंत्री भी हैं और वन मंत्री हैं। वहां पर एक डीजल एंजिन है तो

(श्री बनवारीलाल)
उसका कभी कोई पार्ट टूट जाता है तो कभी कोई पार्ट टूट जाता है। मेरा निवेदन है कि यह बहुत सुन्दर जगह है, वहां पर पर्यटकों को जितनी सुविधायें दे सकें उतना ही अच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

श्री उम्मेदीलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय

श्री मीठालाल : पाइन्ट आफ आर्डर सर, हमारी पार्टी को बिलकुल टाइम नहीं दिया। पता नहीं किस तरह से न्याय कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री मीठालाल : कम से कम चौथाई टाइम तो हमको भी दे दिया जाये। हमेशा पक्षपात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आप तशरीफ रखिये। आपका नाम पुकारा था।

श्री मीठालाल : लेकिन मेरी पार्टी के दूसरे मेम्बर्स हैं उनका नाम पुकार दीजिए जनसंघ के चार सदस्य बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मूलचन्द को दिया है।

श्री मीठालाल : केवल मूलचन्द को दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने दो आदमियों के नाम दिये थे और व्हिप के नाते नाम दिये हैं तो आसन से उनको पुकारा गया। दो नाम दिये और दोनों नामों को पुकारा गया।

श्री मीठालाल : टाइम तो 6 बज रहे हैं। मानना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उम्मेदी लाल।

श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग और वन विभाग के दोनों मंत्री महोदयों को मैं आप के द्वारा धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इन विभागों में बहुत बड़ा सन्तोष है और वह इसलिए है कि भ्रष्टाचार तो बिलकुल ही खतम हो चुका है। मैं भूरासर के बारे में कह रहा हूं कि भूमिहीनों को जो जमीन दी जाती है या उनकी व्यवस्था के लिए जो कुछ सुविधायें दी जाती हैं वह नाममात्र के लिए हैं। जहां कहीं अलाटमेन्ट भी होता है तो भूमिहीनों के नाम पर होता है लेकिन उनको भूमि दी जाती है तो एक दो बीघा ही दी जाती है और उस भूमि को वहां दी जाती है जहां कि किसी काम की नहीं होती है। जब उनका कब्जा होता है तो वह बेचारे कब्जा करने के लिए जाते हैं लेकिन पटवारी कब्जा नहीं देता और देता है तो कागजों पर देता है जब कि उससे वह अच्छा पैसा ले लेते हैं। जब वह खेत बोने जाते हैं तो लाठीवाले किसान जिस ने पहले कब्जा कर रखा है वह कहता है कि मेरी जमीन कहां है, वह बेचारे मुंह फाड़कर घर आते हैं या थाने में जाते हैं। तो थाने में जाते हैं तो उनकी वहां भी सुनाई नहीं होती है क्योंकि थाने वालों को पैसे चाहिए, कोर्ट में जाये तो वकील पैसे लेता है। तो उनके लिए ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि जो जमीन भूमिहीनों के नाम पर या हरिजनों के नाम पर दी जाती है या आदिवासियों के नाम पर दी जाती है, जमीन अलाटमेन्ट

(श्रीउम्मेदीलाल)

होती है उसका बदस्तुर उनको कब्जा मिल जाना चाहिए और सरकार को ऐसी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ताकि वह भूमिहीन नहीं हो सकें और उनको जमीन का कुछ फायदा मिल सके। माफ करना, आज से 20 साल पहले से आपकी तरफ वह लोग अपने प्राणों की बाजी लगाकर आपको वोट देते हैं और वह इस बात को सोचते हैं कि सरकार भला कर सकती है। तो जो अलाटमेन्ट के नाम पर जमीन दी जाती है वह एक दो वीघा ही दी जाती है और उस जमीन पर भी उनका कब्जा नहीं हो पाता है तो ऐसी सूरत में सरकार कोई ऐसा कानून या कोई नियम या कोई व्यवस्था निर्धारित करे ताकि उनको जमीन मिल सके और वह अपनी रोजी-रोटी से लग सकें और धन्धे से लग सकें।

थोड़े दिन पहले फ्लड आया था, उसमें मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो सहायता मिली थी, जिन लोगों के घर बह गये और सात-सात पीढ़ियों से जो उनके बरतन थे वह तक बह गये. उनको जो सहायता मिली वह बहुत कम मात्रा में मिली और उन लोगों ने काफी प्रयत्न किये उनको रहने के लिए जमीन नहीं दी गयी। अभी तक बेचारे मर रहे हैं। वह कलेक्टर के यहां जायें या तहसील में जायें तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। एक ग्राम बीलपुरा है वहां लोगों को बुरी तरह से मारा और अब भी जमीन पर नहीं बसने दिया। उनका केस कोर्ट में चल रहा है वह करीब 40 परिवार हैं और 6-7 महीने हो गए उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो यह हालत आपके रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट की है।

अब वन विभाग के बारे में कुछ बातें कहता हूं।

वन विभाग के अधिकारी जो राजस्थान में हैं इन्होंने राजस्थान में लूट कबड्डी मचा रखी है। अब मैं अर्ज करूं कि तमाम जंगलात को मण्डल के नाम पर कटवा दिया और उन्होंने कटवाए हैं जिनसे सांठ गांठ करके और अपना उल्लू सीधा करते हैं। माफ करना इस आदमी के पास, जिनके पास बीस पचीस साल पहले कुछ भी नहीं था उसकी आज दस लाख रुपये की कोठी बनी हुई है।

एक माननीय सदस्य : उसका नाम क्या है ?

श्री उम्मेदीलाल : पहले सरकार उसकी जांच कराने को तैयार तो हो। फिर नाम तो वता दूंगा। बात यह है कि उसका एक छोटा भाई है भरतपुर का डी. एफ. ओ. है और उसने भरतपुर और सवाई माधोपुर के जंगलों में जो सफाया किया है वह हर जगह, सैकडों जगह हैं और जितनी भी पेड़ों की कटाई की गई है और उसके जो ट्रक भर कर जाते हैं तो एक एक ट्रक का पांच सो रुपया लेता है।

एक माननीय सदस्य : नाम क्या है उसका, यह तो बताओ।

श्री उम्मेदीलाल : यह तो अगर आप छान बीन करोगे तो उसका उत्तर मिल जाएगा, क्या नाम है उसका। छोटा भाई है भरतसिंह का। आप भी जानते हैं उसको। मैं आपसे अर्ज कर दूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी छानवीन करके उस व्यक्ति को कोई ऐसी कठोर से

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री उम्मेदीलाल

कठोर सजा मिलनी चाहिए क्योंकि सरकार को कितना नुकसान हो गया है । मैं समझता हूं कि यह सरकार के विरुद्ध है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर इसकी छानबीन हुई तो मेरे खयाल से यह पता पड़ जाएगा कि इसने कितना नुकसान किया है । इस आदमी की शिकायतें भी हुईं पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं ।

जो मजदूर जंगल से अपना पेट पालन करते हैं, जंगल से लट्ठा लाते हैं और उसको सिटी में बेचते हैं, उनके ऊपर तो टैक्स लगाया है उसको माफ कर देना चाहिए क्योंकि उनके परिवार उनके जो बच्चे हैं वे उसी पर निर्भर हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मीठालाल ।

श्री मीठालाल (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि वनों के विकास के लिए हमारी सरकार के पास पर्याप्त योजना और पर्याप्त प्रोग्राम है। निश्चित रूप से वनों का विकास करना चाहिए। इसके फायदे को सभी माननीय सदस्य जानते हैं । लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि वनों के आसपास के क्षेत्र में ऐसी जमीनें हैं जो खेती योग्य हैं उनमें कोई पेड़ पौधे नहीं है उन जमीनों को अगर वनों से निकाल कर खेती के काम में लिया जाय तो कोई हर्ज नहीं है ।

इसके अतिरिक्त पहाड़ों की तलाई में जहां पर वनों का क्षेत्र है वहां पर कुओं में पानी भी ज्यादा होता है । उन जमीनों को किसानों को कुए खोदने के लिए देना चाहिए। कुआ खोद कर किसान अपने सिंचाई और अन्य कार्यों के लिए पानी लेना चाहे तो उसे किसानों को कुआ खोदने के लिए उस जमीन को जरूर आवंटित कर देना चाहिए ! किन्तु ऐसा नहीं होता है और किसानों के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की जाती है। केवल कुआ खोदते हैं किसान, जिससे उनके कुओं में पर्याप्त पानी आ सके तो उनको कुआ भी नहीं खोदने देते हैं । इस प्रकार के कई केसेज राज्य के प्रत्येक हिस्से में चल रहे हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जो जमीन काबिलकाश्त है उस जमीन को सिवाय चक में अलाटमेन्ट करके शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स और अन्य जातियों में आवंटित करने की मेहरबानी करें। दूसरा जो जंगल की भूमि है, जहां पानी है और किसान कुआ खोदना चाहें तो उस जमीन को किसानों को देने के लिए प्रावधान कर दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक वनों के व्यापार का मामला है 70-71 में 283 क्विन्टल कत्था बनाया गया जिसमें से 35 क्वि. कत्था बिका और 248 क्वि. कत्था बिना बिके पड़ा हुआ है । इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है ।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री मीठालाल : उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह आपके आमेटा, मदनपुरा, संतोखड़ा में 195 क्वि० और 117.24 क्वि० कत्था पड़ा हुआ है उसके बारे में आपकी रिपोर्ट के अनुसार

(श्री मीठालाल)

कोई प्रावधान नहीं है इसलिए सरकारी व्यापार तो ठीक है, आप करना चाहें तो करिए, लेकिन उसकी कार्य पद्धति और उसका प्रोग्राम इस तरह से बनना चाहिए कि अफसरशाही हावी नहीं हो और इसको व्यापार के तरीके से ही व्यापार करें। समय पर कत्था तैयार हो और समय पर ही बाजार में आवे। इस ढंग की प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्व विभाग के मामले में मैंने दो-तीन कट मोशन दिए हैं उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा। लालसोट तहसील में बिनौरीसागर और दक्षिणी सागर बांधों के पेटे में ऐसी जमीनें हैं जिनको सम्वत् 2009; यानी 53-54 में लिया गया लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया, उनको कोई जमीन नहीं दी गई। उनको कोई जमीन नहीं दी और सम्वत् 2009 से, यानी 53-54 से उन किसानों पर लगान चालू है और ऊपर से पेनल्टी और वसूल की जा रही है। आप ही अन्दाज लगा लीजिए, 16-16, 17-17 साल की जो पेनल्टी और लगान के रूप में लाखों रुपया हो गया है वह वसूल हो रहा है। आपने मुआवजा दिया नहीं, जमीन के बदले जमीन दी नहीं और ऊपर से पेनल्टी कायम करके उनसे वसूली की जा रही है।

दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, मोरलसागर का भी बिल्कुल ऐसा ही मामला है। कुछ हिस्सा सवाई माधोपुर में है और कुछ हिस्सा जयपुर में है। सवाई माधोपुर के कुछ गांवों का जो मामला था उसको तो आपने निपटा दिया है और उनको कुछ मुआवजा देकर लगान वसूली का मामला समाप्त कर दिया है लेकिन जैसे सवाई माधोपुर में किया है वैसे ही जयपुर जिले के लालसोट तहसील के कुछ गांवों का मामला है उन केसेज को आपने अभी तक सेटिल नहीं किया है। इसलिए मेहरबानी करके इन मामलों को सेटिल करने की कोशिश कीजिए। उनमें कोई घास वगैरा भी पैदा नहीं होती है। उन जमीनों का भी आपने किसानों को मुआवजा नहीं दिया, जमीन के एवज में जमीन नहीं दी। इसलिए सरकार उनको जमीन के एवज में जमीन दे। वहां किसान अगर चरागाह में खेती करते हैं तो उस मामले में सरकार उनको बेदखल करती है जो एक तरह से बेइंसाफी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मोरल सागर की जमीन और बिनौरीसागर की जमीन जो सिवाय चक है, चरागाह है, जिन लोगों को आपने मुआवजा नहीं दिया है, जिन्होंने लगान बकाया नहीं रखा है और जिनका दस-दस साल से कब्जा है, उनके नाम करने की मेहरबानी करें।

दूसरा कट मोशन शाहपुरा गांव का है लालसोट तहसील में जिसमें आप काफी दिनों पहले कृषि फार्म कायम करना चाहते थे लेकिन कृषि फार्म कायम करने की स्कीम तो आपकी समाप्त हो गई लेकिन वहां की सिवाय चक भूमि पर जो 15-15 साल से खेती करते आ रहे हैं उनको आपको अब तक भूमि आवंटित कर देनी चाहिए थी लेकिन अभी तक उनके नाम रेगुलराइज नहीं किया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस गांव की जमीन जो 15 साल से बेकार पड़ी है उनको रेगुलराइज करने की कृपा करें।

कल हाउस में इस मामले को रामगढ़, पचेबरा, उसके बारे में माननीय मन्त्रीजी

(श्री मीठालाल)

से निवेदन करता हूँ। कल आपने फरमाया था कि उसको पंचायत के नाम अलॉट नहीं की गई है। लेकिन मेरी जानकारी है कि पंचायत के नाम अलॉट कर दिया है और वह आबादी में भी निकल गई है। आबादी में निकलने के बाद पंचायत का हक हो जाता है। आपका हक नहीं रहता है। इसलिए वहां जो आम के पेड़ हैं उनको भविष्य में किसी तरह से नीलाम नहीं करें।

इसके अतिरिक्त जो मैंने आपसे निवेदन किया है कि जिन बांधों की जमीन ली गई है और उन किसानों को उसका मुआवजा नहीं दिया गया है, लगान चालू है और ऊपर से पेनल्टी और वसूल की जा रही है। उनके खेतों में वैसे तो कोई पैदावार नहीं होती लेकिन अगर घास ऊंची होती है तो उसको भी सरकार नीलाम कर देती है। उनसे लगान ले रही है और उनको मुआवजा नहीं दिया गया है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस तरीके के जो जमीनों के मामले हैं उनको मेहरबानी करके किसानों के हक में करने का कष्ट करें। धन्यवाद!

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्रीजी।

श्री हरिदेव जोशी (वन मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कई कट मोशन्स वन विभाग के सम्बन्ध में दिए हैं, उनको मैंने ध्यान से सुना है और देखा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 3 लाख 42 हजार स्क्वायर किलोमीटर्स कुल जमीन है जिसमें से केवल 37,580 स्क्वायर किलोमीटर जंगल की भूमि है। जंगलात विभाग उसको जंगल कहता है मगर मैं स्वयं जंगल के क्षेत्र से आता हूँ। काफी क्षेत्र जो आज जंगल में दिखाया गया है वहां पर शायद कोई पेड़ भी नहीं दिखाई देगा। ऐसी हालत में मुझे भय है कि यह 37 हजार स्क्वायर किलोमीटर की जमीन जो जंगल में बताई गई है उतना जंगल भी हमारे पास में नहीं होगा। फिर भी जो क्षेत्र, वन क्षेत्र बताया गया है उसे हम देखें तो हमारी कुल भूमि का 11 प्रतिशत ही होती है। इसके मायने यह है कि राजस्थान के जंगलात विभाग को अधिक से अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। अधिक धरती के ऊपर वनों को अधिक सुरक्षित करने की आवश्यकता है और धरती के ऊपर वन लगाने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, पूरा पश्चिमी राजस्थान वनों से शून्य है। जिस प्रकार का हमारा रेगिस्तान है उससे हमें यह समझना है कि यदि इन रेतीले टीबों का स्थिरीकरण नहीं किया गया और इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया गया तो आने वाले समय में बरसात के लिए राजस्थान के लिए कोई अच्छा समय नहीं आने वाला है इसलिए मूल रूप में मैं राज्य सरकार के एप्रोच में फर्क आवे यह चीज महसूस करता हूँ। सब से पहला फर्क आवे यह चीज महसूस करता हूं। सबसे पहला फर्क इस बात में आने वाला है कि फोरेस्ट डिपार्टमेंन्ट को आमदनी देने वाला डिपार्टमेन्ट नहीं माना जाना चाहिए। फोरेस्ट से इतनी आमदनी होनी ही चाहिए, इसके बजाय इतना फोरेस्ट राजस्थान में होना चाहिए, यह लक्ष्य निर्धारित किया जाना

(श्री हरिदेव जोशी)

चाहिए और इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। आज एक बड़ा संघर्ष है। एक तरफ आबादी बढ़ती चली जाती है दूसरी तरफ जनता में एक चेतना आजादी के कारण आती चली जाती है। जिन लोगों ने युगों युगों में खेती नहीं की थी आज उनमें भी यह महत्वाकांक्षा है कि हम भूमि के मालिक हों और किसी न किसी रोजगार पर लगें। बढ़ती हुई आबादी के कारण और इन सब परिस्थितियों में सबकी निगाह फारेस्ट की तरफ जाती है क्योंकि फालतू लैन्ड दूसरी जगह नहीं दिखाई देती है। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि जंगलात की एक भी एकड़ जमीन अब निकाल कर खेती के लिए नहीं दी जानी चाहिए। एक प्रकार से उनके इस कथन में यह सच छुपा है कि जंगल कम है। बरसात कम होती जा रही है। इस लिहाज से इस बात में काफी बड़ा वजन है परन्तु मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह कहे कि जंगलात की जमीन खेती के लिए निकाली ही नहीं जानी चाहिए। इसके विपरीत सोचता हूं। आज पहाड़ियां और खेती के योग्य भूमि को तो रेवेन्यू लैन्ड बताया गया है कई जगह मैदानी इलाकों में खेती के करने लायक भूमि को अयोग्य बताया गया है। क्यों नहीं इस प्रकार का सामंजस्य बिठाया जाय कि पहाड़ियों से और कृषि के अयोग्य भूमि को जंगलात के क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया जाए और जो जंगल के अन्दर कृषि योग्य भूमि है उसको हरिजनों और आदिवासियों के लिए निकाला जाए। मैं दृढ़तापूर्वक इस राय का हूं कि एक बार अधिकारियों को बैठ कर आफिशियल और नान-आफिशियल को बैठ कर आने वाले कुछ वर्षों के लिए इस सिलसिले में कोशिश कर लेनी चाहिए. जो जमीन हमारे जंगल से निकालने की है उसको एक बार निकाल लेना चाहिए जो जंगल को देना है जंगल के लिये दे देनी चाहिए, जो एग्रीकल्चर परपज के लिए नयी है, जो वेस्ट लैन्ड है वह जंगल विभाग को सौंप देना चाहिए और यह कह देना चाहिए कि जंगलात विभाग को आने वाले दस वर्षों में फोरेस्ट को इन पर रिहेबिलिटेट करना है तब जाकर के हम दोनों ही प्रकार की मांग की पूर्ति कर सकेंगे। दुर्भाग्य से इस दिशा में कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया गया है। फोरेस्ट को हम आमदनी देने वाला डिपार्टमेन्ट मानकर हर समय बजट बनाते समय यह अपेक्षा करते हैं कि इससे कम से कम एक करोड़ की आमदनी हो क्योंकि रेवेन्यू गेप बढ़ता चला जा रहा है। डेढ़ करोड़ आमदनी दे सकता है, दो करोड़ आमदनी दे सकता है या नहीं, यह अपेक्षा बार बार की जाती है तब फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट यह कोशिश करता है कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट ज्यादा पैसा मांगता है तो ज्यादा एरिया को काटा जाए और सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को एक बार चीर कर अंडा निकाल देना है। यह गलत पोलिसी है। मैं समझता हूं कि एक ऐसी नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए कि जिससे आने वाले कुछ बरसों के अन्दर राजस्थान के अन्दर फोरेस्ट बढ़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानता हूं कि फोरेस्ट में चोरियां होती हैं। कान्ट्रैक्टर्स भी चोरियां करते हैं और ग्रामीण भी चोरी करते हैं। विभाग को एक बात ध्यान में रखना है। चाहे वह सरकारी

(श्री हरिदेव जोशी)

पड़त भूमि हो और उस पर कोई किसान नाजायज तौर पर कब्जा करता है तो वह बगैर पटवारी के कनाईवेन्स के कब्जा नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई कन्ट्रैक्टर अथवा कोई प्राइवेट व्यक्ति फोरेस्ट में से चोरी करता है तो निश्चित रूप से वह फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के बिना जानकारी के चोरी नहीं होती है। देर सबेर वह जानकारी मिलती हैं इसलिए हमको अपनी आर्गनाइजेशन को स्ट्रीमलाइन करना होगा, स्ट्रेन्थन करना होगा और कुछ ऐसी रीति-नीति अख्तियार करनी होगी जिससे इलीसिट कटिंग मिटे और फोरेस्ट की रक्षा की जा सके।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का समय जब तक मांगें पारित न हो जाए तब तक के लिए बढ़ाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

समय मांगें पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री हरिदेव जोशी: इसलिए उपाध्यक्ष महोदय मैं दृढ़तापूर्वक इस राय का हूं कि राजस्थान की कन्डीशन को देखते हुए जहां तक फ़ोरेस्ट में कान्ट्रैक्टर्स का सवाल है उसको तो एकदम इलीमीनेट कर दिया जाना चाहिए और जितना जल्दी से यह किया जा सके वह किया जाना चाहिए। चाहे वो फायरवूड हो चाहे चारकोल के लिए हो, चाहे कत्थे के लिए हो, चाहे बांस के लिए हो, चाहे वह पत्ता तेन्दू के लिए हो इसको इस प्रकार से एक्सप्लाइट किया जाना चाहिए कि अगर उससे आमदनी ज्यादा न मिले तो न मिले मगर उससे कम से कम चोरी हो। इसलिए हमने अब यह फैसला लिया है कि फायरवुड, चारकोल, पत्ता तेन्दू, टिम्बर वगैरह का जहां तक हो सके वहां पर हम कान्ट्रैक्टर्स को काम में नहीं लेंगे। मैं आने वाले वर्षों में और भी यह देखूंगा कि इसमें हम किस प्रकार से अधिक से अधिक डिपार्टमेन्टल वर्किंग कर सकते हैं। किस तरह से स्टेट ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्टेट ट्रेडिंग के हक में और स्टेट ट्रेडिंग के खिलाफ बहुत कुछ कहा जा सकता है। मगर स्टेट ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चीज यह कही जा सकती है कि स्टेट ट्रेडिंग के द्वारा कम से कम चोरी की, इलीसिट कटिंग की गुंजाइश नहीं होगी और फोरेस्ट को बचाया जा सकेगा। एक कान्ट्रैक्टर को हम जब फॉरेस्ट एरिया देते हैं तो अभी तक जो आमदनी हमें मालूम पड़ती है वह लगभग 91 रुपये पर स्क्वायर एकड़ दिखाई देती है जब कि स्टेट ट्रेडिंग का हमारा अनुभव जो है वह लगभग 300 रुपये से ऊपर पर स्क्वायर एकड़ मिलता है। इसलिए हमने रीति-नीति के तौर पर, पॉलिसी के तौर पर यह तय किया है कि हम आयन्दा जहां तक कि मजबूत न हो जायं इसके सिवाय कहीं पर भी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को इन्ट्रोड्यूस नहीं करेंगे और अधिक से अधिक क्षेत्र स्टेट ट्रेडिंग के अन्दर रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने भाषण को लम्बा नहीं करना चाहता, मगर कुछ प्रश्न माननीय सदस्यों के लिए ज्वलन्त प्रश्न हैं। एक नदबई से आने वाले माननीय सदस्य बड़े गुस्सा हो रहे थे। वे मेरे पास एक नई सोसाइटी को फॉरेस्ट का एरिया देने के बारे में लेकर आये थे। मेरी मजबूरी थी

(श्री हरिदेव जोशी)

कि मैं उन्हें नहीं दे सका। इस प्रकार की फिक्टीशियस सोसाइटीज भी निकल सकती है जो कि कान्ट्रैक्टर्स के एजैन्ट्स का काम करती हैं और गलत तरीके से काम करती हैं। हमें उनको भी एलिमिनेट करना होगा, वीड आउट करना होगा। जो जैनुइन सोसाइटीज हैं उन जैनुइन सोसाइटीज को काम मिले। जो फिक्टीशियस सोसाइटीज हैं उनको काम न मिले। क्योंकि हम बहुत बड़ी रियायत फोरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में कर रहे हैं इसलिए जो माननीय सदस्य फोरेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अन्दर रुचि लेते हैं मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि मैं उनसे गाइड होऊंगा। वे कम से कम इस दिशा में हमारी मदद करें। वह हमारे फ्रेण्ड, फिलास्फर और गाइड बनें इस सिलसिले में और इस विषय में हमको सहयोग दें।

उपाध्यक्ष महोदय, विभाग यह चाहता है कि डेजर्ट डेवलपमेंट के काम को बड़े पैमाने के ऊपर हाथ में लिया जाय। एक माननीय सदस्य ने उस सिलसिले में डेजर्ट रिसर्च स्टेशन की बात कही। मैं उनकी सूचना के लिए निवेदन करूं कि डेजर्ट रिसर्च स्टेशन राजस्थान सरकार का नहीं है, वह भारत सरकार का है, और भारत सरकार, हम ऐसा मान करके चलते हैं कि हमसे ज्यादा अक्लमन्द सरकार है। इसलिए वह जिस तरह से काम कर रही है मौका आयेगा तो मैं देखूंगा और उनके अधिकारियों से भी बात करूंगा और आपके जो सुझाव हैं उन सुझावों और मैं भी उस सिलसिले में कुछ महसूस करता हूं उनको उनके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा।

श्री शंकरलाल (पाली) : वह भारत सरकार का है यह मैंने खुद ने माना है, लेकिन राजस्थान सरकार भी का कर्त्तव्य है 21 साल तक उस संस्था ने परीक्षण किया है और लाखों रुपये खर्च हुए हैं तो राजस्थान सरकार का कर्त्तव्य है कि भारत सरकार के सामने लाये।

श्री हरिदेव जोशी : पाली के एम. पी. साहब के मार्फत भारत सरकार के मंत्रियों से पुछवा लें।

श्री शंकरलाल : यह जरूरी नहीं है। यदि वे अपना कर्त्तव्य समझते होंगे तो वे करते रहेंगे। मैं अपना कर्त्तव्य कर रहा हूं और आप अपना कर्तव्य कीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : मेरा डाइरेक्ट कन्सर्न नहीं है। केवल यही बात मैं आपको कन्वे कर रहा हूं, मगर इस चीज से इंकार नहीं किया जा सकता कि सैण्ड ड्यून्स का स्टेबिलाइजेशन निश्चित रूप से जरूरी है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि डेजर्ट डेवलपमेंट के लिए जितना किया जाना चाहिए था वह नहीं किया गया है और उसमें गम्भीरतापूर्वक एफर्ट्स करने की जरूरत है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : रैवेन्यू मिनिस्टर साहब से प्रार्थना कीजिये कि पाकिस्तान में जो सैण्ड ड्यून्स हैं उनका एलाटमेंट बन्द कर रखा है जब कि अपने यहां पर एलाटमेंट होता है।

श्री हरिदेव जोशी : आप महरबानी करके बीच में इन्टरप्ट न करके मेरे पास आकर बैठें और सुझाव दें वह ज्यादा अच्छा

(श्री हरिदेव जोशी)

होगा बजाय इसके कि आप इस तरह से इन्टरप्ट करें। कई लोग डरते हैं इस बात से कि हम डेजर्ट में कोई एक्सपेरीमेंट करेंगे वह सफल होगा अथवा नहीं होगा चारा उगेगा अथवा नहीं उगेगा, इससे ज्यादा परेशानी, बदनामी या इस प्रकार की हानि तो नहीं होगी। हर एक्सपेरीमेंट के अन्दर एक्सपेरीमेंट फेल होने का खतरा मौजूद रहा करता है और इस एक्सपेरीमेंट को भी यह सोचकर कि हमें जो भी ज्ञान उपलब्ध है उस ज्ञान का उपयोग करना है और निश्चित रूप से इसका उपयोग करना चाहिए।

ठीक उसी प्रकार से कुछ माननीय सदस्यों ने अलग-अलग ढंग से कुछ बातें रखी हैं उनकी ओर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ऐसा कहा गया कि टौंक शहर के पास में जंगल आ गया है, ऐसा कहा गया कि आबादी के लिए जरूरी है कि जंगल का हिस्सा निकाल कर आबादी के लिए दे दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया कि कृषि हेतु जमीन की आवश्यकता है इसलिए जंगल का एरिया दे दिया जाना चाहिए। इस सिलसिले में मेरा निवेदन यह है कि मैं बहुत आर्थोडाक्स थिंकिंग लेकर नहीं चल रहा हूं इस मामले में। मैं खुद समझता हूं कि अगर शहर के पास जंगल आ गया है तो जंगल बराये नाम जंगल क्या बाड़ा ही हो जायगा। लकड़ी तो रह नहीं पायेगी और एक-एक पेड़ पर फोरेस्ट गार्ड बिठा नहीं सकेंगे। म्युनिसिपेलिटी इस प्रकार की कोई लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्था इस प्रकार की कोई मांग सरकार के समक्ष रखेगी तो हम उसको स्वीकार करने में कोई दरगुरेज नहीं करेंगे। अभी जयपुर शहर के अन्दर माननीय सदस्य रहे नहीं मगर उन्होंने कट मोशन दिया था—के लिए कहा था कि नारी के नाके में, टी० बी० हॉस्पिटल के पास में और सारे क्षेत्रों में आबादी के लिए जमीन निकालने के लिए यू० आई० टी० को उनके देने की बात स्वीकार कर ली है. और राजस्थान में जहां कहीं भी ऐसी स्थिति होगी हम उसमें एडजस्टमेन्ट करेंगे, मगर मैं यह चाहता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो बैरन हिल्स हैं, रेवाइन्स हैं और अन-कल्चरेबल वेस्ट लैण्ड हैं उसको फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट को ट्रांसफर कर दें और फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट में अपनी जमीन में जो कल्चरे-बल लैण्ड है वह रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को ट्रांसफर कर दें। वह आने वाले 10 वर्ष के लिए केवल एक बार हमें कर लेना चाहिये और उसके बाद में 10 वर्ष तक फोरेस्ट ग्रो करने का एक्सपेरीमेन्ट किया जाना चाहिये।

कुछ कट मोशन्स इस प्रकार के भी हैं उपाध्यक्ष महोदय, कि फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की जमीन किसानों को दे दी जानी चाहिए। फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट एग्रीकल्च-रिस्ट्स को डाइरेक्टली कोई जमीन एलॉट नहीं करता है। उसके लिए ब्लाक लेवल के ऊपर और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कमेटीज बनी हुई हैं कि किस जमीन को फोरेस्ट से रेवेन्यू में ट्रांसफर की जाय। शायद प्रधान अथवा बी० डी० ओ० ब्लॉक लेवल कमेटी के कन्वीनर्स हैं और जिला प्रमुख डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के कन्वीनर्स हैं। मैं उन सभी कन्वीनर महोदयों से यह आग्रह करूंगा कि वह अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए इस प्रकार की जितनी जमीनें निकालने

(श्री हरिदेव जोशी)
की बात सोचते हैं उसके लिए एक बार अपनी कमेटी में फैसला कर के राज्य सरकार को भेज दें ..

श्री पी० के० चौधरी : कमेटी के मेम्बर्स कौन-कौन हैं।

श्री हरिदेव जोशी : कमेटी के मेम्बर माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो बता दूं। जिला प्रमुख, डी० एफ० ओ० और कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के मेम्बर्स हैं और वे मिल कर अपने डिस्ट्रिक्ट में कौन सी जमीन बाहर निकालनी है उसको तय करते हैं। जिला प्रमुख उस कमेटी के कन्वीनर हैं। तो मैं सभी लोगों से यह आग्रह करूंगा कि नोन ऑफिशियल एजेन्सी को अपनी बात कहने की अपोर्चुनिटी मिली हुई है तो इन प्रोपजल्स को भेजना चाहिए।

मुझे मालूम हुआ कि फोरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसे प्रश्नों पर तंग करता है। मैं हमेशा की बात तो नहीं कहता हूं।

श्री रोशनलाल शर्मा : बुरी तरह करता है।

श्री हरिदेव जोशी : लेकिन मैं कहता हूं कि मैं उनकी मदद करूंगा और सोल्व करने में सहयोग दूंगा। लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट रिकमण्ड करते हुए यह देखें और हिल्स और रेवाइन्स वगैरह फोरेस्ट को ट्रांसफर कर दी जायं।

श्री रोशनलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बीच में मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कमेटियां जो बनाई हैं, वह काम करती है। पर डी० एफ० ओ० मौके पर जाकर देखते नहीं हैं। लोगों को कब्जा किये हुए 10-10 साल हो गये हैं। उसको रिकमण्ड नहीं करते हैं। फिर कमेटी क्या करेगी।

श्री हरिदेव जोशी : कमेटी यह करे कि अपनी ओर से फैसला कर के हमारे पास भेज दे उसके बाद जिम्मेदारी मेरी है। एक चीज यह कही गई है...

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करूंगा...

श्री हरिदेव जोशी : आप विराजिये।

एक माननीय सदस्य : मेरा निवेदन है कि कमेटी में जन-प्रतिनिधियों को भी रखा जाये।

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं, नहीं रखा जायेगा।

एक बात यह कही गई है, फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की जमीन रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने अलॉट कर दी है और फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट यह कहता है कि यह जमीन फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की है। इस कारण उन लोगों पर जुर्माना होता है। किसानों पर ज्यादती होती है। मैं ऐसा सोचता हूं कि किसानों का हरेसमेन्ट मिटाने के लिए एक बार रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट ने गलत भी किया है, अपनी जमीन नहीं होते हुए भी फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट की जमीन किसानों को अलॉट कर दी होगी। तो ऐसे जितने भी मुकदमे चलते होंगे, उन मुकदमों को विथड्रा कर लिया जायेगा और ऐसी सारी जमीन को रेग्युलेराइज कर दिया जायेगा। मैं रेवेन्यू

(श्री हरिदेव जोशी)

डिपार्टमेन्ट से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के जितने भी केसेज हैं; तीन महीने के भीतर-भीतर फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट को भिजवा दें और फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के नक्शों में और रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट के नक्शों में जो परिवर्तन हो, उसको भी एक बार खत्म कर दिया जाये और जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में कोई परिवर्तन किया जाये तो फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट को कॉन्फीडेन्स में लिया जाये। यह अच्छी बात नहीं होती है। ऐसे कनफ्लक्ट में डिपार्टमेन्ट के अधिकारी एक तरफ रह जाते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : केबिनेट में यह फैसला ले लिया जाये।

श्री हरिदेव जोशी : केबिनेट में भेजने की जरूरत नहीं है। यहीं फैसला कर देंगे। इसी प्रकार से जो कुछ और हरेसमेण्ट की बातें कही गई हैं, ठेका देने के बारे में मैं इन सारी चीजों को अकोमोडेट करने को कहता हूं। जो स्टेट रेवेन्यू को बढ़ाने की कहते हैं। इस प्रकार की चीजों को एग्जामिन करके जो कुछ करना होगा, वह मैं करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने तेंदू के पत्तों का ठेका देने के बारे में यह कहा कि पिछले वर्ष 5 लाख रुपये की आमदनी हुई थी। इस वर्ष में सवा लाख की हुई है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि फोरेस्ट प्रोड्यूस इस प्रकार की है कि जो मार्केट पर निर्भर करती है। जैसे कत्था है, टिम्बर है, चारकोल है। ये सारी की सारी चीजें, मार्केट के भाव क्या हैं इस पर निर्भर करती है। गत वर्ष पत्ता तेंदू का भाव 75 रु० था। इस वर्ष पत्ता तेंदू का भाव 15 रु० है। तो जो माननीय सदस्य पांचवे हिस्से की बात कहते हैं, रफली मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि मार्केट के फर्क के कारण ही इस प्रकार की बात हुई होगी।

श्री नत्थासिंह : माननीय मन्त्री महोदय, ठेकेदारों से सांठगांठ होने के कारण होता है।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह नहीं कहता हूं कि फ्लोर ऑफ दी हाउस आप कोई बात न कहें लेकिन यहां पर जो कुछ कहते हैं, उसको पूरे तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। मैं आप को आमन्त्रित करता हूं कि आप मुझ से मिलें। फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट के अधिकारियों के बारे में, उनके वर्किंग के बारे में, पॉलिसी के बारे में आप मुझसे जो कुछ बात करेंगे, मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर करप्शन की बात है, तो चाहे जितने ही ऊंचे से ऊंचे अधिकारी की बात हो, उसका जरूर एक्शन लिया जायेगा। जो फाइल और फैक्ट्स आप देंगे, उसकी जांच करूंगा। जांच करूंगा और आपको यह कहूंगा कि मेरी फाइंडिंग्स यह हैं। इसलिए मैं माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने फोरेस्ट डिपार्टमेण्ट के बारे में सुझाव दिये हैं। मैं आयन्दा भी इस प्रकार के सुझावों का स्वागत करता रहूंगा।

श्री नत्थासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने मेरे पर चार्ज लगाया है।

श्री हरिदेव जोशी : चार्ज नहीं लगाया है।

श्री नत्थासिंह : बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में सोसायटी है।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने चार्ज नहीं लगाया है।

श्री मीठालाल : लगाया है।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं लगाया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक कट मोशन था। सिरस्का गेम सेंचुअरी की बाउण्डरी चैंज करने के बारे में एक कमेटी बनी थी। उसका निर्णय लिया था। उसका केबिनेट को निर्णय लेना था। वह जो निर्णय लिया था, गेम सेंचुयरी की बाउण्डरी चैंज करने का अलवर से बारां और भरथरी की गुफा तक यह सारी थी। यह निकालने का निर्णय लिया गया था। शोभारामजी उसके चेयरमैन थे और दूसरे एम० एल० एज थे। यह निर्णय अभी तक हुआ नहीं है। वहां के किसानों को परेशानी है। अलाटमेण्ट रुके हुए हैं।

श्री हरिदेव जोशी : मैं लिखित में उत्तर भेज दूंगा।

श्री मीठालाल : माननीय मन्त्री महोदय, मैंने कुओं के बारे में निवेदन किया था। कुआ नहीं है। तो उनको दूर से पानी लेकर काम करना पड़ता है। तो उनको कुआ खोदने की इजाजत दे देंगे, ऐसी जगह में जिसमें जंगल नहीं हों।

श्री हरिदेव जोशी : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजस्व मन्त्रीजी !

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वन मन्त्री द्वारा जो सुझाव दिया गया है कि जो बेकार, पहाड़ी, कंकरीली और पथरीली जमीन है, जिसमें कुछ पैदा नहीं हो सकता है, वह राजस्व विभाग वन विभाग को दे दे। और वन विभाग के पास ऐसी जमीन जिसमें कि दरख्त आदि नहीं है और काबिल काश्त है वह राजस्व विभाग को दे दे। तो यह बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव है। इसको हम जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी कैसेज हैं, हम आपके पास भेज देंगे, जितने मुकदमे चल रहे हैं, वह भी भेज देंगे, जितने नक्शे बनाये हैं वह भी भेज देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब 25 वर्ष बाद समझ में आया है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अब आगया तो भी अच्छा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : देर आयद दुरुस्त आयद।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आज राजस्व विभाग के प्रति करीब सौ कट मोशन माननीय सदस्यों ने पेश किये हैं जिनमें से बीस, इक्कीस सदस्यों ने अपने विचार भी व्यक्त किये हैं। तो इनमें से कुछ तो जनरल हैं और कुछ पर्टीक्यूलर हैं अपने-अपने क्षेत्रों के बाबत। जो जनरल हैं उनको मैं इस तरह से नो विभागों में बांटता हूं :

1 Allotment of land.

2. Maintenance of land rocords upto date.

3. Regularisation of trespass cases on agricultural land.

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

4. Release of forest and grazing land for agricultural purposes.

5. Distribution of pass books.

6. Disposal of mutation cases.

7. Rationalisation of rent rates and its problems.

8. Expenditure incurred on revenue agencies responsible for collection is on higher side as compared to the amount realised by them.

9. Realisation of rent according to new settlement rates sanctioned recently.

तो इस तरह से आठ या नौ जो जनरल सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं, उन पर मैं एक-एक पर विचार आपके सामने रखूंगा। पहला जो एलाटमेंट ऑफ लैंड के बारे में है, उसमें जो माननीय सदस्यों के विचार हैं वह हैं यह नियम हो ज्यादातर, जो सिवाय चक भूमि है, या सीलिंग के इम्पोज करने से भूमि मिलने वाली है, वह शिड्यूल ट्राइब्स, शिड्यूल कास्टस या वीकर सेक्शन्स को प्रिफरेन्स देकर देनी चाहिए। इसमें सरकार की भी राय है इसमें दो राय नहीं है और अब तक जो एलोटमेंट हुए हैं उनके भी जो आंकड़े मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, उनसे आपको मालूम हो जायगा कि इस नीति को हम मान कर चले हैं और पहले लैंडलेस के लिए एलॉटमेंट की जो नीति निर्धारित की है नियम बनाये हैं, उसमें टोप प्रायोरिटी हमने सैनिकों को दी है। जो फील्ड में इन एक्शन शहीद हुए हैं या डिसएबल्ड या नाकाम हो जाते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी है। सैकिन्ड प्रायोरिटी शिड्यूल कास्ट्स और शिड्यूल ट्राइब्स और वीकर सेक्शन्स को दी है और उसके बाद जो दूसरे हैं जनरल, उनको दी है। इस तरह से उसी नीति के निर्धारण में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस अर्से में 58, 15 095 एकड़ सिवाय चक भूमि लैंड़लेस को एलॉट की गई है। इसमें मे 2, 36, 094 आदमी अनुसूचित जाति के हैं और 1, 76, 192 जन जाति के हैं। 8,395 सैनक हैं और 4 38,261 दूसरे हैं, यानी इनमें 4,12,286,47 पर्सेन्ट आंवटित जो लैंड लेस हैं वह अनुसूचित जाति या जन-जाति के हैं....

श्री **मोहनलाल छंगाणी** : एवरेज क्या पड़ा ?

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : 47 पर्सेन्ट।

श्री **मोहनलाल छंगाणी** : पर पर्सन जो लैंड एलाट किया उसका क्या पर्सेन्ट पड़ा ?

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : पर पर्सन लैंड का बताता हूं, यानी सारे आवन्टी हैं 8,58 094 और जमीन दी गई है 58, 15,095 करीब सात पर्सेन्ट आता है, पौने सात। बाकी ऐसा रेश्यो है जो कि और भूमि लैंड लेस को दी....

श्री मोहनलाल छंगाणी : साढ़े पांच आता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एरिया के हिसाब से कितनी दी गई ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : 7 इन्टू 8 बराबर 56, सात और पौने सात समझ लीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एरिया का कितने पर्सेन्ट है, क्षेत्रफल का।

श्री रामचन्द्र चौधरी: एरिया मैंने आपको बतलाया।

श्री मोठालाल : सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 1,15,791 एकड़ अनुसूचित जाति को और 6,36,945 एकड़ जन जाति को, यानी यह कुल आवंटित क्षेत्र का 37 पर्सेन्ट है। अच्छा जो भूमि अधिकतम सीमा से अब तक रिज्यूम हुई है, 2,96,460 एकड़ है, इसमें से जो अधिग्रहण हो चुकी है वह 1,60,682 एकड़ है बाकी बहुत सी जमीन पर केसेज होने के कारण स्टे आॅर्डर जारी हैं। 4468 भूमि हीन लोगों को यह जमीन एलॉट हो चुकी है। इसी तरह से मैं बता रहा था कि जो आप लोगों की विचारधारा रही है इस सदन में उसी के मुताबिक सरकार भी इन नियमों पर चल रही है की ज्यादा से ज्यादा जमीन भूमिहीनों को ही दे जो कि अनुसूचित जाति,जनजातिऔर वीकर सेक्शन्स के हैं।अब यह कहना कि जब 4 लाख कुछ हजार आदमी को47पर्सेन्ट के आसपास जनजाति और अनुसूचित जाति के आदमियों को दी गई, यह कहना कि एक-एक दो-दो बीघा देकर उन्हें टाल दिया है यह बात नहीं है क्योंकि जो आंकड़े रखे हैं उनसे यह मालूम होता है, सात पौने सात के आस पास पर हैड जमीन एलॉट हुई....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कब्जे के सम्बन्ध में शिकायत यह है कि एलाटमेंट तो हो गया, कब्जा नहीं मिलता है। वह आंकड़े हैं कि एक्चुअल कब्जा, पट्टे कितनों को दिये गये ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कितनों का कब्जा है, कितनों का नहीं है इसके आंकड़े नहीं हैं लेकिन इसका भी रिविजन करायें तो आंकड़े इकट्ठे कर लेंगे।

दूसरी बात मैं बतला रहा हूं, मेन्टेनेन्स आफ लैंड रिकार्ड्स अपटूडेट इसमें हमें यह आंकड़े मिल सकेंगे। अजमेर जिले को पहले लिया उसमें भू-राजस्व के रिकार्ड, भू-अभिलेख रिकार्ड ठीक करने, और दुरुस्त करने की कार्यवाही की गई, उसमें जो म्युटेशन हैं, तो 2,15,074 म्युटेशन के केसेज तय किये गये, नामान्तरण, अतिक्रमण के मामलों को निपटाया ट्रेस पासर्स जो कह रहे हैं, 90,239 केसेज ट्रेसपास के थे, उनको निपटाया और भूमि आवन्टन, शिड्यूल कास्ट्स,शिड्यूल ट्राइब्स के 3010 आदमियों को 10,964 एकड़ क्षेत्रफल आवंटित की गई। आर्म्ड पर्सनल 117 को 577 एकड़ आवंटित की गई, अन्य 575 थे उनको 5964 एकड़ आवंटित की गई। इस तरह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं उनको दूसरे से डबल भूमि, डबल संख्या में आवन्टित की गई है। लैंड रिकार्ड दुरुस्त कर रहे हैं, उसमें यह ध्यान रखा जा रहा है कि वीकर सेक्शन्स का नाजायज कब्जा हो कुछ भी हो उसको रेगुलेराइज करें और

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

उनको ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा दिलवायें। साथ- साथ ट्रैस पासर के केसेज तय करते जायं और नामान्तरण, म्यूटेशन के केसेज तय करते जायं। इस तरह से छः टोलियां हमने बनाई हैं, जो अलवर, कोटा, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़ में लगी हुई हैं और इनका जब यह काम हो जायगा, तब यह भी आपके सामने आ जायगा, किस जगह, कहां और किस किस जिले में काम हुआ है।

अब तीसरा सवाल जो यहां पैदा किया गया था वह है रेग्यूलेराईजेशन ऑफ ट्रैसपास केसेज। लैण्ड रेवेन्यू के अन्दर यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मसला है। मैंने पिछली विधान सभा में विधान सभा के सदस्यों को यह बताया था कि हमारे यहां साल में करीब दो लाख ट्रैस पासेज के केसेज पेण्डिग हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि लोगों के पास जमीन नहीं है और वे लोग जो कि भूमिहीन है पड़त भूमि देख कर उस पर काश्त कर लेते हैं और उस पर कब्जा कर लेते हैं। राज्य सरकार के पास ऐसी बहुत शिकायतें हर साल आती हैं तो राज्य सरकार ने यह तय किया कि जो लोग गरीब हैं और भूमिहीन, वीकर सैक्शन के लोग हैं उन्होंने अगर 1–1–70 से पहले इस जमीन पर काश्त शुरू करदी थी और उस पर कब्जा कर लिया था तो राज्य सरकार ने उन सभी लोगों के कब्जे रेग्यूलेराइज कर दिये। पहले तो ऐसा होता था कि उनसे इस तरह के जिन लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे थे उनके रेग्यूलेराइज करने में राज्य सरकार उनसे उस जमीन का जो लैण्ड रेवेन्यू होता था उसका 20 गुना ज्यादा ले लेते थे और साथ में लैण्ड रेवेन्यू जो लगती थी उसका 15 गुना एज पेनेल्टी लिया करते थे। लेकिन हमने अब ऐसा किया है कि जो लोग सन् 66 के बाद के हैं उनसे पेनेल्टी वसूल नहीं करते हैं जो सन् 66 के पहले के हैं उन लोगों से जो 15 गुना पेनेल्टी वसूल करते थे वह बन्द कर दी और जो पेनेल्टी वसूल हो गयी उसको हमने लैण्ड रेवेन्यू की जो 20 गुना हम लेते हैं उसमें एडजैस्ट कर लिया। और इस प्रकार के जो भूमिहीन लोग थे, वीकर सैक्शन के लोग थे उनके ट्रैसपास कैसेज को रेग्यूलेराइज करके उन्हें उस जमीन का कब्जा दे दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह आपने 31–12–70 तक माना है डेट इज 1–1–71 तक। 1–1–70 नहीं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : हां, सोरी 1-1-70 नहीं 1–1–71 तक जो ट्रैसपासेस के केसेज थे वह गवर्नमेन्ट ने रेग्यूलेराइज कर दिया है। इसके अलावा यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने चारागाहों के बारे में कहा था। जहां तक रेस्टोरेशन ऑफ ग्रेजिंग लैण्ड का सवाल है जैसा कि भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे सदस्यों ने कहा है कि हमारे यहां पर पशुओं के चारागाह के लिये काफी कम जमीन है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां चारागाह को बहुत ही ज्यादा जरूरत है और खासतौर से वेस्टर्न राजस्थान में जहां कि लोगों का मेन धन्धा ही पशुपालन है। खेती के बारे में तो वहां पर यह है कि अगर अभी थोड़ी वर्षा हुई तो वहां के लोग खेती कर लेते हैं। दूसरी जगह काफी चारागाह कम हो रहे हैं। इसका मेन कारण यह है कि

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

पोपूलेशन बढ़ रही है और आबादी का प्रेशर आन लैण्ड अधिक होने के कारण ऐसा हो रहा है। जब लोगों को जमीन नहीं मिलती है तो लोग चारागाहों वाली जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। पहले हमारे यहां पर ऐसा नियम था कि कलेक्टर चारागाह की जमीन तय करते थे अपने गांव के लिये। यह जो चारागाह की जमीन पशुधन जो उस गांव में होता था उसकी गिनती के अनुसार तय किया जाता था और उस चारागाह की जमीन तय करने के बाद जो जमीन बचती उसको वहां के जो लैण्डलेस होते थे उन्हें बांट दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा किया गया है कि काफी केसेज चरागाह के लिये गवर्नमेन्ट लेवल पर डिसाइड होंगे। इसमें ऐसा होगा कि जो जमीन कलेक्टर ने अगर चारागाह के लिये रख दी होगी तो गवर्नमेन्ट उसमें परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि लोग लठेत होकर चारागाह की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। उसके बारे में हमारा यह कहना है कि अगर उन्होंने ऐसा जबरन कब्जा कर लिया है और बाद में अगर उनको हटाते हैं और वे हाईकोर्ट से अथवा किसी कोर्ट से स्टे ले आते हैं तो हम स्टे के बारे में तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वह तो कोर्ट का मामला है।

श्री रोशनलाल शर्मा : लठैत कहां पर कब्जा कर लेते हैं ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : भरतपुर की तरफ लठेत जबरन जमीन पर कब्जा कर लेते हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : भरतपुर में नहीं गंगानगर में करते हैं बन्दूकधारी कब्जा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैं गंगानगर की नहीं बात कर रहा हूं, मैं तो भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उसकी बात कर रहा हूं।

श्रीमती उषाप्रकाश : अभी तक कर लिये हैं उनके लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : दूसरे इसके अलावा वन विभाग की जमीन के बारे में बात कही गयी है। इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि हमने इसके लिये एक कमेटी जिला लेवल पर बनादी है जिसमें जिला प्रमुख, कलेक्टर और डी.एफ.ओ. तीनों ही मिलकर यह तय करते हैं कि कौनसी जमीन फोरेस्ट के लिये रखी जायेगी और कौनसी जमीन रेवेन्यू में रखी जायेगी। जो भूमि खेती के लिये अच्छी होगी उसको रेवेन्यू विभाग में ले ली जायेगी और जो काश्त-योग्य नहीं उसको वन विभाग को दे दी जायेगी। इसमें कुछ जमीन जो चम्बल के बीहड़ों की है उसे छोड़ दिया जायेगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : एक मैंने जो सैण्ड ड्यून्स के बारे में निवेदन किया है उसके लिये...

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप जो सैण्ड ड्यून्स के बारे में कह रहे हैं उसके बारे में मेरा निवेदन है कि हमारे राजस्थान केनाल में आलरेडी ऐसी व्यवस्था पहले से ही है। वहां एक तरफ सिचाई होती है और दूसरी तरफ रेत के टीबे हैं। वहां पर फोरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से पेड़ लगाने की कोशिश में आपके इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

फोरेस्ट वाले इस प्रकार की डूंगरगढ़ के पास ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं। मैंने कुछ समय पहले वहां पर एक फिल्मी टीम आई थी जो इस तरह से दृश्य ले रही थी कि जिसमें एक तरफ से जो रेत के जो टीले और दूसरे पेड़ थे और चरागाह जमीन थी। अगर इस प्रकार काम हम निरन्तर करते रहे कि सेण्ड ड्यून्स पर पेड़ और घास लगाते रहे तो मैं समझता हूं कि आज हमारे राजस्थान में जो डेजर्ट की और घास की जो समस्या है वह काफी हद तक खतम हो जायेगी। मैं आपके प्रस्ताव का स्वागत करता हूं। इसके अलावा जो मुख्य मुद्दा और रहता है वह है डिस्ट्रिब्यूशन ऑफ पास बुक्स के बारे में। हमने राजस्थान में सितम्बर 1972 तक 12 लाख 72 हजार 520 पास बुकें वितरण करदी हैं। और दस लाख अभी और पब्लिश करवा रहे हैं यह क्लेक्टर के जरिये वितरण हो रही है। इसके अलावा सवा लाख पास बुक्स ऐसी हैं कि वितरण होने में दिक्कत है। उस एरिया में अभी एक सेटलमेन्ट का काम कर रहे हैं। अतः पास बुकें वितरण नहीं कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : खातेदार तो आपके यहां पर 35 लाख हैं और पास बुकें आपने अभी तक सिर्फ 12 लाख बांटी हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने बताया ना कि 10 लाख और छपवा रहे हैं। वैसे खातेदार और गैर-खातेदार मिलकर करीब 41 लाख होते हैं राजस्थान में। जिनमें से करीब 12 लाख से ज्यादा तो पास बुकें बंट गई हैं इसका मतलब यह हुआ कि करीब वन थर्ड को बांट चुके हैं और दस लाख और छपवा रहे हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि कुछ इलाकों में सेटलमेन्ट चल रहा है इसलिये उनमें पास बुकों का वितरण होना मुश्किल है।

एक माननीय सदस्य : इन पास बुकों की कीमत क्या है?

श्री रोशनलाल शर्मा : क्या पटवारी एक रुपया तो आपके पास रखता है और एक रुपया पास बुकों का सरकार में जमा कराता है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके अलावा म्यूटेशन के बारे में भी कहा गया है?

श्री रोशनलाल शर्मा : मैं मन्त्रीजी से पूछ रहा हूं कि पास बुकों की कीमत क्या है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : दो रुपया। म्यूटेशन केसेज के बारे में भी माननीय सदस्यों ने एतराज उठाया है। यहां पर यह कहा गया है कि उनका फैसला नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में राज्य सरकार पूरी तरह से सक्रिय है लेकिन चूंकि जिन जिलों में सेटलमेन्ट का काम चल रहा है इसलिये वहां अभी तक म्यूटेशन केसेज के फैसले नहीं हो रहे हैं वैसे मैं आपकी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां सन् 1969-70 में एक लाख 45 हजार 897 केसेज म्यूटेशन के में से सिर्फ 98406 केसेज बाकी हैं। इस प्रकार सन् 70-71 में एक लाख 97 हजार 431 केसेज थे उसमें करीब 54836 केसेज म्यूटेशन के बाकी हैं। सन् 71-72 में

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

करीब 3 लाख 50 हजार 828 केसेज थे उनमें से करीब 46 हजार 462 केसेज बाकी हैं। इस साल करीब ढाई लाख केसेज के फैसले हो रहे हैं इसके अलावा यहां एक बात और कही गई थी वह रेशनलाइजेशन ऑफ रेन्ट रेट्स एण्ड इट्स प्रोबलम। यह बात यहां पर विशेष तौर से श्री पी०के० चौधरी जी ने उठाई थी कि यहां पर लैन्ड की जो रेट्स हैं वह ज्यादा है इसके लिए में यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान बना था तब 22 स्टेट्स मिलकर बना था और इसके अन्दर अलग-अलग स्टेट्स के अन्दर अलग रेट्स थीं कहीं पर ज्यादा थीं कहीं पर कम थीं। बाद में जिस तरह चेन्जेज होते गये उस तरफ फर्क पड़ता गया।

तो इसमें जिस तरह से होता गया उस तरह से लैंड रेवेन्यू बढ़ता गया। अलग-अलग जिलों में अलग-अलग रेट्स हैं। जैसी आर्थिक दशा है उसको आप जानते ही हैं पिछली दफा क्या थी और अब क्या है। ऐसी सूरत में कम करना तो सम्भव नहीं है।

राज कमेटी आयी थी, उसको भी आप जानते हैं। उसने जो प्रोपोज किया लैंड रेवेन्यू वही लगा रहे हैं। फ्लेट रेट पर ऐसा रेवेन्यू लगायें कि जिसकी जैसी इन्कम हो, होल्डिंग टैक्स, वह लगे। भारत सरकार से वह आजायगा उस बेसिस पर करेंगे तो सारे राजस्थान में एक राशनेलाइज्ड रेट्स हो जावेंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा : सेटलमेन्ट में छः-छः गुना, सात-सात गुना बढ़ा दिया है उसका क्या कारण है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : एक्सपेन्डीचर इन्कर्ड इज रेस्पोन्सिवल फोर क्लेक्शन ऑफ ऑन हायर साइड।

आपने यह कहा था छंगाणीजी ने कि इस पर आपका बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है वह वसूली से ज्यादा हो रहा है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : वसूली से ज्यादा नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि उसको हटाया जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 40 करोड़ की वसूली होती है उसके द्वारा और खर्चा होता है 14 करोड़ 32 लाख 32 परसेन्ट खर्चा है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : लैंड रेवेन्यू से ही आमदनी नहीं होती है। जागीर और अन्य दूसरी प्रापर्टी से आमदनी होती है जो लैंड में आती है। पटवारी वसूल करता है, 3 करोड़ रुपया सालाना खर्च होता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 11 करोड़ के करीब रेवेन्यू है। 6-7 करोड़ वसूल कर पायेंगे।

श्री मोहनलाल छंगाणी : एवरेज 6-7 करोड़ से अधिक नहीं पड़ता है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : पंचायत समिति का कर्जा, तकावी का कर्जा और अन्य कर्जे वह वसूल करता है। वह भी इसमें है। सेन्सेज पटवारी करता है। पशुओं की सेन्सेज भी वही करता है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : (किसी माननीय सदस्य के प्रश्न पूछने खड़े होने पर) ऑर्डर प्लीज। आपने प्रश्न काफी पूछ लिये हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके मुकाबले फिर वसूली करता है तो एक परसेन्ट भी नहीं रहेगी। इसलिये पटवारी की एजैन्सी को तो हम तोड़ नहीं सकते। सब ही माननीय सदस्यों ने एक बात कही सैटलमेन्ट की रिवाइज्ड रेट्स के बारे में। माननीय सदस्यों को बहुत एतराज है।

श्री रोशनलाल शर्मा : बहुत भयंकर।

श्री रामचन्द्र चौधरी : कोई भी कर बढ़ता है, टैक्स बढ़ता है तो एतराज होता है यह स्वाभाविक है।

श्री नानालाल : पांच गुना, छः गुना दस गुना। इतना बढ़ा है टैक्स।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक ऐसेसी का 25 परसेन्ट बढ़ जाता तो शिकायत नहीं होती। 6-6 गुना सात सात गुना बढ़ जाय तो शिकायत होना स्वाभाविक भी है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो भी माननीय सदस्य चाहेंगे सेटलमेन्ट कमिश्नर को बुला लेंगे और डिस्कस कर लेंगे।

श्री रोशनलाल शर्मा : नीति का प्रश्न है। सेटलमेन्ट कमिश्नर क्या बतायगा ? आप बतलाइये।

श्री रामचन्द्र चौधरी : 25 परसेन्ट से अधिक नहीं बढ़ाया है।

श्री रोशनलाल शर्मा : रेलमगरा, खमनोर तहसीलों में 6 गुना बढ़ा दिया। 4 रुपया लगान था वह 16 रुपया लगान हो गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्रश्न कई महीनों से आपके विचाराधीन पड़ा है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपके सम्मुख बुला लूंगा। 20 वर्ष पहले सेटलमेन्ट हुआ था। यह भी 63 में शुरू हुआ था। 20-25 साल पहले जो बंजर-भूमि थी, प्रेसर आॅफ लैंड होने से काश्त की जमीन हो गयी। बांध बनने से सेमी फरटाइल और दूसरी भूमि थी वह चाही भूमि हो गयी। किस्म बदलने से रकम बढ़ी है। किसी में 8 गुना और 9 गुना कर दिया ऐसी बात नहीं है। आप आयेंगे इन्डिविजुअल केसेज को लेकर तो डिपार्टमेन्ट को लेकर बैठ जावेंगे। या तो आप हमें कन्वीन्स कर दीजिये....

श्री रोशनलाल शर्मा : रेलमगरा तहसील में पधारिये।

श्री नानालाल : जिस प्रकार से जो जमीन थी वैसे ही स्थिति में जमीन आज भी है लेकिन उसका रेन्ट बढ़ा दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कट मोशन पर फरमा दिया है। और जवाब आपको मिल जायगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जिनके कट मोशन्स डिस्कस नहीं हो सकें उनको मैं लिखित में जवाब भेज दूंगा। आप लोगों ने तसल्ली से सुना उसके लिये धन्यवाद।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, एक प्रश्न पूछा था कि सब टिनेंट्स के इन्द्राज करने के आदेश जारी हुए या नहीं हुए उनके बारे में जानकारी दी जाय।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपने कहा कि मैं तो कुलंक हूँ। मैंने कम गड़बड़ी की है। 66 के बाद गिरदावरी और जमाबन्दी का काम बन्द हो गया 66 के बाद इसी केबिनेट ने रिकार्ड तैयार कराने का काम किया। यह काम इसी कैबिनेट ने किया है। दोष तो है ही। अच्छा करें तो भी आप अच्छा नहीं मानतें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें दाद देते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : पटवारी से इन्द्राज आने के बाद हुआ था, उसमें जनरल भावना यही थी मेम्बर्स और केबिनेट की भी कि पटवारी अत्याचार करता है, किसी का किसी के इन्द्राज कर देता है किसी का किसी के कर देता है। इसको बन्द करो। तो यह उस वक्त बन्द किया पर आज समस्या आई कि जब तक हम कोई रिपोर्ट तैयार नहीं करेंगे तो सब टिनेन्ट को सुरक्षा देना चाहते हैं चीफ शेयरर को राइट देना चाहते हैं तो वह कैसे देंगे? जवानी शहादतों पर ही चलें 15 वे ले आवेंगे, 15 ही रामानन्दजी ले आवेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने तो हमारा रिकार्ड खतम करा दिया सारा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : रिकार्ड रेट्स मेन्टेन करने के लिये दुबारा किया। अब किस सूरत में यह किससे करावें, किस एजेन्सी से करावें, किस जगह करावें यह विचार और तजवीज है। इसका फैसला होते ही जरूर कर देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें एक दो साल और निकालना चाहते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आपको कह दिया कि निकालेंगे नहीं।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, दो-तीन चीजों पर जो गलतफहमी है, उसे मैं दूर करना चाहता हूं। पहली तो यह कि रिकार्ड आफ रैट के बारे में तय कर लिया गया है और मैं समझता हूं कि असेम्बली खतम होने तक डेफीनेट मशीनरी इवाल्व हो जावेगी। हमारी इसमें यह कोशिश रहेगी कि जनता के प्रतिनिधि भी इसमें एसोसियेट हों।

दूसरा निवेदन यह करना चाहता था कि रेन्ट के बारे में जो बेचैनी है उसे मैं समझता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जो सेटलमेंन्ट के अन्दर सीमा है बढ़ाने की उससे ज्यादा नहीं बढ़ने दी जावेगी लेकिन वहां किस्म बदल गई है, बंजर की जगह पानी आ गया है, नहरी कमाण्ड एरिया में आ गया है वहां दरें दूसरी रहेंगी यह भी जानकारी दिलाना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक रेट मेंशन की, जो काश्तकारों का अहम सवाल है उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसका लिखित जवाब भेज दिया जावेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सदन में जो पेश कर दिये गये उनका इण्डिविजुअल का कट मोशन्स का जवाब दिया जाता है। फिर इस बार नहीं दिये जाने का क्या मतलब हुआ? एक मिनिट का सवाल है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : बात यह है कि पावटा गांव के बाघसिंह जागीर-

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

दार को 1960 में जागीर की एवज में भूमि अलाट की गई पावंटा गांव में। उस जमीन का स्थानान्तरण नहीं हुआ, मुझे पता नहीं, पर वह जमीन कुछ काश्तकारों को अलॉट कर दी गई। पर कहतसाली के कारण काश्तकारों ने उस पर काश्त नहीं की। जब झगड़ा चला तो एक अलाटमेन्ट कमेटी बनी हुई है जिसके आप भी सदस्य हैं। आपने फैसला किया कि झगड़ा निपटाने के लिये उनको दूसरी जमीन दे दी जावे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह दी नहीं गई है। आप एग्जामिन करा लें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : फैसला आप दे चुके हैं। आपकी मौजूदगी में फैसला हुआ है। बेदखल नहीं किया जावेगा, यह फैसला दे चुके हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जमीन दी नहीं गई तो प्रश्न नहीं पैदा होगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जांच करवा लें ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : जांच क्या होगी ?

श्री उपाध्यक्ष : अनुदानों की मांग पर मतदान।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1, मुख्य शीर्षक-9 भू-राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 48542000) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34, मुख्य शीर्षक-70 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 26974000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 14 मार्च, 1973 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6 बज कर 55 मिनिट पर बुधवार दिनांक 14-3-73 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट–1

(तारांकित प्रश्न संख्या 463 की सूची)

Comparative Statement of Tenders for Grinding and Transportation of Rock Phosphate opened on 31st December, 1970 at 4-30 P. M.

Sl. No.	Name of the party	Rate per tonne offered for Grinding & Transportation	Earnest money of Rs. 5,000	I. T. C. C.	Other condition offered by the party
1	2	3	4	5	6
1.	M/s S. Mehtab Chand Golecha, Udaipur	Rs. 31.00	Furnished	True copy Furnished	Nil
2.	M/s Dharti Dhan (P.) Ltd., Udaipur	Rs. 33.00	Furnished	True copy Furnished	Nil
3.	M/s Rajasthan Mineral Development syndicate, Udaipur	Rs. 34.95	Furnished	Original furnished but valid upto 30-12-70 only	Nil
4.	M/s Bharat Dealers Ltd., Calcutta	Rs. 34.98, but Rs. 34.48, if contract be given for 2 years	Furnished	Not furnished	Nil

1	2	3	4	5	6
5.	M/s Associated Soap-Stone Distributing Co. Ltd., Udaipur	Rs. 35.00	Furnished	Furnished original I. T. C. C. issued by I. T. O. Central Circle. Jaipur for Associated Soap-stone Distributing Co. (P) Ltd., Jaipur.	Nil
6.	M/s Metal Udyog Ltd., Udaipur	Rs. 35.98, Rs.35.48 if Contract be given for 2 years	Furnished	True copy furnished but date of issue and designation of officer issuing the I. T. C. C. not mentioned	Nil
7.	M/s Aryavart Nirman Ltd., Udaipur	Rs. 36.48, Rs. 35.98, if Contract be given for 2 years	Furnished	True copy furnished but date of issue and designation of officer issuing the I. T. C. C. not mentioned	Nil
8.	M/s Udaipur Lohkala Utpadak Sahkari-Samiti, Udaipur	Rs. 39.31	Exempted being Cooperative society	Not furnished	Nil
9.	M/s Engineering Sales Corp., Udaipur	Rs. 39.50	Furnished	Not furnished	Nil
10.	M/s Himalaya Rasayan Ltd., Udaipur	Rs. 39.75	Furnished	Original furnished	Nil
11.	M/s Mewar Khaniz Udyog, Udaipur	Rs. 42.25	Furnished	Not furnished	Nil

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या 464 की सूची)

सूची (क)

सूची नहरवार व ग्रामवार क्षेत्रफल जिसमें टेल्स पर होने से अभी सिंचाई नहीं हो सकती

क्र. सं.	ग्राम नहर	तहसील	नाम ग्राम	क्षेत्रफल एकड़ों में	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	माधोराजपुरा माइनर	के० पाटन	जागरून	20	
2.	पाटन राजवाह	,,	नोताड़ा	16	
	,,	,,	बीरज	23	
			योग	59	
3.	स्वासा माइनर	,,	माइजा	38	
	,,	,,	मोहिता	41	
	,,	,,	रघुनाथपुरा	14	
			योग	93	
4.	स्वासा माइनर	,,	कानीहेड़ा	75	
5.	अनन्तपुरा राजवाह	,,	डिकोली	10	
6.	कालोद माइनर	,,	बालोदा	10	
7.	डोलर माइनर	,,	जगदरी	20	
8.	हालीहेड़ा माइनर	,,	हाड़िया खेड़ा	16	
9.	धायाखोड़ा माइनर	,,	अजन्दा	20	
10.	कोटड़ा माइनर	,,	चाडकाबराना	20	
11.	कोटाखुर्द माइनर	,,	गुवाटा	09	
12.	माखिदा माइनर	,,	माखिदा	40	
13.	माखिदा राजवाड़ा	,,	रामगंज	59	
14.	देई खेड़ा राजवाह	,,	रामगंज	134	
	,,	,,	खरायता	658	
	,,	,,	पापड़ी	254	
			योग	1046	
15.	रामगंज माइनर	,,	डपटा	48	
			योग	1615	

1	2	3	4	5	6
1.	जमीतपुरा	बून्दी	पीपल्दा	7	एकड़
	राजवाह			79	
2.	रंगतिया माइनर	,,	सांवली	20	99 एकड़ (79 + 20)
3.	पीपल्दा माइनर	,,	पीपल्दा	42	
4.	छपावदा माइनर	,,	ठार्करियाकलां	140	
5.	मलकोदिया माइनर	,,	मोहनपुरा	28	
6.	भरताबावड़ी माइनर	,,	बरूंधन	122	
7.	धनातरा माइनर	,,	,,	55	
8.	बरूंधन माइनर	,,	,,	56	
9.	जरखादा माइनर	,,	जरखादा	49	
10.	लाडपुरा माइनर	,,	बागदा	20	
11.	सिलोर माइनर	,,	उमरच	70	
12.	बोलाडा राजवाह	,,	बम्बोरा	30	
	,,	,,	गोवरिया	49	79 (30 + 49)
13.	मोतीपुरा माइनर	,,	मोतीपुरा	10	
	,,	,,	माटुण्डा	40	50 (10 + 40)
14.	किशनपुरा माइनर	,,	माधठाखुर्द	64	
15.	संगावदा माइनर	,,	बम्बोरा	33	
16.	जवटा कलां माइनर	,,	झरबालापुरा	21	
17.	दयालपुरा राजवाह	,,	नन्दपुरा	29	
18.	ओंकारपुरा राजवाह	,,	गुवाडी	57	
19.	भैरूपुरा माइनर	,,	भैरूपुरा गांव	77	
20.	मसंड माइनर	,,	भैरूपुरा	29	
21.	रजवास माइनर	,,	,,	38	
			योग	1185 एकड़	
22.	रामपुरिया माइनर	,,	गुवाड़ी	141	
	,,	,,	राईथल	54	
				195	

Page No 167

167

1	2	3	4	5	6
23	राईथल माइनर	बन्दी	राईथल	80	
24.	पीपलिया माइनर	,,	,,	104	
	,,	,,	पीपलिया	43	
			योग	147	
25.	अजंता राजवहा	,,	मडितिया	25	
26.	जलाना माइनर	,,	छावनी	44	
27.	खटकड राजवाह	,,	छापडदा	48	
28.	छावनी माइनर	,,	भाटों का खेड़ा	20	
29.	बोचड़ी माइनर	,,	,,	30	55
	,,	,,	बोचड़ी	25	
30.	हनोतिया माइनर	,,	हनोतिया	33	
			योग	647 एकड़	
			कुल योग—	1832 एकड़	

सूची (ख)

फहरिस्त उन ग्रामों की जो कमाण्ड से अनकमाण्ड घोषित होने के बाद नियमन किया गया, तहसील बून्दी (राजस्थान)

क्रम सं.	ग्राम जहां नियमन किया गया	[illegible]	रकबा	विवरण
1	2	3	4	6
1.	रामपुरिया	2	२५)६	
2.	महूरामपुरा	1	१९॥)३	
3.	बोलसपुरा	1	३)१	
4.	ममाना	34	२२४॥)४	
5.	गोपाल निवास	14	५९।)४	
6.	मालीपुरा	12	३०॥।)३	
7.	पाकलपुरिया	6	१८)३	
8.	प्रामली	23	९५॥।)४	
		योग....	४६४)४ (१८६ एकड़)	

परिशिष्ट–3

(तारांकित प्रश्न संख्या 467 की सूची)

राजस्थान सरकार

मेजर मिनरल

क्रमांक	नाम पट्टाधारी	खनिज	समय	क्षेत्र	स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	मै० मोदी मिनरल ग्राइन्डिग मिल्स प्रा० लि०	चाइना क्ले	12-5-60 से 20 साल	51.80 है०	माउन्डा
2.	श्री राधाकिशन गूजर, नीम का थाना	सिलिका सेन्ड	30-6-69 से 20 साल	58.28 है०	सलोदरा
3.	मै० मोदी मिनरल ग्राइन्डिग मिल्स प्रा० लि०, नीम का थाना	बैराइट्ज	14-6-61 से 20 साल	38.85 है०	सड़क बीजपुर
4.	मै० मोदी मिनरल ग्राइन्डिग मिल्स प्रा० लि०, नीम का थाना	केलसाइट	18-5-66 से 20 साल	72.52 है०	रायपुर
.	मै० मोदी मिनरल ग्राइन्डिग मिल्स प्रा० लि०, नीम का थाना	,,	20-3-71 से 20 साल	32.37 है०	माउन्डा
6.	मै० मोदी मिनरल ग्राइन्डिग मिल्स प्रा० लि०, नीम का थाना	,,	4-4-72 से 20 साल	32.37 है०	नरोना
7.	मै० मोदी मिनरल ग्राइन्डिग मिल्स प्रा० लि०, नीम का थाना	,,	2-12-68 से 20 साल	164.01 है०	बिहारीपुरा

8.	श्री नन्दलाल अग्रवाल	डोलोमाइट	9-11-55 से 20 साल	32.37 है०	माउन्डा
9.	श्री बनवारीलाल, माउन्डा	,,	11-6-59 से 20 साल	114.38 है०	काली डूंगरी
10.	मोदी मिनरल्स ग्राइन्डिंग मिल्स प्रा० लि०, नीम का थाना	,,	11-6-59 से 20 साल	96.23 है०	माउन्डा
11.	वेस्ट केमिकल एण्ड लाइम स्टोन इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०, नीम का थाना	चूना, पत्थर व केलसाइट	26-9-55 से 20 साल	32.37 है०	जिर्लो
12.	मै० मोदी मिनरल्स ग्राइन्डिंग मिल्स प्रा० लि०, नीम का थाना	क्वार्ट्ज	21-4-60 से 20 साल	113.71 है०	महुआ
13.	मै० मोदी मिनरल ग्राइन्डिंग मिल्स प्रा० लि०, नीम का थाना	,,	26-12-69 से 20 साल	32.37 है०	किशोरपुरा
14.	मै० पाइराइट्स फोस्फेट एण्ड केमिकल लि०, सलादीपुरा	पाइराइट	17-9-70 से 20 साल	518.00 है०	सलादीपुरा
15.	श्री मातादीन, पोरठ श्रीसीया	माइका	21-8-70 से 20 साल	189.55 है०	माउन्डा
16.	मै० मोदी मिनरल ग्राइन्डिंग मिल्स प्रा० लि०, नीम का थाना	,,	5-5-70 से 20 साल	2 वर्गमील	माउन्डा
17.	मै० मोदी मिनरल ग्राइन्डिंग मिल्स प्रा० लि०, नीम का थाना	कैल्साइट	20-8-62 से 20 साल	32.37 है०	रायपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जयपुर

जिला : सीकर

क्रमांक	नाम पार्टी	मिनरल	एरिया	गांव	तहसील	जिला	डेडरेन्ड	पीरियड
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	श्री सुशीलकुमार तोतला	बजरी	500× नदी की चौड़ाई प्रत्येक (1 से 3)	डावला नदी	नीम का थाना	सीकर	425/–	पी० ए० 5 वर्ष 28-3-72 से
2.	,,	,,	(7 से 8)	,,	,,	,,	700/–	,, ,, 28-3-72 से
3.	श्री रामचन्द्रसिंह	,,	500× नदी की चौड़ाई (4 से 6)	,,	,,	,,		,, 19-11-71 से
4.	श्री प्रभूसिंह	,,	500×500 (प्लाट 1 एवं 2) प्रत्येक	गांवडी	,,	,,	1100/–	,, 24-4-72 से
5.	श्री सुशीलकुमार	,,	500× नदी की चौड़ाई (9 से 12)	बिहार नदी	,,	,,	1900/–	,, 28-3-72 से
6.	श्री ओंकारमल	,,	500×500 (प्लाट 1 एवं 2)	गांवडी	,,	,,	1500/–	,, 22-10-71 से

7.	सर्व श्री बेस्ट केमीकल लाइम स्टोन कं०, मावंडा	लाइम-स्टोन	6 वर्ग मील	मावडा	नीम का थान	सीकर	90,000/–	10 वर्ष 6-8-70 से
8.	श्री सुन्दरलाल	मार्बल	4 वर्ग मील	जिलो	,,	,,	47,016/–	5 वर्ष 17-1-73 से
9.	श्री बृजमोहन वादी	चेजा पत्थर	300×500 चार प्लाट (1 से 4)	मावडी	,,	,,	1920/–	,, 24-4-71 से
10.	श्री मथुराप्रसाद	,,	50×50 मीटर	भादरवाली पहाड़ी	,,	,,	500/–	,, 30-12-70 से
11.	श्री बृजमोहन मोदी	,,	100×50	मांवडी	,,	,,	1000/–	,, 25-3-72 से
12.	श्री फूलचन्द	,,	राजस्व सीमा	शीर्मली नांगल	,,	,,	850/–	,, 29-3-71 से
13.	श्री विश्वेश्वरलाल	ईंट मिट्टी	400×300	जोडला जोड़ा	,,	,,		,, 28-12-71 से
14.	श्री विश्वेश्वरलाल	,,	550×300	,,	,,	,,	1149–68	,, 28-12-71 से
15.	श्री बृजमोहन मोदी	चेजा पत्थर	91.44×91.44	टोली पहाड़ी	,,	,,	101/–	,, 27-12-72 से
16.	,,	,,	121.92×54.86 मीटर्स	नीम ली पहाड़ी	,,	,,	101/–	,, 27 12-72 से

परिशिष्ट–4

(स्थगित प्रश्न सं. 111 की सूची)

क्र. संख्या	नाम ठेकेदार	नाम सड़क	कुल भुगतान की धनराशि एवम् भुगतान का वर्ष	डाइवरसन रोड्स में कितने आइटम्स का एक्स्ट्रा आइटम के रूप में भुगतान किया गया
1.	श्री भंवरलाल बोहरा एण्ड ब्रादर्स, बाड़मेर	कैरिया-बखासर रोड मील 20/0 से 42/0	33,823-00 (71-72)	पूर्ण भुगतान एक्स्ट्रा आइटम्स के आधार पर हुआ।
2.	मै० भंवरलाल बोहरा	बीकानेर-लूणकरनसर रोड मील 7/0 से 22/0	2,38,305-64 (70-71) (71-72)	23,843 रुपया एक्स्ट्रा आइटम्स के रूप में भुगतान किया गया है।
3.	मै० जगदीश प्रसाद अग्रवाल	बीकानेर-लूणकरनसर रोड मील 22/0 से 36/0	1,04,710-58 (,,)	27,142 एक्स्ट्रा आइटम्स के रूप में भुगतान हुआ।
4.	मै० विरधाराम लुम्बाराम	रामदेवरा-नाचना रोड	65,502-00 (मार्च 71) 8,188-00 (अप्रैल 72)	समस्त एक्स्ट्रा आइटम्स के रूप में भुगतान हुआ।
5.	मुन्नी लाल एण्ड कम्पनी	सम-मुरार सड़क मील 0/0 से 24/0	60,371-00 (मार्च 71)	,,
6.	भंवरलाल बोहरा	सम-मुरार सड़क मील 24/0 से 51/0	13,438-00 (मार्च 70-71)	,,
7.	श्री गुमानीराम अग्रवाल	जैसलमेर-खडी-मियाजलार सड़क कि. मी. 32/0 से 69/0	5,105-68 (मार्च 71) 44,822-00 (मार्च 72)	,,
8.	श्री अचलसिंह भाटी	,, 0/0 से 20/0	10,962-00 (मार्च 72)	,,
9.	श्री देवीसिंह	रामदेवरा-नाचना सड़क पुलिया	10,644-00 (मार्च 71)	,,

परिशिष्ट–5

(स्थगित प्रश्न सं० 210 की सूची)

क्र० सं०	पंचायत समिति	नाम जयन्ती ग्राम
(1)	सुमेरपुर	(1) चाणोद
		(2) नोवी
(2)	बाली	(3) सेसली
		(4) चावन्डेरी
(3)	देसूरी	(5) गुढापृथ्वीराज
		(6) गुढा अखेराज
(4)	खारची	(7) खारची
		(8) हेमालियावास खुर्द
(5)	सोजत	(9) सारंगवास
		(10) शिवपुरा
(6)	रानी स्टेशन	(11) खिवाड़ा
		(12) देवली
(7)	रायपुर	(13) सेन्दड़ा
		(14) सबलपुर
(8)	जैतारण	(15) जैतारण
		(16) आनन्दपुर कालू
(9)	पाली	(17) डिगाई
		(18) हेमावास
(10)	रोहट	(19) रोहट
		(20) दिवान्दी

रजत जयन्ती में चुने हुए ग्रामों के विकास सम्बन्धी सूचना

क्र. स.	पंचायत समिति	ग्राम	विकास कार्य	विभाग
1	2	3	4	5
1.	सुमेरपुर	चाणोद	1-बिजली	विद्युत
			2-सड़क	निर्माण
		मोवी	2-पेयजल	जलदाय विभाग
2.	रानी	खींवाड़ा	1-बिजली	विद्युत
			2-सड़क	निर्माण
		देवली	3-पेयजल	जलदाय विभाग
			4-आवास की सुविधा	पंचायत एवं जन सहयोग
3.	देसूरी	गुढ़ा पृथ्वीराज	1-योजना नहीं बनाई गई	—
		सिनदरली		
4.	बाली	सेसली	1-आवास सुविधा	पंचायत एवं जन सहयोग
		चावण्डेरी	2-दो कमरों का निर्माण	”
			3-सड़क	निर्माण
			4-बिजली	विद्युत
5.	खारची	गांव खारची	1-पेयजल	जलदाय विभाग
			2-सड़क	निर्माण
		हेमलियावास खुर्द	3-बिजली	विद्युत
			4-दो कमरों का निर्माण	पंचायत एवं जन सहयोग
			5-वृक्षों का लगाना	वन विभाग
			6-आवास सुविधा	पंचायत एवं जन सहयोग
6.	रायपुर	सेन्दड़ा	1-बिजली	विद्युत
		सबलपुरा	2-पेयजल	जलदाय विभाग

1	2	3	4	5
7.	सोजत	शिवपुरा	1-बिजली 2-पेयजल	विद्युत जलदाय विभाग
		सारंगवास	3-सड़क 4-दो कमरों का निर्माण	निर्माण पंचायत एवं जन सहयोग
8.	जैतारण	आसरलाई ढिगरना	—	—
9.	पाली	हेमावास डिंगाई	योजना बन चुकी है।	
10.	रोहट	रोहट	1-पेयजल 2-स्कूल भवन	जलदाय विभाग पंचायत एवं जन सहयोग
		दिवान्दी	3-सड़क 4-बिजली 5-वृक्ष लगाना	निर्माण विद्युत वन विभाग

———

परिशिष्ट–6

(स्थगित प्रश्न सं० 262 की सूची)

राजस्थान लैंड रिफार्म्स एण्ड एक्वीजीशन ग्रॉफ लैंड ग्रॉनर्स एस्टेट एक्ट, 1963 के अन्तर्गत भूतपूर्व नरेशों की रिज्यूम होने वाली निजी सम्पत्ति में दर्ज कृषि-भूमि का विवरण (बीघों में)

क्रमांक	भूतपूर्व नरेश	तालाब बीघा बिस्वा	जंगल बीघा बिस्वा	भाग बीघा बिस्वा	काश्त योग्य भूमि बीघा बिस्वा	गैर मुमकिन बीघा बिस्वा	कुल बीघा बिस्वा	एक्ट लागू होने के बाद रकबा बीघा बिस्वा	बेची गई भूमि रुपये
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जयपुर	1198–00	306–00	373–00	10200–00	7216–00	19293–00	360–00	35000
2	बीकानेर	—	—	201–05	8778–05	8291–11	17271–01	199–16	223000
3	जोधपुर	470–00	3067–10	292–10	31175–09	3747–10	38752–19	5325–00	548600
4	सिरोही	—	437–14	103–11	2302–08	13–00	2856–13	2036–05	176224
5	उदयपुर	26–07	450–06	260–01	2114–06	—	2851–00	945–05	51535
6	डूंगरपुर	431–06	28980–03	—	4951–00	—	32363–04	89–13	12906
7	जैसलमेर	—	—	471–02	4372–10	—	4843–12	—	—
8	कोटा	1442–12	—	2929–18	608–10	—	4981–00	2126–02	760716
9	बांसवाड़ा	—	9165–01	—	623–04	94–17	9883–02	494–01	19762

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	झालावाड़	—	—	38–04	448–15	131–12	618–11	—	—
11	प्रतापगढ़	—	—	—	691–14	1271–11	1963–05	697–00	8800
12	करौली	—	—	—	206–18	276–18	483–03	27–10	10000
13	अलवर	—	2865–07	196–13	216–10	106–08	3438–18	—	—
14	टौंक	—	—	—	3199–14	—	3199–14	983–06	76122
15	किशनगढ़	148–14	3073–11	—	12434–09	—	15656–14	140–02	26500
16	कुशलगढ़	—	1983–10	—	789–15	583–06	3365–11	—	—
17	बूंदी	25–08	1945–01	90–11	4466–01	—	6527–01	3769–08	252700
18	शाहपुरा	—	—	75–06	719–02	—	794–08	495–12	19000
19	भरतपुर	—	47–07	196–06	804–09	5–10	1053–12	208–10	40333
20	धौलपुर	35–01	—	—	1000–00	—	1035–01	—	—
	योग....	3777–18	50321–15	5228–07	90111–09	21792–00	171231–09	17897–10	2061198

————

(178)

परिशिष्ट-7

(समयाभाव के कारण न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

राज्य में मन्दिरों की संख्या एवं इनके पुजारियों को मिलने वाला वेतन व सुविधाएं

470. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली)

श्री केदारनाथ (लक्ष्मणगढ) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान में कुल कितने मंदिर ऐसे हैं जो देवस्थान विभाग के पूर्ण नियंत्रण में हैं और शेष कितने मन्दिर गोस्वामीजी श्री कांकरोली अथवा अन्य ऐसे मठाधीशों की व्यवस्थाधीन हैं । इन मठाधीशों के पास ढेरों सारे मंदिर छोड़ देने का औचित्य क्या है, विशेष कर उस स्थिति में जब कि देवस्थान विभाग कायम हुये वर्षों हो चुके हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कांकरोली गोस्वामी इत्यादि मठाधीशों के अधीनस्थ मंदिरो के मुखियाओं, पुजारियों को अभी भी वही वेतन व सुविधायें प्राप्त हैं जो कई दशक पूर्व तय की गई हैं वह वेतन भी नियमित रूप से नहीं दिया जाता तथा मन्दिरों के जीर्णोद्धार एवं सेवा पूजा के लिये भी पर्याप्त धनराशि नहीं दी जाती ?

(3) क्या प्राइवेट मंदिरों के पुजारियों को देय वेतन देवस्थान विभाग के मुकाबले नगण्य तुल्य है ? यदि हां तो इतनी असमानता क्यों हैं ? क्या प्राइवेट मंदिरों में पीढ़ियों से एक स्थान पर सेवा पूजा करते आ रहे है मुखियाओं, पुजारियों को जिनका कि जीवनयापन का एक मात्र आधार यह वेतन है अपना उत्तराधिकारी भी चुनने का अधिकार नहीं हैं और उन्हें मठाधीशों की दया पर छोड़ दिया गया है ?

(4) क्या मन्दिरों के किराये इत्यादि की आय का शतांश भी मन्दिर की सेवा पूजा के लिए नहीं दिया जाता है और पुजारियों को स्वयं के स्वल्प वेतन से ही यह व्यवस्था करनी होती है ? क्या यह भी सही है कि सदियों पुरानी इनकी पुश्तैनी सेवाओं का ध्यान न कर इन्हें कृत्रिम कोपभाजन बनाकर कभी भी सेवा से निकाला जा सकता है ?

(5) यदि हां, तो क्या सरकार अपनी घोषित नीति के अनुकूल प्राइवेट मन्दिरों के सेवियों/मुखियाओ की दयनीय स्थिति को दृष्टिगत कर और इन धार्मिक ठेकेदारों और मठाधीशों का एकाधिपत्य समाप्त करने और धार्मिक पवित्र स्थलों की अच्छी सेवा-पूजा, संधारण व व्यवस्था में सुधार के तथ्य को ध्यान में रखकर शेष सभी प्राइवेट मन्दिरों को राज्य सरकार के नियन्त्रण में लेने हेतु अविलम्ब विद्यमान अधिनियम में शोधन करने का विचार रखती है ?

(देवस्थान मंत्री)

उत्तर

(1) देवस्थान विभाग के पूर्ण नियन्त्रण में 500 मन्दिर व धर्मशालाएं हैं और कांकरोली मन्दिर के गोस्वामीजी के तथा अन्य स्थानों के मठाधीशों के प्रबन्धाधीन 461 मन्दिर व स्थान हैं। यह स्थान तत्कालीन स्टेटों के समय से ही उनके प्रबन्ध में चले आ रहे हैं।

(2) गोस्वामीजी, कांकरोली इत्यादि मठाधीशों के अधीनस्थ मन्दिरों तथा मठों पर देवस्थान विभाग का सीधा नियन्त्रण नहीं है इसलिए मुखियों/पुजारियों को दिये जाने वाले वेतन इत्यादि की जानकारी नहीं है।

(3) प्राइवेट मन्दिरों के पुजारियों को दिये जाने वाले वेतन व उत्तराधिकारी चुनने के अधिकार सम्बन्धी जानकारी विभाग को नहीं है क्योंकि इसका सम्बन्ध देवस्थान विभाग से नहीं है।

(4) ऐसे मन्दिरों आदि की सम्पदा का किराया वसूल करने व पुजारियों को रखने या निकालने की व्यवस्था का अधिकार सम्बन्धित मन्दिरों के व्यवस्थापकों या मठाधीशों को है।

(5) अभी अधिनियम में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर के लिये दवाओं का बजट

471. श्रीमती भगवती देवी (भिनाय) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अजमेर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के लिये दवाओं के लिये कितना बजट रखा गया है ?

(2) साधारणतया प्रतिदिन औसतन कितने मरीज इस अस्पताल में आते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि मरीजों की संख्या को देखते हुए बजट बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसमें वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) 3,72, 500 रुपये का प्रावधान है।

(2) प्रतिदिन आउट-डोर मरीजों की संख्या 4667 व इन-डोर मरीजों की संख्या 43 है।

(3) राज्य सरकार ने प्रथम श्रेणी अस्पतालों में औषधियों के लिए 700 रुपये प्रति शैय्या की दर निर्धारित की है और इसी दर के आधार पर इन अस्पतालों को बजट आवंटित किया जाता है। अस्पतालों में औषधियों के लिए बजट में वृद्धि करने की कार्यवाही की जा रही है।

सिरोही सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक

472. **श्री जेठमल आर्य** (परवतसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सिरोही सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक में अधिकतर संचालक डिफाल्टर सहकारी समितियों के प्रतिनिधि हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन संचालक किस-किस समिति का प्रतिनिधि है और कौन-कौन संचालक किस-किस समिति में डिफाल्टर है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सिरोही सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री स्वरूप सिंह भी किसी समिति के डिफाल्टर हैं ? यदि हां, तो किस सहकारी समिति के तथा कितने समय से ?

(3) सिरोही सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक में कौन-कौन संचालक हैं और कितने समय से ? मय नाम व पता सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि गत दो वर्ष में बैंक में जो नियुक्तियां की गई हैं वे सभी राजपूतों की हैं ? यदि हां, तो क्या कोई नियोजन विभाग से उम्मीदवार नहीं आये हैं और कितनी नियुक्तियां की गईं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां ! कौन संचालक किस समिति का प्रतिनिधित्व करता है की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं !

(3) सूची में अंकित कर दिया गया है।

(4) जी नहीं ! सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सूची

क्र. सं.	नाम संचालक	दिनांक चुनाव	समिति जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं	क्या समिति जिसका प्रतिनिधित्व हैं बैंक की डिफाल्टर है ?
1.	श्री स्वरूपसिंह	15-1-73	शिवगंज को. मार्के. स. स. लि.	नहीं दिनांक 26-12-70 से संचालक मंडल में है।
2.	श्री माधोसिंह	,,	जीरावल वन श्रमिक स. स. लि.	नहीं दिनांक 4-4-72 से संचालक मंडल में हैं
3.	श्री शिवनाथसिंह	,,	मीरपुर दुग्ध स. स. लि.	नह
4.	श्री हमीरसिंह	,,	डाहओं ग्राम से.स.स.लि.	हां 11606/30-6-66
5.	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता	,,	अम्बिका ग्राम से.स.स लि.	हां 9275/31-12-72
6.	श्री बालकदास	,,	दनाणी ग्राम से.स.स.लि.	नहीं
7.	श्री नारायणसिंह	,,	आमली ग्राम से. स. लि.	हां 7679.38/ 30-6-72
8.	श्री रावतराम	,,	वीर ग्राम से. स. लि.	हां 6838.09/ 30-6-72
9.	श्री ओमप्रकाश गोपालिया	,,	केसरगंज बहुधन्धी स. स. लि.	हां 8893.00/ 31-12-69 2245.00/31-5-65

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	जाति	पद	योग्यता
1.	श्री नरेन्द्रकुमार शाह	जैन	लिपिक	हायर सैकेण्डरी
2.	श्री नरपतसिंह बालेचा	राजपूत	,,	सैकेण्डरी
3.	श्री फूलसिंह देवड़ा	,,	,,	बी. ए.
4.	श्री द्वारका प्रसाद गोदा	ब्राह्मण	,,	सैकेण्डरी
5.	श्री थोमस पी.	ईसाई	,,	,,
6.	श्री हकीम खां	मुसलमान	,,	बी. ए.
7.	श्री देवीसिंह	राजपूत	,,	सैकेण्डरी

टौंक तहसील के ग्रामों का विद्युतिकरण

473. **श्री अजीतसिंह** (टौंक) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि टौंक तहसील के गांवों की स्वीकृति होने पर भी विद्युतिकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो किन किन का और क्यों ? तथा अब कब तक विद्युतिकरण करा दिया जायगा ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त तहसील में सन् 1973 में किन गांवों का विद्युतिकरण हो जावेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1972-73 के ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत तहसील टौंक के 2 ग्राम सीतारामपुर व मन्डावर का विद्युतिकरण किया जा चुका है। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की 65 ग्रामों की एक सघन योजना (जिसमें टौंक, देवली व उनियारा तहसीलों के गांव हैं) भी स्वीकृत हुई है। इस योजना में टौंक तहसील के 33 ग्राम सम्मिलित हैं, जिनकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है। इनमें से 17 ग्रामों का विद्युतिकरण फरवरी, 73 तक हो चुका है उन्हें इस सूची में तारांकित कर दिया गया है।

(2) इस तहसील के शेष 16 ग्रामों का विद्युतिकरण चालू वर्ष व वर्ष 1973-74 व 1974-75 में स्वीकृत योजना अनुसार कर दिया जावेगा।

List of villages of Tonk Tehsil included in the R. E. C. Scheme "Tonk-Deoli-Uniara"

S. No.	Name of the village
1	2
1.	Chooriya
2.	Bithola
3.	Balapura

1	2	
4.	Deopura	
5.	Ammia kedar	
6.	Saragaon	
7.	Untihana	
8.	Rampura	
9.	Aminpura	*
10.	Nawabpura	*
11.	Talabpura	*
12.	Mohamad Nagar	*
13.	Palda	*
14.	Borda	*
15.	Ahmadganj	*
16.	Pharasiya	*
17,	Hakimpura	*
18.	Lamba	*
19.	Ahmadpura	*
20.	Goharpura	
21.	Sonwa	
22.	Arniyamal	
23.	Nimola	
24.	Arniyaneel	*
25.	Dakhiya	
26.	Karimpura	
27.	Sandula	
28.	Amirpura kheda	*
29.	Chhan	*
30.	Mahuwa	*
31.	Alipur	
32.	Bharni	*
33.	Ranipura	*

*Electrified

गंगनहर क्षेत्र का टेल

474. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जे. जे. माइनर (गंगनहर क्षेत्र) की टेल कितनी और कब पक्की की गई ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त पक्की की गई दो बुर्जीटेल का (बैड) ऊंचा होने के कारण बिना किसी मंजूरी के एस. डी. ओ., सिंचाई विभाग, पदमपुर ने नीचा करवा दिया ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार उक्त अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जे. जे. माइनर की टेल से ऊपर की ओर 2000 फुट की लम्बाई में ईंटों की पिचिंग करके जून, 1972 में पक्का किया गया।

(2) एस. डी. ओ., सिंचाई विभाग ने टेल के काश्तकारों को नहर में से रेत व सिल्ट साफ करने की इजाजत दी थी। नहर साफ करते समय काश्तकारों ने बुर्जी नं० 17 के पास कुछ दूर में नहर का पक्का तला उखाड़ दिया जो लेवल के अनुसार ठीक करवा दिया था। अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्राम पावटा, तहसील सांचोर में भूमिहीनों को सरकारी पड़त भूमि का अलॉटमेन्ट

475. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम पावटा, तहसील सांचोर, जिला जालोर में कई भूमिहीन काश्तकारों को काफी सरकारी पड़त भूमि अलॉट की गई है ? अगर हां, तो कब-कब किसको कितनी भूमि अलॉट की गई थी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि ऐसे काश्तकारों द्वारा अपनी आवंटित भूमि पर कब्जे भी किये जा चुके हैं एवं काश्त भी कर रहे हैं ? अगर हां, तो कब से ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि एक गुजरात प्रान्त के भूतपूर्व जागीरदार ने उक्त भूमि को अपने खुदकाश्त के बाद में पड़त बताकर अलॉट करवाई थी ? अगर हां, तो कब व किस जागीरदार ने ऐसा किया है ?

(4) क्या यह भी सत्य है कि भूमिहीन काश्तकारों द्वारा एतराज किये जाने पर उक्त आवंटित भूमि, भूमिहीन काश्तकारों के ही पास रखने का राज्य सरकार का आदेश हो चुका था ? अगर हां, तो कब ? उस फैसले की अब तक मौके पर तामील क्यों नहीं करवाई गई है ? अब तामील कब तक करवा दी जावेगी ?

(184)

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

(1) जी यह सत्य है कि ग्राम पावटा, तहसील सांचोर, जिला जालोर में कई भूमिहीन काश्तकारों को वर्ष 1965-66 में काफी सरकारी पड़त भूमि अलॉट की गई है। ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) जिन काश्तकारों को भूमि आवंटन की गई थी उनके कब्जे दिये जा चुके हैं। खसरा नं० 91 व 143 में राजस्व रेकार्ड में पड़त जमीन अंकित होने से भूमि आवंटन की गई थी किन्तु उप-जिलाधीश (जागीर) जालौर द्वारा उक्त भूमि भूतपूर्व जागीरदार की मान लेने के कारण, कब्जा देने की कार्यवाही नहीं हुई।

(3) जी हां। दिनांक 29-2-60 को गुजरात प्रान्त के भूतपूर्व जागीरदार श्री बाघसिंह एवं हरिसिंह ने उक्त भूमि खसरा नं० 91 व 143 ग्राम पावटा को उप-जिलाधीश (जागीर), जालौर द्वारा अलॉट करवाई थी।

(4) जी हां। श्री रघुनाथ विश्नोई के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर दिनांक 21-3-68 को यह आदेश जारी किये थे कि उक्त भूमि पर जिन्होंने हाल में काश्त की है उन्हें अग्रिम आदेश तक बेदखल नहीं किया जावे परन्तु चूंकि सक्षम अधिकारी खुदकाश्त आयुक्त ने जागीरदार के उक्त भूमि आवंटन आदेश को राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत मानते हुए उचित ठहराया इसलिये राज्य सरकार के उक्त आदेशों को निरन्तर नहीं रखा गया। अतः अब इसमें तामील का प्रश्न ही नहीं रहता है।

ग्राम पावटा, तहसील सांचोर में भूमिहीन काश्तकारों को आवंटित भूमि की सूची

वर्ष 1965

क्र. सं.	नाम काश्तकार	आवंटित भूमि		विशेष विवरण
		ख० नं०	रकबा	
1	2	3	4	5
			बीघा	
1.	मजीद वल्द बाबू	143	15	
2.	रहीमना वल्द	,,	15	
3.	मिलाया वल्द	,,	15	
4.	बागा वल्द धीरा	,,	22	
5.	बच्ची पत्नी पीरा	,,	8	
6.	हारा पत्नी वेली	,,	15	
7.	जारु वल्द सकूर	,,	15	
8.	जीवा वल्द जैठा	,,	15	
9.	डाई वल्द बागा	,,	15	

Page No 185

185

1	2	3	4	5
10.	दीनू वल्द भगा	143	411	
11.	गुलमोहम्मद वल्द सदीक	,,	15	
12.	रूपा वल्द भूदारा	,,	15	
13.	हरसिंगा वल्द दौला	,,	15	
14.	नागजी वल्द रूपा	,,	15	
15.	समसा वल्द सकूर	,,	22	
16.	वली वल्द पीरा	,,	131	
17.	रामा वल्द पूरा	,,	15	
18.	गैना वल्द हाजा	,,	15	
19.	इस्माइल वल्द सजन	,,	15	
20.	सगता वल्द जैठा	,,	15	
21.	मारू वल्द दाबूद	,,	15	
22.	ठारू वल्द गफूर	,,	15	
23.	हेमराज वल्द वजा	,,	15	
24.	वीया वल्द वजा	,,	15	
25.	कसूंवी वल्द मनजी	91	15	
26.	उसमान वल्द दाबूद	,,	10	
27.	अली वल्द सजन	,,	15	
28.	दीनू वल्द भगा	114	411	
		योग....	399 । बीघा	

वर्ष 1966

			बीघा
1.	दाना वल्द नगा	117	15
2.	रामा वल्द लगधीर	,,	15
3.	भगा वल्द भूरा	,,	15
4.	फादुल वल्द पीरा	132	15
5.	नारणा वल्द सगता	3	15
6.	जैठा वल्द राणा	3	15
7.	लगधीर वल्द नगा	117	15
8.	रामा वल्द मूला	143	15
9.	लालू वल्द गफूर	,,	15
10.	रहीमना वल्द मजीर	,,	15
11.	उसमान वल्द दाबूद	,,	15

1	2	3	4	5
12.	दूधल वल्द गफूर	143	15	
13.	मूसा वल्द गफूर	117	15॥।	
14.	मिलाया वल्द मजीद	,,	15	
15.	सामा वल्द भगा	,,	15	
16.	कादर वल्द बोढ़ा	61	11	
17.	भारू वल्द गफूर	,,	15	
18.	गोर्धन वल्द मलूक	,,	15	
19.	ठारू वल्द गफूर	,,	16॥.1 बि.	
20.	अली वल्द सजन	143	22	
21.	बजरंगा वल्द धनराज	,,	15	
22.	बागा वल्द धनराज	,,	15	
		योग....	334। 1 बि.	

वन विभाग की पड़त काश्त काबिल जमीन का भूमिहीनों को अलॉटमेन्ट

476. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ के फोरेस्ट एरिया में काबिल काश्त जमीन पर कितने व्यक्ति कितनी जमीन पर नाजायज कब्जा कर काश्त कर रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि उन्हीं व्यक्तियों के नाम जिन्होंने नाजायज कब्जा कर रखा है, दर्ज की जायगी ।

(3) क्या यह भी सही है कि फोरेस्ट एरिया में पड़त काश्त काबिल जमीन भूमिहीनों को अलॉट की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) 310 व्यक्तियों ने लगभग 3120 बीघा वन भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है ।

(2) जी नहीं । वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही जारी है ।

(3) यह निर्णय राजस्व विभाग को करना है ।

तहसील बस्सी द्वारा सिवाय चक भूमि का अलॉटमेन्ट

477. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) :—क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : -

(1) क्या यह सही है कि तहसील बस्सी, जिला जयपुर द्वारा मार्च, 1967 से अब तक आवंटित की गई सिवाय चक भूमि के आवंटन से पूर्व नियमानुसार भूमिहीन

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)
व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने के लिये सूचनाएं प्रसारित की गई थीं ? यदि हां, तो कब-कब ?

(2) मार्च, 1967 से अब तक जिन भूमिहीनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है उनकी सूची कृपया प्रत्येक ग्रामवार सदन के पटल पर रखें।

(3) मार्च, 1967 से अब तक कितनी कितनी सिवाय चक भूमि किन-किन व्यक्तियों को आवंटित की गई ? सूची ग्रामवार निम्न तालिका में सदन के पटल पर प्रस्तुत करें :-ग्राम का नाम, भूमिहीनों का नाम जिनको आवंटित की गई, जाति, आवंटित भूमि का क्षेत्रफल, आवंटित भूमि की खसरा संख्या।

(4) उपरोक्त तालिका में राजस्व विभाग, जिलाधीश कार्यालय, जयपुर तथा तहसील बस्सी के अधिकारियों, कर्मचारियों के तथा उनके माता-पिता तथा भाई-बहन के नाम पर जो भूमि आवंटित की गई है उनकी सूची उक्त तालिका में ही अलग से प्रस्तुत की जाय।

उत्तर

(1) तहसील बस्सी, जिला जयपुर द्वारा मार्च, 67 से जुलाई 70 तक भूमि आवंटन करने हेतु भूमिहीन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने हेतु उद्घोषणाएं 9-1-69 व 19-11-69 को जारी की गई थीं। इसके उपरान्त परगनाधिकारी द्वारा दि० 19-8-70, 22-12-71, 23-12-71 व 27 से 31-12-71 तथा 12-6-72 को उद्घोषणाएं जारी की गई थीं।

(2) भूमिहीनों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। उद्घोषणाओं के तहत तथा आवंटन के समय जो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत हुए हैं उन पर ही पटवारी गिरदावर की रिपोर्ट ली जाकर आवंटन कार्यवाही की गई है।

(3) मार्च, 67 से अब तक तहसील बस्सी में जिन भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि आवंटन की गई है, उसकी सूची विहित प्रपत्र में परिशिष्ट (क) में संलग्न है।

(4) जिन व्यक्तियों को भूमि आवंटन हुई है उनके प्रार्थना-पत्रों में यह अंकित नहीं है कि आवंटी स्वयं कोई राज्य कर्मचारी है अथवा वह किसी सरकारी विभाग में कार्यरत कर्मकारी एवं अधिकारी का सम्बन्धी है। न इस प्रकार की कोई जानकारी प्रार्थना-पत्रों के प्रपत्र में आवश्यक ही है इस कारण यह सूचना संकलित नहीं की जा सकती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

(188)

सड़क निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि

478. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत पांच वर्षों में सड़क निर्माण के लिये केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को कितनी रकम मिली ? प्रत्येक वर्ष का ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) इस रकम में से हर वर्ष कितनी रकम व्यय हुई और कितनी रकम वापिस लौटाई गई और इस रकम का उपयोग नहीं हुआ इसके लिये कौन दोषी था ? क्या ऐसे किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) व्यय धनराशि के आंकड़े सूची में अंकित हैं।

आवंटित धनराशि एवं व्यय धनराशि में अधिक अन्तर नहीं है।

किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक नहीं है।

सूची

गत पांच वर्षों में सड़क निर्माण हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि व हर वर्ष व्यय धनराशि की सूची

(आंकड़े लाखों में)

वर्ष	सीमा रोड्स		राष्ट्रीय मार्ग		इकोनोमिक इम्पोरटेन्स रोड		केन्द्रीय फन्ड्स रोड्स	
	आवंटित राशि	व्यय	आवंटित राशि	व्यय	आवंटित राशि	व्यय	आवंटित राशि	व्यय
1967–68	638.58	656.69	57.50	57.68	1.30	0.94	15.00	12.59
1968–69	538.00	537.80	50.00	49.81	0.80	0.91	15.00	13.53
1969–70	300.80	300.14	38.00	37.11	2.00	1.84	32.80	33.09
1970–71	170.00	174.00	74.00	75.26	1.63	1.73	26.90	27.16
1971–72	156.13	162.56	165.00	165.37	0.50	0.54	15.00	15.20

Page No 190

(190)

भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र में चक-बन्दी का कार्य

479. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र में, नहर के आने के बाद भी चक-बन्दी, री-चक बन्दी का सिलसिला आज तक चालू है ? यदि हां, तो चक तोड़ कर, दुबारा चक बन्दी करने, एक चक के भरने दूसरे चक में डालने या एक चक के दो चक बनाने के मुख्य आधार क्या हैं ? क्या इस सम्बन्ध में कोई कानून भी है ?

(2) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ तहसील में चक 16 एल. जी. डबल्यू. की जमीन तोड़ कर चक 18 एल. जी. डबल्यू. की बी. में करदी गई, तथा चक 20 एल. जी. डबल्यू. की जमीन तोड़ कर 18 एल. जी. डबल्यू. ए. में करदी गई, तथा चक 9 एस. जी. आर. का रकबा तोड़ कर 20 एल. जी. डबल्यू. में मिला दिया गया ? तो क्यों और क्या इस रद्दोबदल के विरुद्ध उपरोक्त गांव वालों ने भारी ऐतराज किये। यदि हां, तो इसके बावजूद भी इस रद्दोबदल को किस आधार पर किस कानून के तहत किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं, ऐसी तबदीलियां कुछ चकों में केवल काश्तकारों के प्रार्थना-पत्र देने पर सिंचाई के हित में तकनीकी आधार पर काश्तकारों की तकलीफों को दूर करने के लिए राजस्थान सिंचाई एवं विकास एक्ट 1954 की धारा 23 से 31 व राजस्थान सिंचाई एवं विकास अधिनियम, 11, 1955 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा दिये गए अधिकारों के अन्तर्गत को जाती है।

(2) जी हां। इस रद्दोबदल से सम्बन्धित अधिक भूमि के काश्तकारों की सिंचाई कम हो रही थी तथा थोड़ी भूमि के काश्तकार जिनकी सिंचाई दूसरों से अधिक हो रही थी। केवल वे ही इस रद्दोबदल में एतराज करते थे अतः सिंचाई के हित में यह रद्दोबदल राजस्थान सिंचाई एवं विकास एक्ट एवं नियमों की उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत की गई थी।

तहसील टोडाभीम के गांवों का विद्युतिकरण

480. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि तहसील टोडाभीम के पदमपुरा, बेरोज खोहरा, नांद, गोरडा गांवों को सरकारी रेकार्ड में इलेक्ट्रीफाइड दिखाया हुआ है जबकि इन गांवों में बिजली के खम्भे तक नहीं गड़े हैं ?

(श्री चेतराम)

(2) क्या सरकार उक्त गांवों में विद्युतिकरण शीघ्र ही करायेगी तथा गलत रिपोर्ट देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी नहीं।

(2) कोई गलत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई इस स्कीम के अन्तर्गत आने वाले गांवों के विद्युतिकरण पर काम चालू है।

नमाई नदी पर बांध की योजना

481. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील गंगापुर, ग्राम रायपुर कुसाया की नमाई नदी पर बांध बांधने के लिये एक वर्ष से जनता द्वारा प्रार्थना की जाती रही है ?

(2) क्या यह सच है कि उक्त बांध से दस हजार एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है और सिर्फ 200 फीट का बांध बांधने की आवश्यकता है ?

(3) क्या यह सही है कि इस बांध के बंधने से आस पास के कुओं में पानी का स्तर ऊंचा हो जावेगा।

(4) सरकार बांध बंधवाने के सम्बन्ध में क्या विचार रखती है।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस बांध का अभी सर्वेक्षण नहीं हुआ है अतः इस सम्बन्ध में अभी कुछ कहना सम्भव नहीं है।

(3) जैसा प्रश्न 2 के उत्तर में कहा गया है।

(4) अभी इस योजना का सर्वेक्षण नहीं हुआ है, सर्वेक्षण होने के बाद ही इस सम्बन्ध में कुछ कहा जा सकेगा।

Page No 192

(192)

परिशिष्ट—8

(तारांकित प्रश्न संख्या 465 की सूची)

(1) श्रीमती सुधा	बी० ए० बीएड०
(2) ,, हन्सा	हायर सैकेण्डरी (अप्रशिक्षित)
(3) ,, कृष्णाबाई	,, ,,
(4) ,, लीला	,, ,,
(5) ,, सूर्यकान्ता	सैकेण्डरी ,,

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 206 की सूची)

कोटा जिले की सहकारी कृषि समितियों की सूची

क्र. संख्या	नाम सहकारी कृषि समिति	भूमि अलॉट हुई या सदस्यों द्वारा पूल की गई
1	2	3
1.	शिव मण्डी, सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
2.	बाबई सामूहिक कृषि स० स० लि०	250 एकड़
3.	जगजीवन सामूहिक कृषि स० स० लि०	229 बीघा
4.	अमझार सामूहिक कृषि स० स० लि०	563 बीघा
5.	केमत्या रैयत टीनेन्ट स० स० लि०	200 एकड़
6.	मोतीपुरा बैटर फार्मिंग स० स० लि०	1700 बीघा
7.	लक्ष्मी संयुक्त कृषि स० स० लि०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
8.	रामपुरा बैटर फार्मिंग स० स० लि०	630 बीघा
9.	डाबरी कलां कृषि स० स० लि०	132 बीघा 16 बिस्वा
10.	लहूरी संयुक्त कृषि स० स० लि०	95 बीघा
11.	नया गांव रैयत टीनेन्ट स० स० लि०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
12.	जय नगर रैयत टीनेन्ट स० स० लि०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
13.	नया गांव रैयत टीनेन्ट स० स० लि०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
14.	रानपुर रैयत टीनेन्ट स० स० लि०	500 बीघा
15.	पूर्वी गणेशपुरा टीनेन्ट स० स० लि०	244 बीघा 15 बिस्वा
16.	पश्चिमी टीनेन्ट स० स० लि०	244 बीघा 15 बिस्वा
17.	अशोक सामूहिक कृषि स० स० लि०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
18.	मोडक स्टेशन सामूहिक कृषि स० स० लि०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
19.	गोरधनपुरा संयुक्त कृषि स० स० लि०	स्वयं की
20.	खटका संयुक्त कृषि स० स० लि०	स्वयं की
21.	जैतपुरा संयुक्त स० स० लि०	170 बीघा
22.	समरानियां संयुक्त स० स० लि०	स्वयं की
23.	हनोतिया संयुक्त स० स० लि०	312 1/2 बीघा

1	2	3
24.	पगारा संयुक्त स० स० लि०	स्वयं की
25.	नया गांव संयुक्त कृषि स० स० लि०	स्वयं की
26.	सांघरी संयुक्त कृषि स० स० लि०	200 बीघा
27.	मामोनी संयुक्त कृषि स० स० लि०	स्वयं की
28.	मोयदा संयुक्त कृषि स० स० लि०	200 बीघा
29.	बोरडा संयुक्त कृषि स० स० लि०	स्वयं की
30.	पीपलखेड़ी कृषि स० स० लि०	स्वयं की
31.	खुशियारा कृषि स० स० लि०	400 बीघा
32.	घट्टा कृषि स० स० लि०	500 बीघा
33.	बलूची कॉलोनी कृषि स० स० लि०	150 बीघा
34.	सोडाना कृषि स० स० लि०	स्वयं की
35.	बालापुरा कृषि स० स० लि०	स्वयं की
36.	रामपुरिया कृषि स० स० लि०	1000 बीघा
37.	लक्ष्मीपुरा कृषि स० स० लि०	स्वयं की
38.	अमरोली कृषि स० स० लि०	500 बीघा
39.	दीगोदा श्यामनगर स० स० लि०	1000 बीघा
40.	केदार कुई कृषि स० स० लि०	स्वयं की
41.	नाहरगढ़ कृषि स० स० लि०	भूमि आवन्टित नहीं हुई
42.	लखडियाई कृषि स० स० लि०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
43.	ढिकोनिया कृषि स० स० लि०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
44.	खावदा (बहराई) कृषि स० स० लि०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
45.	महोदरी रैयत टीनेन्ट स० स०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
46.	नागदा सामूहिक कृषि स० स०	50 बीघा
47.	शारदा सामूहिक कृषि स० स०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
48.	कपिलधारा सामूहिक कृषि स० स०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
49.	भंवरगढ़ कृषि स० स०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
50.	पीपलोद रैयत टीनेन्ट सहकारी स० स० लि०	202 बीघा
51.	बड़ोदा आदर्श संयुक्त कृषि स० स० लि०	275 बीघा

1	2	5
52.	छत्रपुरा गांधीवादी संयुक्त स० स० लि०	3900 बीघा
53.	दड़ा आधुनिक कृषि स० स० लि०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
54.	खोपर रैयत टीनेन्ट कृषि स० स०	58 बीघा
55.	कल्याणपुरा-अमलावदी संयुक्त कृषि स० स०	375 बीघा
56.	दीगोद खालसा संयुक्त कृषि स० स०	440 बीघा
57.	बांसखेड़ा संयुक्त कृषि स० स०	425 बीघा
58.	खरण संयुक्त कृषि स० स०	251 बीघा
59.	मदनपुरा, प्रहलादपुरा संयुक्त कृषि स० स०	499 बीघा
60.	हरनावदी संयुक्त कृषि स० स०	285 बीघा
61.	जालेडा सामूहिक कृषि स० स० लि०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
62.	चुरेलिया सामूहिक कृषि स० स०	514 बीघा
63.	कापड़ी खेड़ा सामूहिक कृषि स० स०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।
64.	फलदी सामूहिक कृषि स० स०	भूमि आवन्टित नहीं हुई।

(196)

परिशिष्ट–10

(अतारांकित प्रश्न सं० 209 की सूची)

कार्यालय सब डिवीजनल ऑफिसर राजस्व, श्री करनपुर

क्रमांक स्था/जांच/73/38 दिनांक 6-1-73

श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश,
श्री गंगानगर

विषय:—दर. श्री गुरुदयालसिंह सन्धु, विधान सभा सदस्य एवं श्री सुरेन्द्रपालसिंह, वकील, श्री करनपुर व अन्य बाबत चक 16 ओ. के. मु. नं. 26 के 24½) हजारी पुत्र आसा को अलॉट करने दर. अन्तर्गत 13/14 कोलोनाईजेशन एक्ट।

उपरोक्त विषय की मूल दरख्वास्त आपने कल दिनांक 5-1-73 का करनपुर प्रवास के समय मुझे अग्रेषित की इस संबंध में मैंने तहसीलदार, करनपुर से जांच रिपोर्ट ली जो मूल दरख्वास्त के पुश्त पर है जो मूल ही आपकी सेवा में प्रेषित की जा रही है। इसके तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं।

(1) चक 16 ओ. का. मु. नं. 16 का 24½) बीघा नहरी हजारी पुत्र आसा को पुख्ता अलॉट हुआ जिसका पोजीशन ऑर्डर सं. 75114, दिनांक 5-3-67 बताया इसकी किश्तों की रकम 5-7-68 को 1250 रु. व 8-4-69 को 10000 रु. कुल 11250 रु. भरे जा चुके हैं।

(2) यह रकबा भोलूराम पुत्र प्रभुराम बिश्नोई सा. मुकम ने बहैसियत मुख्त्यार आम श्री हजारीराम रकबा दिनांक 9-5-69 द्वारा वह हक मुन्नीलाल पुत्र पन्नालाल 12½) बीघा व मन्नालाल पुत्र रामानन्द, सा. करनपुर को 12½) बीघा एवज 25000 रु. बैय कर दिया।

(3) उपरोक्त खरीदशुदा रकबा श्री पन्नालाल अग्रवाल, सा. करनपुर ने दिनांक 25-6-71 को जरिये बैयनामा रतनकौर, हरभजनकौर, गुरबचनकौर को व एवज 10500 में बैय कर दिया एवं श्री मुन्नीलाल ने भी यह रकबा 25-6-71 को ही कश्मीरसिंह, जगीरसिंह व गुरपालसिंह को 10500 रु. में बैय कर दिया।

इस तरह उपरोक्त रकबा वर्ष 1967 में पुख्ता आवंटन हुआ व वर्ष 1969 में बेचान कर दिया गया मूल रिपोर्ट आगामी आदेश के लिये प्रस्तुत है।

ह०/-
उप जिलाधीश, श्री करनपुर

संलग्न :— मूल प्रार्थना-पत्र

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 210 की सूची)

क. सं.	नाम	श्री गुलजारसिंह पुत्र अमरसिंह, उसकी धर्मपत्नी व बच्चों के नाम भूमि 1-1-70 से पहले						श्री गुलजारसिंह पुत्र अमरसिंह, उसकी धर्मपत्नी व बच्चों के नाम भूमि 1-1-70 को					
		चक नं.	मु. नं.	भूमि नहरी		भूमि बारानी		चक नं.	मु. नं.	भूमि नहरी		भूमि बारानी	
				वीघा	बिस्वा	वीघा	बिस्वा			वीघा	बिस्वा	वीघा	बिस्वा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	श्री गुलजारसिह पुत्र अमरसिह	12 पी.एस.	—	32	18	—	—	12 पी. एस.	—	32	18	—	—
2.	मु० चरणकौर पत्नी गुलजारसिह	12 पी.एस.	—	36	18	—	—	12 पी. एस.	—	36	18	—	—
3.	श्री करनैलसिह, सुरेन्द्रपालसिह, पिसरान गुलजारसिह	69 आर.बी.	42	25	—	—	—	69 आर. बी.	42	25	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	श्री सुरेन्द्रपालसिंह, करनैलसिंह पिसरान गुलजारसिंह	69 आर.बी.	3	14	10	10	10	69 आर. बी.	3	14	10	10	10
5.	,,	,,	4					,,	4				
6.	,,	,,	50/1					,,	50/1				
		योग....		109	6	10	10			109	6	10	10
	कुल 119 बीघा 16 बिस्वा							कुल 119 बीघा 16 बिस्वा					

अभ्युक्ति

1 एवं 2. चक 12 पी. एस. में श्री गुलजारसिंह एवं उसकी पत्नी चरणकौर के नाम कुल 69 बीघा 16 बिस्वा नहरी भूमि खातेदारी है। अन्य किसी परिवार के सदस्यों के नाम भूमि नहीं है और न ही खरीद की जानी पाई गई है। उक्त भूमि का इंतकाल दर्ज है।

3. चक 69 आर. बी. मु. नं. 42 में 25 बीघा नहरी भूमि जरिये बेनामा दिनांक 21-1-65 श्री करनेलसिंह, सुरेन्द्रपालसिंह पिसरान गुलजारसिंह ने रत्नसिंह वल्द हुक्मासिंह से 20,000 रुपये में खरीद की। बाद में जरिये इकरारनामा दिनांक 12-6-69 को श्री मंगलसिंह

वल्द हीरासिंह को बैयकर करने का सौदा करके भूमि का कब्जा दिया गया। मगर दस्तावेज दिनांक 25-4-72 को बैयनामा हुआ और भूमि का इन्तकाल अभी तक करनेलसिंह, सुरेन्द्रपालसिंह के नाम दर्ज नहीं हुआ है न ही इनके बेचने पर खरीददार श्री मंगलसिंह के नाम है।

4, 5 चक 69 आर. बी. में मु. नं. 3, 4 तथा 50/1 में 25 बीघा भूमि श्री सुरेन्द्रपालसिंह, करनेलसिंह पिसरान गुलजारसिंह ने 16-6-66
एवं 6 चैनसिंह वल्द श्यामसिंह से खरीदी। 22-4-72 को इसमें से 15 बीघा भूमि बिकरसिंह वल्द महियासिंह को बैय कर दी। भूमि श्री सुरेन्द्रपालसिंह व करनेलसिंह के कब्जा काश्त में 1-1-70 को थी मगर उक्त इन्तकाल इनमें नाम दर्ज नहीं हुआ। राजस्व रेकार्ड के अनुसार चक 69 आर. बी. की जो भूमि खरीदी गई है वह अभी तक श्री रतनसिंह व श्री चैनसिंह के नाम दर्ज है।

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 212 की सूची)

निदेशालय के अधीनस्थ अनुसूचित व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के जिलेवार आंकड़े

जिले का नाम	कार्यालय अधीक्षक		कार्यालय सहायक		वरिष्ठ लिपिक		कनिष्ठ लिपिक	
	अ. सू. जा.	अ. सू. ज. जाति	अ.सू. जा.	अ. सू. ज. जाति	अ. सू. जा.	अ. सू ज. जाति	अ. सू. जा.	अ. सू ज. जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. अजमेर	—	—	—	—	1	—	2	—
2. अलवर	—	—	—	—	—	2	4	1
3. बाड़मेर	—	—	—	—	—	—	3	—
4. भरतपुर	—	—	—	—	2	—	5	—
5. भीलवाड़ा	—	—	—	—	—	—	1	—
6. बीकानेर	—	—	—	—	—	—	3	—
7. बूंदी	—	—	—	—	—	—	1	—
8. चित्तौड़गढ़	—	—	—	—	2	—	2	—
9. चूरू	—	—	—	—	—	—	2	—
10. डूंगरपुर	—	—	—	—	1	1	—	1
11. जयपुर	—	—	—	—	2	1	33	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. जालौर	—	—	—	—	—	—	3	—
13. झालावाड़	—	—	—	—	—	—	1	—
14. झुन्झुनूं	—	—	—	—	1	—	1	—
15. जोधपुर	—	—	—	—	1	—	1	—
16. कोटा	—	—	—	—	1	—	6	—
17. नागौर	—	—	—	—	—	—	2	—
18. पाली	—	—	—	—	1	—	—	—
19. सवाईमाधोपुर	—	—	—	—	1	1	2	2
20. सिरोही	—	—	—	—	3	—	1	1
21. टोंक	—	—	—	—	—	—	3	—

परिशिष्ट–13

(अतारांकित प्रश्न सं० 214 की सूची)

वर्ष	व्यक्ति का नाम	सिंचित रकवा	वसूल की गई धनराशि	व्यक्ति का नाम जिसमें रकम बकाया है
1	2	3	4	5
1970-71	1. श्री नन्दराम खटीक, रटलाई		16.00	पंचायत की राशि वसूली करने से बकाया नहीं है।
,,	2. ,, मदनलाल कलाल, रटलाई		40.00	,, ,,
,,	3. ,, मांगीलाल खटीक, रटलाई	11बीघा	16.00	,, ,,
,,	4. ,, मन्नालाल कलाल, रटलाई		16.00	,, ,,
,,	5. ,, नन्दराम खटीक, रटलाई		18.00	,, ,,
	योग....		106.00	
1971-72	1. श्री दूधानाराम माली, रटलाई		10.00	,, ,,
,,	2. ,, मांगीलाल माली, रटलाई		30.00	,, ,,
,,	3. ,, सुवान भैरूजी, रटलाई		15.00	,, ,,
,,	4. ,, गेन्दीलाल माली, रटलाई		5.00	,, ,,
,,	5. ,, बापूलाल तेली, रटलाई		75.00	,, ,,
,,	6. ,, मदनलाल कलाल, रटलाई		30.00	,, ,,
,,	7. ,, दूधा माली, रटलाई	21¼ बीघा	5.00	,, ,,
,,	8. ,, मांगीलाल माली, रटलाई		10.00	,, ,,
,,	9. ,, हीरालाल, रटलाई		20.00	,, ,,
,,	10. ,, नन्दराम खटीक, रटलाई		15.00	,, ,,
,,	11. ,, चम्पीबाई गूजर, रटलाई		40.00	,, ,,
,,	12. ,, मांगीलाल माली रटलाई		15.00	,, ,,
,,	13. ,, हीरालाल कलाल, रटलाई		10.00	,, ,,
	योग....		212.00	

— — —

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक 13 मार्च, 1973)

स्कम्भ संख्या 1	पंक्ति संख्या 2		अशुद्धि 3	शुद्धि 4
14	अन्तिम से	11	बावूलल	बाबूलाल
17	ऊपर से	3	वीकार	स्वीकार
26	अन्तिम से	5	प्ला ट	प्लान्ट
30	,,	1	श्री अध्यक्ष	श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा
32	,,	18	———	प्रश्न संख्या 465
39	ऊपर से	5	परि	पर
50	,,	8	क नसी डेट	कौनसी डेट
55	,,	6	हो तक	हो तब तक
61	,,	13	। ?	था ?
66	,,	5	केश	केस
80	नीचे से	17	रहा था	जा रहा था
83	,,	14	राल	रोल
84	,,	11	अनाज ,	अनाज है,
96	ऊपर से	1	वेह	वे
96	अन्तिम से	1	लेकस	लेकर
109	,,	15	स्यिति	स्थित
111	,,	10	के	में
115	,,	10	अला कर	अलाभकर
153	,,	7	खा रज	खारिज
153	,,	1	ओर	और
154	ऊपर से	18	जोइन्ट	ज्वाइन्ट
158	,,	10	में । है	में है ।
159	,,	3	आया,	आया ?
160	अन्तिम से	18	महोदय बनों	महोदय, वनों

1	2		3	4
171	अन्तिम से	1	दूसरा नहीं	दूसरा
175	,,	9	चाहूंगा जो	चाहूंगा कि जो
176	,,	4	करूं जिसका	करूं कि जिसका
179	,,	12	अलाटमेन्ट	अलाट
179	,,	5	था सन्	था कि सन्
190	,,	10	चकता	चुकाता
191	ऊपर से	7	उनको	उनसे
191	अन्तिम से	14	उसमें	उससे
215	,,	12	—मैं तो	श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो
235	ऊपर से	5	Implemetnation	Implementation
244	,,	3	alleminium	alluminium
263	,,	9	This	his
269	,,	7	इसलिये जितने	इसलिये कि जितने
270	,,	6	भूतल में	भूतल जल में
275	,,	6	ऊनका	उनका
289	,,	5	अफरशाही	अफसरशाही
298	,,	3	भी का	का भी
342	,,	13	यवि	यदि
361	,,	1	बेयकर	बेय

———